(1)

# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 11 ] पंचम् विधान सभा के 11वें सत्र का 17वां दिवस [ संख्या 12



बुधवार,

दिनांक 24 मार्च, 1976

---

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई। (श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

## तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, मोटर गैरेज, यातायात, खनिज राजकीय उपक्रम, पशुपालन, स्वायत्तशासन, आयुर्वेद, आर्थिक एवं सांख्यिकी, नगर-विकास, पर्यटन, सहकारिता, उपनिवेशन, स्वास्थ्य, पंचायत, आबकारी, कृषि, नगर आयोजन-विभाग]

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न।

**प्रश्न संख्या 311.**

श्री केदार नाथ।

(अनुपस्थित; कृपया आगे देखिये)

श्री बनवारीलाल।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीराम गोटेवाला।

## स्टेट मोटर गैरेज द्वारा सामान की खरीद

312. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशन पोल बाजार, जयपुर) : क्या मोटर गैरेज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) स्टेट मोटर गैरेज द्वारा 1 अप्रेल, 1972 से लेकर अब तक किस किस स्पेयर पार्ट्स के लिए कब कब निविदा आमन्त्रित किए गए?

(2) स्वीकृत दरों से किस किस आइटम की किस किस फर्म की दरें कम थीं और उनको स्वीकार नहीं करने के क्या कारण रहे?

(3) क्या जिन फर्म्स के निविदा स्वीकार किए गए वे फर्म्स स्वयं ऐसे स्पेयर पार्ट्स के निर्माण का कार्य करती हैं या अन्य किसी कम्पनी से खरीद कर सप्लाइ करती रही हैं? यदि हां, तो ऐसी कौन कौन सी फर्म्स हैं तथा उनसे सामान की खरीद का आधार क्या था? क्या सीधे सामान को बनाने वाली कम्पनी से सामान खरीदने में कोई रुकावट थी? यदि हां, तो क्या?

**राज्य मन्त्री, मोटर गैरेज विभाग** (श्री मुन्शीलाल महावर) : (1) सूचना तालिका "क" में अंकित की गई है।

(श्री मुन्शीलाल महावर)

(2) वांछित सूचना संलग्न तालिका "ख" एवं "ग" में अंकित की गई है। इनके अस्वीकृत करने के कारण भी उपरोक्त तालिकाओं में वर्णित है।

(3) जिन फर्म्स के निविदा स्वीकार किए गए हैं वे या तो स्वयं निर्माता हैं या निर्माता के अधिकृत विक्रेता हैं। ग्रुप 'ए' के अंतर्गत जिन मूल निर्माताओं के अधिकृत विक्रेताओं के निविदा स्वीकृत किये गये हैं उनकी सूची परिशिष्ट 'घ' पर अंकित की गई है। वाहन के लिए मूल फर्म्स द्वारा उत्पादित स्पेयर पार्ट्स होने के कारण इनके निविदा स्वीकृत किये गये। ग्रुप बी के अन्तर्गत वाहन उत्पादकों के द्वारा मूलरूप से अन्य उत्पादकों द्वारा निर्मित पुर्जों को काम में लिए जाने के कारण अन्य उत्पादकों अथवा उनके अधिकृत विक्रेताओं के निविदा स्वीकृत किये गये।

जी नहीं, जिन फर्मों के सामान को वाहन उत्पादक मूल पुर्जों के रूप में काम में लेते हैं उनकी सीधी खरीद में कोई रुकावट नहीं थी?

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : अधिकृत विक्रेता से आपका क्या मतलब है?

**श्री मुन्शीलाल महावर** : जो वाहन निर्माता हैं उनके द्वारा नियुक्त ऑथोराइज्ड डीलर्स।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़)** : आपका मतलब है बिरला, टाटा व उनके एजेन्ट्स को आप अधिकृत डीलर्स कहेंगे या उनके अतिरिक्त भी?

**श्री मुन्शीलाल महावर** : जैसे महेंद्र एण्ड महेंद्रा निर्माता हैं जो मूल पुर्जे बनाते हैं और उनसे जो दूसरे व्यापारी खरीदते हैं, वे ऑथोराइज्ड डीलर्स कहलाते हैं, उनसे पर्चेज कर सकते हैं। दूसरों से इसलिए पर्चेज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके ओरीजिनल पुर्जे नहीं होते हैं, डुप्लीकेट होने का अंदेशा रहता है और वाहनों में अच्छी तरह से काम में नहीं आते हैं, खराब होते हैं इसलिए नहीं खरीद सकते।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : यह जो सूची दी गई है उसमें अधिकृत विक्रेताओं से नहीं लिया गया है और कई फार्म्स के लिए नोट लगाया गया है क्योंकि वे अधिकृत विक्रेता नहीं हैं इसलिए इनसे सामान नहीं खरीदा गया है। कई जगह आपने 15-20 पर्सेंट अबाउ स्पेयर पार्ट्स खरीदे हैं, ओरीजिनल कम्पनी का सामान नहीं खरीदा गया है तो आपके जवाबों से तो मैं संतुष्ट हूं लेकिन आगे के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके व्यवस्था कर दें ताकि इसमें जो गोलमाल हुआ है वह न हो।

**श्री मुन्शीलाल महावर** : माननीय सदस्य ने जो गोलमाल की बात कही है, XX है, इसमें कोई सत्य नहीं है......

(शोरगुल)

**श्री शंकरसिंह रावत** : मंत्री महोदय, खुद गोलमाल हैं।

---

XXX शब्द मा. अध्यक्ष के आदेश से निकाले गये।

श्री मुन्शीलाल महावर : डी. जी. एस. डी. की निर्धारित दरों पर खरीद कर रहे हैं...

श्री श्रीराम गोटेवाला : ××× शब्द असंसदीय है....

( व्यवधान )

लिस्ट ही खुद प्रमाण है। ××× शब्द का प्रयोग मन्त्री जी ने किया है जो असंसदीय है। इसके अलावा मैंने कह दिया कि मन्त्री जी के जवाब से स्वयं मैं सन्तुष्ट हूं। मैंने तो आगे गड़बड़ियां न हों, उसके लिए निवेदन किया था।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी) : ××× शब्द भी असंसदीय है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न यह है कि आपने 15 से 20 प्रतिशत ऊपर तक खरीदा। ऑथोराइज्ड डीलर्स होने की क्या प्रणाली है ? आखिर फलां डीलर ऑथोराइज्ड है, उसकी कोई लिस्ट आती होगी, सरकार एप्रूव करती होगी, कोई शिड्यूल या लिस्ट है ?

श्री मुन्शीलाल महावर : जो पुर्जों के निर्माता हैं वे ऑथोराइजेशन लैटर देते हैं और जो फर्म्स सप्लाइ करती हैं वह हमारे यहां लैटर पेश करती हैं....

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : ऑथोरिटी लैटर, ऑथोराइजेशन लैटर नहीं।

श्री मुन्शीलाल महावर : उस लैटर के आधार पर हम खरीद करते हैं वरना नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रोड्यूसर्स आपको डाइरेक्ट ऑथोरिटी लैटर भेजते हैं कि इस शहर में या राज्य में हमारे ये ऑथोराइज्ड डीलर्स हैं।

श्री मुन्शीलाल महावर : जो फर्म्स हमें माल सप्लाइ करना चाहती हैं, टेन्डर प्रस्तुत करती हैं, वे स्वतः ही ऑथोराइज्ड होने का लैटर हमारे यहां प्रस्तुत करती हैं तब ही हम उसको प्रमाणित मानते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यहां उपनेता विराजमान हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न की सेरिऽसनैस को देखें। यहां पर कई केसेज में 15, 18 व 20 प्रतिशत कम बताया गया है जिनमें कमियां बताई गई हैं यह कह कर कि वे अधिकृत विक्रेता नहीं हैं, उनके टेन्डर्स को रिजेक्ट किया है। एक आदमी ने 25 प्रतिशत कम आफर किया लेकिन यह कह कर कि उसका टेन्डर आधा घण्टा लेट आया, रिजेक्ट कर दिया है। कई जगह इस प्रकार की बात होती है तो उनमें नेगोसिएशन्स के आधार पर चीजें खरीदी जाती हैं जिससे सरकारी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचे। तो भविष्य में ध्यान रखा जाए। अगर 2 प्रतिशत भी बचत होती और कोई टेक्नीकल कारण होते हैं जैसे थोड़ी देर से टेन्डर पहुंचना तो सब जगह नेगोसिएशन्स के आधार पर सारी चीजें तय की जाती हैं। आगे के लिए कम से कम ध्यान रखें कि ऐसी बातें न हों।

राजस्व मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : बचत का प्रश्न जेनुइन पार्ट्स से जुड़ा हुआ है। आपको जवाब से सेटिस्फेक्शन मिल

---

××× शब्द मा. अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाले गये।

# Page No 4

(4)



(श्री परसराम मदेरणा)

गया है। बाकी भविष्य में इस प्रकार की कोई गड़बड़ न हो, इसके लिए मैं राज्य सरकार की ओर से आश्वासन देना चाहता हूं। मन्त्री महोदय स्वयं सतर्क हैं और वह देखेंगे कि गलत काम न हो।

प्रश्न संख्या 313

श्री उपाध्यक्ष : श्री रावतराम।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्रीमती गौरी पूनिया।

### मकराना खनिज कार्यालय में अनुसूचित जाति के लोगों के विचाराधीन प्रार्थना-पत्र

314. श्रीमती गौरी पूनिया (मकराना) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मकराना मार्बल क्षेत्र की अवाप्ति पर राज्य सरकार ने स्थगन आदेश दिया है? यदि हां, तो किन कारणों से व कब? क्या यह स्थगन आदेश केवल मकराना क्षेत्र के लिए ही है या अन्य मार्बल खानों पर भी लागू है?.

(2) इस समय मकराना खनिज कार्यालय में अनुसूचित जाति के लोगों के कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं?

(3) क्या राज्य सरकार अपने इस कदम को बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के मार्ग में रुकावट नहीं समझती है?

राज्य मन्त्री, खनिज (श्री जुझारसिंह): (1) मकराना क्षेत्र में मार्बल की खानों का आवंटन, आवंटन की वर्तमान पद्धति के परिवर्तन करने के उद्देश्य से दिनांक 13-2-74 से स्थगित है।

(2) 32।

(3) जी नहीं।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (दीगोद) : मन्त्री महोदय ने बताया कि वर्तमान पद्धति के परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ है। इन गरीब लोगों के प्रार्थना-पत्र अभी तक पड़े हैं। पहले तो ऐसा होता था कि मकराना आफिस में ही कार्यवाही होती थी। जब से राज्य सरकार ने स्टेट लेबिल पर यह काम लिया है तब से उन लोगों को अपने अधिकार नहीं मिलते, कोई सुविधा नहीं मिलती।

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वहां एलॉटमेंट कमेटी है, उसको चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए जो आवश्यक बातें हैं जब तक पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक एलॉटमेंट का कार्य बंद किया हुआ है। मकराना में करीब 637 माइनिंग लीजेज हैं। छोटी साइज की वजह से उनकी साइज धीरे धीरे और छोटी हो रही है, मैटीरियल का वेस्ट होता है। यह मिनरल रिच पोटेन्शल का है और जिस तरह से मकराना माइन्स चल रही हैं उस पद्धति को कन्टीन्यू करें। उपाध्यक्ष महोदय, पहले जो पद्धति वहां पर काम में लायी जाती थी वह पुरानी थी और उससे काफी वेस्टेज खान के माल का हो गया था। जितना माल निकलता है उसमें से 50 प्रतिशत तो लॉस में निकल जाता है। वहां पर होता क्या था? लोग किसी माइनिंग इन्जीनियर को ले लेते और

(श्री जुझारसिंह)

किसी एक खेत को या जमीन को ले लेते और वहां पर खुदाई करवाते जिससे काफी माल का लॉस होता था। लेकिन वहां हमने साइन्टिफिक वे से माइनिंग में काम शुरू किया है। इसमें पहले हम देखते हैं कि प्रोसपेक्ट्स उसमें कितने हैं। अब प्रोसपेक्टिव वे में मकराना में काम होता है। नहीं तो, वहां पर मेटिरियल को रिमूव करने में काफी कठिनाई थी। क्योंकि लोग लैण्ड पर्चेज करके बाद में डम्पिंग करते तो नीचे वहां पर जो मार्बल का मेटिरियल होता था वह खराब हो जाता था। लेकिन अब प्रोसपेक्टिंग करके फिर नोटिफिकेशन किया जाता है और उसके बाद में निर्णय लिया जाता है।

**श्री केशरीमल** ( ब्यावर ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से प्रश्न पूछना चाहता हूं, जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया कि वहां पर अब साइन्टिफिक सिस्टम से काम हो रहा है तो क्या आप इसमें 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को लागू करना पसन्द करेंगे जिसमें आप खानों में काम करने वाले लोगों को भी इसमें खान देने की व्यवस्था करेंगे? क्या इस प्रकार की व्यवस्था करने का राज्य सरकार सोच रही है?

**श्रीमती गौरी पूनिया** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि क्या वहां पर एलाटमेंट के लिये लोगों ने एप्लीकेशन्स दी है—करीब 200 कमजोर वर्ग के लोगों ने दी हैं उन शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल ट्राइब्स के लोगों को कब तक खान दे देंगे? इसमें कितना समय लगेगा? ऐसे कमजोर वर्ग के लोगों को आपने खान का एलॉटमेंट किया था लेकिन बाद में आपने किन्हीं कारणों से एलॉटमेंट केन्सिल कर दिया था उसको वापिस एलॉट करने के लिये आप विचार करेंगे?

**श्री मनोहर कोठारी** ( नाथद्वारा ) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि वहां पर 300 या 600 खानें हैं उनमें कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बापी राइट्स के लिये क्लेम किया है या उनके बापी राइट्स हैं उनके लिये आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं? दूसरे लीज के वहां पर कितने लोगों के पास पट्टे हैं खानों के?

**श्री जुझारसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, 637 खानों में से 112 बापी राइट्स वाले लोग हैं। इसके अलावा एक माननीय सदस्य ने यह पूछा कि इसमें कितना समय लगेगा तो इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें एक दो साल से ज्यादा लगने की सम्भावना है। जब से चसलाना खान की घटना हुई है तब से यहां पर सतर्कता बरतना जरूरी हो गया है। अब माइन्स कमेटी एक्ट के अनुसार सख्ती से कार्यवाही की जाती है। क्योंकि और नहीं तो इसमें बड़े बड़े खतरे इन्वोल्व होने का खतरा रहता है। इसलिये आजकल वहां पर माइन्स सेफ्टी एक्ट 1971 की सख्ती से कार्यवाही की जाती है ताकि लोगों को नुकसान नहीं हो। इसके अलावा जहां तक बेकारी का सवाल है वहां पर चूंकि खानों की हालत ज्यादा खराब थी, क्योंकि वहां पर एक्सप्लोजन्स होते हैं उसमें काफी डेन्जर्स होने का खतरा रहता है इसके लिये काफी ध्यान रखने की जरूरत है। अभी हमारे पास जो सन् 73 और 74 में आवंटन हुआ है उस के लिये रिकमण्ड किया है उसका कुछ पोर्शन मैं माननीय सदस्यों को सुनाना चाहता हूं।

(श्री जुझारसिंह)

"The Director General of Mines Safety is of the view that unless the State Government either grants leases for longer periods and for larger areas or in the alternative to the small lessees/licencees from themselves into a sort of co-operative societies and comply with the safety provisions there will be no option but to prohibit employment of persons in these mines under the provisions of section 22 of the Mines Act, 1952 to avoid danger to the life and safety of such persons, which will lead to large scale unemployment of workers.

In the circumstances explained above, it is requested that the State Government may kindly consider the question of granting leases for larger areas and for a period of atleast 5 years. If this cannot be done, the present lease holders may be compulsorily asked to work such mines through well-knit co-operative societies so that amalgamation of these small units can be made for safe and scientific exploitation of the mineral•••"

इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, हमने साइन्टिफिक बेसिस पर काम करने की कोशिश की है। इसलिए वहां पर प्रोस्पेक्टिंग बेसिस पर एलॉटमेंट किया जायगा ताकि नुकसान कम होवे। इन्हीं बातों को ध्यान में रख कर वहां कुछ लीजेज को स्थगित किया गया है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी लीजेज शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को दी गई और उनको केन्सिल कर दिया। तो इसके लिये मैं स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं कि रिच माइन्स या रेन्ट कम-रायल्टी के मामलों में रूल्स में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को स्पेशल कन्सेशन दिये जायं। दूसरा आपने 20 सूत्री कार्यक्रम में प्रोडक्शन के बारे में कहा है उसको ध्यान में रख कर ही उसमें काम किया जाता है।

**श्रीमती नगेन्द्रबाला :** उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न मन्त्री महोदय यह है कि जैसा कि मन्त्री महोदय ने यहां प्रश्न के भाग 2 में 'ना' का जवाब दिया है और वहां पर 92 एप्लीकेशन्स पर स्टे आर्डर पड़ा हुआ है उसमें कई शिड्यूल कास्ट्स हैं और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं तो क्या 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आप इन कमजोर वर्ग के लोगों को कोई विशेष कन्सेशन देने की बात सोच रहे हैं? क्या आप कोई रिजर्वेशन की व्यवस्था इसमें शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिये, हरिजनों के लिये करने का विचार रखते हैं? क्या जिस प्रकार दूसरी जगह इन कमजोर वर्ग के लोगों को राज्य सरकार प्राथमिकता दे रही है उस तरह की प्राथमिकता देने की बात आप सोचते हैं? नहीं सोचते हैं, तो क्यों नहीं सोचते? क्या इस प्रकार की अन्डरस्टेंडिंग को ध्यान में रखते हुए आप जो बाधायें उन 92 शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को आ रही

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

है उन बाधाओं को 20 सूत्री कार्यक्रम को दृष्टि में रखते हुए हटाने का प्रयास करेंगे ?

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर एप्लीकेशन्स तो करीब 200 पड़ी हैं लेकिन चूंकि वहां पर साइन्टिफिक बेसिस पर हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं, और प्रोसपेक्टिंग के अनुसार पहले पता लगा कर राज्य सरकार उनको नोटिफाइ करेगी उसमें अगर एप्लीकेशन्स में शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग आयंगे तो उनको प्राथमिकता दी जावेगी। लेकिन अगर उनके पास साधन नहीं है कि वह साइन्टिफिक तरीके से उसमें काम कर सकें तो उनको माइन्स देना जरूरी नहीं है। उसमें साफ दिया है "All things being equal even in marble mines he will get preference" दूसरा मैं आपसे जो निवेदन करना चाहता हूं....

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने यहां पर कहा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग अगर उसमें आवेंगे तो प्राथमिकता दी जावेगी। तो इसमें राज्य सरकार की एलॉटमेंट करने की क्या कसौटी है ? क्या सरकार यह प्रिज्यूम करके चलती है that there will be reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग साइन्टिफिक बेसिस पर वहां पर उत्पादन नहीं कर सकेंगे और उसका असर पड़ेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि साइंटिफिक बेसिस पर शिड्यूल्ड कास्ट्स वाले और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, उसका आधार क्या है ? उसमें क्या टेक्निकेलिटीज होनी चाहियें? उसका आधार क्या है ? साइन्टिफिक माइनिंग से क्या मतलब निकालते हैं ?

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अगर उनके पास सोर्सेज होंगे तो उनको प्रिफरेन्स दिया जायेगा। But without resources in the name of Scheduled Castes and Scheduled Tribes they want to get, the mines will not be operated.

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बूंदी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जो मकराना की खानों में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राईब्स के लोग काम करते हैं उनको वहां प्राथमिकता दी जायेगी या नहीं ? दूसरा बूंदी में जो सिलिका की खानें हैं साइन्टिफिक बेसिस पर उन खानों में काम नहीं होने पर आज तीन साल हो गये हैं आपने कार्यवाही क्यों नहीं की ? आज तीन साल से ज्यादा समय हो गया है लेकिन वहां पर सिलिका की फैक्ट्री नहीं लग सकी है। इसका क्या कारण है ? मकराना में आपने केन्सिल कर दिये हैं, इसका क्या कारण है ? उसके आपने केन्सिल क्यों नहीं किये ? तीसरा क्या आप कमजोर वर्ग के लोगों को, उन खानों में साइन्टिफिक तरीके से काम हो जावे उसके लिये बैंक की फेसिलिटी दिलाने की व्यवस्था कर सकते हैं ? अगर आप उनको बैंक की फैसिलिटी दें तो वे लोग काम करने को तैयार हैं। और 20 सूत्री प्रोग्राम के तहत जो फैसिलिटी दी हैं, किसी चीज में

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)

पीछे नहीं रखा जाता है। मंत्री महोदय, उनके लिये कोई कन्सेशन नहीं है। बात स्पष्ट समझ में नहीं आती है।

**श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा** : आपका यह दृष्टिकोण क्यों नहीं बनता कि उनकी कोआपरेटिव सोसायटी बनाकर, उनको साधन उपलब्ध करवा कर आप साइन्टिफिक माइनिंग करवायें ?

**श्री मूलचन्द सामरिया** : माननीय मंत्री महोदय, आप पहले से क्यों नहीं सावधान हैं माइनिंग के लिये ? रेट कम न आ जाय और जो बसे हुए लोग हैं उनको भेज कर यह सब माइनिंग के नाम से· · ·

**श्री जुझारसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, जो माइन्स का एक्स्ट्रैक्ट किया है वह 71 से है और वह मैंने पढ़कर सुना दिया है। अब बार बार यह कह रहे हैं, सारे राजस्थान से इसका सम्बन्ध नहीं है केवल मकराना की बात है। मकराना की माइन्स इतनी डेप्थ में चली गई है और अब भी वहां मेटेरियल अवेलेबल है तो प्रश्न यह है कि एज इट इज माइन्स में हैं उनके लिये क्या करना है। माइन्स में बाद में भी और अभी भी इस परिस्थिति में है कि डेन्जर स्थिति में आपरेट हो रही है, आगे सिचुएशन खराब न हो और एक रीजनेबल तरीके से आगे लीज दी जा सके, यह जानकारी करने की कोशिश की है कि कितनी डेप्थ तक कितना मेटेरियल अवेलेबल हैं। जहां तक शिड्यूल्ड कास्टस् और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया साधन उपलब्ध होने पर पहले उनको प्रिफरेन्स दिया जायगा। कोआपरेटिव बनाने के बारे में कहा। अभी सदन के सामने कोआपरेटिव का प्रश्न नहीं है अभी जो मौजूदा स्थिति है वह यह है कि माइन्स में काम करने की स्थिति इतनी कम हो गई है कि वहां काम करना मुश्किल हो गया। पिछले दिनों में फेटल एक्सीडेन्ट्स भी हुये हैं और कुछ आदमी मरे हैं। मौजूदा लीज होल्डर कोआपरेटिव बना कर कितनी बड़ी कर लें और उसको शेयर करें लेकिन उसके लिए वे लोग तैयार नहीं हुये हैं। नई लीज देने वाले हैं। शिड्यूल्ड कास्टस् के और दूसरे लोग भी कोआपरेटिव बनाते हैं। दूसरों को प्रिफरेंस देने का जहां तक सवाल है वह पहले यही है कि इन्डीविजुअल को न देकर कोआपरेटिव को दिया जाता है।

**श्री मूलचन्द सामरिया** : क्या शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए घोषणा कर सकते हैं। अगर आप उनको देना ही चाहते हैं

( व्यवस्था : अश्रव्य )

**श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय** : · · · (अश्रव्य) · · ·माइन्स आपका सब्जेक्ट नहीं है माइन्स का सैन्ट्रल एक्ट है · · · और यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट से ही आपरेट होता है। बार बार नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, आप तो उनके पास क्या रिसोर्सेज है, उसका जवाब दें।

**प्रश्न संख्या 315.**

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

(अनुपस्थित; कृपया आगे देखिये)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

## बाड़मेर नगर में पशु चिकित्सा हेतु अस्पताल भवन का निर्माण

316. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार की ओर से पशु चिकित्सा अस्पताल के कितने भवन विभिन्न जिलों में किन किन स्थानों में अब तक बनाये गये? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में अब तक पशु चिकित्सा हेतु अस्पताल के भवन का निर्माण क्यों नहीं किया गया?

(3) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में डी. पी., ए. पी. का कार्य शुरू होने से उक्त भवन के निर्माण की आवश्यकता और बढ़ गई है?

(4) क्या राज्य सरकार इस वर्ष सन् 75-76 या सन 76-77 में भवन-निर्माण की स्वीकृति देकर जिले की आवश्यक मांग की पूर्ति करेगी?

कृषि मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) सूची "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अर्थाभाव के कारण बाड़मेर में पशु चिकित्सालय के भवन का निर्माण नहीं किया जा सका है।

(3) जी नहीं।

(4) अर्थाभाव के कारण फिलहाल सम्भव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, सूची जो प्रस्तुत की गई है, एक सिर्फ बाड़मेर ही ऐसा जिला है जहां पशु चिकित्सालय का भवन नहीं है। अजमेर में 11 हैं, अलवर में 7 हैं और कई जगह 3 हैं कई जगह 2 हैं। जहां तक एनीमल हस्बेन्डरी का प्रश्न है, हमारे यहां अधिक स्कोप है और पशुओं की अधिक संख्या है। मैं बराबर सदन में प्रश्न प्रस्तुत करता हूं, हमारे बाड़मेर जिले के लिए लेकिन हमेशा अर्थाभाव का कारण आ जाता है। इसके लिए आप प्रोविजन करिये।

श्री शिवचरण माथुर : माननीय सदस्य ने कहा, बाड़मेर जिले में पशु चिकित्सालय का भवन नहीं है और पशुओं की संख्या ज्यादा है, यह सही बात है लेकिन पिछले दिनों में जितने भवन बन चुके हैं उसके आधार पर उत्तर दिया है। एक लाख रुपये की राशि बजट में स्वीकृत है। उसे एक लाख में आपका पूरा भवन नहीं बन सकता है। इसलिए अर्थाभाव का कारण निवेदन किया। रहा सवाल दूसरी जगहों के बारे में, दूसरी जगह भी इस साल कोई भवन नहीं बनाया जा रहा है और केवल भवन से ही पशुओं की चिकित्सा हो पायेगी यह मैं नहीं मानता हूं। आज भी वहां चिकित्सा चल रही है, दिक्कत आपके यहां भवन की नहीं है। अगर किराये के भवन में कोई दिक्कत मालूम होती हो तो उसको और बड़ा कर लेंगे। इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि अर्थाभाव के कारण नहीं बना सकते हैं। आगे जब भी राशि उपलब्ध होगी, आपके बाड़मेर का भी ख्याल रखा जायगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सालों में उपेक्षा बाड़मेर जिले की हुई है और अब और करने जा रहे हैं। जिस

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

प्रकार दूसरी जगह चिकित्सालयों के लिए भवन की आवश्यकता है तो बाड़मेर हैड क्वार्टर है वहां भी आपको चिकित्सालय के लिये भवन की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि वहां के लोगों को भी कुछ सन्तोष हो सके।

**श्री शिवचरण माथुर :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो उपेक्षा की इसमें कोई बात नहीं मानता हूं। इतना बड़ा काम डेजर्ट एरिया में हाथ में लिया जा रहा है और माननीय सदस्य कहते हैं उपेक्षा करते हैं तो उनका यह मानना गलत है। पूरी तरह से राजस्थान के मरु इलाके में पशुधन का विकास हो और इसी दृष्टि से राज्य सरकार ने बहुत से काम हाथ में लिये हैं। आज हमारा जो सबसे बड़ा स्ट्रैस है वह मरु विकास पर है। अब होस्पिटल के भवन का सवाल है इस समय जो स्थिति है उसमें अगर आप कठिनाई महसूस करते हैं तो इस समय जिस भवन में चिकित्सा व्यवस्था चल रही है और वह कम है तो इसको मैं और दिखवा लूंगा।

**श्री मूलचन्द झामरिया :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम भान्डारेज में पशु चिकित्सालय खोलने के लिए पब्लिक मीटिंग में मंत्री महोदय ने घोषणा की थी तो क्या इस पर विचार करके चालू करवा देंगे ? ग्राम भान्डारेज तहसील दौसा में मीटिंग में कहा था और उसका जनता ने स्वागत किया था। अब वहां मन्त्री महोदय का जाना मुश्किल हो रहा है।

**श्री शिवचरण माथुर :** माननीय सदस्य, इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन :** सिर्फ एक प्रश्न, उपाध्यक्ष महोदय। वार्षिक प्रतिवेदन 75-76 में जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की तालिका है उसके अन्दर जो व्यवस्था की है, पशु चिकित्सालयों की उसमें 6.81 लाख की व्यवस्था है और सन् 1975-76 में जो आवंटन हुआ है वह 8.63 लाख है। इस वर्ष आप कह रहे हैं एक लाख का प्रोविजन किया है तो मतलब कम व्यवस्था करने जा रहे हैं।

**श्री शिवचरण माथुर :** यह जो आप कह रहे हैं प्लान का अलग वर्क है। आलरेडी जहां पर भवन हैं उसमें नान-प्लान में स्थिति है। आपने जो जिक्र किया है प्लान में, इसमें डिपार्टमेंट के पास बजट का जो प्रोविजन है उसमें निवेदन किया एक लाख है और उस एक लाख में आपका भवन तैयार नहीं हो सकता है।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन :** अब ज्यादा प्रोविजन करिये।

**श्री श्रीराम गोटेवाला :** अबके वित्त मंत्री जी की तारीफ करना····

प्रश्न संख्या 317

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई।

**ग्राम झाब (जालोर) के वैद्य के विरुद्ध शिकायतें।**

318. **श्री रघुनाथ विश्नोई (जालोर):** क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

# Page No 11

(11)



(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम भाब आयुर्वेद अस्पताल जिला जालोर में अव्यवस्था और वैद्य के विरुद्ध स्थानीय जनता की ओर से गम्भीर शिकायत प्राप्त हुई है? और हां, तो कब एवं इस बारे में क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह भी सत्य है कि जनता की शिकायतों के बावजूद अभी तक वे ही वैद्य कार्य कर रहे हैं? अगर हां, तो क्यों?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त वैद्य को वहां से हटा कर तुरन्त जांच करना उपयुक्त समझेगी? अगर हां, तो कब तक? अगर नहीं तो क्यों?

**राज्य मन्त्री** (श्री गुलाबसिंह शक्तावत): (1) जी हां। वैद्य का स्थानान्तरण ढंढेला (गंगानगर) में दिनांक 9-2-76 को किया जा चुका है।

(2) जी हां। उनको तत्काल रिलीव करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं और जिस अधिकारी ने अभी तक रिलीव नहीं किया उससे जवाब तलब किया जाकर अनुशासनहीनता की कार्यवाही की जावेगी।

(3) जी हां। अतिशीघ्र।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा अधिकारी सिरोही द्वारा वैद्य के ट्रान्सफर को रोक रखना और 6 महीने तक रिलीव नहीं करना एक हजार रुपया लेकर रोका गया। खुद वैद्य ने इसको एडमिट किया है— राज्य सरकार के आदेश की अवहेलना की है।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : शिक्षा अधिकारी से क्या ताल्लुक है?

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : शिक्षा अधिकारी रिलीव करता है।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : आयुर्वेद अधिकारी कहिये।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : उसको आयुर्वेद अधिकारी समझ लीजिये।

**एक माननीय सदस्य** : शिक्षा मन्त्रीजी सामने बैठे हैं इसलिये।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है ग्राम वालों ने लिख कर दिया है और माननीय सदस्य ने भी कहा है। किसी इन्स्पेक्टर की शिकायत का सवाल है। डाइरेक्टर ने आदेश दिये थे उसकी अवहेलना की गई है। 1-3-76 तक रिलीव किया है। एक्सप्लेनेशन मांगा है और जैसा कि प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया है, एक्स्प्लेनेशन सैटिस्फेक्टरी होगा तो गवर्नमेंट उसको देखेगी और सैटिस्फैक्टरी नहीं हुआ तो उसके खिलाफ निश्चितरूप से कार्यवाही की जावेगी।

**श्री मोहनराज जैन** (बाली): अभी माननीय सदस्य ने प्रश्न किया और एलीगेशन लगाये कि 1 हजार रुपया लेकर ट्रान्सफर नहीं होने दिया। पर्टीकुलर एलीगेशन लगाया है तो इसकी तत्काल जांच करें। गम्भीर मामला है। ओर्डिनरी नहीं है।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : अलग से प्रश्न है। वैसे माननीय सदस्य ने जिला अधिकारी के बारे में एलीगेशन लगाया है उसकी जांच की जा रही है।

# Page No 12

(12)



श्री उपाध्यक्ष : नॉनसेन्ट।

यह कौनसा डैकोरम है, बैठे बैठे बोलें ?

श्री रतीराम।

**अलवर जिले में कृषि का आवंटन**

319. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (सूरतगढ़): [श्री रतीराम यादव (तिजारा) की अनुपस्थिति में] क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर जिले में गत अगस्त, सितम्बर मास में भू-आवंटन अभियान में कितनी कृषि योग्य भूमि और कितने व्यक्तियों को आवंटित की गई ? भूमि की किस्म (सिवाय चक, चरागाह, कस्टोडियन आदि तथा आवंटियों की संख्या की (हरिजन, आदिवासी अथवा सवर्ण) अलग अलग तहसीलों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या इस भू-आवंटन कार्यक्रम में किसी सरकारी कर्मचारी, विधायक, प्रधान व सरपंच आदि जन प्रतिनिधियों को स्वयं अथवा उनके सम्बन्धियों को भी भूमि आवंटित की गयी है ? यदि हां, तो उनकी तहसील वाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। क्या इनमें से बाद में किसी का आवंटन निरस्त भी किया गया है ? अथवा निरस्त करने के नोटिस देकर कोर्ट में केस विचाराधीन है ? यदि हां, तो कृपया विस्तृत सूची सदन की मेज पर रखें और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या आवंटित की गयी समस्त भूमि पर आवंटियों को कब्जा मिल गया और उन्होंने रबी की काश्त की है ? यदि नहीं, तो किस किस तहसील में और किस-किस गांव में नहीं मिला और क्यों नहीं मिला ? जिन व्यक्तियों ने आवंटियों को कब्जा मिलने में बाधा डाली उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कठोर कार्यवाही की ? कृपया तहसील वाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या अब भी जिले में कृषि योग्य भूमि आवंटन के लिए शेष रही है ? यदि हां, तो किस तहसील में, कितनी कितनी भूमि और किस किस किस्म की रही है तथा उसका आवंटन कब तक हो जावेगा ?

**राज्य मन्त्री, राजस्व** (श्री मूलचन्द मीणा): (1) अलवर जिले में गत वर्ष अगस्त व सितम्बर माह में 26,074 भूमिहीन व्यक्तियों को 88,583 बीघा कृषि योग्य भूमि आवंटित की गई थी। भूमि की किस्म व आवंटियों की संख्या की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) यह सही है कि उक्त भू-आवंटन कार्यक्रम में कुछ सरकारी कर्मचारियों, जन प्रतिनिधियों व उनके सम्बन्धियों को जमीन आवंटित की गई है। जिनमें आवंटन को निरस्त करने हेतु राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। रामगढ़ तहसील में एक व्यक्ति का आवंटन निरस्त किया जा चुका है। शेष मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं।

(3) उक्त अभियान के दौरान आवंटित भूमि पर 3477 आवंटियों को छोड़ कर शेष समस्त आवंटियों को कब्जा मिल गया है और उन्होंने ही रबी की काश्त की है। जिन व्यक्तियों ने आवंटियों को कब्जा

( श्री मूलचन्द मीणा)

मिलने में बाधा डाली उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के तहत 21 केस व जाब्ता फौजदारी के तहत 32 केस दर्ज किये गये हैं। तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। ग्रामवार सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है।

(4) तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। जून 76 तक आवंटन कर दिया जावेगा।

( सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई )

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न के भाग 4 में वर्णित सूची मुझे नहीं मिली है। एम. एल. ए. सरपंच अलाटमेंट कमेटी के सदस्य, राज्य कर्मचारी 100 से अधिक ऐसे लोगों की आपने मुझे लिस्ट दी है जिनको जमीन अलॉट हुई है। एक दो चार तक तो मान लिया जावे लेकिन दीदादानिस्ता नहीं तो बेकडोर एन्ट्री है। इतने लोगों को किस नियम के तहत अलाटमेंट करके काश्तकार मानते हैं ? एलॉट करने वाली अथोरिटीज हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

राजस्व मंत्री(श्री परसराम मदेरणा): काबिल काश्त भूमि जो अवेलेबल है, जैसी कि सूची दी है तहसीलवार, कालम नम्बर 11 को आप पढ़िये। अलॉटमेंट रूल 1970 के रूल 14 के अन्तर्गत कुछ मामले हैं जो कलेक्टर के सामने विचाराधीन हैं जिनमें यह शिकायत हुई थी कि वे काश्तकार नहीं थे, एलिजिबल नहीं थे, उनको भूमि अलाट नहीं होनी चाहिये। संख्या 344 व्यक्तियों की है। 26074 बीघा भूमि उन व्यक्तियों को आवंटित हुई और थोड़े पीरियड में। 144 व्यक्ति हैं कोई सरपंच की लड़की विधवा है। शिकायत हुई और वह कलेक्टर के विचाराधीन पेन्डिग है। दूसरे, गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट के रिश्तेदार हैं, बहुत दूर के। किसी आवंटी का बहनोई है, मेम्बर कमेटी में इसलिये नहीं होना चाहिये। वह सब विचाराधीन है कलेक्टर के।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : आवंटन कमेटी के सदस्य होने के कारण जगदीशप्रसाद को अलाट कर रहे हैं। रिश्तेदार तो एक विधवा लड़की है, राज्य सरकार के कर्मचारी होने के कारण उनको आवंटन। अधिकतर राज्य कर्मचारी हैं स्वयम् अलाट कर रहे हैं राज्य कर्मचारियों के रिश्तेदार एवं एम. एल. ए. की विधवा लड़की होने के कारण। कौन एम.एल.ए. साहब हैं ? मुझे पता नहीं। राजेन्द्र सिंह पुत्र कल्याणसिंह राजपूत। 144 दीदादानिस्ता हुए चाहे चित्तौड़गढ़ में हुए हों, चाहे राजस्थान केनाल में हुए हों या चाहे अलवर में अलाटमेन्ट हुए हों। यह इससे स्पष्ट प्रतीत होता है। कलेक्टर का प्रश्न कहां है ? स्टेट लेवल पर इसका फैसला होना चाहिये। राज्य कर्मचारी का मुख्य धन्धा खेती का नहीं है। कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि सद्भावी काश्तकार हो। मुख्य धन्धा खेती होना चाहिये। जीविका का आधार एक मात्र खेती होना चाहिये। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को भूमि आवंटन हो जाना एक गम्भीर स्थिति है इसे आउट राइट रिजेक्ट करें, मंत्री महोदय।

श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा) : एक तरफ तो लोग भूमि के बिना बैठे हुए हैं

(श्री जगमोहन सिंह)

और राज्य सरकार के सामने समस्या है फिर इस तरह से हजारों की संख्या में राज्य कर्मचारियों को अलॉटमेन्ट कर देना विचारणीय विषय है। मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस विषय में क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपालसिंह।

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला) : गलत अलॉटमेन्ट हुए हैं सुआमोटो आप उनको कैंसिल करें। अलॉटमेन्ट कमेटी के सामने स्पष्ट बता दीजिये कि फलां आदमी इन्ट्रेस्टेड था। तो एलाटमेन्ट करना एक बात हुई। नोटिस में आने के बाद आप विभागीय कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरसिंह।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : राज्य सरकार के आदेश से जिलाधीश को प्रस्ताव दिया गया वहां कर्मचारी भूमि आवंटन के लिये गये। क्या ऐसे नियम हैं कि उनको भूमि आवंटित कर दी जाय ? एक तरफ भूमिहीन अलाटमेंट के लिये बैठे रहें और दूसरी तरफ उनको छुट्टी देकर गवर्नमेन्ट के कर्मचारियों को अलाट करते हैं।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि राज्य कर्मचारियों को जमीन आवंटित की जा सकती है लेकिन उसके लिए राज्य सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, ऐसा नियमों में प्रावधान है। क्या जिन कर्मचारियों को यह जमीन अलॉट हुई है उन्होंने राज्य सरकार की कोई स्वीकृति वहां पर प्रस्तुत की थी और नहीं की थी तो यह अलॉटमेंट इफसोफैक्टो इल्लीगल है और इसको खारिज करने में क्या दिक्कत है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है····

श्री हाजी जान मोहम्मद (पिड़ावा)। हमारे यहां पिड़ावा में बहुत से खातेदारों को जमीन अलॉट की गयी है।

(व्यवधान)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा बड़ा ही स्पेसिफिक प्रश्न है कि अलॉटमेंट कमेटी के सदस्य का एक तरह से एडवाइजरी करेक्टर होता है। प्रेसीडेन्ट उसका आवंटन अधिकारी होता है और सदस्यों की मेजोरिटी राय के खिलाफ भी वह आवंटन कर सकता है। याने माइनोरिटी की राय से भी वह आवंटन कर सकता है। चाहे आवंटिग आथोरिटी तहसीलदार हो या कलेक्टर हो सारी पावर्स उसमें वेस्ट करती हैं बाकी सदस्यों का केवल एडवाइजरी करेक्टर होता है। आपकी अलाटिंग आथोरिटी ने यह फैक्ट कमेटीज में आने के बाद कैसे उनको जमीन अलाट कर दी ? दूसरे स्पेशल केसेस में अलॉटमेंट करने का अधिकार है अगर राज्य सरकार को स्पेशल क्लॉज के तहत तो किसी को भी राज्य सरकार अपने लेवल पर स्पेशल केस में जमीन अलॉट कर सकती है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि जब अलाटिंग आथोरिटी ने जमीन अलॉट कर दी, तो किस किस के ऊपर लाइबिलिटी इन्स्टीट्यूट होती है। इतनी संख्या में

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

अलॉटमेन्ट हो गया तो उनके विरुद्ध आप क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : मेरा भी एक प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब आ जाने दीजिए।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : इसी का सप्लीमेन्ट्री साथ में हो जाये। उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को अलॉटमेन्ट हुआ वह भी राज्य सरकार की निगाह में है। दूसरे जो आदमी उन बॉडीज में बैठे हुए हैं उनके रिलेटिव्स को हुआ तो उनका जो एडवाइजरी कन्डक्ट है वह तो एक तरह से मिसकन्डक्ट है और मिसयूज किया है। यह राज्य सरकार के नोटिस में आ चुका है तो अब तक तो मन्त्री महोदय को ऐसे अलाटमेंट को खारिज करके ही सदन के सामने आना चाहिए था। मैं समझता हूं कि वह आज क्लियर करेंगे They should be rejected out rightly अगर इस तरह से मिसयूज होता है तो।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग लेजिबल नहीं थे उन्हें किया गया, उनकी संख्या 144 है। छीपाबड़ोद से आने वाले माननीय सदस्य हजारों का नाम ले रहे हैं यह सही नहीं है। यह सही है कि नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि किसी भी गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट को, यदि वह सब-ऑर्डीनेट सर्विस में है, कलेक्टर से पर्मीशन लेनी चाहिए और अगर ऊपर का अधिकारी है तो बिना सरकार की पूर्व अनुमति के उसको अलाटमेन्ट नहीं हो सकता। मुझे ऐसा दिखता है, मैं तहकीकात से नहीं कह रहा लेकिन मुझे ऐसा दिखता है कि गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स द्वारा जिलाधीश से पर्मीशन नहीं ली गयी थी और बिना उसकी अनुमति के अलॉटमेन्ट हुआ है। जहां तक सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मैं भी कह रहा हूं वैसे लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य को व्यग्रता होगी अपने सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन के रिप्लाई की। तो या तो सप्लीमेन्ट्री ही मत पूछिये। पार्लियामेन्टरी प्रोसीजर यह है कि हर सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन का जवाब उसी के साथ दिया जाता है। 15 माननीय सदस्य पूछेंगे तो मुझे भी उनका जवाब देने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे ही, तो मुझे 10 मिनट लगते हैं तो आप कहते हैं कि हमारा नैक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। मैं कब चाहता हूं कि नैक्स्ट क्वेश्चन नहीं आये तो कोई बात नहीं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन कर रहा था कि आपने जो बात कही कि अलाटिंग अथॉरिटी एस० डी० ओ० है और दूसरे एडवाइजरी कमेटी के मेम्बर्स की केपेसिटी केवल कन्सल्टेशन की है। इसलिए टोटल रेस्पान्सीबिलिटी एस० डी० ओ० की थी यह आपके रूल का इन्टरप्रिटेशन है और मैं भी रूल 131 का इन्टरप्रिटेशन कर रहा हूं। मैं इस मामले को एग्जामिन करवा रहा हूं और मैंने गुजरी रात और सवेरे रूल को अच्छी तरह से पढ़ा है। कुछ माननीय सदस्यों की धारणा है कि एस. डी. ओ. अलाट करता है और एडवाइजरी कमेटी कुछ नहीं है और ऐसा रूल 13 और 14 है और मैंने उसकी स्टडी की है इसलिए मैं आपके सामने आया हूं। मैं समझता हूं कि जैसा आप कह रहे हैं

( श्री परसराम मदेरणा )

वह आपका इन्टरप्रिटेशन ठीक नहीं है। इसलिए रेस्पान्सीबिलीटी अगर होगी तो पूरी की पूरी कमेटी की होगी। अलॉटमेन्ट आर्डर वह जरूर करता है क्योंकि उसके लिए रूल 3 का पार्ट (6) है उसमें वर्ड यूज किया गया है :

"Allotment shall be made according to the unanimous or according to the majority opinion of the Advisory Committee" आप कह रहे हैं कि वह प्रिसाइडिंग आफिसर है एस. डी. ओ. के साथ में कन्सल्टेशन के लिए एडवाइजरी कमेटी है और वह उसको एडवाइस देगी, उस एडवाइस के अन्दर मेजोरिटी और यूनेनिमस ओपीनियन को वह अनडू नहीं कर सकता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह कहां है ? यह पढ़कर बताइये। Where is it ?

श्री परसराम मदेरणा : यह मैं इन्टरप्रिटेशन कर रहा हूं। आपके इन्टरप्रिटेशन से इत्तफाक नहीं करते हुए यही पढ़ा है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : 100 केसेज ऐसे हैं कि जिनमें मेजोरिटी ने डिसाइड किया है। आप स्पेसिफिक पूछिये मैं आपको स्पेसिफिक जवाब दूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : पिड़ावा से आने वाले माननीय सदस्य ने किसी केस के बारे में बात कही। यह इस क्वेश्चन से इरेलेवेन्ट है और इसलिए मैं उसका अभी जवाब नहीं दे सकता। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि आवंटन हो गयी उसमें किसी एस. डी. ओ. की बदनीयती थी या इतना बड़ा अलाटमेन्ट 26 हजार और कुछ आदमियों को रात को दो-दो और तीन-तीन बजे तक हो रहा था, उनके ध्यान में था या नहीं, ऐसे अलॉटमेन्ट हो सकते हैं क्या ? यह 144 मामले हैं रूल 14 के अन्दर कलेक्टर ने उनका काग्नीजेन्स ले लिया है और कलेक्टर उसको कैंसिल कर सकता है। कैंसिलेशन की पावर्स हैं। उनको गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट है, उसको अलॉटमेन्ट हो गया और उसने पर्मीशन नहीं ली तो राज्य सरकार का जो लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का रूल बना हुआ है उसमें राज्य सरकार के पास अभी कैंसिलेशन की पावर्स नहीं है। जिन अथारिटीज के पास है वह उस मैटर से सीज्ड हैं। जो लेजिबल नहीं थे। निश्चित रूप से उनका कैंसिल होगा। अब एस. डी. ओ. को जानकारी थी इस संबंध में जिलाधीश को आदेश दे रहें हैं कि जो अलाटिंग अथोरिटी एस. डी. ओ. है उसके ध्यान में था या नहीं, उसके नालेज में था या नहीं और नालेज में था तो कलेक्टर की प्रायोर एप्रूवल के बिना ऐसे राज्य कर्मचारियों को अलाट नहीं किया जा सकता था। यह बात उसके ध्यान में थी तो उसको एडवाइजरी कमेटी में इन्फार्म करना चाहिए था। हो सकता है इतनी बड़ी अलाटमेन्ट कमेटी में सभी सदस्यों को उसकी जानकारी नहीं हो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न (3) का उत्तर मैं,उपाध्यक्ष महोदय, चाहूंगा। आपका कहना है कि 26 हजार में से 3477 लोगों को कब्जा नहीं मिला और आपने 21 लोगों के खिलाफ केवल प्रोसीड किया है और 32

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

लोगों के खिलाफ किसी दूसरी तरह से प्रोसीड किया है। 3477 लोगों को तादाद देखते हुए जिनको कब्जा नहीं मिला इनमें से केवल 41 लोगों के खिलाफ ही कान्नीजेन्स लेना और उनके खिलाफ प्रोसीड करना क्या आप पर्याप्त समझते हैं ? नम्बर 2, जिन 23 हजार या 22½ हजार लोगों के लिए आप कहते हैं कि कब्जा दे दिया, क्या यह सही है कि उन लोगों को केवल कागजी कब्जा दिया गया है ? आज भी 60 पर्सेंट से ज्यादा लोग ऐसे हैं कि जिनका एक्चुअल पजेशन नहीं हुआ है।

**श्री शंकरसिंह रावत** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आपने कहा कि अलवर जिले के जिलाधीश को आप आदेश दे रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के सभी जिले के जिलाधीशों को यह आप आदेश दें कि बिना स्वीकृति के जिन कर्मचारियों को आवंटन हुआ है वह स्वत: ही इन्क्वायरी करके रिजेक्ट करेंगे ?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी।

**श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय** : उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर सवाल यह उठता है कि क्या 60 पर्सेंट लोगों को अभी तक कब्जा नहीं मिला है ? समय पर अलाटमेंट होते नहीं है, उनको समय पर कब्जा मिलता नहीं है भारी संख्या में अलाटमेंट दिखाकर क्या सरकार केवल आंकड़े दिखाना चाहती है ? सहीतौर पर अलाटमेंट नहीं हो और समय पर अलाटमेंट नहीं हो, सही लोगों को अलाटमेंट नहीं हो और लोगों को कब्जे मिले नहीं और यह आंकड़े दिखायें कि इतने लाख लोगों को अलाटमेंट कर दिया गया तो केवल नामवरी के लिए यहां पर काम किया था ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर)** : 144 की लिस्ट है इसमें सभी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट के रिश्तेदार हैं यह जो फार्म भरे जाते हैं उनसे तो मालूम होता नहीं है। मैं भी अलाटमेंट कमेटी का मेम्बर हूं, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या उसका रिश्तेदार है यह लिखा हुआ होता नहीं है। पटवारी को भी मालूम नहीं पड़ता है कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट के रिश्तेदार हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट के रिश्तेदार बहुत हैं और उनको गलत अलाटमेंट हो गये हैं।

दूसरी बात यह है कि यह बिल्कुल गलत एलीगेशन है कि इसमें 60 पर्सेंट को कब्जा नहीं मिला है।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह तो सरकार जवाब दे देगी।

**श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर)** : मेरा भी एक प्रश्न है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : हम वर्तमान के मंत्री से उत्तर चाहते हैं, भविष्य के मंत्री से नहीं।

(व्यवधान—अश्रव्य)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**श्री गुरदयालसिंह संधु** : मेरा यह प्रश्न है · · ·

**श्री दीपंकर (लाडनूं)**: यह तो भूत मंत्री हैं जी।

**श्री गुरदयालसिंह संधु :** हर एप्लीकेशन पर पटवारी की रिपोर्ट होती है और पटवारी फैक्ट्स की रिपोर्ट देता है और रिपोर्ट देने के बाद में वह जो कमेटी है जिसको एडवाइजरी कमेटी कह दें · · ·

**श्री उपाध्यक्ष :** जवाब सुन लीजिए, प्रोसीजर तो बहुत लम्बा है।

**श्री गुरदयालसिंह संधु :** थोड़े में कहूंगा। उसकी पटवारी ने जो रिपोर्ट दी उसमें ऐसा मेंशन किया था कि वह सरकारी कर्मचारी हैं और अगर पटवारी ने मेंशन नहीं किया है तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ?

**श्री परसराम मदेरणा :** सप्लीमेंट्री प्रश्न में सीधा प्रश्न पूछना चाहिए, यही पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस है, लम्बा चौड़ा भाषण नहीं दे। 87 प्रतिशत लोगों को कब्जे दे दिए गए हैं यह बात जिलाधीश ने बताई है। 13 पर्सेन्ट को कब्जा नहीं मिला है यह बात मैंने अपने प्रश्न के उत्तर में कही है। आप कह रहे हैं कि 60 पर्सेन्ट लोगों को कब्जा कागजों में दे दिया है और वास्तव में उनको भूमि पर कब्जा नहीं मिला है आपके ख्याल से, यह काल्पनिक है। जहां तक गवर्नमेंट सर्वेंट के रिश्तेदार होने का प्रश्न है यह मैंने आपको सूची दी है उसमें दिखाया गया है कि कौन सा रिश्तेदार किसका है, किसका बहनोई है, किसका अंकल है, किसका ताऊ है, यह बात मैंने उसमें लिखी है। कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और कुछ ज्यादा ही हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट के कण्डक्ट के बारे में सरकार की नीति भी यही है कि उनको अपना स्तर ऊंचा रखना चाहिए। अगर बाड़ ही खेत को खाने लग जाय तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। गवर्नमेंट सर्वेंट को अपना कण्डक्ट इस तरह से अभाव रखना चाहिए खासतौर पर ऐसे मामलों में। यह भी प्रश्न उठाया गया कि पटवारी की रिपोर्ट क्या है, अलॉटमेंट आर्डर क्या है और यह प्रश्न उस वक्त आया था क्या ? मैंने आपको सूची दी है जिसमें 144 को अलाटमेंट हुआ जिसमें एक का अलाटमेंट कैंसिल कर दिया गया है बाकी 143 के मामलों में जिलाधीश रूल 14 के नीचे अलाटमेंट कैंसिल कर सकेगा। उसने नोटिसेज दे दिए हैं और जल्दी ही कार्यवाही की जावेगी।

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा :** मेरा एक प्रश्न है · · ·

**श्री उपाध्यक्ष :** नेक्स्ट, स्थगित प्रश्न।

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा :** 60 पर्सेंट को कागजी कब्जे दिए गए हैं उसके बारे में इंक्वायरी इन्स्टीट्यूट करेंगे कि वास्तव में उनको कब्जा नहीं मिला है ?

**श्री उपाध्यक्ष :** नेक्स्ट। स्थगित प्रश्न।

**श्री परसराम मदेरणा :** इंक्वायरी का प्रश्न है। मैं यह जरूर कहूंगा कि जिलाधीश को यह इन्स्ट्रक्शन्स दिए हैं कि वह अपने राज्याधिकारियों और कर्मचारियों से इस बारे में असर्टेन करें कि वास्तव में कितने पर्सेंट को कब्जा मिला है। उनका कहना है कि 87 पर्सेंट को कब्जा मिला है और विधान सभा के माननीय सदस्य, जिनके बारे में हमेशा यह माना जाता है कि हमेशा यहां पर सत्य बोलते हैं और बहुत जिम्मेदार है, जब कहते हैं कि 60 पर्सेन्ट को कब्जा

(श्री परसराम मदेरणा)

नहीं मिला है भूमि पर तो मैं इसको आउट राइट रिजेक्ट नहीं करता, मैं असर्टेन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। प्रश्न सं. 23.

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रश्न रह गए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित प्रश्न सं. 23.

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : हमारे प्रश्न हमेशा पीछे रखे जाते हैं और हमेशा प्रश्न रह जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

## स्थगित प्रश्न

दिनांक 10-3-76

### कोलायत तहसील में भूमि का आवंटन

23. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : [श्री भीमसेन (लूनकरणसर) की अनुपस्थिति में] : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) कोलायत तहसील में कुल कितने बधे व उन्नाव है तथा इन स्थानों पर सन् 1967 से अब तक किस किस व्यक्ति को कितनी कितनी भूमि अस्थायी कृषि पट्टे पर दी गई है?

(2) जिन व्यक्तियों को कृषि भूमि आवंटित की गई, वे कहां के निवासी हैं तथा उनका मुख्य पेशा क्या है?

(3) क्या सरकार उक्त कतिपय अनियमित आवंटित कृषि भूमि को खारिज कर के उसी क्षेत्र के अन्य भूमिहीनों को आवंटित करेगी?

(4) उपरोक्त बंधों व उन्नावों के अतिरिक्त गांव मोटाबतान, पिलाप, खारी चारनान, गजनेर, चांदी, चांदासर, तहसील कोलायत में सन् 1967 से अब तक जिन जिन व्यक्तियों को भूमि आवंटित हुई उनका नाम, पिता का नाम, मुख्य पेशा, निवास स्थान आदि बतलाने का कष्ट करें।

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) तहसील कोलायत में 12 बंधे एवं 5 उन्नाव है जिनकी सूची 'क' संलग्न है।

रिकार्ड के अनुसार जो रकबा शैलाब दर्ज है तथा इस प्रकार की जो भूमि 1967 से अब तक जिन व्यक्तियों को अस्थाई कृषि पट्टे पर दी गई है, उनका ब्यौरा सूची 'ख' पर अंकित है।

(2) शैलाबी क्षेत्रों में जिन व्यक्तियों को कृषि भूमि आवंटित की गई है उनका ब्यौरा सूची 'ख' में अंकित हैं।

(3) चूंकि आवंटन नियमानुसार किया गया है अतः प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(4) गैरशैलाबी क्षेत्रों में बंधों एवं उन्नावों के क्षेत्रों में जो भूमि आवंटित की गई है, उनका ब्यौरा सूची 'ग' में अंकित है।

[सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई]

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मोहरसिंह।

### स्थगित प्रश्न

दिनांक 10-3-76

### दी मेवाड़ शुगर मिल्स लि० भूपालसागर की भूमि

31. **श्री मोहरसिंह** (सादुलपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) दी मेवाड़ शुगर मिल्स लि० भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़ को कब कब कितनी भूमि राज्य सरकार द्वारा किन किन शर्तों पर दी गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस कंपनी के पास उदयपुर जिले में भी भूतपूर्व मेवाड़ सरकार के समय से ही जयसमन्द के आस पास जमीन थी ?

(3) भूतपूर्व मेवाड़ सरकार द्वारा दी गई भूमि के बाद में राज्य सरकार द्वारा दी गई जमीन का योग सन् 1959 में कितना था ?

(4) क्या यह सही है कि 1959 के बाद उक्त भूमि कम्पनी के मालिकों ने सीलिंग से बचने के लिए अपने अपने अलग नामों पर दर्ज करवा ली।

(5) क्या यह भी सही है कि कम्पनी के मालिकों ने इसमें से काफी भूमि छोटे छोटे किसानों को बेच दी है और लाखों रुपया कमाया है जब कि उक्त भूमि उन्हें किन्हीं शर्तों पर दी गई थीं और जिसे उन्हें बेचने का अधिकार नहीं था ?

**राज्यमंत्री राजस्व** (श्री मूलचन्द मीणा):

(1) दी मेवाड़ शुगर मिल्स लि० भूपालसागर की भूमि भूतपूर्व मेवाड़ सरकार द्वारा दी गई थी।

इसके विवरण की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

**श्री मोहरसिंह** : मेरे पास कोई सूची नहीं आई है।

**श्री मूलचन्द मीणा** : आ जायेगी।

(2) जी हां। तहसील सराड़ा एवं सलूम्बर की भूमि जयसमन्द के आस पास की ही है।

(3) सन् 1959 में कम्पनी के पास सूची में वर्णनानुसार ही जमीन थी।

**श्री मोहरसिंह** : यह सूची, मास्टर साहब कब, मिलेगी ?

**श्री मूलचन्द मीणा** : अभी ले लीजिये।

(माननीय सदस्य को सूची भेजी गई)

(4) मेवाड़ शुगर मिल्स लि० ने समय समय पर जमीन बेची है एवं कुछ भूमि भूदान में भी दी है। उन्हें आवंटित भूमि में से 208 एकड़ भूमि शिकमी काश्तकारों के कब्जे में थी अतः उनके खाते में बंध गई। 90 एकड़ भूमि सीलिंग कानून के तहत अधिग्रहीत की गई। इस प्रकार जो भूमि उनके पास बची उसका विवरण भी सूची में अंकित है। सीलिंग कानून के तहत जो फैसला उप खण्ड अधिकारी, सलूम्बर ने दिया उसको त्रुटिपूर्ण मानते हुए जिलाधीश ने राज्य सरकार को इस मामले को री ओपन करने की सिफारिश की है जो राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(श्री मूलचन्द मीणा)

(5) मेवाड़ शुगर मिल्स लि० ने जिन लोगों को भूमि बेची थी उनमें से कुछ ने पुनः भूमि छोटे काश्तकारों को बेची है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मोहरसिंह : यह राज्य सरकार के विचाराधीन मामला है इसका आप कब तक फैसला कर देंगे ? दूसरा सवाल यह है कि मेवाड़ सरकार के साथ साथ में राजस्थान गवर्नमेंट ने जो जमीन दी थी यह मुझे सूची से पता नहीं लगा कि कितनी है ? किस प्रकार से जमीन जो कि ज्यादा गन्ना पैदा करने के अभियान के तौर पर और ग्रो मोर फूड के अभियान के तहत दी गई थी उस भूमि को सीलिंग से बचने के लिए अपने मुनीम के नाम पर और घरवालों के नाम पर बांटना कहां तक न्यायसंगत है। उसके बाद उन किसानों से भी आगे दूसरों को बेच देना जमीन को 74 में यह कहां तक न्यायसंगत है ? इसके लिए क्या जवाब है ?

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): भूमि अधिक गन्ना उत्पादन के लिए महाराणा उदयपुर ने दी थी, राजस्थान की सरकार ने मेवाड़ शुगर मिल्स लि० को कोई जमीन नहीं दी है। आपने दोनों ही प्रश्न पूछे हैं। जो भूमि उन्होंने हस्तान्तरित की है उसमें से कुछ हस्तान्तरण के मामलों में जिलाधीश ऐसा मानते हैं कि वह सीलिंग में रिज्यूम होनी चाहिए, इसलिए मामला राज्य सरकार को री-ओपन करने के लिए भेजा है, जो विचाराधीन है।

श्री मोहरसिंह : क्या राज्य सरकार ने 600 बीघा जमीन नहीं दी थी ? राजस्थान सरकार ने 600 बीघा जमीन नहीं दी थी ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं उत्तर दे चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

## अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

### भू. पू. महाराजा बून्दी को जमीन

311. श्री केदारनाथ (श्रीगंगानगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बून्दी जिले की बून्दी व हिन्डौली तहसील में 31 दिसम्बर, 1969 तक (क) राजकीय एवं (ख) बून्दी के भूतपूर्व नरेश श्री बहादुरसिंह का कितना रिजर्व जंगल था ?

(2) बून्दी के भूतपूर्व नरेश श्री बहादुरसिंह के खाते में 31 मई, 1969 तक सिंचित व असिंचित कितनी जमीन थी ? गैरकाबिल काश्त जमीन में से कितनी जमीन में रिजर्व फोरेस्ट थी ?

(3) भूतपूर्व महाराजा के कितने सीलिंग के मुकदमों का निर्णय सहायक कलेक्टर के न्यायालय से कब हुआ ? और जंगल की लकड़ी अभी काटी हुई है या नहीं ? यदि कटी हुई है तो कितनी रकम प्राप्त हुई ?

(श्री केदारनाथ)

(4) काबिल काश्त जमीन से कितनी जमीन कब्जे में ली जाकर भूमिहीनों में वितरित की गई ?

उत्तर

(1)(क) बून्दी जिले की बूंदी व हिन्डोली तहसील में क्रमश: 601 व 171 वर्ग किलो मीटर दिनांक 31 दिसम्बर, 1969 तक रिजर्व राजकीय जंगल था (ख) बून्दी के भूतपूर्व नरेश श्री बहादुरसिह का कोई रिजर्व जंगल नहीं था।

(2) बून्दी के भूतपूर्व नरेश श्री बहादुरसिंह के खाते में दिनांक 31 मई, 1969 तक सिंचित व असिंचित 5969 बीघा 7 बिस्वा जमीन थी। गैरकाबिल काश्त जमीन में कोई रिजर्व जंगल नहीं था।

(3) उप जिलाधीश, बून्दी ने सीलिंग प्रकरण का फैसला दिनांक 23–6–72 को किया। भू–धारक द्वारा अपील करने पर राजस्व अपील प्रधिकारी के द्वारा दिनांक 1–12–75 को रिमाण्ड किया। अब दिनांक 28–2–76 को एस. डी. ओ. नवा ने भी सीलिंग प्रकरण का दुबारा फैसला कर दिया।

यह सही है कि जंगल की लकड़ी कटी हुई हैं और इसके बेचान हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(4) काबिल काश्त 2817 बीघा 18 बिस्वा जमीन कब्जे में ले ली गई है एवं आवंटन की कार्यवाही चालू है।

## जयपुर से श्रीगंगानगर (वाया चूरू) मार्ग पर निगम की बसें

313. श्री रावतराम आर्य (छापर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि परिवहन निगम का जयपुर से गंगानगर वाया चूरू गाड़ी चलाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसी प्रकार जयपुर से भादरा नोहर वाया चूरू गाड़ियां चलाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। चूरू से फतेहपुर मार्ग का राष्ट्रीयकरण हो जाने पर जयपुर से गंगानगर वाया चूरू वाहन चलाना संभव हो सकेगा।

(2) जी नहीं।

## राजकीय उद्योगों की लाभ-हानि का ब्योरा

315. श्री जनार्दन सिंह गहलोत (गांधी नगर, जयपुर) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में प्रदेश में कुल कितने उद्योग पूर्णतया राजकीय स्तर पर अथवा राज्य सरकार की अधिक भागांश पूंजी से चलाये जा रहे हैं ?

(2) इन उद्योगों में सरकार की कुल कितनी पूंजी लगी हुई है ? कृपया गत 3 वर्ष का लाभ-हानि का ब्योरा सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) राजकीय स्तर पर चलाये जा रहे उद्योग अथवा राज्य सरकार की अधिक भागांश पूंजी से चलाये जा रहे उद्योगों की संख्या 15 है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इन उद्योगों में 31-3-75 को राज्य सरकार का 1502.85 लाख रुपया लगा हुआ था। लाभ हानि का ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

## पाली नगर में महावीर कालोनी की योजना

317. *श्री शंकरलाल (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली नगर में श्री महावीर कालोनी के नाम से नयी बस्ती बनाने हेतु पाली नगरपालिका द्वारा कई व्यक्तियों को भूमि लीज पर गई थी ? यदि हां, तो कब और किन किन को ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इस योजना के विरुद्ध नगरपालिका ने उसी भूमि के कुछ भूखण्ड अन्य व्यक्तियों को अलाट कर दिये हैं ?

(3) क्या श्री महावीर कालोनी बनाए जाने की योजना रद्द कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ? और यदि नहीं, तो उन व्यक्तियों जिन्हें भूमि लीज पर अस्थायी तौर पर दी गई थी, को भू-खण्ड कब तक आवंटित कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 24-12-74 से 27-12-74 तक 230 व्यक्तियों को आवासीय भूखण्ड दिये गए थे। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह सही नहीं है कि नगरपालिका पाली ने योजना के विरुद्ध किसी व्यक्ति को कोई भूखण्ड आवंटित किया है। राज्य सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या एफ 5(248) डी.एल.बी/75/9/6195, दिनांक 17-12-75 के स्वीकृत योजना के अंतर्गत समाज के कमजोर तबके के व्यक्तियों को परिपत्र संख्या एफ 5(385) एल एस जी/75/81608-81893, दिनांक 13-11-75 के निर्देशानुसार 50 व्यक्तियों का नाम मात्र कीमत रुपये 99/— ली जाकर आवासीय भूखण्ड आवंटित किये गये हैं।

(3) जी नहीं। अनियोजित ढंग से योजना बनी थी उसे रद्द कर उप नगर नियोजक द्वारा नियोजित ढंग से महावीर नगर की योजना बना कर दिनांक 17-12-75 को स्वीकृति दी जा चुकी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

# Page No 24



अतारांकित प्रश्नोत्तर

**जयपुर जिले में जल समस्या निवारण हेतु व्यय की गई धनराशि**

166. **श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा** (फागी) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में चार पंचवर्षीय योजनाओं में जल समस्या निवारण के लिए कितनी राशि खर्च की गई? सालवाइज आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि का ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में किस प्रकार खर्चा हुआ? अलग अलग सालवार आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि अन्य जिलों की तुलना में जयपुर जिले में जल समस्या निवारण के लिए कम राशि खर्च की गई है?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रश्न एक की सूची में यह आंकड़े अलग अलग दिखाये गये हैं।

(3) रेगिस्तानी जिलों को छोड़कर अन्य जिलों की तुलना में जयपुर जिले में किया गया खर्चा यहां की पेय जल समस्या एवं आकार को देखते हुये उपयुक्त है। नगरीय क्षेत्रों में जयपुर जिले में अन्य सभी जिलों से अधिक खर्चा किया गया है।

( कृपया परिशिष्ट 3 देखिये )

**राजकीय आयुर्वेद औषधालय पूंजला ( जोधपुर ) में रिक्त पद**

167. **श्री अमृत लाल गहलोत** (सरदारपुरा): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजकीय आयुर्वेद औषधालय पूंजला, जोधपुर के लिए कौन कौन से पद स्वीकृत हैं? उनकी सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) उपरोक्त पदों में से कौन कौन से पद कब से खाली पड़े हैं और क्यों?

(3) उपरोक्त खाली पद कब तक अवश्य भर लिए जायेंगे?

उत्तर

(1) राजकीय आयुर्वेद औषधालय पूंजला (जोधपुर) हेतु निम्न पद स्वीकृत हैं:—

1. वैद्य पद द्वितीय श्रेणी—एक
2. धात्री/कल्पद पद कनिष्ठ श्रेणी एक
3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी—एक

(2) उपरोक्त तीनों पदों पर वर्तमान में कर्मचारी कार्यरत है।

(3) पद रिक्त नहीं हैं अतः भरने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

**रानीवाड़ा में भूमि विकास बैंक की शाखा**

168. श्री **रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अभी तक जिला जालौर में केन्द्रीय सहकारी बैंक, भूमि

# Page No 25

(25)



(श्री रघुनाथ विश्नोई)

विकास बैंक एवं क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के संचालक मण्डलों में 113 सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मुकर्रर नहीं किए गये हैं ? अगर हां, तो क्यों ? और अब कब तक कर दिये जावेंगे ?

(2) क्या यह भी सही है कि रानीवाड़ा में भूमि विकास बैंक की एक विशेष शाखा कृषि उत्पादन हेतु ऋण देने हेतु खोलने का सरकार का निर्णय है ? अगर हां, तो यह शाखा कब तक स्थापित कर दी जावेगी ? इस शाखा का ऋण देने का क्षेत्र क्या होगा और किन किन लोगों को ऋण दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) अभी तक जिला जलौर में केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं भूमि विकास बैंक के संचालक मण्डलों में 1/3 सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मुकर्रर नहीं किये गये हैं। कार्यवाही राज्य सरकार के विचाराधीन है जिसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जावेगा। क्रय विक्रय सहकारी समितियों के संचालक मण्डल में इस प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

(2) यह सही है कि रानीवाड़ा में जालौर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि० की शाखा कृषि उत्पादन हेतु ऋण देने के लिये स्थापित करने का निर्णय उक्त बैंक के संचालक मंडल ने लिया था। इस शाखा की स्थापना का निर्णय रानीवाड़ा में लघु सिंचाई योजना का प्रारंभ होने की दृष्टि से लिया गया था। इस शाखा का कार्य दिनांक 26-2-76 से प्रारंभ हो चुका है। इस शाखा का ऋण देने का क्षेत्र पंचायत समिति रानीवाड़ा के 76 गांवों तक सीमित रहेगा जो लघु सिंचाई योजना में शामिल किये गये हैं। इस शाखा द्वारा उक्त क्षेत्र के सभी प्रकार के कृषकों को ऋण दिया जाएगा।

## नगरपालिका क्षेत्रों में आवंटित भू-खण्डों का मूल्य

169. श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के विभिन्न नगरपालिका क्षेत्रों में भूमिहीन लोगों को विभिन्न दरों पर आवासीय भूखण्ड आवंटित किये गये हैं तथा भूखण्डों की दरें (विकास शुल्क) ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर तबके के लोगों को दिये गये भूखण्डों से कहीं ज्यादा रखी गई है? अगर हां, तो इस विभेद का क्या कारण है ? अब तक किस किस नगरपालिका में कितने कितने भूखण्ड किन किन दरों पर किसकिस वर्ग को आवंटित किये गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि विभिन्न जिलों के पालिका क्षेत्रों में आवंटित भूखण्डों का मूल्य विकास के नाम पर विभिन्न दरों से चार्ज किया गया है ? अगर हां, तो इस विभेद का क्या कारण है ? विकास के नाम पर वसूल राशि के निर्धारण आधार क्या रखे गये हैं ? विस्तृत विवरण पटल पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने नगरपालिका क्षेत्र में कमजोर वर्ग के लोगों को आवासीय

(स्वायत्त शासन मंत्री)

भूखण्ड आवंटन किए हैं उन्हे तीन श्रेणियों में विभाजित कर भूमि दरों का निर्धारण आदेश दिनांक 2-2-76 को किया जा चुका है।

जिन नगरपालिकाओं से आवंटित भू-खण्डों की सूचना प्राप्त हुई है वह सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रश्न(1)के उत्तर के बाद यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

( सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई )

### बीकानेर स्थित "इन्दिरा कालोनी" हरिजनों की बस्ती में अतिक्रमण

170. श्री केशरीमल ( ब्यावर ) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर में इन्दिरा कालोनी, जिनमें हरिजन, मजदूर गरीब वर्ग व शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग निवास करते थे, गत माह में बुल-डोजर चलाकर तोड़ दी गई ? यदि हां, तो कुल कितने मकान तोड़े गये ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिलाधीश ने बस्ती को तुड़वाते समय आर .ए. सी. व पुलिस के द्वारा इन नागरिकों की घेराबन्दी कराई थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि इसकी शिकायत करने वालों को पुलिस द्वारा पीटा भी गया और उन पर मुकदमें भी बनाये गये ?

(4) क्या यह भी सही है कि औरतों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया और इसकी शिकायत राज्य सरकार के पास भी आई ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस प्रकार के अमानवीय व्यवहार करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

(5) क्या यह भी सही है कि नगर विकास न्यास द्वारा 23-6-73 की बैठक में अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो उस समय तक अति-क्रमण क्यों नहीं हटाया गया ?

(6) क्या यह भी सही है कि अभी भी इन बस्तियों में बड़े बड़े लोगों के फ्लैट्स अतिक्रमण किये हुए मौजूद हैं ? यदि हां, तो किन किन के ?

(7) क्या यह भी सही है कि इनमें जो व्यक्ति रहते हैं वे अफसर, पैसे वाले और प्रभावशाली व्यक्ति है इसलिये इनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की ? यदि हां, तो क्या इनके द्वारा किये गये अतिक्रमणों को रेगुलराइज किया जा रहा है ? यदि हां, तो गरीब वर्ग के लोगों के मामले क्यों नहीं निपटाये गये ? इसके लिये कौन व्यक्ति दोषी है और उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

#### उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत इन्दिरा नगर योजना में अनधिकृत अति-क्रमण द्वारा बनाये गये कच्चे मकानों की केवल चार दीवारी एवं गैरआबाद कच्चे मकान तुड़वाये गये थे। कुल 545 कच्चे मकानों की चार दीवारी तोड़ी गयी थी।

(2) जी नहीं।

(नगर आयोजना मंत्री)

(3) जी नहीं। जिन लोगों ने शांति भंग करने की कोशिश की उनके विरुद्ध पुलिस में शिकायत की गई।

(4) औरतों के साथ किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं किया गया।

(5) न्यास बैठक दिनांक 23-6-73 के प्रस्ताव के अनुपालना में अतिक्रमणों को हटाने का प्रयास समय समय पर किया जाता रहा है।

(6) जी नहीं। इस बस्ती में बड़े व छोटे सब तरह के व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमणों कर बनाये गये रिहायशी मकान मौजूद हैं।

(7) ऐसी कोई जानकारी नहीं है, सब अतिक्रमणियों के साथ समान व्यवहार किया गया था।

### टेम्पो के यात्रियों को सुविधा

171. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा जोधपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जयपुर एवं राजस्थान के अन्य नगरों में चलने वाले टेम्पो कांट्रेक्ट कैरिज के परमिट के अन्तर्गत चलते हुए भी कार्य स्टेज केरिज के परमिट का करते हैं जो मोटर व्हीकल एक्ट के प्रतिकूल है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या उपरोक्त टेम्पो में बैठने वाले यात्रियों की सिटिंग केपेसिटी निर्धारित की हुई है? यदि हां, तो ड्राइवर सहित कितनी? और यदि नहीं तो क्यों?

(3) क्या उपरोक्त टेम्पो में बैठने वाले यात्रियों का किराया निर्धारित किया हुआ है? यदि हां, तो किस प्रकार? और यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) टेम्पो कांट्रेक्ट केरिज परमिट के अन्तर्गत ही चलते हैं। परन्तु जयपुर एवं राजस्थान के अन्य प्रमुख नगरों में यातायात की समुचित व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण इसमें अनियमितता होती है। यातायात की समुचित व्यवस्था होने पर इन अनियमितताओं को रोकने के लिए प्रभावशाली कदम उठाये जावेंगे।

(2) टेम्पो में बैठने की क्षमता ड्राइवर सहित 12 होती है।

(3) टेम्पो का किराया जयपुर एवं जोधपुर शहरों के लिए कांट्रेक्ट केरिज के रूप में 80 पैसा प्रति किलो मीटर तत्पश्चात 60 पैसा प्रति किलो मीटर की दर से निर्धारित है।

### चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय के लिपिक के विरुद्ध शिकायतें

172. श्री गणेशलाल (गंगरार) क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री बी. एल. शर्मा, लिपिक, कार्यालय निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर ने कोई गबन किया था? यदि हां, तो कब व कुल कितनी राशि गबन की गई थी?

(श्री गरोशलाल)

(2) क्या यह सही है कि उक्त लिपिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त गबन के संबंध में कौन कौन अधिकारी एवं कर्मचारी सुपरवाइजरी कान्ट्रीब्यूटरी नेग्लीजेन्स के लिए उत्तरदायी हैं और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि अधिकारियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसका क्या कारण है ?

(4) क्या यह सही है कि इस गबन की सूचना संबंधित पुलिस अधिकारियों, मुख्य लेखाधिकारी एवं महालेखाकार कार्यालय को दी गई है ? यदि हां, तो कब ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अतिरिक्त महालेखाकार, जयपुर के आडिट के अनुसार तथा राजपत्रित अधिकारियों की एक समिति की रिपोर्ट के अनुसार कोई गबन का मामला तो नहीं निकला किन्तु रिकार्ड को व्यवस्थित व नियमित न रखने की अनियमिततायें अवश्य पाई गई हैं। फिर भी इस विभाग की एक इन्टरनल आडिट पार्टी को श्री शर्मा के समस्त कार्यों की जांच पड़ताल हेतु लगा दिया गया है एवं कोई त्रुटि नजर आने पर अवश्य कार्यवाही की जावेगी।

(2) जी नहीं। इन्टरनल आडिट पार्टी की रिपोर्ट आने पर उसे दृष्टिगत रखते हुए कार्यवाही की जावेगी।

(3) प्रश्न के भाग (1) के उत्तर को ध्यान में रखकर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(4) जी नहीं। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

## अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बेरोजगार स्नातकों को सहायता

173. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के बेरोजगार स्नातक एवं स्नातकोत्तरों को सहायता देने के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान रखा गया है तथा कितने व्यक्तियों ने राज्य सरकार को इस संबंध में आवेदन प्रस्तुत किये तथा उनमें से कितनों को धनराशि स्वीकृत की गई ?

(2) जयपुर जिले के कितने स्नातकों एवं स्नातकोत्तर आवेदकों को उक्त राशि दी गई ?

उत्तर

(1) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बेरोजगार स्नातक एवं स्नातकोत्तरों को सहायता (बेरोजगार वृत्तिका) देने के लिये वर्ष 1975-76 में कुल 15,85,000 रुपयों का प्रावधान अन्तिम रूप से रखा गया है। पुराने वृतिकाधिकारियों के अलावा वर्ष 1975-76 में अनुसूचित जाति व जनजाति के कुल 606 व्यक्तियों ने बेरोजगार वृत्तिका स्वीकृत करने हेतु

(समाज कल्याण मन्त्री)

आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जिनमें से 577 आवेदन-पत्रों पर, नियमानुसार पूर्ण होने के कारण, वृत्तिका स्वीकृत की गई है।

(2) जयपुर जिले के 126 बेरोजगार स्नातक एवं स्नातकोत्तर व्यक्तियों को उक्त वृत्तिका स्वीकृत की गई है।

## गजसिंहपुर कृषि उपज मण्डी समिति में सदस्य की नियुक्ति

174. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गजसिंहपुर कृषि उपज मण्डी समिति के उप प्रधान कुन्दनलाल जो 8 आर. बी. तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर की सेवा सहकारी समिति का सदस्य होने के कारण निर्वाचित हुआ था और वह कुन्दनलाल नगरपालिका, गजसिंहपुर का भी सदस्य है ?

(2) क्या यह सच है कि कृषि उपज मण्डी समिति का सदस्य जो ग्रामीण क्षेत्र में होने के कारण चुना गया हो वह नगर पालिका क्षेत्र का मतदाता नहीं हो सकता ? किसी भी व्यक्ति का मत दो स्थानों पर प्रयोग नहीं किया जा सकता ? यदि कोई ऐसा करे तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है ?

(3) क्या यह सच है कि यदि कोई व्यक्ति जिस स्थान से या जिस संस्था का सदस्य होने के कारण नियुक्त किया गया हो यदि उसकी वह सदस्यता या स्थान समाप्त हो जावे तो वह कृषि उपज मण्डी समिति का सदस्य नहीं रह सकता ?

(4) क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि कुन्दनलाल, जो कृषि उपज मण्डी समिति का उपाध्यक्ष है व ठेकेदारी करता है, गांव में नहीं रहता, गजसिंहपुर नगरपालिका का अध्यक्ष है वह कृषि उपज मण्डी समिति का सदस्य नहीं रह सकता ? सरकार इस तरह एक सदस्य को दो स्थानों पर मतदान के आधार पर ऐसी नियुक्ति के संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

### उत्तर

(1) जी हां। श्री कुन्दनलाल कृषि उपज मन्डी समिति में सहकारी समिति के सदस्य होने के कारण कृषक निर्वाचन क्षेत्र से जुलाई, 1972 में निर्वाचित हुए थे। निर्वाचन के समय वह नगरपालिका, गजसिंहपुर के सदस्य नहीं थे। नगरपालिका में यह सितम्बर, 1974 से निर्वाचित हुए हैं।

(2) जी हां। वह सदस्य मन्डी समिति चुनाव हेतु कृषक निर्वाचन क्षेत्र से होने के कारण नगरपालिका अथवा किसी अन्य क्षेत्र में मतदाता नहीं हो सकता तथा दो स्थानों पर मत का प्रयोग नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा करे तो राजस्थान कृषि उपज निर्वाचन नियम, 1963 के नियम 28 के अन्तर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

(3) जी हां।

(4) प्राप्त सूचना के अनुसार श्री कुन्दनलाल उपाध्यक्ष मंडी समिति गजसिंहपुर, ठेकेदारी नहीं करते तथा गांव में रहते

(कृषि मन्त्री)

हैं। जहां इनका मकान है। गंगापुर आते रहते हैं। इनका निर्वाचन मन्डी समिति में एक ही कृषक क्षेत्र से हुआ है। अस्तु उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं होता।

### टोडारायसिंहनगर में मण्डी समिति

175. श्री चतरभुज (टोडारायसिंह): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य सरकार टोडारायसिंह कस्बे में अलग से मन्डी समिति कब बना रही है जब कि टोडारायसिंह पुरानी मन्डी है तथा यहां की आय करीब 1 लाख रुपये सालाना है तथा यहां पर म्युनिसिपल व तहसील हैडक्वार्टर है एवं यातायात के साधन रेल वगैरह सभी हैं ?

उत्तर

टोडारायसिंह वर्तमान में कृषि उपज मन्डी समिति, मालपुरा का गौणमन्डी यार्ड है। इस गौण मन्डी यार्ड की आय 172 जिन्सों के नियमन के पश्चात् बढ़ी है, जिसके बारे में विस्तृत विवरण प्राप्त किया जा रहा है।

उक्त सूचना प्राप्त होने पर यहां अलग से मन्डी समिति स्थापित करने के विषय में विचार कर लिया जायेगा।

### भूतपूर्व नरेशों की सरप्लस कृषि भूमि

176. श्री केदारनाथ (श्रीगंगानगर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

भूतपूर्व नरेशों की कुल कितने एकड़ कृषि भूमि सरप्लस घोषित की गई ? कितने एकड़ भूमि राज्य सरकार के कब्जे में आई और उसमें से कितने एकड़ भूमिहीनों में वितरित की गई ?

उत्तर

राजस्थान में राजस्थान भूमि सुधार एवं भू-स्वामियों की भू-संपदा अवाप्ति अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत भूतपूर्व नरेश से कुल 53,298 एकड़ भूमि अवाप्त की गई है जिसका कब्जा लिया जा चुका है। जिसमें से 567–74 एकड़ भूमि, भूमिहीनों को वितरण की गई है।

### सरकारी सिंचित व असिंचित जमीन के अनधिकृत कब्जों का नियमन

177. श्री केदारनाथ (श्रीगंगानगर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि आपातकालीन स्थिति लागू होने के बाद राज्य सरकार ने सरकारी सिंचित व असिंचित जमीन के अनधिकृत कब्जों को नियमित किया ? यदि हां, तो शेष के बारे में क्या निर्णय लिया गया ?

इसके बारे में राजस्व विभाग द्वारा समय समय पर जो नियम एवं निर्णय लिए गए उनकी तालिका सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। शेष नियमन योग्य अनधिकृत कब्जों के मामलों का भी नियमानुसार नियमन करने के आदेश दिये जा चुके हैं।

(राजस्व मंत्री)

आपात कालीन स्थिति लागू होने के बाद सरकारी सिंचित व असिंचित भूमि पर अनधिकृत कब्जों के अतिक्रमण के मामलों का नियमन करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर लिए गए निर्णयों की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट—4 देखिये)

## जालोर जिले में सीलिंग के मुकदमें

178, श्री केदारनाथ (श्रीगंगानगर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पुराने सीलिंग कानून के अन्तर्गत सन् 1968 से आज तक जिला जालोर में किस किस उपखंड अधिकारी ने किस किस भूतपूर्व जागीरदार के सीलिंग के मुकद्मे तय कब कब किये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि कई व्यक्तियों के 90 स्टेन्डर्ड एकड़ के अनुसार से भी फैसले किये गये हैं और उन व्यक्तियों की भूमि नये सीलिंग कानून के अन्तर्गत आती है फिर भी उनको जालोर जिले में सीलिंग के अन्तर्गत नोटिस नहीं देकर उनकी भूमि का सरकार ने कब्जा नहीं लिया है। उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(स्थगित किया गया)

## वन मण्डल बारां के ठेकेदारों के विरुद्ध शिकायतें

179. श्री रामगोपाल (किशनगंज): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने वर्ष 1974 से पत्ता तेंदू व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दिया था ?

(2) क्या यह सही है कि सन् 1974 में बारां वन मण्डल में तेंदू पत्ते के उत्पादन का लक्ष्य 56478 मानक बोरे निर्धारित किया था ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त लक्ष्य गत वर्षों में वन भूमि तथा गोचर आदि से प्राप्त हुई तेन्दू पत्ते की आमद के आधार पर निर्धारित किया गया था ?

(4) क्या यह सही है कि 1974 में 56478 बोरों के स्थान पर 41825 बोरों का ही निकास हुआ ?

(5) क्या यह सही है कि उस वर्ष ठेकेदारों द्वारा बोरों पर अंकित गड्डियों की संख्या में अधिक गड्डियां भरकर बोरे निकालने की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसके कारण लक्ष्य में कमी रही ?

(6) क्या यह सही है कि इसी बारां मण्डल में सन् 1975 के लिए 44,000 मानक बोरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ? किन्तु वास्तव में मंडल वन अधिकारी की लापरवाही के कारण कुल तेतीस, चौंतीस हजार बोरे ही एकत्रित हो पाये ?

(7) क्या यह भी सही है कि सन् 1974 में, कई शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, वन अधिकारी कोटा ने बारां मण्डल के भिन्न भिन्न ठेकेदारों के बोरों का स्पेशल चेकिंग पार्टी द्वारा निरीक्षण करवाया और इस पार्टी द्वारा लगभग 18 इकाइयों में बोरों में अंकित गड्डियों की संख्या में 50 प्रतिशत तक गड्डियां अधिक पाई गईं ?

(श्री रामगोपाल)

(8) क्या यह सही है कि यह निकासी वर्तमान मण्डल अधिकारी के समय में उनकी सहमति से की गई और इस प्रकार की अनियमित निकासी पर उच्च अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों पर जुर्माने किये गये ?

(9) क्या सन् 1975 में पाई गई अनियमित कार्यवाही से यह सिद्ध नहीं होता है कि 1974 तथा 1975 में तेन्दू पत्तों में वर्तमान मण्डल अधिकारी द्वारा भारी घोटाला किया गया जिससे निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई और सरकार की राष्ट्रीयकरण की नीति को असफल करके लाखों रुपये का नुकसान पहुंचाया है ?

(10) राज्य सरकार अब भी उक्त अधिकारी के विरूद्ध उचित कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पत्ता तेंदू व्यापार का राष्ट्रीयकरण दिनांक 4 दिसम्बर, 1973 को किया गया।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई जिसे जांच के बाद निराधार पाया गया।

(6) बारां वन मण्डल में वर्ष 1975-76 के लिए 44000 मानक बोरे का लक्ष्य रखा गया था जिसके मुकाबले 37,043.-197 मानक बोरे एकत्रित हुये। पत्ता तेंदू सम्बन्धी विभिन्न प्रकरणों की शिकायतें राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(7) वर्ष 1975-76 में वृत्त स्तर पर चैंकिंग पार्टी का गठन किया गया था। इस पार्टी ने बारां मण्डल की 18 इकाइयों का चैंकिंग किया जिस पर कुछ बोरों में 3 से 50 प्रतिशत गड्डियां अधिक पाई गई।

(8) जांच उपरान्त स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अनियमित निकासी के लिए वन संरक्षक द्वारा ठेकेदारों पर जुर्माना किये गये थे।

(9) जांच उपरान्त स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

(10) जांच में दोषी पाये जाने पर दोषी अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

## तहसील शाहबाद (कोटा) में भूमि का मामला

180. श्री गुरदयाल सिंह सन्धु (करणपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) श्री गुरजीतसिंह चक 9 ओ श्री गुरदीपसिंह, चक 16 ओ श्री केहरसिंह श्री रघुबीरसिंह, चक 25 बी. बी. श्री गुरदयाल सिंह, एक, जे.जे. के नाम पर तथा उनके बच्चों के नाम पर 1 जनवरी, 1970 को कितनी कितनी भूमि थी ?

(2) क्या यह सच है कि श्री गुरजीत सिंह, श्री गुरदीपसिंह, श्री केशरसिंह, श्री रघुबीरसिंह आदि के लड़के 1-4-70 को नाबालिग थे ?

(3) क्या यह सच है कि श्री रघुबीर सिंह की धर्म पत्नी के नाम पर तहसील शाहबाद जिला कोटा में एक सौ बीघा भूमि

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

है और बाद की ऐसी भूमि उसके कब्जे में है जो कि मन्दिर के नाम पर है और जिसमें से बहुत सी बेची जा चुकी है ? सीलिंग के मामले में उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा जो घोषणा पत्र प्रस्तुत किये गये हैं उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखी जावें और बतलाया जाये कि सरकार इसके बारे में क्या कर रही है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

( स्थगित किया गया )

## गांव थानदेवला (तहसील रायसिंहनगर) में भूमि का मामला

181. श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री गुरबचनसिंह पुत्र समुन्द्रसिंह गांव थानदेवला तहसील रायसिहनगर के कब्जे में कितनी भूमि किस किस्म की और कब से है उसके लड़कों तथा धर्मपत्नी के नाम पर कितनी कितनी भूमि है ? लड़कों की आयु स्कूल प्रमाण-पत्र के आधार पर कितनी कितनी है ? जो भूमि एक जनवरी, 1970 के बाद बेची गई वह किस को बेची गई और वह कहां के रहने वाले हैं राजस्थानी है या नहीं ?

(2) भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करते समय जो घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया उसकी सूची दी जाय और बतलाया जाये कि उपरोक्त काश्त किस किस के नाम पर दर्ज होती है और जिन लोगों के नाम भूमि है वह उस गांव के रहने वाले हैं या नहीं ?

### उत्तर

(1) श्री गुरबचनसिंह पुत्र श्री समुन्दसिंह ग्राम थानदेवला तहसील रायसिंह नगर के तथा उसके लड़के और धर्मपत्नी के नाम भूमि जिस जिस समय से है उसका ब्योरा निम्न प्रकार है :–

| नाम प्रार्थी | तिथि | किस्म भूमि | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | नहरी | बारानी | गैरमुमकिन | | कुल |
| (1) गुरबचन सिंह | 5-6-56 | 100-02 | 2-15 | 1-10 | | 104-06 |
| (2) जागीर कौर (पत्नी) | 6-8-57 | 23-10 | — | 0-10 | | 24-00 |
| (3) गुरदेवसिंह (पुत्र) | 6-8-57 | 32-15 | — | 0-04 | | 32-19 |
| (4) मनजीतसिंह (पुत्र) | 6-8-57 | 3-18 | — | — | | 3-18 |
| (5) सुखजीतसिंह (पुत्र) | 6-8-57 | 3-18 | — | — | | 3-18 |
| (6) सुखजीतसिंह (पुत्र) | 28-7-70 | 12-05 | — | – | | 12-05 |

× दादी से वसीयत में प्राप्त ।

(राजस्व मंत्री)

स्कूल प्रमाण पत्रों के आधार पर इन पुत्रों की आयु निम्न प्रकार से हैं :—

| नाम पुत्र | जन्म तिथि | आयु |
|---|---|---|
| (1) मनजीत सिंह | 15-8-56 | 19 वर्ष 7 माह |
| (2) सुखजीत सिंह | 2-6-59 | 16 वर्ष 9 माह |
| (3 जगदेव सिंह | 28-1-62 | 14 वर्ष 2 माह |

(4) गुरदेवसिंह किसी स्कूल में नहीं पढ़ते परन्तु इनकी आयु लगभग 24 वर्ष है।

1-1-70 के बाद श्री गुरबचनसिंह ने किसी अन्य को भूमि का बेचान नहीं किया बल्कि दिनांक 23-10-71 एवं 16-12-72 के इकरारनामे के द्वारा अपने पुत्र में अपनी भूमि का विभाजन किया जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| (1) श्री गुरदेवसिंह | 12 बीघा 3 बिस्वा |
| (2) श्री मनजीतसिंह | 46 बीघा 10 बिस्वा |
| (3) श्री जगदेवसिंह | 16 बीघा 19 बिस्वा |

श्री गुरबचनसिंह के पास अपनी कुल 104 बीघा 6 बिस्वा में से अब 28 बीघा 14 बिस्वा भूमि शेष है। पुराने सीलिंग कानून के तहत दिनांक 4-5-71 को इनके विरुद्ध कार्यवाही ड्राप की गई तथा नये कानून के अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया जो वाद सं. 1085-75 दर्ज होकर 29-11-73 को अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त की गई

इस वाद को खोलने हेतु दिनांक 17-10-75 को राज्य सरकार को सिफारिश की गई जो अभी विचाराधीन है।

(2) उपरोक्त भूमि उन्हीं व्यक्तियों के कब्जे काश्त में है जिनके नाम ऊपर वर्णित किये गये हैं तथा उन्होंने भूमि का बेचान किसी को नहीं किया। जिन लोगों के नाम भूमि है वे उसी गांव के रहने वाले हैं।

---

### गंगनहर क्षेत्र में भूमिहीनों द्वारा खरीदी गई भूमि का मूल्य

182. श्री गुरदयालसिंह संधु(करणपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गंगनहर क्षेत्र जिला गंगानगर में यह बारानी भूमि जो भूमिहीनों द्वारा अगस्त 1960 से 1966 के दरमियान में खरीद की गई थी और जिसकी कीमत निर्धारित मूल्य से अधिक वसूल की गई थी उसकी वापसी के कितने मामले आज तक नहीं निपटाये जा सके हैं ? तहसील पदमपुर में 1 जनवरी, 1976 को कितने मामले किस समय से बकाया थे ?

(2) क्या यह सच है कि जो भूमिहीन रिश्वत नहीं देता उसके मामले को जानबूझ कर लम्बा किया जाता है और निपटाया नहीं जाता ?

(3) क्या यह सच है कि उजागर सिंह हरिजन ने 5 आर. बी. से 150 रु. मांगा गया, उसके ना देने के कारण उसके मामले

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

को नहीं निपटाया जा रहा है और इसकी शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है ? क्या सरकार उपरोक्त मामलों में निष्पक्ष जांच करायेगी यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) गंगनहर क्षेत्र में जिला गंगानगर में बारानी भूमि, जो दिनांक 4-7-60 से 30-7-67 तक आवंटित की गई थी, के विक्रय मूल्य की मांग निर्धारित दर 100/- रुपया प्रति बीघा की बजाय 200/- रुपया प्रति बीघा कायम कर वसूल की गई थी। इस अधिक वसूल शुदा राशि को वापिस लेने हेतु 124 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये जो विचाराधीन है। इन प्रार्थना पत्रों में निहित राशि 1,72,976 रुपया है।

तहसील पदमपुर से सम्बन्धित ऐसे प्रार्थना पत्रों की संख्या दिनांक 1-1-76 तक 47 थी जिनकी राशि 70,673/- रुपये बनती है। इनमें से 4 प्रार्थना पत्रों में निहित 7,347/- के भुगतान आदेश दिये जा चुके हैं। 43 प्रार्थना पत्रों में निहित 63,326/- रुपये के मामले तहसील स्तर पर विचाराधीन हैं। यह प्रार्थना पत्र 6 माह या इससे अधिक के है।

(2) जी नहीं। समस्त प्रार्थना पत्रों की जांच व तकमील पूर्ण होते ही सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार स्वीकृति अविलम्ब प्रदान की जाती है। अनावश्यक रूप से किसी प्रार्थना पत्र को रोका नहीं जाता है।

(3) जी नहीं। श्री उजागर सिंह को एक हजार रुपये की राशि के वापिस किये जाने के आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं, और भुगतान हेतु बिल जिला कोषालय में भेजा गया है जिसका भुगतान नियमानुसार होगा। श्री उजागर सिंह द्वारा कोई शिकायत पेश नहीं की गई। अतः किसी जांच का प्रश्न नहीं उठता।

## ग्राम लाडपुरा (तहसील अजमेर) में चरागाहों पर अतिक्रमण

183. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम लाडपुरा तहसील अजमेर में नं. 722, 723, 586, 587 चरागाह है ?

(2) क्या यह भी सही है कि यह क्रमशः 3 बीघा 18 बिस्वा, 17 बीघा 16 बिस्वा, 1 बीघा 4 बिस्वा, 6 बीघा 16 बिस्वा हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्ष 76 में कुछ व्यक्तियों ने इन चरागाह पर अतिक्रमण किया है तथा बाड़े आदि बनाये हैं ?

(4) यदि हां, तो किन किन व्यक्ति ने कितना कितना रकबा अतिक्रमण किया हुआ हैं, सूची सदन की मेज पर रखें ?

(5) क्या सरकार इस अतिक्रमण को तुरन्त हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।
(2) जी हां।
(3) जी हां।
(4) सूची संलग्न है।

# Page No 36

(36)



(राजस्व मंत्री)

(5) जी हां : अतिक्रमणियों को हटाने हेतु जिलाधीश अजमेर कार्यवाही कर रहे है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

स्थगित प्रश्न

( दि. 12-3-76 )

**श्री गंगानगर के भूमिहीनों को राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि**

17. **श्री गुरदयालसिंह संधु** (करणपुर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान नहर क्षेत्र में आज तक कितने भूमिहीनों को कितनी भूमि बांटी गई? इसमें से जिला श्रीगंगानगर के भूमिहीनों को कितनी तथा श्रीगंगानगर के बाहर के भूमिहीनों को कितनी कितनी भूमि दी गई ?

(2) क्या सरकार जितनी भूमि श्री गंगानगर के बाहर के भूमिहीन लोगों को दी हैं उतनी ही भूमि श्रीगंगानगर के भूमिहीन निवासियों को दूसरे जिलों में देने के लिये तैयार है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

( स्थगित किया गया )

स्थगित प्रश्न

( दिनांक 13-3-76 )

**झालरापाटन लघु सिंचाई परियोजना का कार्य**

45. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालरापाटन लघु सिंचाई परियोजना का कार्य कब से शुरू हुआ, कितने साल में यह कार्य पूरा होना है और कितनी धनराशि इस योजना में लगनी है ?

(2) अब तक कितना रुपया इस योजना के लिये दिया जा चुका है ?

(3) 31 दिसम्बर, 75 तक ऐसे किन किन व्यक्तियों को कितने-कितने रुपये मंजूर हुए जिनमें एक एक किश्त दे दी गई? कृपया नाम, वल्दियत, ग्राम व रकम की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) 31 दिसम्बर 75 तक ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनका रुपया तो मन्जूर हो गया है परन्तु एक भी किश्त नहीं दी गई ? कृपया ऐसे व्यक्तियों के नाम, रकम तथा मन्जूरी की तारीख सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(5) ऐसे आवेदन-पत्र, जो 31 दिसम्बर 75 तक विचाराधीन पड़े हुऐ हैं, किन किन के तथा कितनी-कितनी रकम के हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) लघु सिंचाई योजना, झालरापाटन वर्ष 72-73 में स्वीकृत हुई इसका कार्य नवम्बर, 1972 से प्रारम्भ हुआ तथा प्रथम ऋण वितरण दिनांक 13-2-73 से प्रारम्भ हुआ। यह योजना 5 वर्षों में पूरी होकर अर्थात जून, 77 इसकी समाप्ति की तिथि है। इस योजना में 109.22 लाख रुपया ऋण वितरण का प्रावधान है।

(2) फरवरी, 1976 तक इस योजना के अन्तर्गत 54.40 लाख का ऋण वितरण किया जा चुका है।

(कृषि मंत्री)

(3) सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(4) सूची परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

(5) 31 दिसम्बर, 75 तक के कोई प्राप्त आवेदन-पत्र इस समय विचाराधीन नहीं हैं।

( सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई )

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 13-3-76)

श्री गंगानगर में गुरुद्वारे की भूमि

50. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला श्री गंगानगर में कितने सिखों के गुरुद्वारों की भूमि की खातेदारी गुरुद्वारों को दी जा चुकी है और कितनों को दी जाना अभी बाकी है और आज तक न दिये जाने का क्या कारण है ?

(2) क्या यह सच है कि सिखों के गुरुद्वारों की भूमि स्थाई व अस्थाई दूसरे अन्य लोगों को आवंटित की जा रही है ?

(3) क्या यह सच है कि चक 20 आर. बी. में गुरुद्वारे की भूमि का आवंटन किसी श्री बुद्धराम नामक व्यक्ति को कर दिया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) 35 गुरुद्वारों की भूमि की खातेदारी गुरुद्वारों को दी जा चुकी है तथा 260 गुरुद्वारों को खातेदारी दी जाना बाकी है नियमानुसार खातेदारी देने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त न होने के कारण इन्हें खातेदारी नहीं दी जा सकी और अब ये मामले सम्बन्धित उप जिलाधीशों के न्यायालयों में विचाराधीन हैं।

(2) जी नहीं।

(3) चक 20 आर. बी. में कोई गुरुद्वारा न होने के कारण गुरुद्वारों की भूमि का अस्थाई आवंटन श्री बुद्धराम को किया गया और अतिरिक्त जिलाधीश के निर्णय दिनांक 28-10-74 द्वारा इस भूमि को बदस्तूर बुद्धराम के नाम रखा गया।

## अनुपूरक अनुदान की मांगें

### वर्ष 1975-76 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : वर्ष 1975-76 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों ( द्वितीय संकलन ) के विवरण का उपस्थापन। वित्त मंत्री जी।

श्री जुझारसिंह (राज्य मंत्री, वित्त) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगें वर्ष 1975-76 (द्वितीय संकलन) के विवरण का उपस्थापन करता हूं।

## अनुदान की मांगें

### मांग संख्या 19, 20, 21 व 33 का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : अनुदान की मांगें। माननीय मंत्री जी।

श्री हीरालाल देवपुरा (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 19 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7 करोड़ 41 लाख 80 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 20 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1 करोड़ 9 लाख 22 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 21 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11 करोड़ 8 लाख 78 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, अकाल सहायता) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 33 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10 करोड़ 29 लाख 57 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

### मांग संख्या 19, 20, 21 व 33 पर कटौती प्रस्ताव

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) :

1. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259—लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्य करने वाले इंजीनियर्स एवं ओवरसियर्स के ट्रांसफर की नीति के अभाव से उनमें फैली हुई निराशा के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

2. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259—लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उपज मंडी समितियां एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों के समन्वय के लिए चर्चा के लिए)।

3. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर नगर की सड़कों की मरम्मत के लिए अपर्याप्त धनराशि आवंटन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

4. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर नगर के राइकाबाग रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण करने के संबंध में चर्चा के लिए)।

श्री दीपंकर (लाडनूं):

5. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259—लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग

(श्री दीपंकर)

में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ठेकेदारी प्रथा बन्द करने पर विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिए)।

6. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 283- आवास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कच्ची बस्तियों के व्यक्तियों के आवास-विहीन लोगों के लिए समुचित व्यवस्था कर पाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)

7. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337- सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाढ़ में क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण पर चर्चा के लिये)

8. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक, 289- प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यों में हुए घोटालों पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद)।

9. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259- लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लोक निर्माण कार्यों तथा पुल आदि कार्यों के ठेकेदारों के बिलों का समय पर भुगतान न करने व कमीशन लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)

10. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259- लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लोक निर्माण कार्यों के नाम पर होने वाले धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

11. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259- लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभागीय श्रमिकों को समय पर स्थायी न करने पर चर्चा के लिये)।

12. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337- सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जिले में प्रति वर्षा से जो सड़कें व पुलिया खराब हो गई है उन्हें शीघ्र तैयार कराने पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) :

13. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259-लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण विभाग में फैली अव्यवस्था से होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

14. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337- सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में सड़कों के सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289- प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता के अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने हेतु चर्चा के लिये)।

16. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289- प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता समय पर प्राप्त नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़):

17. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259–लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर में सड़कों के निर्माण में हुये गबन घोटालों से सम्बन्धित अधिशाषी जांच कमेटी की रिपोर्ट पर पूर्ण कार्यवाही न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 283-आवास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा सचिवालय कर्मचारियों के लिये पृथक से आवासीय भवनों का प्रावधान नहीं किये जाने से कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

श्री नाथूराम (बागीडोरा):

19 मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259–लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में आवागमन हेतु सड़कों व पुल के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

21. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289–प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिला में अकाल सहायता एवं बाढ़ की रोकथाम हेतु व्यापक योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर)
श्री बनवारीलाल (धौलपुर):

22. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259–लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय भवनों को उचित अनुरक्षण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)

23. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259–लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभागीय अधिकारियों की उचित देख-रेख के अभाव से विभाग द्वारा बनाये जाने वाले भवनों में लगाये जाने वाले घटिया साधनों पर चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259–लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में सरकारी कर्मचारियों को आवासीय मकान आवंटन में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

25. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 283–आवास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर की गन्दी बस्तियों की सफाई हेतु उचित योजनाबद्ध कार्य नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

26. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 283–आवास के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
(श्री बनवारीलाल)

रुपया कम कर दिया जाय (गन्दी बस्तियों की सफाई हेतु कोई अनुदान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

27. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आमेर से जयपुर तक के राज्य मार्ग की दयनीय दशा पर चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य मार्गों की दयनीय दशा पर चर्चा के लिये)।

29. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नेशनल हाई-वे 8 पर जयपुर की बड़ी चौपड़ से आमेर तक की सड़क की दयनीय दशा पर चर्चा के लिये)।

30. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289—प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सूखे क्षेत्रों में उचित जल व्यवस्था करने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289—प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सूखा ग्रस्त गांवों को सूखा ग्रस्त घोषित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : (बाड़मेर)

32. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259—लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

33. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259—लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में राजकीय भवनों की दुर्दशा की ओर विभाग का ध्यान आकर्षित करने हेतु चर्चा के लिये)

34. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 283—आवास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में अल्प एवं मध्यम आय वाले व्यक्तियों को आवासीय व्यवस्था के लिये सब से कम प्रावधान करने के कारण जनता में व्याप्त घोर असंतोष पर चर्चा के लिये)।

35. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 283—आवास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में वन जाति के लोगों को बसाने में राज्य सरकार द्वारा घोर उपेक्षा अपनाने पर चर्चा के लिये)।

36. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [बाड़मेर जिले में सीमावर्ती क्षेत्र में निम्न द्वितीय प्राथमिकता के आधार पर देश की सुरक्षा के लिए डामर सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर (1) बाड़मेर से हरसोणी वाया बैसाला (2) चोहटन से बालाजी

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

(3) रामसर से चोहटन (4) रामसर से गिराब पर चर्चा के लिये]।

37. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय(बाड़मेर जिले में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत बाड़मेर से बैसाली वाया जालेपा सड़क को सन् 75-76 में कम राशि के प्रावधान होने के कारण सड़क अधूरी रही जिसे आवश्यक राशि का प्रावधान करने की आवश्यकता पर और सन् 76-77 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त सड़कों को हरसोली तक स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

38. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में कवास से बाटाडू और वायतू से सवारू पदसी ग्रह ग्रेवल रोड को डामर रोड में परिणत किये जाने का प्रावधान गत साल अकाल राहत कार्यों में Plan की advance राशि से किया था जिसे Complete किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

39. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 2500 की आबादी के ग्रामों को पक्की सड़कों से जोड़ने की जो राज्य सरकार द्वारा नीति अपनाई गई है उस नीति में रेगिस्तानी क्षेत्र और कम आबादी के गांवों को देखते हुए 1500 की आबादी के गांवो को जोड़ने की नीति अपनाने पर बल और सन् 75-76 में उक्त जिलों में जितने गांव 2500 आबादी के हैं उन्हें ग्रामों की संख्या के अनुपात में राशि की स्वीकृति देने की नीति से इन पिछड़े जिलों को और पिछड़ा रखा है जिस पर चर्चा के लिये)।

40. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम एवं योजना के अन्तर्गत सन् 76-77 के लिये सड़कों की स्वीकृति में उपेक्षा की नीति अपनाई जाने के कारण असंतोष प्रकट होने पर चर्चा के लिये)।

41. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर नगर की सड़कों की दयनीय स्थिति हेतु अनुदान दिलाये जाने पर चर्चा के लिये)।

42. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में जो सड़कों के निर्माण के लिये योजनाओं में प्रावधान किया जाता है वह अपर्याप्त है और उससे अन-बेलेन्सेज क्रियेट होता है अतः इस पर चर्चा के लिये)।

43. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर से जोधपुर सड़क पर सिणधरी एवं बालोतरा के पास लूणी नदी पर वांछित पुलों के बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

44. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले की सड़कों की मरम्मत के लिये कम प्रावधान होने के कारण एवं अकाल राहत कार्यों में बनाई गई सड़कों के लिये कोई मरम्मत की व्यवस्था न होने के कारण सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

45. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर से जोधपुर वाया सिणधरी सड़क पर लूनी नदी की बाढ़ आ जाने के कारण पुल की आवश्यकता है, गत साल अकाल राहत कार्यों में उक्त कार्य की स्वीकृति भी दी गई थी पर कार्य पूरा नहीं कराया गया, अतः उक्त पुल को योजना के अन्तर्गत सन् 76-77 में स्वीकृति देकर निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

46. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले की दूसरी प्राथमिकता के आधार पर सीमावर्ती सड़कों बाड़मेर से हरसाणी वाया बैसला, रामसर से गिराब रामसर से चोहटण एवं चोहटण से बाखासर को सुरक्षा सड़कों में सम्मिलित कराने के लिये राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार पर प्रभाव डालने में कमजोरी बरतने पर चर्चा के लिये)।

47. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289-प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में गत साल अतिवृष्टि से और लूनी नदी की बाढ़ से 36 लाख रुपये की सड़कों के टूटने पर भी सहायता विभाग की उदासीनता के कारण असन्तोष व्यक्त करने के लिये चर्चा के लिये)।

48. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289-प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में सन् 1974-75 के अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बकाया मजदूरी न देने के कारण मजदूरों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

49. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289-प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल के स्थायी हल के लिये राज्य सरकार द्वारा जो अपर्याप्त कदम उठाये जा रहे हैं उन पर चर्चा के लिये)।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जौहरी बाजार, जयपुर) :

50. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259-लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़कों के निर्माण में उच्च अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले भेद-भाव पर चर्चा के लिये)।

51. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 283-आवास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सचिवालय कर्मचारियों के लिये पृथक से आवासीय व्यवस्था की उपेक्षा एवं उदासीनतापूर्ण नीति पर चर्चा के लिये)।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

52. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर से जो सड़कें अन्य शहरों में जाती हैं उन पर पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289-प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता के निर्माण कार्य योजनाबद्ध करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री केशरीमल (ब्यावर):

54. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259-लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधिकारियों की देख-रेख के अभाव के कारण सड़कों के निर्माण में पूरा मेटेरियल न लगाने पर चर्चा के लिये)।

55. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259-लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

56 मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259-लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा सड़कों की मरम्मत कराने में रही असफलता पर चर्चा के लिये)।

57. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 283-आवास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण आवास-स्थल योजना में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

58. संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर क्षेत्र में सड़कों को, देवाल व इकोवारा सरूफागाफा किशनपुरा वाली । बोर्डर, बराखन-बुद्दालेश्वर, भिजवारा रोड से देवाखेडा तक भीलवाडा रोड़ देवता रोड को अधूरी छोड़ देने पर चर्चा के लिये)।

59. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा ब्यावर क्षेत्र में एक भी सड़क का निर्माण न करने पर चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर कोटडा कावरा रोड पर थूनी थाक गांव के पास पुल न बनवाने पर चर्चा के लिये)।

61. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर गोला रोड पर नून्दरी नदी पर पुल न बना पाने पर चर्चा के लिये)।

62. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289-प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्य के समय तुड़ाई गई गिट्टी आदि के हिसाब में हुए गबन पर चर्चा के लिये)।

(श्री केशरीमल)

63. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289-प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर क्षेत्र में हुए अकाल राहत कार्य पर काम करने वाले श्रमिकों को मजदूरी न चुकाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

64. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289-प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल के समय अधूरे रहे सड़कों के कार्य ब्यावर क्षेत्र में पूरे न कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

65. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289-प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्य में हुए सड़कों के कार्य में कम्प्रेशर मशीन वालों को पैसा बिना हिसाब देने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

66. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259-लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में सरकारी भवनों की मरम्मत करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

67. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 283-आवास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में आवासीय भू-खण्डों के आवंटन में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

68. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लूणी नदी जेतपुरा नदी एवं अकोली नदी पर पुल या रपट बनाने एवं सांचोर तहसील में सड़कों की मरम्मत एवं ग्राम पंचायत केन्द्रों की एप्रोच सड़कें बनाने में सरकार की घोर उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

69. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289-प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सांचोर में अकाल राहत कार्यों पर लगे मजदूरों की बकाया मजदूरी का भुगतान कराने एवं अकाल राहत एवं बाढ़ में क्षतिग्रस्त अधूरे कार्यों की मरम्मत एवं पूरा करवाने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवामहल जयपुर)

70. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259-लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग के भवनों के उचित व ठीक समय पर निरन्तर देख-भाल न होने वाले नुकसान पर चर्चा के लिये।

71. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 283-आवास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर नगर के निवासियों की आवास समस्या को हल करने में असफलता पर चर्चा के लिये)।

72. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 283-आवास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर नगर की कच्ची बस्तियों व अन्य बस्तियों में बसने

# Page No 46

(५६)



(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

वाले लोगों को नि: शुल्क भू-खण्ड आवंटन किये जाने पर चर्चा के लिये ) ।

73. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 283–आवास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( जयपुर नगर की समस्त कच्ची एवं गन्दी बस्तियों में आवास के लिये भू-खण्ड अभी तक नहीं दिये जा सकने पर चर्चा के लिये ) ।

74. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर नगर के प्रमुख बाजारों की सड़कों पर प्रतिवर्ष डामर व मरम्मत न किये जाने पर चर्चा के लिये ) ।

75. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337– सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( राजस्थान में अन्य पड़ौसी राज्यों की तुलना में सड़कों के अभाव पर चर्चा के लिये ) ।

76. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337– सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया ( जयपुर नगर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों की मरम्मत ठीक समय पर नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये ) ।

**श्री मोहरसिंह (चूरू)**

77. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259-लोक निर्माण कार्यों के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( चूरू जिले में सरकारी भवनों की मरम्मत की कमी के बारे में चर्चा के लिये ) ।

78. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया ( चूरू से सरदार शहर एवं चूरू से तारानगर सड़क निर्माण में देरी पर चर्चा के लिये ) ।

79. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( राजगढ़ से बहल सड़क के निर्माण में अनावश्यक विलम्ब पर चर्चा के लिये ) ।

80. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( चूरू जिले में वर्षा से सड़कों की दुर्दशा एवं मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ) ।

**श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी):**

81. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259– लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( राजस्थान में लोक निर्माण विभाग में आज कितने ही मन्दिर व पुरानी इमारतें हैं जो केन्द्रीय पुरातत्व विभाग को सौंपी जानी है, इस पर चर्चा के लिये ) ।

82. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259–लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( बूंदी जिले में लोक निर्माण विभाग द्वारा सम्पादित कराये जाने वाले कार्यों की उचित देखभाल के अभाव पर चर्चा के लिये ) ।

83. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259– लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिये वर्षों से राजकीय आवासीय योजना न बनाये जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ) ।

(श्री राजेन्द्र भारतीय)

84. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 283-आवास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के जिस प्रकार बड़े बड़े शहरों में आवासीय भवनों का निर्माण किया जा रहा है उसी तरह बून्दी शहर में भी इस योजना को प्रारम्भ करने पर चर्चा के लिये)।

85 मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले में सड़कों एवं पुलों के निर्माण को प्राथमिकता देने हेतु चर्चा के लिये)।

86. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा बून्दी के मध्य चम्बल नदी पर पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

87. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में सड़क व्यवस्था की कमी व दुर्दशा खास तौर से जयपुर से झालावाड़ तक की रोड़ व्यवस्था में सुधार करने हेतु चर्चा के लिये)।

88. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [बून्दी जिले में नवाना से गरणदा बून्दी तहसील की पक्की (डामर) रोड बनाने हेतु चर्चा के लिये]।

89. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 209-प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में अकाल राहत में अब तक व्यय किये गये धन के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

श्री किशोरीलाल शर्मा (सलूम्बर) :

90. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259-लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर विभागीय कार्य कराने में उच्च अधिकारियों की देख-रेख के अभाव पर चर्चा के लिये)।

91. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सलूम्बर क्षेत्र में सड़क व पुल बनाने में उपेक्षा बरतने पर चर्चा के लिये)।

92. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289-प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल को रोकने में सरकार द्वारा कोई योजना नहीं बनाने पर चर्चा के लिये)।

श्री भोमाराम चौधरी (डीडवाना):

93. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259-लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों का सड़कों के निर्माण कार्यों की ओर ध्यान न देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री रतीराम यादव (तिजारा) :

94. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259-लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग

(श्री रतीराम यादव)

में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

95. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 283-आवास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में आवास की समस्या हल करने में सरकार द्वारा व्यवहारिक दृष्टिकोण न अपनाने पर चर्चा के लिये)।

96. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में सड़कें पहले और पुल बाद में बनाने की गलत नीति से होने वाली हानि पर चर्चा के लिये)।

97. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर से तिजारा मोटर मार्ग की सड़क को चौड़ा करा के मरम्मत कराने में सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति पर चर्चा के लिये)।

98. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर से अलवर तक स्टेट हाई वे की जर्जरित हालत की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु चर्चा के लिये)।

99. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289-प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (साबी नदी की बाढ़ से अलवर जिले की कोटकासिम सब-तहसील में होने वाली हर वर्ष धन-जन की हानि को रोक पाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

100. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289-प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता कार्यों में होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने और दोषी व्यक्तियों को दंड देने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

101. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289-प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल की भयंकरता से राजस्थान की जनता को स्थायी रूप से राहत देने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री जेठमल आर्य (रेवदर) :

102. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259— लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माउन्ट आबू के सहायक अभियन्ता के कार्यालय में सरकारी धन के दुरुपयोग होने पर चर्चा के लिये)।

103. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिरोही जिले में रोडों की मरम्मत नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

104. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिरोही जिले में वास से भटाना तक रोड व पुलिया नहीं बनायी जा रही है, उस पर चर्चा के लिये)।

(श्री जेठमल आर्य)

105. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337— सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिरोही जिले में सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री ओंकारलाल चौहान (डग)

106. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259—लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

107. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़कों की दशा खराब होने पर भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

108. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337— सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

109. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भवानी मंडी से चौमहला जिला झालावाड़ की सड़क की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

110. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पच पहाड़ ग्राम तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ में डिपार्टमेंटल पुलिया अभी तक नहीं बनी है और देरी की जा रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

111. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337— सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डग तहसील गंगधार जिला झालावाड़ से दूधालिया तक सड़क की बुरी दशा पर चर्चा के लिये)।

112. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337— सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डग तहसील गंगधार जिला झालावाड़ से सुवांसरा तक सड़क की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

श्री जयनारायण रोत (लसाड़िया)

113. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259— लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला मुख्यालय उदयपुर से 20 कि.मी. दूर स्थित धरियावद में एक डाक बंगले के निर्माण पर चर्चा के लिये)।

114. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337— सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धरियावद तहसील को चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं उदयपुर जिला मुख्यालय से जोड़ने हेतु सड़कों के निर्माण हेतु चर्चा के लिए)

115. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289-प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम भरेव तहसील धरियावाद जिला उदयपुर में जनवरी, फरवरी माह 76 में हुई ओला वृष्टि से रबी की

(श्री जयनारायण रोत)

समस्त फसल के नष्ट हो जाने से वहां के किसानों को राहत दिलाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री हाजीखान मोहम्मद (पिड़ावा) :

116. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259-लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ की तहसील पिड़ावा के सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 283-आवास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गरीबों को मकान के लिए जो भूमि दी गई है वह अपर्याप्त है उस पर चर्चा के लिये)।

118. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील पचपहाड़ के ग्राम खोद के पास रेवा नदी पर पुलिया बनाने के सम्बन्ध में व तहसील पिड़ावा पिलिया खाल की पुलिया और टूटी हुई सड़कों एवं क्रेस प्रोग्राम में सड़कें बनवाना शुरू किया था वह कार्य अधूरा रह गया इसके सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनू) :

119. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259-लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में होने वाली फिजूल खर्ची रोकने हेतु चर्चा के लिये)।

120. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनू जिले में सड़कों की खराब हालत पर चर्चा के लिये)।

121. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनू व सीकर स्टेट हाई वे की खराब हालत पर चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289-प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल का स्थायी हल खोज कर योजनानुसार कार्य करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) :

123. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259-लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा सरकारी भवनों के विस्तार और मरम्मत पर सरकार द्वारा उदासीन नीति अपनाने पर चर्चा के लिये)।

124. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 283-आवास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बालोतरा और पचपदरा में सरकारी आवास भवन योजना के अभाव से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

125. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले की सड़कों के सुधार और मरम्मत पर

(श्रीमती मदनकौर)

सरकार की नितान्त उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम):

126. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 283—आवास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( अजमेर शहर में अल्प आय वर्ग की आवास समस्या को हल करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये )।

127. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( अजमेर शहर की सड़कों की दयनीय हालत पर चर्चा के लिए )।

128. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289—प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( पिछली वर्षा ऋतु में बाढ़ से अजमेर में जान व माल के नुकसान के कारणों पर एवं आगे के लिए समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिए )।

129. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289—प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( बाढ़ से अजमेर में हुए नुकसान की पूर्ति के लिए अपर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता दी गई इस पर चर्चा के लिये )।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फ़ागी):

130. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 283—आवास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( ग्रामीण एवं शहरी आवास योजनाओं को समय पर पूर्ण नहीं करने पर चर्चा के लिए )।

131. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 283—आवास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( ग्रामीण आवासीय भूखण्ड आवंटन किये गये उनमें हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिए )।

132. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( चाकसू से फागी रोड़ को तुरन्त डामर की कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये )।

133. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( राजस्थान में सड़कों एवं पुल की खराब स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये )

134. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( जयपुर जिले के प्रत्येक गांव को सड़क से नहीं जोड़ने पर चर्चा के लिये )।

135. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( फागी तहसील में मासी नदी एवं बांडी नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये )।

136. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( चाकसू तहसील में ढूंढ नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये )।

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

137. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337- सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फागी एवं चाकसू तहसीलों में अकाल के समय जो सड़कें बनी थीं उन्हें पूरी बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

138. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337--सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर से टोंक रोड को दोनों तरफ से चौड़ी कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

139. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337--सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर से मालपुरा रोड को दोनों ओर से चौड़ी कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

140. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289--प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता से रहे अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने में विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

141. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289--प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील फागी के ग्राम हरसूलिया के मजदूरों को अकाल राहत कार्यों की मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन):

142. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 283- आवास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी में पटवार सर्किलों पर पटवार घरों का निर्माण राजकीय आवास में सम्मिलित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

143. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337– सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बूंदी में ग्राम सरवर से इन्द्रगढ़ तक सड़कों का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

144. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केशवरायपाटन रंगपुर कोटा को जाने वाली सड़क की अत्यन्त खराब हालत पर चर्चा के लिये)।

145. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी जिले की बूंदी से नैनवा खटकड में लाखेरी इन्द्रगढ़ से सवाई माधोपुर, तालेडा से केशवरायपाटन को जाने वाली सड़कों की मरम्मत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

146. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी में गेन्डोली से झालीजी कावराना चतुराका खेड़ा से स्टेशन कापरेन तक सड़क नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

147. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में

(श्री नन्दलाल बैरवा)

से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बूंदी के ग्राम झालीजी के बराने के निकट मेज नदी पर पुल नहीं होने से ग्राम जनता को होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

148. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बूंदी में विश्व बैंक की सहायता से बनने वाली सड़कें लवान से कापरेन सटकड से बूंदी रोड़ केशवरायपाटन से कोटा का कार्य धीमी गति से चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

149. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केशव-राय पाटन के पास चम्बल नदी में अब तक पुल का निर्माण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट):

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):

150. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 283—आवास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में आवास समस्या के समाधान हेतु व्यवहारिक दृष्टि-कोण न अपनाने पर चर्चा के लिये)

151. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [लाल-सोट (जयपुर) के पास लालसोट दौसा रोड पर पहाड़ के घाटे की सड़क को चौड़ा करने वाले कार्य को शीघ्र पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये]।

152. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाल-सोट–गंगापुर रोड लालसोट से मण्डावरी तक बिल्कुल खराब पड़ी सड़क उसको नई बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

153. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [(1)लाल-सोट-दौसा (2) लालसोट–सवाई माधोपुर (3) लालसोट-गंगापुर (4) लालसोट-कोथून सड़कों को चौड़ा कर सुधारने की आवश्य-कता पर चर्चा के लिये]।

154. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में सड़कों के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

155. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खान-मांकरी-कुण्डल रोड को पूरी न करने के बारे में चर्चा के लिये)।

156. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा–सिगवाड़ा सड़क को पूरा न कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री नत्थासिंह (नदबई):

157. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 283– आवास के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्री नत्थासिंह)

रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय आवास भवनों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

158. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337— सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बयाना से भरतपुर की सड़क की दयनीय स्थिति तथा गम्भीरी नदी पर पुल बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

159. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337— सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर जिले में बातूआ के पास गम्भीरी नदी पर पुल बनवाने हेतु चर्चा के लिये)।

160. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337— सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर जिले की सड़कों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये)।

161. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289— प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर जिले में बाढ़ रोकने हेतु स्थायी हल निकालने के संबंध में चर्चा के लिये)।

**श्री शंकरलाल (पाली):**

162. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 283— आवास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली नगर में भाटक आवास योजना के अभाव पर चर्चा के लिये)।

163. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337— सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली नगर के समीप बांडी नदी का पुल निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

164. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337— सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर से— सुमेरपुर की सड़क को चौड़ी करने के कार्य में शिथिलता व अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

165. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337— सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कर दिया जाय (पाली— सुमेरपुर रोड पर जैतपुरा से खैंड की स्वीकृत सड़क का कार्य ठीक तौर पर नहीं चलने पर चर्चा के लिये)।

166. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337— सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली से खैरवा सड़क पर उतवण के पास नदी के टूटे बाढ़ ग्रस्त पुलियां का निर्माण अभी तक न होने पर चर्चा के लिये)।

167. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289— प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता के अन्तर्गत पाली तहसील में बनी सड़कों को पूरी कराने व मरम्मत कराने पर चर्चा के लिये)।

**श्री गुरदयाल सिंह सन्धु (करणपुर):**

168. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 283— आवास के अन्तर्गत मांग में से 100

# Page No 55

(55)



(श्री गुरदयाल सिंह संधु)

रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर शहर में ए माइनर के साथ बैठे हुए कमजोर वर्ग के हरिजनों को आज तक भू-खण्ड आवंटित न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

169 मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (करणपुर गर्जसिंहपुर सड़क का कार्य जारी न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

170. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पदमपुर केशरीसिंहपुर सड़क बनाने हेतु चर्चा के लिए)।

171. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर पदमपुर-रायसिंहनगर की सड़क की मरम्मत कराने हेतु चर्चा के लिए)।

172. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर-करणपुर सड़क की मरम्मत करने हेतु चर्चा के लिए)।

173. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (करणपुर पदमपुर सड़क की मरम्मत करवाने हेतु चर्चा के लिए)।

174. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पदमपुर सी. सी. हैड हनुमानगढ़ सड़क की मरम्मत करवाने हेतु चर्चा के लिए)।

175. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पदमपुर-बुढ़ा जोड़ सड़क निर्माण कार्य को पूरा न करने बाबत चर्चा के लिए)।

श्री हुकमसिंह (शिव):

176. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 283-आवास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर स्थित सचिवालय कर्मचारियों के लिए पृथक से आवासीय व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर):

177. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 283—आवास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य कर्मचारियों के लिए पृथक से आवासीय व्यवस्था हेतु योजना के अभाव पर चर्चा के लिए)।

178. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगापुर हिण्डौन के मध्य में गम्भीरी नदी पर पुल बनाने हेतु चर्चा के लिए)।

179. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर को अन्य मार्गों से जोड़ने वाली सड़कें गंगापुर-सवाई माधोपुर

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

रोड को शीघ्र डामर रोड बनाने हेतु चर्चा के लिए ) ।

180. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( नादोती श्री महावीर जी सड़क पर डामर कारपेट का कार्य शीघ्र करने हेतु चर्चा के लिए ) ।

181. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289-प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गत वर्ष अकाल सहायता के अन्तर्गत किये गये कार्य सिचाई के छोटे 2 तालाब शेखपुरा का प्रोस्ट्रीया का तालाब जिन पर अधूरे कार्य हुए हैं उनको पूर्ण करवाने के क्रम में चर्चा के लिए ) ।

श्री रामगोपाल (किशनगंज) :

182. मांग सख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( कोटा जिले की सड़कों की दुर्दशा व आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों की सुविधा उपलब्ध कराने में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए ) ।

183. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( कोटा जिले में सड़कें व पुलों के अभाव पर चर्चा के लिये ) ।

184. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भंवरगढ़ से नाहरगढ़, बांरा वाया जलवाड़ा नाहरगढ़, लालपुर से अकलेरा वाया छीपाबड़ौद रोड को अभी तक पक्का बना कर डामर नहीं बिछाया गया इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

185. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मांगरोल से सुरथागरोड़, मांगरोल से रामगढ़ रोड व विश्व बैंक की योजना के अन्तर्गत बनाये जाने वाले सड़कों को नहीं बनाने और रास्तों में नहरों पर पुल बनाने हेतु चर्चा के लिये) ।

186. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रामगढ़ सड़क जिला कोटा को अभी तक पक्का नहीं बनाया इस समस्या पर चर्चा के लिये) ।

187. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा कस्बा थाना रोड पर समरकिया से काला थाना तक डामर का कार्य अभी तक नहीं किया गया इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) :

188. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले की बानसूर तहसील की जनता के बार बार मांग करने पर भी नई सड़कों के निर्माण की स्वीकृति नहीं देने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये) ।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन):

189. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ की सड़कों की खस्ता हालत की में अधूरी सड़कें पूरी कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

190. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर, कोटा, झालावाड़, भोपाल मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग घोषित कराने के संबंध में चर्चा के लिये)।

191. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में काली सिंध व अरणिया नदी पर पुल ऊंचे न होने से बरसात में भारी परेशानी होने पर चर्चा के लिये)।

श्री नानालाल (राजसमंद) :

192. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील रेल मगरा में कुरज के पास बनास नदी पर बना हुआ पुल बाढ़ से टूट जाने से वापस बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

193. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कांकरोली से रेल मगरा सड़क का कार्य कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) :

194. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक जिले की सड़कों के लिये धनराशि उपलब्ध नहीं कराने एवं उनका सुधार नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

श्री अजीतसिंह (टोंक) :

195. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्षा से खराब हुई सड़कों की मरम्मत हेतु चर्चा के लिये)।

श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ) :

196. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बैराठ से प्रातेला वाया छीतोली एवं अमरसर से विलाम्बरपुर सड़क निर्माण नहीं कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

197. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, (कस्बा बैराठ, मनोहरपुर तहसील, विराटनगर में अप्रोच रोड निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये)।

198. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामोद से अमरसर सड़क के निर्माण कार्य को 12 वर्ष में भी पूरा नहीं किए जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

199. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289—प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री हनुमानसहाय व्यास)

कम कर दिया जाय (प्रतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त बाधावास चौरासी के बांध की मरम्मत कराने में विभागीय निष्क्रियता पर चर्चा के लिये)।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

200. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337— सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गोरधनपुरा से राजनौता सड़क बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

201. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रागपुरा से पाछोडाला सड़क बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

202. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 - सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पावटा से कल्याणपुरा सड़क बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री श्रीनिवास शारदा (निम्बाहेड़ा):

203. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निम्बाहेड़ा से बड़ी सादड़ी, नीमच से छोटी सादड़ी, निम्बाहेड़ा से केली एवं भावनिया से लसडावन तथा छोटी सादड़ी से गणेशपुरा की अपूर्ण सड़कों को पूर्ण कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) :

204. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337— सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सालपुरा कवाई से छबड़ा सड़क पर अंधेरी नदी पर पुल निर्माण हेतु चर्चा के लिये)।

205. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सालपुरा कवाई से छबड़ा सड़क जिनके अवशेष मात्र ही रह गये हैं के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है इस पर चर्चा के लिये)।

206. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 —सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हरलावदा शाहजी से कलमोदिया होती हुई अकलेरा सड़क निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये)।

207. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337— सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सालपुरा से छीपा बड़ौद अकलेरा की सड़क की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

श्री विजयसिंह राठौड़ (मांडल) :

208. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा जिले की अधूरी सड़कों को पूरा करने पर चर्चा के लिये)।

209. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289–प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर

(श्री विजयसिंह राठौड़)

दिया जाय (अकाल सहायता के अधूरे कार्यों को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये)।

210. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़कों की मरम्मत पर वान्छित बजट प्रावधान नहीं नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

211. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माण्डल तहसील के ग्राम भेसवा तक सड़क बनाने पर चर्चा के लिये)।

श्री गोकुलचन्द (कठूमर) :

212. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कठूमर घोसराणा (जिला अलवर) की 12 मील लम्बी सड़क को 15 साल में भी पूरा नहीं किये जाने से क्षेत्र की जनता में व्यापक असन्तोष पर चर्चा के लिये]।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) :

213. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के ज्यादा विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री देवीलाल (सराड़ा) :

214. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में नठारापाल मंचोली एप्रोच सड़क, रेलवे स्टेशन से डीगरी, थाना, नठारापाल वामनियापला एप्रोच सड़क पर चर्चा के लिये)।

215. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में एप्रोच सड़क खरवर से पर नेशनल हाई वे रोड तक एवं बलोदरा से एप्रोच सड़क जावर माइन्स तक निर्माण कराने पर चर्चा के लिये)।

216. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयसमन्द रोड रेलवे स्टेशन से जोड़े जाने वाले गांव सल्लाड़ा के पास गोमती नदी पर पुल निर्माण कराने पर चर्चा के लिये)।

217. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा एप्रोच सड़क नठारा की पाल वामनिया पला तक निर्माण कराई जाकर आदिवासियों को लाभ दिलाने पर चर्चा के लिये)।

218. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा से सेमारी कल्याणपुर सड़क, सराड़ा से दलुवा सड़क के निर्माण कराने पर चर्चा के लिये)।

219. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289–प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर

Page No 60

(60)



(श्री देवीलाल)

दिया जाय (जिला उदयपुर तहसील सराड़ा में अकाल सहायता द्वारा चलाये गये अधूरे कार्यों को पूरे कराने पर चर्चा के लिये)।

220. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289-प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता के अन्तर्गत जिला उदयपुर तहसील सराड़ा में आदिवासी क्षेत्रों में एप्रोच सड़कें एवं लघु सिंचाई योजनाओं के अधूरे कार्य को पूरा कराने पर चर्चा के लिये)।

श्री रावतराम आर्य (छापर) :

221. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( विभाग द्वारा आवागमन हेतु सड़कों की समुचित व्यवस्था नहीं कराने पर चर्चा के लिये )।

222. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289— प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता के अन्तर्गत लिये गये अधूरे कार्यों को पूरा करवाने हेतु व अकाल की स्थायी रोकथाम की व्यवस्था पर चर्चा के लिये )।

श्री शंकर लाल जाट (कपासन) :

223. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337— सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ जिले में जहां सड़कें बन चुकी हैं परन्तु पुलिया नहीं बनी हैं उनको शीघ्र बनाई जाने पर चर्चा के लिये )।

224. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337— सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( चित्तौड़गढ़ बड़ी सादड़ी वाया भवसेर भासावरा मावा, निकम्भ सड़क को पूर्ण कराने पर चर्चा के लिये )।

225. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337— सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ जिले में कपासन से भादसोड़ा सड़क को पूर्ण करने के विषय पर चर्चा के लिये )।

226. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289— प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव चारण खेड़ी तहसील बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ को बाढ़ से बचाने के लिये पानी के कटाव को रोकने पर चर्चा के लिये )।

श्री भीमसेन ( लूणकरणसर) :

227. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक, 337— सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नापासर— गुसाईसर कंकर की सड़क को सुधार कर डामर कराने पर चर्चा के लिये)।

श्री रामलाल (वाड़ी) :

228. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337— सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़ी से सरमथुरा की सड़क निर्माण कराने तथा पुल के निर्माण कराने तथा पुल के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये )।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) :

229. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337— सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेगिस्तानी क्षेत्र में सफेद क्रांति को सफल बनाने के लिए सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री जेठमल बरवड़ ( परबतसर ) :

230. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337— सड़कें और पुल के अन्तंगत मांग में से 100 रुपया कर कर दिया जाय (परबतसर से हरसौर सड़क एवम् पीपलाद से पुष्कर रोड पर डामर डलवाने के संबंध की चर्चा के लिये )।

231. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289— प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( नागौर जिले में अकालग्रस्त ग्रामों में शीघ्र ही राहत कार्य खोलने के संबंध में चर्चा के लिये )।

श्री रमेश चन्द्र सैनिक (हिण्डोली) :

232. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337- सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( बून्दी के हिण्डोली क्षेत्र में सड़कें एवं पुलों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये ) ।

233. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337- सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( बून्दी जिले में सड़कों के अभाव पर चर्चा के लिये )।

234. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 - प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( बून्दी जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत किये गये कार्यों में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये )।

श्री चेतराम (टोडाभीम) :

235. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर, अलवर राज्य मार्ग की टूटी दुर्दशा, बाढ़ द्वारा टूटी सड़कों की मरम्मत न करना तथा सड़कों पर पुल न होने के कारण सवाईमाधोपुर मुख्यालय बरसात में आवागमन से कट जाता है इससे उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

236. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई-माधोपुर जिले में सड़कों की दुर्दशा तथा राजकीय उच्च मार्ग सवाईमाधोपुर अलवर मार्ग की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

237. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289-प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नादोती तहसील के गंगापुर तालाचेडा, नादोती, महावीरजी सड़कें बाढ से टूट गई है इनकी मरम्मत कराने व उन सड़कों पर पुल न होने से वर्षाकाल में आवागमन बन्द हो जाता है इस पर चर्चा के लिये)।

238. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में

(श्री चेतराम)

से 100 रुपया कम कर दिया जाय [वामनवास से गठमोरा (सवाई माधोपुर) की काफी पुरानी अधूरी पड़ी सड़क के पूर्ण करवाने व नादौती गठमोरा दौसा सड़क को पूर्ण कराने तथा मरम्मत कराने पर चर्चा के लिये) ।

श्री उम्मेदीलाल (हिंडौन) :

239. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( क्षेत्र हिन्डौन में सड़कों के अभाव पर चर्चा के लिये) ।

240 मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय(क्षेत्र हिन्डोन की सडकों की दयनीय दशा पर चर्चा के लिये ) ।

241. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289-प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय(क्षेत्र हिन्डौन की जनता जो अकाल से पीडित है उसे उचित राहत नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये ) ।

श्री सांवरमल मोर (श्री माधोपुर) :

242. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनायी गयी सड़कों की समय समय पर मरम्मत न कराने से आवागमन में हो रही असुविधाओं पर चर्चा के लिये ) ।

243. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289-प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( अकाल राहत के अन्तर्गत व बाढ़ से हुई हानि पर अब तक राहत हेतु कोई कार्य सम्पादन न करने पर चर्चा के लिये) ।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) :

244 मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालौर एवं बाड़मेर जिलों में सड़कों के विकास हेतु चर्चा के लिये ) ।

245 मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289-प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालौर जिले में बाढ़ की रोकथाम एवं अतिवृष्टि के कारण हुए कार्यों की धीमी गति पर चर्चा के लिये)

श्री गोरीशंकर मुनीम (खानपुर) :

246 मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 387-सड़कों और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले की सड़कों व पुलियाओं के अभाव पर चर्चा के लिये ) ।

247 मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289-प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( झालावाड़ जिले में अकाल सहायता व क्रेस प्रोग्राम में अधूरे कार्य पूरे करने के विषय में चर्चा के लिये ) ।

श्री प्रद्युम्नसिंह ( राजाखेड़ा ) :

248 मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर जिले की सड़कों को खराब हालत की तरफ ध्यान दिलाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री नारायण सिंह (दांताराम गढ़) :

249. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले में सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये।

श्री विद्यासागर (खेरवाड़ा) :

250. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में, से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छानी भांभरी तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर की सड़कों को पक्की बनाने व पुलिया निर्माण हेतु चर्चा के लिये)।

251. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छानी रानी सड़क तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर को पक्की बनाने व पुलिया के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा) :

252. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337- सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में, से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सादुलपुर से सिरसा वाया भादरा हरियाणा की सीमा तक सड़क की अर्न्तराज्यीय एवं आर्थिक महत्व की सड़क होने से स्वीकृति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये )।

253. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289-प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डूंगरगढ़ से बाएं अकाल राहत कार्यों में स्वीकृत सड़क को योजना में सम्मिलित करवाने के सम्बन्ध में )

254. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259—लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( राजस्थान में सड़क निर्माण के कार्यों में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करके विभाग द्वारा निर्माण कार्य शुरू कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री मनोहरलाल (कामां) :

255. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337— सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पहाड़ी से रीवा जाने वाली सड़क पर पहाड़ी से दो किलोमीटर हरियाणा राज्य ने दिल्ली जाने हेतु जो सड़क निर्मित की है उस सड़क पर राजस्थान के तीन किलोमीटर भाग में सड़क बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

256. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम नोनेरा, वरौली धाउ व फतहपुर की सड़क निर्माण करने कामां व पहाड़ी से जोड़ने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री भैंरूलाल (भकलेरा) :

257. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से

# Page No 64

(64)



(श्री भैरूलाल)

100 रुपया कम कर दिया जाय ( अकलेरा मनोहरथाना बस-मार्ग की दयनीय स्थिति को देखते हुए डामर मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु चर्चा के लिये) ।

258. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिला क्षेत्रान्तर्गत अकलेरा से बीनागंज वाया मनोहरथाना मार्ग में पुलियाओं एवं मार्ग की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये)।

259. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हरनावदा शाहजी से मनोहरथाना कच्चे मार्ग का निर्माण विभागाधीन लिया जाकर पक्का मार्ग निर्माण कराये जाने हेतु चर्चा के लिये) ।

260. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289—प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( अकाल सहायतार्थ चलाये गये अपूर्ण निर्माण कार्यों को विभागाधीन लिये जाकर उनको सम्पन्न कराये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

261. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289—प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मनोहरथाना कस्बा के बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को आवासीय भवन हेतु स्वीकृत ऋण के धन का दुरुपयोग रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) :

262. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोडारायसिंह नगर से अजमेर व टोंक जाने वाली सड़क की दयनीय दशा पर चर्चा के लिये)।

263. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मोर से सेवारिया तक, टोडारायसिंह से झिराना तक, टोडारायसिंह से मालेड़ा तक डामर रोड बनाने हेतु चर्चा के लिये) ।

264. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोडारायसिंह से झिराना रोड़ पर सहोदरा नदी पर व टोरडी सागर की चादर पर पुल बनाने की चर्चा के लिये)।

श्री भरतलाल (बामनवास) :

265. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बामनवास से गढ़मोरा सवाई माधोपुर की अत्यन्त महत्वपूर्ण काफी पुरानी अधूरी सड़क को पूरा कराने के लिये चर्चा के लिये) ।

श्री शिवनारायण ( बारां ) :

266. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( जिला कोटा के फेयर वेदर रोडों को पी. डब्ल्यू. डी. में लिए जाने के चर्चा के लिये)।

(श्री शिवनारायण)

267. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (काली सिंध नदी व पार्वती नदी पर पुलियायें बनाने के लिये चर्चा के लिये)।

268. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां से मांगरोल सड़क की मरम्मत व डामर किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

269. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला कोटा से मध्य भारत को जोड़ने के लिये पार्वती नदी पर किसी भी जगह पुलिया बनाने व मांगरोल से सुरथार सड़क को मध्य भारत से जोड़ने के लिये एवं वहां पर पार्वती नदी पर पुल बनाने के लिये चर्चा के लिये)।

270. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला कोटा में स्टेट टाइम की पुलिया एवं कलवर्ट और सड़कों की मरम्मत के लिये और बयोरी कलां तथा मांगरोल में बाण गंगा नदी पर बने हुए पुल के बारे में चर्चा के लिये)।

271. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289—प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला कोटा में बारां व मांगरोल तहसीलों में बाढ़ से हुए नुकसान पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) :

272. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील राजगढ़ में सड़कों के निर्माण में हो रही अति ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

273. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289—प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फेमिन रिलीफ कार्यों में लगे मजदूरों की बकाया मजदूरी अब तक न चुकाए जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़) :

274. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किशनगढ़ बाई पास के कार्य को पूरा कराने में होने वाली देरी पर चर्चा के लिये)।

275. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किशनगढ़ से मालपुरा वाया अराई सड़क का संधारण लम्बे समय से न कराने पर चर्चा के लिये)।

276. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किशनगढ़ से परबतसर जाने वाले राज मार्ग पर चल रहे कार्य में शिथिलता बरतने पर चर्चा के लिये)।

277. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289—प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत

(श्री प्रतापसिंह)

के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किशनगढ़ तहसील में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए तालाबों के संधारण हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री जेसाराम (सिवाना):

श्री रामकुमार (सपोटरा):

278. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांमनवास, गढ़मोरा, सवाई माधोपुर अधूरी सड़क जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में ली गई थी उसे पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये)।

279. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (करौली मंडरायल मार्ग जो कि जिले का बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है, सड़क बनाये जाने की चर्चा के लिये)।

श्री करनसिंह (डीग):

280. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289–प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता बाढ़ सहायता) अकाल व बाढ़ पीड़ितों को समय पर नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

श्री भोपालसिंह (जैसलमेर):

281. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289–प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिला के ग्राम रासला में अकाल सहायता कार्यक्रम के तहत भू-संरक्षण विभाग द्वारा जलाल खां के धोरे पर सन् 72–73 में लगाये मजदूरों की मजदूरी अभी तक न अदा करने से भारी असंतोष पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहनराज (बाली):

282. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289–प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता के अन्तर्गत चालू किये गये अधूरे पर उपयोगी सिंचाई के कार्यों को अभी तक पूरा न करने पर तथा स्थाई तौर पर अकाल निवारणार्थ ठोस कदम उठाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 19, 20, 21 व 33 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमृतलाल गहलोत।

(अनुपस्थित)

श्री दीपंकर।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : उपाध्यक्ष महोदय, इस बीच में मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूं। महिलाओं के साथ द्वेष भावना क्यों फैल रही है? उनके प्रश्न सबसे नीचे लगाये जाते हैं। आप लिस्ट को देख लीजिये और उससे आपको मालूम हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, आज की मांगों के सम्बन्ध में आपकी मार्फत सार्वजनिक निर्माण मंत्री

(श्री दीपंकर)

महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। उनका महकमा इतना बड़ा है और इतनी बड़ी रकम की जो उन्होंने मांग की है, वह राजस्थान की खुशहाली के लिए है, यह एक खुशी की बात है परन्तु उनके विभाग द्वारा जो कुछ कार्य करने की विधियां हैं, उनमें जो सार्वजनिक अहित हो रहा है, उसकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा अपने कटौती प्रस्तावों के मार्फत और आशा करता हूं कि आप उनका गहराई से मनन करते हुए चिन्तन करते हुए, अपने विभाग में सुधार लाने की कोशिश करेंगे।

पहली बात तो यह है कि आप ठेकेदारी प्रथा की मार्फत जो भवन, सड़कों का निर्माण करवाना चाहते हैं और करवा रहे हैं, मैं समझता हूं कि इससे दो तरह की समस्याएं खड़ी होती हैं। एक तो समस्या यह है कि ठेकेदार आप से किन्हीं शर्तों पर भवन बनाने का ठेका ले लेते हैं, चाहे सड़क बनाने का ठेका ले लें, परन्तु वे चाहते यह हैं कि कम से कम मैटेरियल लगे और अधिक से अधिक बचावें। इस तरह की विधियां अगर वह अपनाते हैं तो एक तरह से आपके उद्देश्य की पूर्ति में वह बाधक हैं, सहायक नहीं हैं और जनता को सुख सुविधा जुटाने की आपकी भी भावना है, उसके विपरीत जनता में एक चर्चा होती है। जो सड़क हमारे लिये बनाई जा रही है, जो भवन हमारे लिये बनाया जा रहा है, उन भवनों में इस तरह का हल्के दर्जे का मैटेरियल काम में लिया जा रहा है जिससे ये भवन, सड़क पुख्ता नहीं बनते हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके विभाग में अगर यह ठेकेदारी प्रथा बंद कर दी जाये और आप विभागीय तौर पर ही काम करें जिसके लिए एक बार आपने परीक्षण कर के भी देखा है— बहुत से बेकार इन्जिनियर, बहुत से टेक्निकल आदमी, बहुत से इस तरह के मजदूर इसमें खप जाएंगे और मैं समझता हूं इसमें आप दूसरों को उलाहना भी नहीं दे सकेंगे। इसके साथ साथ आपके विभाग की रेस्पांसिबिलिटी हो जाएगी कि जो आपकी भावना है उसके अनुरूप काम हुआ है। अगर ऐसा काम आप करेंगे तो मैं समझता हूं आज के समय की मांग के अनुरूप यह बात होगी। ठेकेदारी प्रथा में जल्दी से जल्दी काम करवाने की कोशिश होती है, उनमें चाहे आपका हाउसिंग बोर्ड हो, चाहे पी. डब्ल्यू. डी. हो, चाहे ठेके द्वारा सड़कें बनाने का काम हो—सब जगह यही गड़बड़ी होती है। जहां अकाल के अन्तर्गत सड़कें बनी हैं, वहां पर ठेकेदार ने मोड़ी बिछाने में कमी की है। इस तरह से रेतीले इलाकों में जो सड़कों के ठेके दिये गये हैं वहां सड़क के नीचे तो घास बिछा देते हैं और जहां उस पर 5-6 इंच मोड़ी बिछाई जानी चाहिये, वहां दो-दो इंच बिछा कर सड़क पूरी बना देते हैं इसलिए एक बरसात में ही वह सड़क बह जाती है और वहां पर सड़क बनी या नहीं बनी, इसका कोई आधार नहीं रह जाता है। इस तरह से आप किसी भी जगह का परीक्षण कर के देख लें, चाहे वह कच्ची सड़क हो, चाहे वह पक्की सड़क हो, चाहे वह भवन हो, सब जगह इसी तरह का काम होता है। इस तरह के काम होने से आपके विभाग के लाखों, करोड़ों रुपये बर्बाद हो जाते हैं। इससे जनता में सरकार की अलोकप्रियता बढ़ती है। इसलिए इसे

(श्री दीपंकर)

मद्देनजर रखते हुए विभागीय तौर पर ही काम करवाने चाहियें।

दूसरा आपसे मेरा निवेदन यह है कि सार्वजनिक सेवाएं जो आपके विभाग द्वारा हो रही हैं, उसमें जनता भी एक हद तक पार्टीसिपेट करती है। बहुत से ऐसे भवन है जो कि स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, सार्वजनिक वाचनालय के लिए और कई सार्वजनिक कार्यों के लिए जनता ने बनाकर दिये हैं, परन्तु संबंधित विभाग उनको नहीं लेता है। संबंधित विभागों ने आपके विभाग को लिखा है कि ये भवन बन कर तैयार हो चुके हैं, इनको अधिग्रहण कर लिया जाये। आपके इसके लिए आदेश भी हैं परन्तु आपके उन आदेशों को ताक में रख दिया जाता है। यह एक बड़ी विडम्बना है

(शोरगुल)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री दीपंकर** : जहां एक तरफ जनता में यह भावना पैदा करता है दूसरी तरफ सार्वजनिक वाचनालय, पुस्तकालय, इसी तरह से सार्वजनिक विश्रामालय, इसी तरह से शिक्षा के लिए जनता के पैसे से जो भवन निर्मित होते हैं, उनको आपका विभाग अधिगृहीत नहीं करता है, वर्ष के वर्ष इसमें लग जाते हैं। इसके लिए आपको कोई न कोई एक समय निर्धारित कर देना चाहिये, एक मन्थ, 15 दिन का समय निर्धारित कर देना चाहिये कि इस अवधि में भवन निर्मित होते ही अधिगृहीत कर लिया जाये। ऐसे कितने ही भवन हैं, जिन्हें बने दस, बीस वर्ष हो गये हैं—ऐसे कितने ही सार्वजनिक औषधालय हैं, सार्वजनिक डिस्पैन्सरीज हैं, आपके कॉलेज, आपके मिडिल स्कूल, सैकेन्डरी और हायर सैकेन्डरी स्कूल के भवन, पुस्तकालय, वाचनालय भवन जिनका आज तक अधिग्रहण नहीं हुआ है और अधिगृहीत नहीं होने के कारण उनकी मरम्मत आदि का कोई बजट नहीं बनता है। इसलिए इनका मरम्मत, रख-रखाव की बड़ी मुश्किल हो जाती है। निर्माण कराने वाले, निर्माण करा कर जहां उसका व्यापार होता है, वह वहां राजस्थान से बाहर चला जाता है और इस प्रकार के भवन मरम्मत आदि के अभाव के कारण गिरने की स्थिति में आ जाते हैं। जनता से चंदा नहीं हो पाता है। इस तरह के सार्वजनिक निर्माण कार्य हैं इनको सही मायने में सुरक्षित रखा जाना चाहिये। आप सुनना चाहें तो मैं एक उदाहरण पेश कर सकता हूं। नागौर जिले के अन्दर एक बांगड़ कॉलेज है। बहुत अच्छा कॉलेज है। बहुत वर्षों से चल रहा है। मैं समझता हूं बांगड़ के नाम से एक मैडिकल कॉलेज भवन, एक इन्जीनियरिंग कॉलेज भवन भी है और न मालूम किस किस जगह पर बांगड़ कॉलेज हैं। आपके पी. डब्ल्यू डी. को लिखा और चीफ इन्जिनियर उसको देखकर चले जाते हैं और कह देते हैं फलां फलां चीज नहीं है। इतना कहकर और खाना खाकर चले जाते हैं। कोई सौदा तय नहीं होता और न अधिग्रहण होता है। उसका मतलब क्या है ? इसी तरह से जसवन्तगढ़ में हायर सैकेन्डरी स्कूल भवन है। आयुर्वेदिक औषधालय और न मालूम कितनी ही जगहों पर ये सार्वजनिक भवन जनता द्वारा बनाये हुए हैं, जनता ने बना कर आपको दिये हैं, राजस्थान के अन्दर इनकी संख्या काफी मात्रा में हैं और इनकी

(श्री दीपंकर)

लागत करोड़ों रुपयों में है। जनता ने करोड़ों रुपये लगाकर इन सार्वजनिक भवनों का निर्माण करवाया है और उनका आप अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं, न करने से वे सुरक्षित तरह से नहीं कर पा रहे हैं। उनकी मरम्मत की व्यवस्था होनी चाहिए वह नहीं हो रही है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के एक गांव मीठड़ी में राजा बहादुर, जो हैदराबाद में हैं और उनका देहान्त हो गया है, एक औषधालय बनाया, एक स्कूल बनाया। अब उनके घर का वहां पर कोई रहने वाला नहीं है आज उनकी हवेली भी गिर चुकी है। वहां का औषधालय भी गिर रहा है। वहां का स्कूल भवन भी गिरने की स्थिति में है। वहां का शिक्षा विभाग लिखते लिखते थक गया, शिक्षा विभाग ने काफी प्रयत्न भी किये, लेकिन कोई इसको लेने को तैयार नहीं है। स्कूल के हैड मास्टर और मास्टर जनता के सामने चंदा करते फिरते हैं और हजार, दो हजार का चन्दा करके स्कूल भवन पर चूना लीप देते हैं और फिर वही हालत हो जाती है। तो इस तरह से आपके विभाग के द्वारा जो जनता के सहयोग से बने हुए भवन है उनकी बड़ी भारी उपेक्षा की जाती है। यह उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। इस तरह की लिस्ट बनवायें आप राजस्थान भर की तो जनता आपकी बड़ी आभारी रहेगी, और मैं मांग करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह भवनों को पी. डब्ल्यू. डी., सार्वजनिक निर्माण विभाग अधिगृहीत करे। अधिग्रहण करने के बाद में उनमें कोई कमी है तो दानदाता जिसके द्वारा बनाये हैं या सार्वजनिक कार्यकर्ताओं या जन प्रतिनिधियों के मार्फत उसको पूरी करवायें। उनमें कुछ और रुपया लगवाना हो तो वह भी सम्भव है। यह तो घोषणा आज हाउस के अन्दर करें कि सार्वजनिक निर्माण विभाग इस तरह की बिल्डिंग्स जो कि जनता की सुविधा के निमित्त दानदाता ने स्कूल, औषधालय, वाचनालय, गर्ल्स स्कूल को बनाया है उनको सब को अधिगृहीत कर लेंगे। यह घोषणा करें तो वह स्वागत योग्य होगी और आपका विभाग इस तरह के उपकार के लायक समझा जायगा, और लोग समझेंगे कि हमारी भावना उनके ध्यान में आई है, और हमारा दान उन्होंने स्वीकार किया है, जनता के निमित्त किया है त्याग 'दान' रहने दें, समाजवादी राज्य में दान देना गलत है, परन्तु समाज के हित में जो कुछ लगाने की घोषणा की, जो परित्याग किया, जो विसर्जन किया है समाज के हित में वह समाज के हित में काम में लेना चाहिए। उसकी सुरक्षा की आपसे हम गारन्टी चाहते है।

जो भी हमारे इलाके के अन्दर आपके विभाग के द्वारा पुलियाएं, सड़कें बनाई गई हैं उनके निमित्त आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं, अपने कटौती के प्रस्तावों के जरिये, वह यह है कि उनकी स्थिति अति बरसात होने से बड़ी दयनीय हो गई है। आप स्वयं पधारें जयपुर से नागौर तो जो जिले का मुख्यालय है या तहसील का मुख्यालय है तो उसके सामने कहीं तो सड़क पर पत्थर निकल आये हैं और सड़क पर कहीं गढ्ढे हो गये हैं। वह सड़क कहीं भी सही स्थिति में नहीं है। बरसात में अत्यधिक पानी डामर का दुश्मन है और जगह जगह पर सड़कें टूटी हुई मिलेंगी। पुलियाएं जो टूटी हुई हैं तो उनके कारण से बाढ़

Page No 70

(70)



( श्री दीपंकर )

आ जाने पर आपकी सड़क और आबादी जो अनकरीब में है, वहां के लोगों को काफी नुकसान पहुँचा है। इसलिए जरूरी है कि किसी तरीके से आप व्यवस्था करें। आज कुचामन और नारायणपुरा के बीच में नारायणपुरा और कुचामन के पहाड़ों का पानी आता है वह सड़कों को ही नहीं तोड़ता है बल्कि आबादी में जा घुसता है, वह पुलियाओं को ही नहीं तोड़ता है बल्कि बान्धों को भी तोड़ देता है और सब जगह पानी ही पानी करता हुआ चला जाता है। ऐसा नुकसान अक्सर होता है। जो पुलियाएं अधूरी पड़ी हुई हैं, जो सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं और नागौर जिले में मफील बन गई है 30-40 मील के दायरे में वहां पर मछली पालन का काम हो सकता है। सड़क का पता नहीं, गायब हो गई, गांव गायब हो गये, खेतों की भूमि गायब हो गई, ऐसे स्थानों के लिए विशेष व्यवस्था करें और महरबानी करके आप ठेकेदारों पर मुनहसर मत करिये। अगर उन पर मुनहसर करेंगे तो आपकी भावनाओं के अनुरूप नहीं होगा, सरकार की मन्शा के मुताबिक नहीं होगा, और जनता के हित में नहीं होगा, बाढ़ग्रस्त जिले पर विशेषतौर पर कृपा करें।

जहां तक एक सवाल है अकाल राहत सहायता का तो उसके मुतल्लिक मैं अकाल राहत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल राहत के लिए उनके पास में नागौर जिले की चिट्ठी आई हुई है। उन्होंने इस सदन को सूचित किया था, परन्तु उन्होंने यह फर्माया था प्रश्न के जवाब में कि जिलाधीश ने राहत कार्य खोले जाने के निमित्त कोई सुझाव नहीं दिये। माननीय मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि अगर जरूरी समझा जायगा तो कार्य खोल दिये जायेंगे। तो एक एक तहसील में जहां पर 50-50, 60-60 गांव अकालग्रस्त हैं और एक एक गांव में, उपाध्यक्ष महोदय, उसकी आबादी कम से कम 150 या 200 घर मानें तो उसके अनुसार जनसंख्या का फैलायें तो इतनी तादाद में हो सकते हैं जहां पर बारिश ज्यादा होने के कारण पैदावार नहीं हुई तो अकाल मान लिया और सरकारी रिकार्ड में आगया। इस पर भी आपने बीघोड़ी वसूल की तो उसको तो जाने दें, उस पर मैं आपका समय नहीं लेना चाहता, परन्तु अकाल राहत के नाम पर आप उनको राहत पहुंचाना चाहते हैं। यहां पर आपके समक्ष जब जन-प्रतिनिधियों के हिसाब से और आपकी सरकार की रिपोर्ट से यह साबित कर दिया और इस तरह से आपने मान लिया कि यहां पर उपज नहीं हुई है और अकाल राहत कार्य खोले जाने की स्थिति है, तो जब आप अकाल राहत कार्य खोले जाने की स्थिति को मानते हैं और बीघोड़ी की वसूली को रोकते है, और बीघोड़ी रोकने का हुक्म दे देते हैं, तो अकाल राहत कार्य खोलने का क्यों नहीं फर्माते हैं? यह विचारणीय प्रश्न है। मैं निवेदन करूंगा कि अधिक वर्षा के कारण स्थिति ऐसी हो चुकी है तो छोटे-मोटे काम शुरू करवा दें। लोग बाग बिल्कुल बेकार बैठे हैं, मोहताज हैं। आप तहसीलदार की मार्फत या जिले की एजेन्सी की मार्फत यह और सूचना मंगवा लें कि उनके पास खाने के लिए गुन्जायश है क्या? वहां पर नहीं है। नहीं होने के कारण मैं आप से मांग करता

(श्री दीपंकर)

हूं कि मेहरबानी करके अकाल राहत कार्य वहां पर प्रारम्भ करें।

अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करने की स्थिति में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पहले बहुत बड़ी रकम खर्च की गई और मेहरबानी करके आपने बड़े बड़े काम मन्जूर किये। बहुत से काम चलाये गये परन्तु आपने यह तय कर दिया कि अमुक मजदूर को इतना काम करने पर इतना पैसा दिया जायगा। आपका यह सोचना सही है कि मुफ्त में पैसा किसी को नहीं मिलना चाहिए। उसके बदले में उनसे काम लेना चाहिए, परन्तु पी. डब्लू. डी. का वहां पर जो आदमी मेट या साधारण रोड का गेंगमैन है उसको आपने इन्चार्ज बना दिया। वह अपनी मर्जी के मुताबिक चाहे जितना काम ले। उस बेचारे ने कितना ही ज्यादा काम किया हो लेकिन लगा दिया कितना ही कम। दिन भर माथा-पच्ची करे और अपने खाने लायक भी पैदा कर नहीं सकता उसके घर वाले भी रहते हैं। इस प्रकार की भेदभावपूर्ण बात आई तो उसको समाप्त करना चाहिए। उसके लिए कोई सक्रिय, रचनात्मक कदम उठाने की कृपा करें····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं समाप्त कर रहा हूं।

आपने स्वयं ने इस सदन में घोषणा कर रखी है कि पहले के अकाल राहत कार्यों की रकमें बकाया हैं उसका पेमेन्ट कर दिया जायगा। वहां भी अभी तक पेमेन्ट नहीं हुआ है। नये अकाल राहत कार्य देर से शुरू किये जाते हैं। मैं निवेदन करता हूं कि कम से कम जो बकाया पड़ी हुई है उसके लिए आपने यह फर्माया था कि तहसीलदार के मार्फत या पंचायत समिति के मार्फत भिजवा देंगे। वह अभी तक बंटी नहीं है तो कम से कम उसको बंटवा दें ताकि जब तक नये कार्य न मिलें तब तक कुछ लोगों को राहत मिले। जिनकी बकाया है उनकी सूची उनके पास में हैं·········

श्री केशरीमल : उपाध्यक्ष महोदय, कोरम का अभाव है।

( गणपूरक घंटी )

( गणपूर्ति के पश्चात् )

श्री दीपंकर : तो अन्त में संक्षेप में यही निवेदन करने जा रहा हूं कि अकाल राहत मंत्री महोदय ने जो बड़ी रकम इसके लिए मांगी हैं उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। परन्तु अकाल राहत कार्य खोले जायं तो पी. डब्लू. डी. के गैंगमेन को वहां पर नियुक्त न करें और 20 पाइन्ट प्रोग्राम आपका जो है उसको फालो करते हुए शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स और ग्रामीण क्षेत्रों के अल्प आय वाले काश्तकार हैं उनके लड़के दसवीं पासशुदा बेकार बैठे हैं ऐसे लोगो को उनके बीच में रहने वाले लोगों को अगर एम्प्लायमेंट दे सकें और अगर उनकी निगरानी में अपने अकाल राहत कार्य प्रारम्भ कर सकें और उनकी निगरानी को पी. डब्लू. डी. के आफिसर चैक करते रहें, तो मैं समझता हूं कि पी. डब्लू. डी. की मन्शा भी पूरी हो जायगी, और गांवों में जो बेकार हैं और जो पढ़े-लिखे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अल्प आय वाले लोगों के जो लड़के हैं और

# Page No 72

(72)



(श्री दीपंकर)

जिनको कहीं पर नौकरी नहीं मिलती है, जो बच्चे ट्रेन्ड नहीं हैं और जो बेकार बैठे हैं उनको मेट बनायें, उनको निगरानीदार बनायें तो वह भूखे हैं उनको रोटी मिलेगी और गांव के लोगों को सन्तोष मिलेगा।

इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं और पूरी आशा करता हूं कि अकाल राहत कार्य नागौर जिले में खोलेंगे और एक निश्चित समय की घोषणा करेंगे। इस तरह की स्थिति के लिए युद्ध-स्तर पर काम करेंगे यह घोषणा जरूर करेंगे। किस स्थान पर वह काम करवायेंगे यह घोषणा जरूर करेंगे। यह निवेदन मैं उनसे भी करना चाहता हूं कि ठेकेदारी प्रथा को दूर करने की कृपा करें। उनको कष्ट होगा लेकिन वह यह देखें कि सड़कों के नीचे मोड़ी दी हुई है, कांटे दिये हुए हैं। सड़कों के नीचे घास दिया हुआ है, उस पर पूरा का पूरा वजन उठा कर सड़क को कम्प्लीट कर दिया लेकिन आज अगर उसको देखा जाय तो सारा का सारा कच्चा रास्ता बन गया है। इसलिए ठेकेदारी प्रथा में जो गड़बड़ियां होती हैं उनकी निगरानी नहीं होती है। मेरा निवेदन यही है कि जो अधूरे काम हैं उनको पूरा करवाया जाय, नये काम के लिए मैं उनसे नहीं कहता, अपने विभाग के जरिये जेर-निगरानी उस काम को करवायें, जो बेकार आदमी हैं उनको काम पर लगाते हुए जो आपके अधिकारी हैं, वे उनकी निगरानी करें तभी सही मायने में लोगों को राहत मिल सकती है, ऐसी मुझे आशा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरसिंह रावत।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण, आवास, सड़कें व पुल तथा अकाल सहायता के बारे में जो कटौती प्रस्ताव हैं उनके सम्बंध में, मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपका लोक कल्याणकारी विभाग पी. डब्ल्यू. डी. जिसे आप अपने हाथ में लेकर चलते हैं उस पर मैं अधिक चर्चा नहीं करता हुआ जितने भी कार्य पी. डब्लू. डी. को दिये जाते हैं, मैं समझता हूं कि उन कार्यों को देखते हुए, इतने कार्य उनके सामने हैं कि वह पूरे नहीं कर पाते हैं और मिस्त्री और ठेकेदारों को ठेका देकर के पूरे करवाये जाते हैं, जो कार्य विभाग को करने हैं वह उनसे नहीं होने से उन पर अधिक व्यय होता है और काम भी अधूरे पड़े रहते हैं तो इसको मैं उचित नहीं समझता हूं। मैं इस बात को भी जानता हूं कि मंत्री महोदय सारी जगहों पर उपस्थित नहीं हो सकते हैं लेकिन जब विभाग आपके पास है और देश का धन है तो इसमें आपका उत्तरदायित्व हो जाता है कि काम पूरे हों और धन का सही उपयोग हो, दुरुपयोग नहीं होने पावे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी जितनी भी पुलियां बनी हुई हैं जो कि अकाल राहत कार्यों के माध्यम से बनवाई गई हैं, एक निवेदन मैं करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि आपके ध्यान में भी है कि कई जगहों पर पुलियां बनाई गई लेकिन उसी वर्षा के अन्दर उनका गिर जाना यह साबित करता है कि या तो उनमें पूरा पैसा नहीं लगाया गया या मैटेरियल सही नहीं था, उसमें कन्क्रीट

(श्री शंकरसिंह रावत)

या मिट्टी जितनी लगनी चाहिए थी, वह मैटेरीयल उसमें पूरा नहीं लगाया गया। कोई गाड़ी या यातायात के चलने से वह टूट गई, यह इस बात को साबित करता है कहीं न कहीं पर कचावट है। आज जितने भी सड़कों के निर्माण कार्य कराये गये, सड़कें बनवाई गईं या पुलिया बनवाई गईं, नसीराबाद से किशनगढ़ के बीच की सड़क की पुलियों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उसकी एक शिकायत मेरे पास आई। पुलिया ठेकेदार के मार्फत फेमिन का काम खोलकर बनाई थी, तो मैं समझता हूं कि इसमें विभाग की जरूर मिलीभगत थी और उसकी मिलीभगती से यह कार्य होता है वरना किस प्रकार से ऐसा हो सकता था। मैं इतना ही और निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को, अकाल राहत के जितने भी कार्य पी॰ डब्लू. डी. को दिये गये, हमेशा उनकी यही धारणा रही कि पत्थर और कंक्रीट में गड़बड़ करते हैं। ज्यों ही अकाल राहत कार्य बन्द होते हैं तो जो कंक्रीट और पत्थर बच जाता है वह सारा का सारा ठेकेदार दूसरी बिल्डिंग में लगा देता है। गांव वाले समझते हैं, सड़क बनाने के लिये ले जाते होंगे। इसी तरह से उम्मेद रोड़ में पकड़े गये और एक हजार रुपया खा गये। तो मैं समझता हूं कि ये जो अनियमितताएं हो रही हैं, यह उचित नहीं हैं। यही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, अगर भ्रष्टाचार की बात की जाय तो मैं समझता हूं कि अगर इसी बात को लेकर चलें तो इसमें क्यों इस तरह की रुकावट आई। उसको दूर करने के क्या तरीके हो सकते हैं। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। किसी भी एक सड़क को ले लीजिये, उसमें अगर आप 25 हजार का बजट रखते है तो, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय एक दफा एक सलाहकार समिति या बोर्ड का गठन करके तटस्थ नीति से एक माल लम्बी रोड़ बनवा लें और उसमें जितना खर्चा आता है उसके आधार पर जितनी लम्बी सड़क हो उसके हिसाब से धनराशि दे दी जाए लेकिन होता क्या है कि विभाग को कह दिया जाता है कि इतनी लम्बी सड़क बनेगी और यह धनराशि है, यह कोई उचित बात नहीं है। एक तरफ तो आप टैक्स लगाना चाहते हैं और दूसरी तरफ जनता के पैसों का इस तरह से दुरुपयोग किया जाता है, यह उचित नहीं है। उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। जितने भी और जहां कहीं भी इस प्रकार से राहत कार्य चलते हैं हर जगह ऐसा ही देखा जाता है। एक ओवरसीयर थोड़े दिनों के अन्दर ही एक स्कूटर बना ले इससे ज्यादा अन्याय क्या होगा। मैं यह मानता हूं कि मन्त्री महोदय हर जगह पर नहीं रह सकते। आज हम देखते हैं कि ठेकेदारों से जो कार्य कराये जाते हैं उनमें कई प्रकार की गड़बड़ियां होती हैं, क्योंकि वह जानता है कि उसका जब बिल पास होगा तो डेढ़ परसेंन्ट के हिसाब से एल. डी. सी. को जो बिल पास करता है, तीन पर्सेन्ट अकाउन्ट्स आफिस के लोगों को और पांच पर्सेन्ट असिस्टेन्ट इन्जीनियर को देना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठेकेदार जानता है कि यह तो चलता ही रहेगा। इसलिए मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह सुझाव रखना चाहता हूं कि उनके

(श्री शंकरसिंह रावत)

बिलों का भुगतान कितने दिनों के अन्दर अन्दर, तीन दिनों में या चार दिनों के अन्दर भुगतान कर दिया जायगा। अजमेर के अन्दर एक ठेकेदार का मुझको मालूम है उसका ट्रक चल रहा था, मैं नम्बर नहीं ला सका. उसके लेकिन उसका बिल पास नहीं हुआ और जब उसने चार हजार रुपये दिये तो उसका बिल पास हुआ। तो इसके अन्दर या तो यह बात हैं कि उसने पूरा काम नहीं किया 18 हजार का या फिर उसने चार हजार देकर अपना बिल पास करा लिया। मैं समझता हूं कि एक समय आप निर्धारित कर दें जिससे उसका बिल भी समय पर पास हो जाय और काम भी वह पूरा करे।

इसके अलावा मैं, यह निवेदन करना चाहता हूं कि सायलारोड एक सड़क गई है, उसके अन्दर चाही जमीन के अन्दर से ली गई है। वहां चाही जमीन को नहीं बिगाड़ा जाना चाहिए। उसके लिये भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री सुखाड़िया साहब ने भी उसको देखा था और जो पत्थर डाल दिये थे उसको उखड़वाने के आदेश दिये थे। इसके बाद में फिर आपने पुलिस लगाकर उसमें रास्ता खोल दिया। सड़क बनाते समय हम यह जरूर चाहते हैं कि किसी प्रकार का घुमाव या मोड़ नहीं आवे लेकिन थोड़ा मोड़ आने से उनकी चाही जमीन बच जाती है और विभाग का काम भी कम होता है। तो इसके लिए मैं चीफ इन्जिनियर साहब से भी मिला था, उन्होंने कहा कि मोड़ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। उस सड़क में तीन जगह पर मोड़ हैं, और अगर उसकी चाही जमीन बच सकती है तो क्यों नहीं उसको बचाया जाता। मैं यह कहूंगा कि आप स्वयं उसको जाकर देख लीजिये कि जहां पर दूसरों की चाही भूमि को बचा दिया तो इसकी भूमि को बचाने में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोरम तो अब भी नहीं है हाउस में।

( गण-पूरक घन्टी )

( गणपूर्ति के पश्चात् )

**श्री शंकरसिंह रावत :** आवास के संबंध में निवेदन कर रहा था, अजमेर में वैशाली नगर बनाया गया। इस विभाग द्वारा उसका कार्य हाथ में लिया गया था। आज उसकी दशा देखें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारे मकानों में दरार पड़ गई हैं। इस सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जितने आवासगृह बनाये गये हैं, आप देखेंगे, कोई विद्यालय बनाया हो, या कोई भवन बनाया हो, एक वर्षा के अन्दर उसकी मरम्मत की आवश्यकता पड़ जाती है। मैं समझता हूं, इन भवनों की हालत देखकर हर आदमी सोचता है कि इस विभाग के बनाये हुए मकान ठीक नहीं हैं, हमें खुद अपने आप अच्छे बनाने का प्रयास करना चाहिए। कोई भवन, या बिल्डिंग की हालत वर्षा के कारण खराब हुई है—यह आप कहें तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजा महाराजा के जलमहल बनाये हुए हैं, वह महल पानी में रहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, केवल पानी से, वर्षा से इस सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाये गये भवन खराब होते हैं, लेकिन राजा महाराजा ने जो जल महल बनाये थे, वह महल पानी

(श्री शंकरसिंह रावत)

में रह रहे हैं, दो तीन मंजिल पानी में हैं लेकिन उनमें दरार नहीं पड़ रही है। इसका कारण है कि वह भवन बड़ी लगन और मेहनत से बनाये गये हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इस विभाग के अन्दर बहुत काम है, फिर भी भवन का निर्माण कराना जरूरी है तो शत प्रतिशत काम इस विभाग को न दें। इससे तो अच्छा है कि पचास प्रतिशत भवन सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्माण करने के लिए दें और बाकी सहकारी समिति को ठेके के रूप में दे दीजिये या दूसरों को दीजिये ताकि तुलना करने से मालूम हो जाय कि इन दोनों में कितना अन्तर है। मैं सोचता हूं कि इस पर भी माननीय मंत्री जी जरूर सोचेंगे।

इसके अलावा मैं अकाल के संबंध में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। मैं इसके लिए अकाल मंत्री महोदय का आभारी हूं और उनको बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने आज तक काफी राहत दी है। लेकिन नसीराबाद और किशनगढ़ के बीच में काम चल रहा है उसमें काफी अनियमितता है। उसको जरा आप देखें। वहां पर काम पर लोगों को लगाया जाता है, यह काम विभाग कर रहा है, पी.डब्ल्यू.डी. कर रहा है और आपका विभाग केवल सहायता देता है, लेकिन ओवरसियर और मिस्त्री पांच पांच, दस दस रुपये लेते हैं वरना गरीब को काम नहीं देंगे, वह कहें कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उनके इस धन्धे से गरीब लोग बहुत दुखी हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं उनको पांच रुपये मिलते हैं वह ठीक है, राज्य सरकार ने बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर यह वेतन रखा है। लेकिन वह सोचते हैं कि मेरा यह काम आज छूट गया तो कल रोजगार मिलेगा या नहीं। इस कारण ओवरसियर दस रुपये लेकर राहत देते हैं। मेरा सुझाव है कि आप उनकी सूची बनवा लें और ग्राम पंचायत के सरपंच के पास रख दें। जितने काम पर लेने हैं, आप अधिकारियों को यह निर्देश दे दें कि ग्राम पंचायत के सरपंच के पास सूची है उसके आधार पर काम पर लगाया जाय। इससे एक तो अनियमितता से बचेंगे और सही लोगों को काम पर लगाया जा सकेगा। ग्राम पंचायत में बैठा हुआ है सरपंच वह किसी रिश्तेदार को लगाने की बात करेगा तो गांव वालों को मालूम हो जायगा कि यह ठीक आदमी को कार्य पर लगा रहा है अथवा नहीं। मैं सोचता हूं, इसके लिए आदेश देंगे तो उचित होगा।

इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री महोदय, जो विभाग आपके हाथ में है, इनमें जो बिल पेश होते हैं उनका एक हफ्ते में पेमेन्ट हो जाय ताकि अनियमितता से बचें, दूसरे भवनों का शत प्रतिशत काम विभाग से नहीं हो, 50 प्रतिशत विभाग से हो और 50 प्रतिशत का ठेका सहकारी समिति को दें ताकि मालूम हो जाय तुलना करने पर कि किसका काम अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती निर्मलाकुमारी।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सार्वजनिक निर्माण

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

विभाग के बारे में तीन चार कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं, इन कटौती प्रस्ताव के जरिये इस ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिला जालौर में जो सरकारी भवन है उनकी हालत बहुत खराब है। पिछले तीन चार साल से इतनी अत्यधिक बरसात हुई है, उस वजह से जो सरकारी भवन सांचोर में हैं. भीनमाल में हैं, जालोर में हैं, उनकी विशेष खराब हालत है। उन की मरम्मत का तखमीना बनाकर रिपेयर सरकार नहीं करायेगी तो निकट भविष्य में ये सरकारी भवन गिर सकते हैं। पी.डब्ल्यू. डी. के असैसमेंट के आधार पर जितना कार्य पी. डब्ल्यू. डी. मंजूर करता है, जितना कार्य करना है उसमें मिनिमम रिपेयर इनकी कर दे तो ऐसी दयनीय हालत इन भवनों की नहीं रहेगी। मैं चाहूंगा, जितने सरकारी भवन हैं उनका विशेष तखमीना बनाकर स्पेशल रिपेयर कराने की व्यवस्था करें।

इसके अलावा दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव रेजिडेन्सियल प्लाट्स के बारे में हैं। आवासीय प्लाट गांवों में दिये गये हैं वह गांव की आबादी के पास डिस्प्यूटेड लैंड पर होने की वजह से आपस में झगड़े चल रहे हैं। दूसरे कुछ प्लाट्स रानीवाड़ा के आस पास सांचोर में नटों को दिये हैं, इससे गांव वालों के पास, बस्ती के पास होने की वजह से गांव वालों में और नटों में झगड़ा होता रहता है। मैं चाहूंगा, इसकी जांच करके ऐसी जगह प्लाट दें ताकि गांव वालों को नटों से खतरा नहीं रहे चोरी वगैरह का और झगड़ा नहीं हो। वहां बसा दिया गया है इससे गांव वालों की सुरक्षा को खतरा खड़ा कर दिया है। इस पर पुनः विचार करके उन लोगों को बस्ती से दूर बसाया जाय ताकि आपस में डिस्प्यूट नहीं रहे।

इसके बाद में सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि लूनी नदी पर ब्रिज बना हुआ था। दो साल पहले ज्यादा पानी आने की वजह से पुल और सड़क काफी टूट गईं। काफी अर्से तक वैसे ही पड़ी रहीं, फिर कुछ उस पर रोड़ी वगैरह डाल कर अर्थ वर्क वगैरह करके उस की काफी रिपेयर तो कर दी गई लेकिन पुल का निर्माण नहीं किया गया। वह नेशनल हाई वे हैं, वहां से मिलिट्री का मूवमेंट समय समय पर होता रहता है। अभी कुछ दिन पहले वहां एक भयंकर एक्सीडेन्ट हो गया, जिसमें दो कैप्टन और एक मेजर क्षतिग्रस्त हुए, और एक की मौके पर डेथ हो गई। मिलिट्री वालों ने मुझसे मिल कर कहा, आपके निर्माण विभाग का यह क्या हाल है? हमें पुल नहीं होने से बड़ी कठिनाई होती है। वैसे मेरे ख्याल में ट्रांसपोर्ट आफ मिलिट्री गवर्नमेंट आफ इण्डिया का मामला है। लेकिन मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि डिजाइन्स वगैरह अब तक बन गये होंगे, आप विशेष रूप से प्रयत्न करके, क्योंकि यह डिफेन्स का मामला है, इस पुल का निर्माण शीघ्र करायें। दूसरे बीच में पुल के काफी गेप पड़ा है, जिससे रोडवेज की गाड़ियों को भी कठिनाई होती है और एक्सीडेन्ट का खतरा रहता है। आप इस पुल का निर्माण करायें और दूसरे अधूरे काम हैं, उनके ऊपर शीघ्रता से विचार कर पूरा करें।

मैं मंत्री महोदय को इस बारे में धन्यवाद दूंगा कि जो गांव गांधव-सांचोर से

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

गुजरात बोर्डर तक क्षतिग्रस्त सड़क थी, जीर्ण-शीर्ण अवस्था हो गई उस पर रीकार्पेटिंग करवा कर रिपेअर करवा दी गई है। लेकिन पुल वाला मामला पेंडिंग है। इसको गवर्नमेंट आफ इंडिया से बात करके एक्शन लेकर शीघ्र पूरा करवायें।

दूसरी जिला जालौर में रानीवाड़ा से लेकर आबू रोड के बीच एकमात्र रेलवे लाइन आबू रोड में है और इनको कनेक्ट करने वाली एक मात्र रोड पर है। इस रोड का जो जालौर में पोर्शन है, वह अधूरा पड़ा था लेकिन आपके विभाग ने सक्रियता से काम करके कार्पेट करवा दी, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा। लेकिन जेतपुरा नदी है, यह एकमात्र नदी है, इस रोड पर पुल का तखमीना बना कर फेमिन रिलीफ में वर्क हुआ, लेकिन वह काम कम हुआ, कई महीने तक उसे केरी फावर्ड किया था लेकिन डी.पी.ए.पी. में फण्ड की कमी की वजह से इसे नहीं लिया गया है तो आप स्पेशली इस पुल का ध्यान रखें, सिंचाई विभाग का भी यहां सवाल आता है। वह विभाग भी आपके पास में है और आपने आश्वासन भी दिया है, सबसे ज्यादा पानी जेतपुरा नदी में है तो पी. डब्ल्यू. डी. और इरिगेशन पाइंट आफ व्यू से दोनों की जाइंट स्कीम है। पिछले तीन चार साल में सिंचाई विभाग की ओर से डिजाइन्स समय पर तैयार न होने से, पैसा होने के बावजूद भी, काम शुरू नहीं हो पाया वरना बरगांव के पुल की तरह यह भी पुल पूरा हो सकता था। यहां नर्मदा नदी का ट्रिब्यूनल आया था। मुश्किल से उनकी गाड़ियों को निकाला गया। उन्होंने कहा कि इतना गैप सरकार ने कैसे छोड़ रखा है, विशेष फंड प्राप्त करके भी इस काम को पूरा करो ताकि आबू रोड से संचोर नेशनल हाई वे के रूप में यह सड़क काम करें।

इसके अलावा आकोली नदी का पुल भी नहीं बन सका है। जालोर की सब डिवीजन और भाद्रोर तहसील को मिलाकर एक सड़क है—जालोर-भीनमाल-सांचोर। इस पर आकोली नदी है। यहां 3–4 महीने जिला मुख्यालय कट आफ रहता है तो आप कहीं से पैसा प्राप्त करके सीमेंट के पाइप्स डालकर जैसे आबू रोड रानीवाडा सड़क पर लगाया है, उसी तरह से आप इसमें ऐसी अगर टेम्प्रेरी व्यवस्था का प्रावधान भी करें तो भी ठीक है। एक मात्र यह हाईवे है जालोर से सांचोर एक मात्र सड़क है तो विचार करें इस नदी पर रपट वगैरह बनाने की व्यवस्था करें। यहां एक मात्र रेल का साधन है, चीफ इंजिनीयर साहब जानते हैं। इसके महत्व को देखते हुए आप विशेष रूप से इसकी व्यवस्था करें। मुख्य मंत्री जी ने दौरा किया था, उस समय भी उन्होंने नोट किया होगा और आपका दौरा तो हुआ ही नहीं, आप जाकर देखें तो आप महसूस करेंगे कि यह रपट बनाना आवश्यक है।

जालोर से सुमेरपुर, सांडेराव सड़क पर जवाई नदी पर पुल था यह भी टूट गया है, सड़क को ही तोड़ दिया है। तो विशेष प्रावधान करके यह सड़क जो कट आफ पड़ी है, इतना चीफ इंजिनीयर का अनुभव है और उन्होंने खुद ने ट्रेवल यहां पर किया है, मैं आशा करता था कि पैसा प्राप्त करके आप इसको पूरा कर देंगे पर बड़े अफसोस की बात है कि पैसा प्राप्त नहीं

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

हुआ। पहले जो पुल टूटा था वह तो बना दिया लेकिन जो नई नदी पड़ गई है उसके पुल को वापस निर्माण करें, यह दोनों तरफ से टूट गया। इसको पूरा करने की कोशिश करें।

मुझे रानीवाड़ा-सांचोर सड़क के लिए भी निवेदन करना है। पहले मुख्य मन्त्रीजी वहां आये थे। 10 वर्ष पहले थोड़ा सर्फेसिंग पेन्ट हुआ था उसमें दुबारा रीकार्पेटिंग करके नेशनल हाई वे के स्तर पर अब बना दिया गया है, उस बारे में तो बहुत ही युद्ध स्तर पर कार्य करके इस सड़क को वापस ठीक करवाया गया है। इसके लिए तो मैं विशेष रूप से सरकार को धन्यवाद देता हूं, पर इसके अलावा जो एप्रोच रोड़ है, ग्राम पंचायतों के पास एप्रोचेज लगाने के लिये विशेष प्रावधान इस बारे रखा है। इस बारे में वहां से जो सड़क अधूरी है, मिनीमम नीड्स प्रोग्राम के तहत पंचायत मुख्यालय से मिलाने के लिए आप कोशिश करें। बड़ा पोटेन्शल जिला है और आवागमन के साधन वहां नहीं हैं तो उस जिले की ओर विशेष रूप से ध्यान दें और जो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में हैं उस ओर विशेष ध्यान दें। हमको बुलाकर भी सुझाव ले सकते हैं।

कुछ सड़कें पहले ही मेटल्ड हैं जैसे सिवाड़ा से चोतलवाना लेकिन काफी खड्डे और पत्थर हैं उनमें थोड़े पैसे की जरूरत है। दो हजार की बस्ती का गांव है। उसको मिलाने के लिये पक्की सड़क के साथ लगायें इसके लिए सर्फेसिंग पेंट हो जाये और रोड़ रोलर फिर जाए तो ठीक होगा।

एक जगह हालीवाब केरियो सड़क दो ढाई लाख का काम हो गया। अब शायद इसमें आदेश आए हैं कि काम बन्द कर दिया है तो पेमेंट नहीं होगा। पहले सेंक्शन थी लेकिन पैसे की कटौती कर दी तो जो काम किया हुआ है उसका पेमेंट तो ठेकेदार को दें नहीं तो ठेकेदार को कोर्ट में जाना पड़ेगा····

**श्री हीरालाल देवपुरा** : अप्रेल में प्रावधान हो रहा है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : मैटेरियल डाल दिया, रोड रोलर फिरा दिया और उसका पैसा अभी नहीं दिया। पोजीशन बहुत खराब हो रही है, विभाग की। थोड़ा सा काम बाकी है, पमेंट करके बाकी काम पूरा कराने की व्यवस्था करायें।

उपाध्यक्षजी, इसके अलावा ये जो रिलीफ वर्क्स जालोर जिले में हुए थे उसमें मजदूरों के वेजेज 3-4 साल के बकाया थे, आप पंचायत मुख्यालयों पर सूचियां बनाकर जिन भी विभागों की बकाया हो शीघ्र पेमेंट करानें की कोशिश करें और जो वर्क्स करीब 90-95 पर्सेन्ट करीब कम्पलीट हो गये हैं या जो बाढ़ से क्षतिग्रस्त पड़े हैं उनके बारे में विशेष कार्यक्रम बना कर विभाग से कुछ पैसा मिले तो उनको ठीक करायें, विशेष स्कीम बनाकर पूरा करायें।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

श्री केशरीमल !

**श्री केशरीमल** (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सार्वजनिक निर्माण विभाग पर

(श्री केशरीमल)

कुछ कटौती प्रस्ताव भेजे हैं। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि इस विभाग के ज्यादातर काम ठेकेदारों के मार्फत होते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज वहां पर ठेकेदारों के मार्फत ही काम कराया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, ठेकेदारों से कभी भी सन्तोषजनक काम नहीं हो सकता। आखिर जब राज्य सरकार के पास इतना बड़ा सार्वजनिक निर्माण विभाग है, बड़े बड़े अधिकारी हैं, इन्जिनियर्स हैं फिर राज्य सरकार विभाग द्वारा ही काम क्यों नहीं करवाती है ? उपाध्यक्ष महोदय, जब ठेकेदारों से आप काम करवायेंगे तो उसमें बहुत भारी गड़बड़ियां होंगी। पहली तो ठेकेदार उसमें से 20 से लेकर 24 प्रतिशत तक तो अपने एरिया के इन्जीनियर के कमीशन के लिये फिक्स रखता है। वहां जो गवर्नमेंट के इन्जिनियर लगे हुए हैं उन्हें देने के हिसाब के लिये वह पहले से ही अलग रख देता है। इसके अलावा 20 से लेकर 25 प्रतिशत तक वह अपने मुनाफा के लिए रिजर्व रख लेता है तो इस प्रकार टोटल अमाउन्ट में से 50 प्रतिशत तो इन इन्जीनियरों और ठेकेदारों के मुनाफे के चले जाते हैं। अब बाकी पचास प्रतिशत में क्या काम हो सकता है। इसमें भी ठेकेदार लोग कुछ पैसा और बचाने की अपने मुनाफे के लिए रखने की कोशिश करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात राज्य सरकार से जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आपने आज कई चीफ इन्जीनियर्स अपोइन्ट कर रखे हैं। वैसे आप चाहो जितने चीफ इन्जीनियर्स रखो, लेकिन उनसे कुछ काम तो लो। आपने चीफ इन्जीनियर्स की बारात यहां पर सजा रखी है। इसके लिये मैं इतना कह सकता हूं कि अगर आप कोई बारात चीफ इन्जीनियर्स की निकालना चाहें तो आपको दूसरे किसी और अधिकारी को साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, वह लोग खुद काम कुछ भी नहीं करते हैं और सिवाय घोटाले कराने के सिवाय उनके पास कोई काम नहीं है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि ठेकेदारों से काम कराने की जो व्यवस्था है वह समाप्त की जानी चाहियें। नहीं तो जिस प्रकार अपने देश के अन्दर सड़कों वगैरह का काम करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते हैं और अपने देश का धन और निर्माण कार्य दोनों इन लोगों के माध्यम से बरबाद करा रहे हैं। इसमें सुधार की आवश्यकता है। ये आपके जितने भी इन्जीनियर्स हैं वह लोग कहीं कुछ काम नहीं करते और अपने कमरों में कूलर लगा कर मौज मारते हैं। इसके अलावा यह लोग दौरे पर जाते हैं दौरे तो इनको करने पड़ते नहीं हैं लेकिन दौरे पर जाकर राज्य सरकार का बेकार ही धन खर्च करते हैं। इसके अलावा मेरा यह निवेदन कि आपके जो चीफ इन्जीनियर्स हैं उन सभी को आप जयपुर में क्यों रख रहे हैं ? जयपुर से हटाकर उनके बाहर हैडक्वाटर्स कर दीजिये। और वहां पर उनको काम अलाट कर दीजिये। फिर उनके सर्किल में जो अलोट काम उन्हें किया है वह हुआ या नहीं इसके बारे में कार्यवाही की जानी चाहिये। अगर वहां पर काम खराब हो तो उनकी जिम्मेदारी फिक्स करके उनके खिलाफ में एक्शन किया जाना चाहिये। नहीं तो, आपने आज यहां पर 8 आठ

(श्री केशरीमल)

चीफ इन्जीनियर बैठा रखे हैं जो कि जयपुर को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते। यहां बैठे ही बैठे अपना काम देखते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह इतनी बड़ी फौज आपके इन्जीनियर्स की है इसमें आपके जे. ई. एन., ए. ई. एन, एक्ज. ई. एन., सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर और चीफ इन्जीनियर बना रखे है। पता नहीं कितनी बड़ी फौज है?किस लिए है? मैं तो समझता हूं कि यह लोग सिवाय पैसा बनाने के कुछ भी काम नहीं करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे ब्यावर के अन्दर एक इन्जीनियर आया। उसने चार महीने में दो लाख रुपया कमाया और वहां से चलता बना। मैंने उसकी राज्य सरकार के पास लिखित में शिकायतें की पर उसके खिलाफ में किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। जहां उसके खिलाफ में मुकदमे चलाने की आवश्यकता थी वहां राज्य सरकार ने उल्टे मुझे ही लिखा कि आप जवाब दें कि कहां कहां पर गड़बड़ी है। उसके साथ में यह और लिखा कि आपकी शिकायत से कोई तथ्य नहीं निकलता है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ही पूछा है कि कहां कहां काम हुआ। वह तो मैंने विस्तार से मेरी शिकायत में ही लिख दिया था कि कहां कहां गड़बड़ी है। मैंने मंत्री महोदय को लिखा, चीफ इन्जीनियर को लिखा लेकिन किसी ने कुछ भी कार्यवाही उस भ्रष्ट इन्जीनियर के खिलाफ में नहीं की।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने विस्तार से लिखा कि कहां कहां सड़क में क्या कमी है, जहां पर सड़क की मोटाई में कमी थी वह लिखी। जहां और दूसरी गड़बड़ियां थीं वह भी लिखीं। इसके अलावा आज वहां पर गाड़ियां तो लगाई जाती हैं सड़कों के निर्माण में राज्य सरकार की और वहां पर ठेकेदार लोग उसका पेमेन्ट उठाते हैं। मैंने विस्तार से बताया, इसकी जांच होनी चाहिये। लेकिन कोई जांच नहीं हुई। उल्टे मुझे ही लिखते हैं कि आपकी शिकायत में कोई तथ्य नहीं पाये गये। लेकिन अगर राज्य सरकार जांच करवाना चाहती है तो मैं आज भी आपको वहां सड़क में क्या क्या अनियमिततायें हुई हैं बता सकता हूं। आप चाहें तो मैं आपको ले जाकर मय प्रमाण अनियमिततायें बता सकता हूं, अगर आप उनके खिलाफ में इन्क्वायरी करना चाहें तो। कई जगह 6 इन्च मिट्टी होनी चाहिये, उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर दो इन्च मिट्टी भी नहीं है कहीं पर कोई काम ही नहीं हुआ है। गाड़ी गवर्नमेन्ट की, पैसे ठेकेदार राज्य सरकार से उठाये यह कहां तक उचित है? उन लोगों ने सरकार के पैसे को व्यर्थ बरबाद किया। और सारा का सारा नकारात्मक खर्चा हुआ। सारे दिन यह लोग पैसे कमाये जायं ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में गुन्ताड़ा करते रहते हैं। मैं तो आपको यहां तक यह भी निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, एक ठेकेदार मुझे मिला उसने मुझे बताया कि मैंने 23 प्रतिशत तो दे दिये लेकिन इसके अलावा भी इन्जीनियर साहब पैसा चाहते हैं। तो,उपाध्यक्ष महोदय,बेचारा ठेकेदार खुद अपने पास क्या रखेगा? इस तरह से यह राजकीय धन आज इन्जीनियर लोग बरबाद करके अपना घर बना रहे हैं। इसमें हमें सुधार करना पड़ेगा, और सुधार नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। यह जो आज राज्य सरकार ने अलग अलग सुपरि-

(श्री केशरीमल)

न्टेंडिंग इन्जीनियर आपने बना रखे हैं आप चाहें तो और चीफ इन्जीनियर बना लो लेकिन आप उनको डिविजन अलॉट तो कर दो ताकि वहाँ पर जाकर अपने सर्किल में वह लोग काम करें। यह लोग जयपुर के बाहर क्यों नहीं जाते हैं ? मेरा निवेदन यह है कि इनको बाहर सर्किल अलॉट करके, इनको वहां भेजकर इनसे काम लिया जाना चाहिये। और सारा का सारा काम पी० डब्ल्यू० डी० के द्वारा किया जाना चाहिये।

इसके अलावा जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि जितना सड़क निर्माण कार्य के लिये इन लोगों ने पैसा लेकर सड़कों का बेड़ा गर्क किया है उतना किसी ने नहीं किया। लोगों की सड़कों के नाम पर जमीनें ले लीं लेकिन आज दो ढाई साल हो गये हैं उन्हें पैसे अपनी जमीनों के प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके अलावा ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी जमीनों पर पहले सरकार से कर्ज लेकर कुएं बनाये थे उनकी जमीन तो ले ली गई और पैसे उन्हें मिले नहीं,अब अकेले कुए मे वह बेचारे क्या करें ? उसमें डुबकी लगायें या क्या करें; अब उन्होंने कुओं को सरकारी कर्ज लेकर बनाया, जब आपने उनको जमीन ले ली तो वह लोग पैसे कहां से चुकायेंगे ? वह लोग तो बरबाद हो गये। जब जमीन उनके पास नहीं है तो किस पर सिंचाई उन कुओं से करेंगे ? इसलिये मेरा यह निवेदन है कि उन लोगों से आपको कुओं के पैसे भी नहीं लेने चाहियें जो कर्जा उन्होंने लिया उसको भी माफ कर देना चाहिये और कुओं की कीमत उन किसानों को दे दी जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इन इन्जीनियर्स ने जिन किसानों से टसल थी उनके साथ तो बहुत ज्यादती की है। किसी खेत के पास होकर सड़क जा सकती थी तो भी उन्होंने उनकी जमीन ले ली और उनके खेत में से सड़क निकाल दी लेकिन जिन लोगों को यह अनुचित फायदा पहुंचाना चाहते थे, या जो लोग लाठी लेकर इनके सामने खड़े हो गये उनको इन्होंने बिलकुल नहीं छेड़ा और बेचारे कई गरीब और भोले भाले काश्तकारों को इन सड़कों के निर्माण में काफी भारी नुकसान हुआ। जहां सड़क को मोड़ नहीं देना चाहिये था वहां पर पर्सनल इन्ट्रेस्ट के खातिर मोड़ दे दिया। जहां पर जमीन काश्तकार की ली उसे पैसे आज तक नहीं दिये, वह बेचारा रो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जब हम 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीब किसानों का भला करने की बात करते हैं फिर उन्हें इस प्रकार पैसा नहीं मिले तो वह छोटे छोटे लोग कैसे जिन्दा रहेंगे। बिना जमीन के वह लोग बरबाद हो जायेंगे। राज्य सरकार को चाहिये कि उनको दूसरी जगह जमीन दे। नहीं तो बेचारे यह किसान लोग बरबाद हो जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं सड़कों के बारे में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि हमारे अजमेर जिले में कोई नई सड़क नहीं बनी है। एक सड़क अजमेर से पीसांगन वाया गोला होती हुई बन रही थी लेकिन इन चार सालों में भी उस सड़क का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। सभी जगह काम हुआ होगा लेकिन हमारे अजमेर जिले में सड़क के नाम पर पिछले चार साल में कोई काम नहीं हुआ है। मै देख रहा हूं पांच साल बीतने के बाद पता नहीं क्या

(श्री केशरीमल)

होगा। मैं आऊंगा या और कोई आयेगा जीत कर तब देखा जायेगा। मैं पिछले चार सालों से कह रहा हूं और अगर मैं जीत कर आऊंगा तब तो मैं और कहूंगा ही पर इन अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। चार साल में एक सड़क भी बनायी? ऐसा हमारे अजमेर जिले की जनता ने क्या बुरा किया है? मैं, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ही क्षेत्र की बात ब्यावर की बात करूंगा तो वह ओछी दिखाई देगी। लेकिन वहां पर पूरे अजमेर जिले में कोई सड़क नयी बनाना तो दूर रहा वहां पर सड़कों पर मिट्टी तक नहीं डाली गई। कोई मरम्मत का काम नहीं किया। इसके साथ साथ मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि फेमिन के समय में जो सड़क बन रही थी जब फेमिन का कार्य बन्द हुआ उस वक्त कोई सड़क तीन मील बन गई और पाव आधा मील ही बनना बाकी थी तो बाद में उसको भी पूरा नहीं करवाया गया। जहां पर कंकड़ पड़े थे वहां पर कंकड़ ही पड़े रह गये। जहां कंकड़ पड़ गये और डामर नहीं पड़ती तो वह भी नहीं पड़ी। तो, उपाध्यक्ष महोदय, जहां अकाल के समय में, राज्य सरकार ने लाखों रुपये खर्च कर दिये तो अब जो थोड़ा ही काम बाकी है उसको आप पूरा करवा दें तो जो सड़कें आज अधूरी पड़ी हैं जहां पर गाड़ी बैलगाड़ी वगैरह जा नहीं सकती है, लोगों के लिये दिक्कत है जाने की, इसके लिये मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि राज्य सरकार एक योजना बनाकर ऐसे कार्यों को अपने हाथ में ले और उन कार्यों को पूरा करवाये। मैंने इसके बारे में राज्य सरकार के अधिकारियों से कहा, आपको पत्र लिखा लेकिन आपके विभागीय अधिकारी मन्त्रीजी का रुख देखते हैं और जिधर मंत्री जी का रुख होता है उधर ही विभागीय अधिकारी अपना रुख कर देते हैं। हमारे इधर देखने का रुख हुआ ही नहीं। नीति समान होनी चाहिये चाहे मेरा इलाका हो, चाहे किसी दूसरे का इलाका हो। मैं ऐसी 20 सड़कें बता सकता हूं जिनमें बिलकुल काम नही हुआ है देवगढ़-भीलवाड़ा, किशनपुरा से पाली, बड़ा खेड़ा से सवारिया जवाजा से देवाता, देवाता से जालिया, बड़ा खेड़ा से मीम,नराखन से दुदालेश्वर। मैंने इन सड़कों के बारे में कुछ कहा ही नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इन सड़कों पर गाड़ियां जाना बन्द हो गई। नये रास्ते उनको निकालने पड़े। उन सड़कों पर लाखों रुपया लगा है वह बिलकुल बेकार हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा योजनाबद्ध तरीके से मेरे सारे इलाके में जो पहाड़ी इलाका है काम करायें जहां अकाल पड़ता है खास तौर से उन कामों को अवश्य पूरा करवायें ताकि लोगों को सामान लाने ले जाने में कोई दिक्कत न हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा विभाग आखिर क्या कर रहा है। 20 सूत्री कार्यक्रम किस तरह पूरा हो, यह कभी हमारे विभाग ने सोचा है? हमारा विभाग तो यह सोचता हैं, पैसों की बचत करनी है और अभी 44 आदमियों को नौकरियों से टर्मिनेट कर दिया शायद 21-2-70 को जिसमें 11 लोग शिड्यूल्ड कास्ट्स के हैं और यह कहा गया कि बचत करनी है इसलिए निकाला है। ये लोग ढाई तीन साल से कार्य कर रहे थे। उनको सबको निकाल दिया और जब बाद में दबाव पड़ा तो 11 आदमियों को, जो

(श्री केशरीमल)

शिड्यूल्ड कास्ट्स के थे, रख लिया गया। फिर भी 33 आदमी रह गये। यह राज्य सरकार का उत्तर है। विभाग अलग हो सकता है, विभाग अलग, अलग होने से राज्य अलग नहीं होता है। राज्य सरकार के बहुत से विभाग हैं जिनमें स्थान खाली हैं पहले उन लोगों की वहां पर भर्ती करनी चाहिये। लेकिन उनको कोई काम न देकर आपने फालतू कर दिया है और इन 44 को निकालने की आपने बात कर दी है। दूसरे डिपार्टमेंट में एल.डी.सी. लिये होंगे। क्या आप उनको वहां नहीं ले सकते थे? लेकिन उनको नहीं लिया और दूसरी जगहों पर नई भर्ती कर ली गई। इसी विभाग में 181 पोस्टें हैं, सरकार के पास पड़ी हैं विचाराधीन, वे भी हो जाते हैं तो इसमें आ जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जो कार्य किया गया है वह बिलकुल गैरवाजिब किया गया है। आज के माहौल में ऐसे लोगों को बेकार करना उनकी जिन्दगी खराब करने जैसी स्थिति हो जायेगी। सर्विसेज को निश्चितरूप से आप नेशनेलाइज कर सकते हैं, वर्क लोड को सुधार सकते हैं, कुछ वर्क लोड बढ़ाया जा सकता है। अधिकारियों का यदि वर्क लोड बढ़ाना है, अधिकारियों को यदि कहीं खपाना है तो वह किया जा सकता है। उनके लिये तो आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन छोटे लोगों के लिये करने का आपका जी नहीं चाहता है। छोटे लोगों को काम से निकालना बिलकुल गैरवाजिब बात है। मेरा ऐसा निवेदन है जो नई भर्ती हो रही है उनमें आप लगा सकते हैं। यह बहुत ही आवश्यक है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां न्यूनतम कार्य निर्धारित किये, उसमें कहा गया 2600 आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ देंगे लेकिन उसके बारे में भी आपके यहां की जो रिपोर्ट है उसमें भी हमारे इलाके का कुछ नहीं है और इसमें आपकी बिलकुल असफलता रही है। जो योजना न्यूनतम कार्यक्रम में है वह भी पूरी नहीं कर पाये तो तरक्की कैसे सम्भव है। अगर आप ऐसे कामों को नहीं करा पायेंगे तो आगे तरक्की नहीं हो सकती है। जो काम आपने एक साल में करने तय किये हैं और वे प्लान के माफिक पूरे नहीं होते हैं तो इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं? धन आवंटित किया, काम निर्धारित किया और उसके बाद काम नहीं हुआ तो नहीं करने वाला कौन है? किसके ऊपर जिम्मेदारी थी? और अगर उसने जिम्मेदारी को नहीं निभाया तो उसके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की? मेरा निवेदन करना यह है कि जो इस तरह के काम हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई और फिर काम नहीं करवा सके हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिये।

जहां तक पुलियाओं का सम्बन्ध है। कई जगह ऐसे काम दिख रहे हैं कि योजना कोई एक–दो साल की नहीं है वर्षों तक चलती ही रहती है। जोधपुर की पुलिया को मैंने देखा है क्योंकि साल में दो–चार बार मेरा जोधपुर आने जाने का काम पड़ जाता है उसमें स्थिति यह है कि आज एक पत्थर लगा दिया तो दूसरे दिन दो पत्थर गिर गये; फिर तीसरे दिन दो पत्थर लगा दिये तो चौथे दिन चार पत्थर निकल गये— इस तरह वर्षों तक उन पर काम होता ही रहता है। कुछ जगह रास्ते बनाने की बात थी मैंने उनसे कहा इधर से निकालने के बजाय इधर से ही रास्ता निकाल देते तो

(श्री केशरीमल)

खर्चा भी कम लगता और रास्ता भी जल्दी निकल जाता लेकिन इन्जीनियर महोदय ने कहा, "नहीं साहब स्ट्रेट रास्ता निकालना है" उसका कारण यह है कि काम पूरा नहीं होना चाहिये। काम बराबर चलता रहना चाहिये, यह जिसकी नियत हो वह काम पूरा नहीं करेगा। पुलियाओं के बारे में मैंने निवेदन किया—सांगानेर एरोड्राम वाली पुलिया, इसी तरह सवाई माधोपुर वाली पुलिया है और जोधपुर की पुलिया है—कितने वर्षों से काम चल रहा है लेकिन वह पूरा नहीं हो रहा है। इस तरह, उपाध्यक्ष महोदय, छोटी छोटी पुलियाओं के काम तो बहुत से हैं जो अधूरे पड़े हैं या बिलकुल नहीं हो रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे क्षेत्र का निवेदन किया, ब्यावर से कोला रोड़ पर सारा पानी भर गया। मैंने प्रश्न रखा था, एनीकट बनाने वाले ने सोचा नहीं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भराई क्या होगी। एनीकट बनने के बाद पानी सड़क पर आ गया और पानी आ जाने से सड़क टूट गई। कभी बस उलटी होती है तो कभी बैलगाड़ी उलटी होती है और किसी के हाथ और किसी के पैर टूट जाते हैं। राज्य सरकार को जब निवेदन किया कि दूसरी तरफ से रास्ता निकाल दें तो कहते हैं हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है। और यदि आप चाहते हैं कि दूसरी तरफ से रास्ता निकले तो मन्त्री महोदय से मिल लीजिये। हमने कहा, मंत्री महोदय से तो बहुत मिल लिये। पुलिया बनाने की बात करते हैं तो सरकार सुने नहीं। रास्ता दूसरी तरफ से निकालने की बात करें तो सरकार सुने नहीं। मैं कहता हूं आखिर योजनाबद्ध तरीके से आप कामों को क्यों नहीं शुरू करवाते हैं। देवाता रोड पर भी काम बन्द हो गया। एक इन्जीनियर कुछ काम कर रहे हैं दूसरे इन्जीनियर कुछ काम कर रहे हैं—उनका कोई तालमेल ही नहीं है—एनीकट बनाना था तो पहले पी.डब्ल्यू. डी. के इन्जीनियर से सलाह करनी चाहिये थी कि सड़क को इतना ऊंचा लीजिये या कुछ और रास्ता बनाइये तब तो आप के काम ठीक तरह चल सकते हैं वरना आपके कामों की कोई उपयोगिता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यह देखा गया है जनता बराबर तकलीफ पा रही है। मैं जब उनको तकलीफ पाता देखता हूं तो बराबर राज्य सरकार को लिखता हूं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या कारण है कि मरम्मत और जीर्णोद्धार के कारण बहुत सी जगह सड़कें बेकार पड़ी हैं? उसके लिये राज्य सरकार योजना क्यों नहीं बनाती है और क्षेत्र के हिसाब से क्यों नहीं देखती है। मेरे ख्याल से भीम से टाटगढ़ तक की सड़क है उसकी मरम्मत वर्षों से नहीं हुई है और मरम्मत नहीं होने से कोई मोटर गाड़ी नहीं जा सकती है। मैं कहना चाहता हूं जो जीर्णोद्धार के काम हैं, या मरम्मत के काम हैं वे अलग हैं लेकिन मरम्मत के काम के लिये योजना होनी चाहिये। उनके ऊपर जहां जरूरत है वहां डामर पड़े जहां जरूरत है वहां मिट्टी डालें लेकिन कहीं भी इन कामों में कोई ध्यान नहीं है। तो मेरा यह निवेदन करना है कि उनको काम करना चाहिये पूरे राज्य का, पूरे इलाके का काम करना चाहिये और यह देखना चाहिये कि काम कैसे पूरा किया जा सकता है और लोगों को राहत दी जा सकती है।

# Page No 85



(श्री केशरीमल)

मेरा यह निवेदन करना है, उपाध्यक्ष महोदय, 20 सूत्री कार्यक्रम यह कहता है कि हमारे यहां के लोगों को रहने के लिये झोंपड़ा देंगे। पहले भी सदन में ऐसी बात आई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कहा था कि ब्यावर में बसाने के लिये जगह नहीं है।

श्री हीरालाल देवपुरा (सिंचाई मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि पहले भी आवासीय भू-खण्ड के बारे में एक माननीय सदस्य ने कहा है, भूखण्ड अलाट करने के बारे में आज कोई मांग नहीं है। यह जो मांग है आवासीय स्थान जो सरकारीतौर पर अलाट करते हैं उसके सम्बन्ध में है। इसलिये मैंने आप से यह निवेदन किया कि इसमें सदन का समय बचाया जा सकता है।

श्री केशरीमल : मामला जुड़ा हुआ तो है। फिर आप कहते हैं कि इससे सम्बन्धित मामला नहीं है। जिन लोगों को पट्टे दिये हैं उनको देने के बाद भी कैंसिल कर दिया गया और उनके रहने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करिये।

श्री केशरीमल : मैं ही बोलने वाला हूं। और कोई मेरी पार्टी से इस पर बोलने वाला नहीं है। मुझे केवल 15 मिनिट हुए हैं।

श्री रामलाल : समय की कट मोशन पर कोई पाबन्दी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : 30 मिनिट हो गये हैं। दूसरे माननीय सदस्यों के भी कटौती प्रस्ताव हैं।

श्री केशरीमल : अकाल राहत में जो कार्य हुए हैं उनमें बहुत गड़बड़ी हुई है। देसे काम किये गये। पोलिसी आपकी अजीब है। आपका यह कहना है कि जहां के लिये योजना बनायी जावेगी वहां ही अकाल राहत के काम खुलेंगे। सरकार योजना बनाये नहीं और अकाल राहत के कार्य खुले नहीं। मेरे इलाके के 976 गांवों में से 856 अकालग्रस्त हैं। असेम्बली में और बाहर भी बराबर कहते रहे हैं। यही जवाब मिला कि योजना पर जो गांव आवेंगे वहीं पर काम खुलेंगे। हमें छुट्टी हो गई हमने गवर्नमेंट की पोलिसी के बारे में गांवों में जाकर कहा कि जो योजना में आवेंगे वहीं पर काम खुलेंगे। फिर आपने काम खोले, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारे यहां काम खोले। जो आपने यह नीति बनाई है, उसके लिए मेरा निवेदन करना है कि इतने बड़े अकाल के काम आपको पहले ही शुरू करने चाहिये थे। देर आयद दुरस्त आयद।

(1. 15 म. प.)

(श्री रघुनाथ बिश्नोई, सभापति, पीठासीन)

इन कामों पर इन इन्जीनियरों ने पैसा बटोरने का एक तरीका निकाला। कम्प्रेसर मशीनें किराये पर आईं। टेण्डर कुछ हुए, पेमेंट कुछ हुआ। मैंने इसके विषय में लिखा-पढ़ी की। मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने सड़कों पर जाकर देखा कि वे होल करते थे वह मिट्टी में करते थे बजाय पत्थर में होल करने के। सारे के सारे होल मिट्टी में किये

(श्री केशरीमल)

जा रहे थे। 250/300 की गिनती बताई मैंने माननीय मंत्रीजी को बताया। विभाग को बताया। नतीजा यह हुआ कि इन्जीनियरों ने लाखों रुपया बनाया। सुधारा भी नहीं गया। शिकायत हो गई। होल करने का काम पत्थर में होता है। फिर देखा। फिर कहा। लेकिन कोई कुछ नहीं किया। जब देखा कि ऊपर से नीचे तक यह चलता है, मैंने कहा कि अधिकारी को साथ भेजो। वे टालमटोल करते रहे। आखिर आये नहीं मेरे साथ। हम तो आज नहीं जावेंगे इस प्रकार टालते रहें। मैंने स्वयं ने सड़कों का निरीक्षण किया। मैंने देखा कि बीसों मस्टर रोल गलत पाये गये। कहीं दस पन्द्रह का फर्क कहीं ज्यादा। मैंने वहां पर उनमें साइन किये कि इस प्रकार की गलती है। इस तरह प्लानिंग के काम हुए। फेमिन आय काम आय, फेमिन जाय काम जाय। लगातार जहां अकाल पड़ता हो वहां तो काम होने चाहिएं। डी. पी. ए. पी. के काम हुए। जितना पैसा और लगना आवश्यक है वह नहीं लगता जब कि उन पर लगाना चाहिये।

हमारा क्षेत्र है वह पहाड़ी इलाका है। वहां पर लोगों को काम और राहत देने के लिए लाखों नहीं करोड़ों रुपया लगाना पड़ता है। चम्बल से पानी ला सकते हैं। छोटे 2 उद्योग खोल सकते हैं। ऐसे कुछ काम किये जायं तब ही लोगों को राहत मिल सकती है। इसी बात पर मुनस्सर न हों कि पानी आयेगा, बारिश आयेगी और काम चलेगा। प्लानिंग के मामले में मेरा यह निवेदन है कि इस तरह के इलाके के अन्दर सर्वे करवा कर काम किये जायं। बार बार प्रश्न उठता है पानी का। चम्बल के पानी को अजमेर इलाके में और खासकर हमारे इलाके में लाना आपके लिए कोई असंभव बात नहीं है। लाया जा सकता है और लाया जाना चाहिए और पानी लोगों को सप्लाइ करना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके, पशु धन भी पनप सके।

हमारे यहां पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की समस्या है। जवासा होकर जालिया लाने का काम है। लाखों रुपया खर्च हो गया इस काम में। मैं तो इस बार सदस्य होकर आया हूं। पहले भी सदस्य आये हैं और बार बार उन्होंने इस प्रश्न को उठाया है। मंत्रिगण ऐलान कर गये, चाहे चौधरी रामचन्द्रजी हों कि राज्य सरकार ने यह तय कर दिया है कि यह यों बन जावेगा लेकिन जब कभी चुनाव के मौके आये फावड़ा तगारी दिये और खत्म हो गये तो फावड़े तगारी बन्द हो गये। हवा बन गई है कि कुछ कहना है वह कहेंगे। जो कहा है तो उसको पूरा करना चाहिये। 26 जून के बाद तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जिस काम के लिए कहें उसको पूरा करना है। इस अकाल को तोड़ने के कई काम हाथ में लिए जा सकते हैं। छोटे 2 उद्योग हाथ में लिए जा सकते हैं। खानों के ठेके दिये जा सकते हैं। बड़े लोगों को देने के बजाय छोटे लोगों को देने चाहिएं। ऐसी कुछ योजना बना कर उस योजना के अनुसार इलाके का सुधार किया जाय जिससे ऐसी स्थिति बनने से रुक सके।

( समय-समाप्ति-सूचक घन्टी )

माननीय सभापति महोदय, अभी समाप्त कर रहा हूं, दो मिनट में।

# Page No 87

(87)



(श्री केशरीमल)

मेरा इतना सा और निवेदन करना है कि जो फेमिन के टाइम की गिट्टी और मिट्टी जहां जहां इकट्ठी की है उस पर गवर्नमेंट का सभापति महोदय, बहुत पैसा लगा है। लाखों और करोड़ों रुपया लगाकर उसको इकट्ठा किया लेकिन गवर्नमेंट के पास में कोई हिसाब नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। वह गिट्टी और मिट्टी रोज ठेकेदार लोग वहां से उठाकर ले जाते हैं और जो वह प्राइवेट तौर पर ठेका लेते हैं वहां उसका इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों की और सरकार के आदमियों की मिलीभगत चलती है। लाखों रुपयों का माल लोग उठाकर ले गये और अभी भी लाखों रुपयों का माल पड़ा है वह भी उठ जायेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार क्यों इन ठेकेदारों को यह दे। सरकार की तोड़ी हुई गिट्टी लाखों रुपयों की पड़ी है उसको ठेकेदार लोग गाड़ियों में डालकर ले जाते हैं। यही नहीं पत्थर आज डालेंगे और कल वह पत्थर उठाकर लोग वहां से ले जायेंगे। तो मेरा यह निवेदन करना है कि जो फेमिन में काम हो रहे हैं या सार्वजनिक निर्माण में काम हो रहे हैं उसमें आज अनियमिततायें हो रही हैं। आज जो 18, 16 और 5 मील पर काम लगाया जा रहा है उन कामों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। काम पर लगाने के पहले हर मजदूर से 20 रुपये लिये जाते हैं और फिर उस मजदूर को काम पर लगाया जाता है। मैंने गवर्नमेंट को लिखा कि यह अन्याय हो रहा है और आज भी यह इन्जीनियर्स और ओवरसियर्स इस तरह से पैसे खाते रहेंगे और लोगों को काम पर लगाते रहेंगे तो आखिर इसका क्या बनेगा? मैंने लिखा भी लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और कोई जवाब नहीं। माननीय सभापति महोदय, लोग मेरे पास चलकर आये कि इन्जीनियर्स और ओवरसियर्स बराबर इस बात की ताकीद कर रहे हैं कि पैसे दोगे तो काम पर रखा जायेगा अन्यथा नहीं। तो लिखने के बाद भी और कहने के बाद भी अगर सरकार कुछ नहीं करें तो निश्चिततौर से गरीब किसान, जिसकी खेती नहीं, है जो पत्थर फोड़ने के लिये वहां आया है उसको 20–25 रुपये हर चिट्ठे पर देने पड़ रहे हैं। इससे बड़ा अन्याय और क्या होगा, यह रुकना चाहिए।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मैंने सार्वजनिक निर्माण, सड़कें, पुल, आवास और अकाल सहायता इन चारों विषयों पर अपने कटौती प्रस्ताव रखे हैं। पहले मैं सार्वजनिक निर्माण और सड़कें और पुल के विषय पर आता हूं।

सार्वजनिक निर्माण, सड़कें व पुलों के लिये जो व्यवस्था की गई है मैंने पुस्तिका का अध्ययन किया और यह पाया कि 1976-77 में 10.35 करोड़ है, जिसमें फेमिन का सड़कों की मरम्मत की राशि भी शामिल है। 1975-76 का प्रोवीजन 7.35 करोड़ था वह बढ़ाकर अब की बार 10.35 करोड़ किया गया है। तो यह प्रावधान जो किया गया है यद्यपि जो हमारा राजस्थान प्रान्त है इतना पिछड़ा हुआ प्रान्त है और जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उसमें तो और भी विशेष विकास करने की आवश्यकता है। तो यह प्रावधान जो 10.35 करोड़ का किया गया है यह बहुत ही अपर्याप्त है। परन्तु

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

राजस्थान प्रान्त के साधन भी सीमित हैं यह भी स्थिति है। अब प्रश्न यह उठता है कि इन सीमित साधनों को देखते हुए किस प्रकार इस राशि का एलोकेशन होगा, यह अगर जिलेवार सूचना प्राप्त हो जाती तो डिस्कशन करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती क्योंकि जो एलोकेशन किया जाता है, जो न्यूनतम आवश्यकता के कार्यक्रम है उसके बारे में तो एलोकेशन हमें मालूम पड़ गया कि बाड़मेर जिले को 20 हजार रुपया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत एलोकेट किया गया है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में पहले 1974-75 में 97.73 लाख का प्रोवीजन था, 1975-76 में 104 लाख था और 1976-77 में जैसा पुस्तिका में वर्णित है 25 लाख की व्यवस्था की गई है। अब न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की महत्ता को भी घटाया जा रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की जो इम्पोर्टेन्स पहले थी उस इम्पार्टेन्स को भी घटाया जा रहा है क्योंकि 1976-77 में 25 लाख का ही प्रावीजन किया गया है।

अब प्रश्न यह उठता है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत जो कार्यक्रम हाथ में लिये गये उनको कम्प्लीट करने के लिए हमारे जिले में जो 20 हजार की व्यवस्था की गई है उस 20 हजार से तो किसी भी तरीके से आधे माइल से ज्यादा रोड नहीं बन सकती तो किस प्रकार 20 हजार से क्या प्रोग्रेस आप कर सकेंगे, यह प्रश्न उठता है और राजस्थान प्रान्त में भी 25 लाख रुपये से न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम क्या हो पायेंगे, उनसे आप प्रोग्रेस अधिक नहीं कर सकते इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आप न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक राशि की व्यवस्था करें। अब प्रश्न यह उठता है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत जो फार्मूला बनाया गया है उस फार्मूले के बारे में मैंने जो प्रयोजना सलाहकार समिति में प्रस्ताव किये थे वे यहां भी मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। 2500 की आबादी का प्रावीजन रखने का क्या आधार है और क्या क्राइटेरिया है? जिन जिलों में जितने गांव 2500 की आबादी के होंगे उस संख्या के अनुपात में राशि की स्वीकृति की जायेगी। जैसे जैसलमेर जिले में एक गांव ही है तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत वहां कम से कम स्वीकृति होगी और बाड़मेर जिले में जैसलमेर के मुकाबले ज्यादा हैं तो अधिक होगा और दूसरे जिलों में ज्यादा गांव हैं तो उतना ही ज्यादा उनके लिए होगा। जो जिले अधिक विकसित हैं और जिन जिलों में 2500 से ज्यादा की आबादी के गांव हैं, जो विकसित गांव हैं उनको और विकसित किया जायेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि यह क्राइटेरिया एडाप्ट करते हैं 2500 की आबादी का, अगर इस आबादी को कवर करें तो जो डिस्टेंस रेगिस्तानी इलाके में है वहां जनसंख्या के आधार पर करेंगे तो एक रोड बनाने के लिए इस क्राइटेरिया के हिसाब से 25 साल लगेंगे। इसके लिए जन प्रतिनिधियों की सलाह लेनी चाहिये, सलाह लेकर इस प्रकार के कोई क्राइटेरिया फिक्स करने चाहिये। हमारे दिमाग में यह होता है कि हमारे जिले की आप उपेक्षा कर रहे हैं और फिर आप यह दृष्टिकोण रखते हैं कि हमारा कोई क्षेत्रीय आधार का दृष्टिकोण

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

नहीं है। परन्तु हम तो आपको ही जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। हम ब्यूरोक्रेसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अगर सदन में हम जिम्मेदार ठहरायेंगे तो आपको ठहरायेंगे क्योंकि आप नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं। अगर आपको वह मिसगाइड करते हैं "देन यू विल बी रेस्पान्सीबल एण्ड नोट दी ब्यूरोक्रेसी विल बी रेस्पान्सीबल' तो इस चीज को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

अब प्रश्न यह उठता है कि सड़कों के बारे में कितनी व्यवस्था की है। 15 साल के अन्दर सिर्फ एक पचंपदरा साल्ट का जोड़ने के लिए और वह भी स्टेट एण्टरप्राइज है उसके सिवाय कोई भी रोड नहीं है हमारे प्लान में, कोई योजना में, हमारे जिले के लिए कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। आप देख लीजिये। मैंने बराबर हिसाब अप-टू-डेट करके देखा है. एक सड़क नहीं ली गई है। आप यह प्रश्न उठायेंगे कि आपके यहां पर सीमावर्ती सड़कें बनी हैं। आप यह प्रश्न उठायेंगे कि आपके यहां पर अकाल राहत कार्यों में वर्क्स होते हैं। यह प्रश्न उठायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां वर्क होते हैं तो उदयपुर डिविजन में भी होते हैं, उनमें भी अधिक राशि खर्च करते हैं। परन्तु वहां प्लान के अन्दर व्यवस्था की जाती है। तो आप योजनाओं के अन्दर हमारे जिलों के लिए इस प्रकार की नीति मत अपनाइये और पहले अगर अपना ली हो तो अब उस दृष्टिकोण को, उस नीति को छोड़ दीजिये। अब आयन्दा से यह त्रुटि न करें। यह तो कम से कम आप जैसे मन्त्री महोदय से, जिनका विशाल दृष्टिकोण है, मैं अपेक्षा करता हूं। अब प्रश्न यह उठता है कि जो अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सड़कें बनीं, 1974-75 और 75-76 में, दोनों वर्षों में बनीं, यह अवश्य अच्छा हुआ कि जो सड़कें बनीं वह सड़कें डामर की बनीं। मेटल रोड बनीं और जो करप्शन पहले था उस करप्शन के अन्दर भी कुछ सुधार आया। इसके लिए मैं बधाई देता हूं क्योंकि यह परिवर्तन आया है। हमारा दृष्टिकोण जो है उसमें परिवर्तन आया है। परन्तु अब प्रश्न यह उठता है कि जो आपने योजनाबद्ध अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत योजनागत सड़कें ले लीं और वह सड़कें जो हैं इन्कम्पलीट हैं और सड़कों में ऐसी स्थिति है कि सड़कें 3/4 हिस्सा तो बन गईं और 1/4 हिस्सा रह गईं। ऐसी सड़कें मैं बताना चाहता हूं। बैसाली विलेज ऐसा है हमारे बाड़मेर जिले में जो सबसे बड़ा गांव है। छः हजार की आबादी है इस गांव को और अब तो सात हजार की आबादी होगी उसको जोड़ने के लिए करीब सात या आठ किलोमीटर की सड़क पक्की बन गई और दूसरी सड़क जो है, सामान सब पड़ा हुआ है, डामर भी रखा हुआ है परन्तु वह कम्पलीट नहीं हो रही है। थोड़ा सा पैसा लगाने से यह सड़क बन सकती है। मैं पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि यह महत्वपूर्ण सड़क है। यह प्रोवीजन यदि आप करते हैं तो इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण सड़क है और आप का जो प्रिंसिपल है पच्चीस सौ की आबादी को जोड़ने का उसके अन्दर भी यह गांव आता है और उधर यह स्थिति पैदा होती है कि उसमें भीमड़ा विलेज भी जुड़ता है। वहां पर ट्यूबवेल है। भीमड़ा ट्यूबवेल से करीब 25 गांवों को पानी प्राप्त होता है। आज अगर भीमड़ा गांव कनेक्ट हो जाता है तो यह

( श्री वृद्धिचन्द्र जैन )

महत्वपूर्ण स्थान कनेक्ट हो जाता है। इसलिए आपको प्राथमिकता देनी चाहिये।

दूसरी जो रोड है वह बायतु से कानोड़ा तक की है। वहां पर वर्क हुआ है, वह मैटल रोड है, बायतु से कानोडा तक, वहां मैटल रोड तो तैयार हो गई लेकिन योजना के अन्तर्गत उस पर अब डामर होना है वह नहीं करते हैं। उस मैटल रोड की स्थिति यह है कि ग्रेवल से भी खराब हालत में है। मैटल रोड में क्या होता है कि पत्थर, कंकरी वगैरह इधर उधर हो जाते हैं और जो हम ग्रेवल रोड का लाभ उठा सकते हैं वह भी नहीं उठा सकते और मैटल रोड का भी नहीं। मैटल रोड के ऊपर अगर डामर नहीं करते हैं तो हमारे रेगिस्तानी जिले में तो वह ग्रेवल रोड से भी खराब होती है। ग्रेवल रोड के मुकाबले भी यूजफूल नहीं होती, उपयोगिता नहीं होती उसकी। इसका कन्सीडरेशन करके ये दो रोड्स हैं इनको पूरा करावें।

तीसरी रोड जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आती है बाड़मेर से बैसाली वाया जालेपा, यह रोड भी अभी तक कम्प्लीट नहीं हुई है। आधी रोड तैयार हो गई और आधी रोड कम्प्लीट होने को है और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में बीस हजार का प्रोविजन है। यह रोड बाड़मेर से बैसाली तक पहुंच सकेगी और बैसाली से हरसोणी बड़ा इम्पोर्टेंट विलेज है और डिफेन्स पोइन्ट आफ व्यू से भी इम्पोर्टेन्ट है। तो इसके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए।

अब तीसरा प्रश्न यह आ जाता है कि हमारे यहां जो डिफेन्स पाइन्ट आफ व्यू से सड़कें बनीं, डिफेन्स पाइन्ट आफ व्यू से सड़कें बनने के बाद भी अभी और कुछ जो डिफेन्स पाइन्ट आफ व्यू से इम्पोर्टेन्ट हैं और सैकिंड प्रायोरिटी की बोर्डर रोड्स हैं, और जगहों पर भी है, बाड़मेर जिले में भी हैं, जैसलमेर जिले में हैं, बीकानेर जिले में है, गंगानगर जिले में भी हैं, मंत्री महोदय को इनके लिए प्रयास करना चाहिए। रक्षा मंत्री जो आजकल श्री बंशीलाल जी हैं उनसे मिलना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहिए और इसके लिए प्रयास करना चाहिए. यह देश की सुरक्षा का प्रश्न है। अगर इन सुरक्षा की सड़कों को आपने कोशिश करके, प्रयास करके अगर आपने हाथ में नहीं लिया तो हमारे हिन्दुस्तान पाकिस्तान के सम्बंध अच्छे नहीं हैं, पहले हमने जो यहां पर सड़क बनाई उनका बड़ा लाभ हुआ 1971 के युद्ध में। हमारी इन सड़कों ने बहुत ही लाभ पहुंचाया। तो यह डिफेन्स पाइन्ट आफ व्यू और स्ट्रेटेजिक पोइन्ट से भी इम्पोर्टेन्ट रोड्स हैं। इनके बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि बाड़मेर से हरसोणी वाया बैसाला, चौहटण से बाखाजी, रामसर से चौहटण, रामसर से गिराब रामसर से चौहटण, चौहटण से बाखासर वाया बायतु, ये डिफेन्स पाइन्ट आफ व्यू से बडी इम्पोर्टेन्ट रोड्स हैं। यह जोधपुर से लेकर बाड़मेर पहुंचने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो इनके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। मै यह जानना चाहता हूं और मैंने पहले भी प्रश्न पूछा था कि मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किया। हमारी राज्य सरकार ने क्या

( श्री वृद्धिचन्द्र जैन )

कोशिश की । वह कोशिश जो की है वह और समक्ष, सदन के समक्ष प्रस्तुत करें और यह बतायें कि हमने यह प्रयास किया है और उस प्रयास में सफल नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए । यह भी मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप रक्षा मंत्री से मिले या नहीं मिले, प्राइम मिनिस्टर से मिले या नहीं, उनसे किस प्रकार की कोरसपांडेंस की, यह जानना बहुत ही आवश्यक है । इस संबंध में आप जानकारी दें कि वह सेंकिंड प्रायोरिटी की बोर्डर रोड्स हैं उनको क्यों हाथ में नहीं लिया गया है ? हमारे देश पर अगर पाकिस्तान हमला करे तो इन रोड्स के होने से हम सुदृढ़ हों, शक्तिशाली हों और हम उसका मुकाबला कर सकें । हमें बाद में पश्चात्ताप नहीं हो कि अगर यह रोड्स होतीं तो स्ट्रेटेजिकली हम आगे बढ़ सकते थे, हम युद्ध में जीत सकते थे, यह बाद में हमें पश्चात्ताप नहीं करना पड़े ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अब कुछ पुलों के बारे में, मैं निवेदन करना चाहूंगा । बाड़मेर से लेकर जो जोधपुर रोड है सिणधरी और बालोतरा तक, सिणधरी के लिए फेमिन टाइम में कुछ स्वीकृति दी थी परन्तु कोई कार्य शुरू नहीं किया गया । बालोतरा में जो बना है, जो छोटा सा पुल बना है वह कोई ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है । और जब लूणी नदी की बाढ़ आ जाती है तो यहां तक स्थिति आ जाती है कि बाड़मेर भी जोधपुर से कट जाता है । परन्तु अब जो है बाड़मेर से लेकर जोधपुर वाया बायतू रोड बनी है उससे अब सम्बन्ध तो नहीं कटेगा, यह तो लाभ हुआ है परन्तु यह भी जो है इम्पोर्टेंट पोइन्ट पर पुल है । सिणधरी भी महत्वपूर्ण स्थान है, पंचायत समिति का हैड क्वार्टर है । तो इसलिए इम्पोर्टेंट पुल है और इतने वर्षों तक कोई भी सिणधरी में पुल बनाने का फैसला नहीं किया, कोई प्रोवीजन नहीं किया गया है । बालोतरा में जो बना है वह फेमिन टाइम में बना है, योजना के अन्तर्गत हमारे जिले के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया है । इसलिए पहले अगर ध्यान नहीं दिया गया परन्तु अब तो आप ध्यान दें । आप से तो मैं अपेक्षा करता हूं, आपका दृष्टिकोण बहुत ही विशाल है । जब आप सिंचाई मंत्री के नाते अपनी मांगों पर जब आप अपनी भावना और अपने विचार प्रकट कर रहे थे तो मैं बड़ा प्रफुल्लित हो रहा था, बड़ा खुश हो रहा था कि आप अपना दृष्टिकोण, विशाल दृष्टिकोण रख रहे हैं । तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जो हैं हमारे जो पिछड़े हुए सीमावर्ती जिले हैं उनकी उपेक्षा नहीं करेंगे, उनको मदद देंगे ।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

अब प्रश्न यह उठता है कि नगरपालिकाओं को जो अनुदान की राशि दी जाती है वह राशि यद्यपि हमें जो इन्फोर्मेशन प्राप्त हुई है रिटन में कल ही मुझे मिली है, उसमें पांच लाख रुपये लिखी है । उसमें पांच लाख रुपये ही लिखा हुआ है, हो सकता है कि वह पचास लाख रुपये हो परन्तु लिखा हुआ उसमें पांच लाख ही था । तो इसलिए जो पांच लाख रुपये सड़कों के लिए नगरपालिकाओं को देंगे तो यह तो मजाक आप करते हैं । क्या उसका शेयर मिलेगा ? हम अगर आपको परेशान भी करें

( श्री वृद्धिचन्द्र जैन )

तो कैसे परेशान करें, कितने प्रश्न हमारे सामने आते हैं। अब मैं कहना चाहता हूं, आवासीय समस्या के लिए, भवन निर्माण के लिए। पंचायत समिति के मुख्यालयों में डाक बंगलों की व्यवस्था होना आवश्यक है। प्रत्येक पंचायत समिति के हेड क्वार्टर पर यह होना चाहिये। मैंने काफी गौर से इसके बारे में सोचा है। आज पंचायत समिति के मुख्यालय पर प्रधान भी जाता है, पंच, सरपंच भी मीटिंग में वहां आते जाते हैं, अधिकारी भी जाते हैं। उनके लिए ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। मंत्री लोग भी जाते हैं। जैसे बायतू के अंदर जाइये, कोई व्यवस्था नहीं है। परन्तु पंचायत समिति सिन्दड़ी में व्यवस्था है डाक बंगलों की। तो प्रत्येक पंचायत समिति के हेड क्वार्टर पर डाक बंगलों की व्यवस्था करना चाहिये।

भवन निर्माण के बारे में निवेदन करूं- ऐसा है आपने जो प्रावीजन किया है 75-76 में 363 लाख और 76-77 में आप 2 करोड़ रुपये प्रस्तावित कर रहे हैं। यह आपकी जो प्रोग्रेस है, वह कैसे सेटिस्फेक्टरी कह सकते हैं। आज भवन निर्माण के बारे में हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। हम भी यह चाहते हैं कि हमारे यहां पर जो हायर सैकेन्डरी स्कूल की बिल्डिंग है, मंत्री महोदय, वह भी टूटी-फूटी स्थिति में है। मिडिल स्कूल भवन के लिये तो पैसा नहीं है। हायर सैकेण्डरी स्कूल के लिए बिल्डिंग दे दीजिये। सब-जेल की बिल्डिंग 6-7 साल पहले बनी थी। वह भी आज रिपेयरिंग डिमांड करती है। इस प्रकार की जो बिल्डिंग हैं, वास्तव में जिनकी रिपेयर की डिमाण्ड्स हैं. उनकी रिपेयर नहीं की जायेगी तो वर्षा के कारण और नुकसान हो जावेगा और गिरने की स्थिति पैदा हो जावेगी। इसलिये ऐसी बिल्डिंग्स के बारे में जानकारी प्राप्त करके इस प्रकार की बिल्डिंग्स के लिए भवन के लिये मरम्मत करने की व्यवस्था आपको करनी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अब मैं अकाल सहायता के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। यह हमारा महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले तो मैं अकाल सहायता मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि वर्ष 74-75 और 75-76 में हमारे जिले की जिस प्रकार अकाल की स्थिति थी, उस अकाल का मुकाबला करने के लिए उन्होंने व्यवस्था की, हमारे प्रान्त के सीमित वित्तीय साधनों को देखते हुए। इसके लिये मैं फिर से उनको धन्यवाद देता हूं। इससे हमारे यहां के किसान बच गये और कोई किसी प्रकार की दुखद स्थिति नहीं आई, किसी की मृत्यु हो गई हो, इस प्रकार का कोई केस हमारे सामने नहीं आया। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे ही आपको सन्तोष नहीं कर लेना चाहिये। आपको अकाल का स्थाई हल ढूंढना है। अकाल का स्थाई हल ढूंढने के लिये आपको प्रयास करने हैं। अकाल के स्थाई हल ढूंढने के लिये आप कह सकते हैं डी. पी. ए. पी. का कार्यक्रम चल रहा है। यह उसके लिए ही प्रयास है। इसकी भी मैं सराहना करता हूं। डी. पी. ए. पी. का जो कार्यक्रम चलाया गया है वह अकाल का स्थाई हल ढूंढने का ही एक प्रयास है परन्तु इस अकेले प्रयास से ही आपको सन्तोष नहीं करना चाहिये। जब

( श्री वृद्धिचन्द्र जैन )

तक कि उनको इकोनोमी को, इन ग्रामीण क्षेत्रों की इकोनोमी को आप ठीक नहीं करेंगे, यह समस्या हल नहीं होगी। आपके पास में लघु उद्योग हैं। आप वहां पर लघु उद्योगों का विस्तार कर सकते है। वहां बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में खादी का विस्तार हुआ है, ऊन का भी वहां पर स्कोप है। खादी ग्रामोद्योग की उन्नति करके वहां पर रोजगार दे सकते हैं। इसलिये इसमें अधिक प्रोविजन करके कताई, बुनाई का काम करावें ताकि वहां के लोग इससे मजदूरी प्राप्त कर सकें। इससे भी अकाल के वक्त सहारा मिलता है। परन्तु अब इसका एक पर्मानेन्ट फीचर होना चाहिये और ज्यादा से ज्यादा इसके लिये व्यवस्था करनी चाहिए।

सभापति महोदय, फोडर बैंक के बारे में बहुत ही प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारे जिले के पशुपालकों को बाहर जाने की आवश्यकता न रहे, वहीं पर उनके लिए व्यवस्था की जा सकती है। एक फोडर बैंक फारेस्ट डिपार्टमेंट की सहायता से कायम किया जा सकता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी इसके लिए सहयोग लिया जा सकता है। इन दोनों विभागों के सहयोग से आप वहां पर एक फोडर बैंक एस्टेब्लिश कर सकते हैं। डेयरीज भी वहां पर डो.पी.ए.पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रही हैं। इस प्रकार अकाल का स्थाई हल करने का आपका दिमाग है फिर भी इसके लिये और योजना आपको प्रस्तुत करनी चाहिये। जैसे डी. पी. ए. पी. की एक योजना आपने प्रस्तुत की है। इसी प्रकार की और योजनाएं आप प्रस्तुत करें और जो प्रोवीजन है साढ़े चार करोड़ रुपयों का पांचवीं पंचवर्षीय योजना में, यह अमाउन्ट अपर्याप्त है। वह पर्याप्त नहीं है। हमारे यहां पर इसमें से आप ढाई करोड़ रुपया विद्युत पर खर्च कर रहे हैं, अलग से व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, इसके लिये मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से, जो विद्युत मंत्री भी हैं, निवेदन करना चाहता हूं कि विद्युत के लिये व्यवस्था प्लान के अन्तर्गत करें और डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत न करें वरना हमारे जिले की जो डी. पी. ए. पी. की योजनाएं हैं उनमें बाधा पड़ेगी। अकाल के स्थाई हल के लिये जो प्रयास कर रहे हैं वे रुकेंगे, उन पर असर पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री सभापति : श्री किशोरीलाल।

**श्री किशोरीलाल शर्मा (सलूम्बर) :** माननीय सभापति, सब से पहले मैं माननीय निर्माण मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि उनके कार्यकाल में बहुत कुछ काम हुए। लेकिन कुछ काम अधूरे भी रह गये, इसके लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

मान्यवर, मैं मांग संख्या 21 सड़कें और पुल पर अपने विचार रखूंगा। सलूम्बर से उदयपुर को जोड़ने वाली जो सड़क है और इसको यों कह सकते हैं बम्बई से दिल्ली को जोड़ने वाली सड़क वाया सलूम्बर, बमबोरा और खर की चौकी होकर दिल्ली जाने वाली सड़क है, इसका काम आपने लिया, इसके लिए आभार मानता हूं लेकिन वह अभी अधूरी पड़ी हुई है। साथ ही इसकी जो पुलिया है, खरके का पुल है, इसका काम पहले भी हुआ, हजारों रुपया लग चुका है लेकिन थोड़ी सी रकम के खर्च के

(श्री किशोरीलाल शर्मा)

अभाव में वह पुलिया पूरी होने से रह गई है और इस कारण बरसात के दिनों में 4-5 महीनों तक रास्ता बंद रहता है। बरसात में गोमती नदी जोरों से चलती है और सारा इलाका कट जाता है। आप जानते ही हैं, सभापति महोदय, सलूम्बर तहसील हैड क्वार्टर है, एस. डी. ओ. का हैड क्वार्टर है, और वहां के लोग पहले से ही पिछड़े हुए हैं, उनको आवागमन की कोई साधन नहीं मिलता है, ऐसी स्थिति में खास-तौर से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं इस पुलिया के महत्व को देखते हुए इसको जल्दी से जल्दी पूरा करावें।

इसके साथ ही उदयपुर से सलूम्बर रोड वाया जगत गोंगला है। रास्ते में गोमती नदी है। यह बहुत बड़ी नदी है। यहां पर गोंगला पर पुलिया का होना जरूरी है। इसके बगैर वहां 5-6 महीने तक लोग इधर उधर रह जाते है वहां से आवागमन का रास्ता बंद रहता है। मैं मंत्री महोदय का खासतौर से इस ओर ध्यान दिलाऊंगा कि कृपा कर के इस ओर ध्यान दें और इस पुलिया के काम को भी जल्दी से पूरा करवाया जाये। इसी तरह से सलूम्बर से पलमाद वाया सेरिया, चांवड रोड बनी हुई है। वह फैमिन में बनी या कहां से बनी? जैसे भी वह हुई हो, लेकिन वह अभी तक अधूरी पड़ी हुई है और साथ ही उस पर जो नदी जाती है गोमती तो उस नदी की वजह से यह सारे सलूम्बर से सराड़ा को लिंक करने वाली रोड आप बनाते हैं और सलूम्बर में एस. डी. ओ. आफिस है और मुन्सिफ कोर्ट है तो सराड़ा के लोग सलूम्बर में नहीं पहुंच सकते है क्योंकि चार-पांच महीनों तक रास्ता बन्द हो जाता है। इसलिए इस पुलिया का निर्माण कराया जाना बहुत जरूरी है जो कि बाड़े की पुलिया कहलाती है गोमती पर।

इसी तरह से सलूम्बर से ऋषभदेव रोड वाया इंटाली खेड़ा, मोराई, कल्याण-पुर रोड है जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में घोषित हो चुकी है, लेकिन मुझे दुःख के साथ निवेदन करना पड़ता है कि यह रोड अभी तक पूरी नहीं हुई है और उसका मेटेरियल भी विभाग के लोग उठा ले गये, डामर ले गये, गिट्टी ले गये, और वह रोड अधूरी पड़ी हुई है। इसलिए निर्माण मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दें। यह बहुत महत्वपूर्ण रोड है और इस क्षेत्र में सबसे पहले ली गयी रोड है।

एक और रोड की ओर मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा। जो हमारे क्षेत्र में रेल्वे लाइन खुली है जो कि सलूम्बर से 15 मील दूर पड़ती है और वहां पर पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। पहले एक सड़क जरूर बनाई गई और छोटी पुलिया बनी बस्ती से डींगरी स्टेशन रोड पर उसके लिए कई बार माननीय मंत्री महोदय से कहा और अकाल राहत मंत्रीजी से भी कहा। सल्लाड़ा और रूपपुरा, झावला वगैरह को जोड़ती हुई है वह अधूरी पड़ी हुई है। उसको पूरा करना बहुत जरूरी है ताकि हम भी रेल्वे तक आज के वैज्ञानिक युग में जब कि आवागमन के साधन बढ़े हुए हैं पहुंच सकें और रेल्वे की सुविधा प्राप्त कर सकें। तो सल्लाड़ा की पुलिया का निर्माण कराया जाय।

इसी तरह से आप जानते हैं कि एप्रोच

( श्री किशोरीलाल शर्मा)

रोड का हमारे बजट के अन्दर प्रावधान किया गया है। गत वर्ष भी बजट के अन्दर था, लेकिन मैं नहीं समझ पाता कि पैसा कहां लगता है। यह वहीं लगा है जहां पहले से ही लगता हुआ आ रहा है। वह सैकड़ों वर्षों से पिछड़े हुए लोग हैं जो कि दूसरी जगह जा नहीं पाते हैं और जिन्होंने आज तक मोटरों का दर्शन नहीं किया है, लोग परेशान हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे गांवों को कस्बों से जोड़ा जाय। इसलिए सलूम्बर से ऋषभदेव रोड वाया डाल टोड़ा, सेम्बारी जो कि बहुत महत्वपूर्ण रोड है इस रोड को लिया जाना बहुत जरूरी है। इसी तरह से खोलड़ी से करा-कला रोड है। बीच में रास्ता नहीं हैं और न उनके वहां पर कोई बस की व्यवस्था है और न दूसरे साधन वहां पर हो सकते हैं इसलिए इस रोड को लिया जाना बहुत जरूरी है।

सलूम्बर से घरियावद रोड जरूरी है क्योंकि वह आदिवासी इलाका है, और पिछड़ा हुआ इलाका है। वहां से लोग यदि ऋषभदेव जाना चाहें तो घूम कर जाना पड़ता है लसाड़िया होकर। सलूम्बर से लिंक करती हुई ऋषभदेव तक रोड हो तो सलूम्बर से वह उदयपुर भी जा सकते हैं और सलूम्बर से बांसवाड़ा भी जा सकते हैं और भी जहां कहीं जाना चाहें वहां जा सकते हैं। इस इलाके में कोई काम नहीं हुआ है आजादी के 28 वर्षों में। इसको बनोड़ा बेडावल और पहाड़ा होकर पूरा करना है। फैमिन में आई हुई है। तो इन मुद्दों की ओर मैंने आपका ध्यान दिलाया।

अब मैं खासतौर से सार्वजनिक निर्माण की जो मांग संख्या 9 है उस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। यों तो आपके माध्यम से, विभाग के माध्यम से स्कूलें अस्पताल, सड़कें, पुलियाएं यह जितनी भी बनी हैं उनमें हमारे यहां दुर्भाग्य से यह व्यवस्था चलती है कि विभाग की ओर से जो अमानी में काम कराना चाहिए वह नहीं कराकर ठेकेदारों से काम करवाया जाता है। उसके पीछे क्या स्वार्थ है, क्या बात आप सोचते हैं? अब इस 20–सूची कार्यक्रम के बाद यह आवश्यक हो जाता है कि यदि कहीं कोई छिपी हुई भावना है तो उसको निर्मूल कर दिया जाय। यह ठेकेदार जो कि हमारे समाज के लिए कलंक हैं मैं समझता हूं कि इस कलंक को, मान्यवर, आप बड़े विद्वान मंत्री महोदय हैं, मिटायेंगे। जो सड़कें बनीं, जो स्कूल की बिल्डिंगें बनीं या पुलियाएं बनीं आज उनको खोलकर यदि देखा जाय तो उसमें जो मेटेरियल डाला गया है वह बहुत ही कमजोर है और ऐसा है कि 5 साल के बाद ही खत्म हो जाय, यह मालूम हो जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक साल के अन्दर अन्दर ही नई सड़कें समाप्त प्रायः हो रही हैं। तो यह दोषपूर्ण व्यवस्था ठेकेदारों की है। इसको समाप्त किया जाय।

इसके अलावा जो भवन बने हैं चाहे ठेकेदारों के बनाये हुए हों, चाहे औरों के बनाये हुए हों उनको ठीक किया जाना जरूरी है। कइयों में पानी चू रहा है। कुराबड या बम्बोरा के स्कूलों की बिल्डिंग है वह चू रही है और बच्चे बैठ नहीं पाते हैं चौमासे में और उनकी छुट्टी कर दी जाती है। वह पिछड़ा हुआ इलाका है। गरीब लोग हैं। गांव के लोगों ने धनराशि देकर

( श्री किशोरीलाल शर्मा )

स्कूल भवन बनाने में योगदान दिया, लेकिन वह इस स्थिति में नहीं है कि छत को फिर उखाड़कर नई बनवा सकें। यह नहीं होने वाला है। इसलिए खासतौर से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कुरावड़ा और बम्बोरी और दूसरे स्कूलों की छतें टपक रही हैं उनको ठीक कराया जाय।

इसके साथ ही जितनी माध्यमिक शालाएं बनीं वह जन सहयोग से गांव वालों ने बनाईं और शिक्षा विभाग के अन्तर्गत दे दी गई हैं. लेकिन आज, मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर बच्चे बैठ नहीं पाते हैं वह इतनी जीर्ण-शीर्ण हो गई हैं। इसलिए उस ओर ध्यान दिया जाय। शिक्षा के क्षेत्र में एक दिन भी बच्चे गैरहाजिर रहते हैं तो उनकी हाजरी और दूसरे उनके शिक्षा के स्तर पर फर्क पड़ता है। इसलिए खासतौर से सार्वजनिक निर्माण मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस ओर ध्यान दें कि जहां पर प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के भवनों पर लोगों ने हजारों रुपये लगाये और उनको बनाया वहां पर पानी टपकता है तो उनकी मरम्मत कराई जाय। गगराना का उदाहरण दूं। मन्त्री महोदय ने गगराना देखा है और माननीय शक्तावत साहब ने देखा है कि वहां की सारी दीवालों में दरारें पड़ चुकी हैं। वहां पर मिट्टी या मेटेरियल में कमी रही उस कारण से। वहां पर माध्यमिक शाला चल रही है, आदिवासी क्षेत्र है और बच्चों के बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। इसलिए जितने भी महत्वपूर्ण स्कूल के भवन हैं और महत्वपूर्ण सार्वजनिक निर्माण-कार्य हैं उनको लें ताकि लोगों को राहत मिल सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मान्यवर, दो-तीन मिनट ही हुए हैं।

एक बात की तरफ मैं और आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। जहां पर आपने सड़कों का कार्य और जो निर्माण कार्य किये हैं, ठेकेदार द्वारा या राज्य के विभाग के आदमियों द्वारा जहां पर उनकी लाइनें डाली गई हैं तो काश्तकारों के खेतों पर से लाइनें डालकर जो कुछ भी सड़क को सीधा करना चाहा वह उन्होंने किया, और काश्तकारों ने करने दिया। फिर वह व्यक्ति सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं के पास दौड़ते हैं या माननीय मंत्रीजी से उसको ठीक कराने की बात करते हैं। वहां पर अभी चर्चा की गई कि काश्तकारों की जमीनों में से जमीनें ली गईं और वह उनकी काश्त की जमीन थी तो उसका अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला। उसकी ओर आपका ध्यान दिलाया। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मुआवजा तो नहीं मिला लेकिन उसका लगान भी माफ नहीं हुआ। कई वर्ष हो गये सड़कें निकले हुए लेकिन वे अभी तक लगान जमा कराते आ रहे हैं। मुआवजा तो नहीं मिला लेकिन लगान का भार अलग। न रेवेन्यू विभाग ने देखा और न आपके विभाग ने देखा। आपके विभाग की जिम्मेदारी थी कि जो जमीनें ली गईं उनका बाकायदा ट्रेस बनाकर रेवेन्यू विभाग को भेजता और उनका मुआवजा दिलाता और लगान उनका माफ करवाता। लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। गरीब लोग बोल नहीं पाते हैं और उनके पास साधन भी नहीं है कि वे अपनी पैरोकारी करा सकें। इसलिए खासतौर से मन्त्री महोदय से निवे- करना चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दें।

इसके अलावा मैं आवास की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा···

( श्री किशोरीलाल शर्मा)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हां साहब, जो तहसील हैड क्वार्टर पर डाक बंगले बने हुए हैं वह नहीं के बराबर हैं। मैं सलूम्बर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सलूम्बर एक ऐसा महत्वपूर्ण कस्बा है कि जहां आये दिन अधिकारीगण व मन्त्री-गण और मुख्य मन्त्रीजी का दौरा हुआ करता है। वहां पर जब वे पधारते हैं तो उनके ठहरने, विश्राम करने की और कोई व्यवस्था नहीं है। उसमें सिर्फ दो कमरे हैं वह अपर्याप्त हैं। इसलिए और कमरों की व्यवस्था की जाय।

इसके अलावा मैं गिरवा तहसील के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। गिरवा तहसील है वह उदयपुर से जुड़ी हुई है, सारे उदयपुर को जोड़ने का उसके ऊपर एक दोष जरूर है, मैं उसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। वहां पर कोई डाक बंगला नहीं है, कोई भी अधिकारी या मन्त्रिगण आते हैं तो वहां पर ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। होता क्या है कि जो भी अधिकारी या मन्त्री लोग आते हैं वे मोटर लेकर उधर से निकल जाते हैं, और वे उस पिछड़े हुए इलाके को देख नहीं पाते हैं, न वहां के जो आदिवासी और पिछड़े हुए लोग हैं उनकी बातों को सुन पाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कुरावड़ वहां पर एक अच्छी जगह है, वहां पर एक अच्छा तालाब है, सड़क भी है, औषधालय और डिस्पेन्सरी भी है, स्कूल भी वहां पर है इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर एक डाक बंगला होना बहुत जरूरी है। इसलिए, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वहां पर आवासीय व्यवस्था करने का कष्ट करें ताकि जो भी अधिकारी और मन्त्री लोग आवें वहां पर पहुंचें तो वहां पर ठहर सकें। यही कहता हुआ मैं खासतौर से आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय को धन्यवाद दूंगा। आपने वहां के निर्माण कार्य में काफी रुचि ली है, और काफी कार्य कराये भी गये हैं। भगवान की कृपा से बजट का आधा हिस्सा आपके पास है इसलिए जो पिछड़े हुए इलाके हैं, आदिवासी गरीब लोग जहां पर रहते हैं उनकी ओर आप ध्यान देने की कृपा करें।

मान्यवर, अब मैं अकाल राहत के कार्य हैं, उनकी ओर माननीय अकाल राहत मंत्रीजी का ध्यान आपकी मार्फत आकर्षित करना चाहूंगा। आप बहुत ही जोशीले और प्रगतिशील मन्त्री हैं उसी तरह से आपके समय में अकाल राहत के काफी कार्य शुरू भी हुए हैं और लोगों को राहत भी मिली है और आपने लोगों को मरने नहीं दिया है। मैं, मान्यवर, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल से पीड़ित जो पिछड़े हुए इलाके हैं और आदिवासी लोग जहां पर रहते हैं, जो केवल बारिश पर ही निर्भर रहते हैं, 15 दिन बारिश नहीं हुई तो अकाल पड़ गया और बारिश देरी से हुई तो अकाल, जोत उनके पास बहुत कम है, जमीन की कमी है इसलिए वहां पर हमेशा अकाल ही छाया रहता है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो काम अधूरे पड़े हुए हैं, अकाल के टाइम से, उस समय उनको लिया गया था लेकिन वे अधूरे रह गये हैं उनको मेहरबानी करके पूरा करवाने का कष्ट करें। गिरवा में जो तालाब है, वह भी अधूरा पड़ा हुआ है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है और एक छोटा सा तालाब है। इसके अलावा डिगोतर का तालाब भी

( श्री किशोरीलाल शर्मा )

अधूरा पड़ा हुआ है। वर्षों से वहां पर काम चल रहा है, इनकी ओर कृपा करके ध्यान दें। केशर सागर तालाब है जो कि बाढ़ के टाइम पर टूट गया था उसको पूरा करवाया जाय। इसी तरह से एक बात और कहना चाहूंगा कि अकाल के टाइम पर पैसों का चुकारा मजदूरों को नहीं होता है कई जगह देखा गया है कि गरीब लोगों से काम तो करवा लेते हैं लेकिन उनको पेमेंट नहीं किया जाता है। इसके लिये मैं पहले भी कई बार निवेदन कर चुका हूं और रिटन में भी दे चुका हूं। डगोचा के तालाब पर जो काम हुआ, वहां पर पूरी की पूरी आदिवासियों की बस्ती है, वहां पर लोगों ने काम किया और 22 हजार रुपया उनका बकाया है। विभाग ने अपनी तनख्वाह उठा ली, फेमिन के जो कर्मचारी थे उनका जो पैसा बाकी था वह भी उन्होंने ले लिया लेकिन गरीब आदमी हैं, आदिवासी हैं उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैंने कमिश्नर साहब को भी लिखा, मन्त्री महोदय, और जिलाधीश को भी चिट्ठियां लिखीं, विभाग को भी कई बार लिखा गया लेकिन आज दिन तक उसका चुकारा नहीं हुआ है। मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं क्योंकि आप एक प्रगतिशील मन्त्री हैं और फेमिन के भी मन्त्री हैं, आप इस पर अवश्य ध्यान देने की कृपा करें। डगोचा का चुकारा जो 22 हजार रुपया है वह नहीं किया जा रहा है। वहां के गरीब लोग बहुत ही चिन्तित हैं। मैं वहां भी जाता हूं, और लोग भी सलूम्बर आते रहते हैं और मुझसे इसके लिये कहते हैं। इस ओर आप ध्यान देने का कष्ट करें।

इसके अलावा कुछ मैं फेमिन निवारण के सुझाव पेश करना चाहता हूं। हमारे यहां पर कई नदियां हैं, पहाड़ी नदियां हैं उन पर आप एनीकट्स बनवाने की कृपा करें। भू-संरक्षण का काम हाथ में लिया जाय। वहां पर लोग रहते हैं वनों में, लेकिन वन नहीं हैं, पहाड़ी इलाका है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन वनों के ऊपर ध्यान दिया जाय। आपने व्यापार मण्डल जरूर खोला। लेकिन जो वहां पर रहा सहा जंगल था, बहुत ही अच्छा और कारगर जंगल था, वह रहा सहा भी बरबाद कर दिया। इसलिए वहां पर जंगल अब समाप्त प्राय नजर आयेगा। पहले जैसा जंगल नहीं रहा। इस ओर भी आप ध्यान देने की कृपा करें और भू-संरक्षण के लिये और वनों के संरक्षण के लिये उपाय करें।

खनिज से हमारा इलाका भरा हुआ है भीलवाड़ा और दूसरी जगह पर आपका ध्यान गया है क्योंकि वे इलाके तो पहले से सम्पन्न इलाके हैं लेकिन हमारे यहां पर गरीब आदिवासियों की बस्ती है, और खनिज भी भरा हुआ है इसलिए इस ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। इसी तरह से हमारे यहां पर छोटे मोटे उद्योग भी खोले जायं। खासतौर से इस ओर आप ध्यान दें, बांसवाड़ा में तो खोले भी हैं, लेकिन आप सराड़ा और सलूम्बर में भी खोलने की कृपा करें।

सुपर स्मेल्टर के कारखाने की जो विवादग्रस्त स्कीम चल रही है, जयसमन्द या सराडा तहसील के नीचे अच्छी जगह है वहां पर इसको शुरू कराया जाय। अब तो मैं भारत सरकार और राजस्थान सरकार को भी धन्यवाद दूंगा कि सुपर स्मेल्टर का कारखाना खोला जा रहा है तो मेरा यह निवेदन है कि इसको सलूम्बर और

(श्री किशोरीलाल शर्मा)

सराड़ा तहसील के बीच खोला जाय। इसी प्रकार से हमारे यहां पर खाद का कारखाना भी खोला जाना चाहिये।

श्री सभापति : श्री रामप्रसाद बोहरा।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): माननीय सभापति जी, आज की जो अनुदान की मांगें हैं उन पर मैं अपने थोड़े से विचार रखना चाहता हूं। मैं अपने क्षेत्र झालावाड़ के लिये ही आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि झालावाड़ का यह हिस्सा ऐसा है वहां के गांवों के लोग कहते हैं कि शहरों तक पहुंचने के लिये अप्रोच रोड नहीं हैं। इसलिए शहरों की सड़कों को गांवों तक पहुंचाने का कष्ट करें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक ऐसा इलाका है कि जहां पर आदिवासी और पिछड़े हुए लोग रहते हैं। चूंकि आप हमारे यहां के प्रगतिशील मन्त्री हैं महीने में एक आध बार पधारते भी हैं और अब पधारेंगे तो मैं आपको देखने के लिये निवेदन करूंगा। मैं गलत बात नहीं कह रहा हूं, लोगों को आश्चर्य होता है जब वे जोधपुर, अजमेर या दूसरी जगहों पर जाते हैं और जब वहां पर सड़कें और आलीशान भवन देखते हैं तो वे यह महसूस करते हैं कि देहात का पैसा कहां जाता है, देहात का पैसा तो शहरों में जाता है और वहां पर सड़कें और भवन बनते हैं और जो भी सुविधाएं शहरी जनता को प्राप्त होती हैं वह हमको क्यों नहीं होतीं ? इसलिए मेरा निवेदन है आप कम से कम गांवों तक अप्रोच रोड तो बनवा दीजिये। पंचायतों के अन्दर जो सड़कों का काम अधूरा पड़ा हुआ है उसको पूरा करवाने का कष्ट करें। झालरापाटन से सुनेल जो करीब 28 मील का टुकड़ा है, 9 मील तक तो बन चुकी है, पी. डब्ल्यू. डी. ने बनवाई है, इसको महाराजा झालावाड़ ने शुरू की थी, दस साल हो गये अभी तक इसका काम पूरा नहीं हुआ है। इसके बन जाने से सुनेल नगरपालिका और झालरापाटन के बीच 10 मील की दूरी कम हो जायगी। इसके बारे में कई बार निवेदन कर चुका हूं और यदि यह एक साल में पूरी नहीं हो सके तो तीन चार साल में पूरी करवाने की कृपा करें। थोड़ा पैसा इस पर खर्च कर दें तो मेहरबानी होगी। जो सड़क बनी हुई है वह भी खराब होती जा रही है और फिर ऐसा हो जायगा कि सारी की सारी सड़क को ही दुबारा बनाना पड़ेगा। इसके अलावा झालावाड़ के इलाके में जो सड़कों की हालत है वह आपसे छुपी हुई नहीं है। वैसे तो कोटा डिविजन की सारी सड़कें ही खराब हालत में हैं। आपने जो 10 लाख रुपया रखा है उससे तो पूरी रिपेयर भी नहीं हो सकती है पूरे खड्डे भी नहीं भरे जा सकेंगे। वहां पर 50-60 इंच तक बरसात होती है और जो सड़कें बनाई जाती हैं, वे एक ही बरसात के बाद उनकी रिपेयर जरूरी हो जाती है। इसलिए उनको कम से कम इस काबिल बना देवें कि मरम्मत का मौका ही नहीं आवे। और जो बजट में पैसा देते हैं 14 लाख या 15 लाख होता है वह तो गैंग वाले ही ले लेते हैं लेकिन गैंग बराबर काम नहीं करता है। मैं शिकायत नहीं करता हूं। मजदूर हैं, परन्तु उन लोगों का काम कोई इन्जीनियर नापता नहीं है। ऐसा सिस्टम नहीं है। कुछ लोग अधिकारियों के यहां काम करते रहते हैं, इन्जीनियर के यहां, ओवरसियर के यहां। कुछ बैठे बैठे बीड़ी सिगरेट पीते रहते हैं।

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

कोई मोटर निकलती है तो खड़े हो जाते हैं काम पर। इसका कोई तरीका बनाना चाहिये कि जो 14-15 लाख रुपये गेंग पर खर्च होते हैं, उससे काम हो जाय और फिर सड़क आदि दुरुस्त हो जायं।

तीसरी बात मैं निवेदन करूंगा कि झालावाड़ दो हिस्सों में बंटा हुआ है। बीच में कालीसिंद नदी है। खानपुरा, मनोहरपुरा, बिकानी तहसील एक हिस्से में आ जाती है और पश्चिमी हिस्सा दूसरी तरफ रह जाता है। जब भी कालीसिंद नदी में बाढ़ आती है तो पन्द्रह दिन तक आधा हिस्सा जल से कट जाता है। आधा हिस्सा कटने के बाद डाक भी नहीं पहुंच सकती है। क्या हो रहा है वहां पर यह भी पता नहीं लगता है। झालावाड़ में कालीसिंद नदी और अरणिया नदी आती है, इनके पुल के लिये टेण्डर भी हो गये थे, साइट सलेक्शन भी हो गया था, लेकिन पुल का काम न जाने क्यों कैसे रुका हुआ है। पुल को बनाने का आप कृपया प्रयत्न कीजिये।

चौथी बात यह है कि जयपुर-कोटा-झालावाड़-भोपाल यह स्टेट रोड है, इसको राष्ट्रीय मार्ग बनाने की कार्यवाही एक अर्से से चल रही है। जब तक यह राष्ट्रीय मार्ग नहीं बनेगा तब तक सड़क वगैरह अच्छी नहीं होगी। मैं कम से कम निवेदन ही कर सकता हूं, राज्य सरकार से सेन्ट्रल गवर्नमेंट से, परन्तु आप भी प्रयत्न करके यह राष्ट्रीय मार्ग कोटा डिवीजन को दीजिये। कोटा डिवीजन में रेलों का आना तो मुश्किल है, कब आयेंगी, यह मालूम भी नहीं है। दूसरे यह मामला राज्य सरकार के वश का भी नहीं है। राष्ट्रीय मार्ग के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम इतना तो कर दें। इस वक्त में इसे राष्ट्रीय मार्ग घोषित कर दें तो भोपाल तक अच्छी सड़क बन जायेगी और उद्योग-धन्धे करने वाले हैं उनको सुविधा हो सकेगी। इतनी बात कह कर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस साल ज्यादा से ज्यादा पैसा देकर, जो काम पूरे नहीं हैं, उनको पूरा करवायें।

**श्री सभापति** : श्री हाजी जान मोहम्मद खां।

**श्री हाजी जान मोहम्मद खां** (पिड़ावा): सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप झालावाड़ वालों को टाइम दे रहे हैं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां से मैं आया हूं उसको राजस्थान का काला पानी माना जाता है। मैं टोंक गया, वहां किसी ने कहा कि कहां के रहने वाले हो। तो मैंने कहा कि मैं कालेपानी का रहने वाला हूं। पिड़ावा की इतनी बुरी हालत है कि पिड़ावा में पन्द्रह पन्द्रह दिन में डाक आती थी। बताइये, पन्द्रह दिन में डाक आती हो तो यह क्या अच्छी हालत है। राजस्थान बना तो कुछ तरक्की हुई है—इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। लेकिन तरक्की हुई है, वह हुई है मामूली सी, लेकिन रिश्वतखोरी जो हुई है यह खूब हुई है। मैं सड़कों के बारे में बताना चाहता हूं। आज से सात साल पहले पिड़ावा से कोटड़ी रोड मन्जूर हुई थी। उसमें त्रिपाठी एक्स. इ. एन. ने एक लाख का गबन कर दिया। सात साल हो गये लेकिन मैंने सुना है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। एक लाख का गबन हो गया, सात साल हो गये लेकिन फैसला नहीं हुआ और वह सड़क

(श्री हाजी जानमोहम्मद खां)

वैसी की वैसी पड़ी है। उसका कोई धनी-धोरी नहीं है। यह देवपुरा जी के जमाने की बात नहीं है। आप नाराज नहीं हों। यह आपके जमाने की बात नहीं पहले मंत्री थे उनके जमाने की बात है। लेकिन मैं किसी के लिए नहीं कहता, कोई नाराज नहीं हो। एक लाख का जो गबन हुआ था उसका आज तक कोई इलाज नहीं हुआ है। पता नहीं कौन मंत्री थे। इस सड़क की बुरी हालत है, पिड़ावा से चार मील तक (व्यवधान) नबाव लोहारू हों, कोई लोहारू हों। मैं निवेदन करना चाहता हूं जब यह सड़क मंजूर हुई तो जनता को खुशी हुई कि सड़क मंजूर हुई है लेकिन उसके बाद पैसे का गबन हुआ। तो यह पिड़ावा से कोटड़ी तक चार मील का टुकड़ा है, इसको बनाना चाहिए। यह जनता की मांग है।

दूसरे पिड़ावा से एक रोड जाती है सोजत, यह सोलह किलोमीटर का टुकड़ा है, दस किलोमीटर टुकड़ा राजस्थान के अन्दर है और छः किलोमीटर एम. पी. का है। सोजत एम. पी. का इलाका है। इससे बड़ी कठिनाइयां आती हैं। राजस्थान के लोगों को एम, पी. की पुलिस बहुत परेशान करती है, एम. पी. सरकार मेहरबानी करके सड़क बना रही है।

पिड़ावा से घोरनिया, हिम्मतगढ़ रोड है, चोली नदी के पास तक कच्ची सड़क मिलती है। वहां दस मील का टुकड़ा बना सकें तो पिड़ावा पर बड़ी मेहरबानी करेंगे। मैं आपको रास्ता बताता हूं, पिड़ावा-घोरनिया हिम्मतगढ़ सड़क जाती है, उसमें दस मील तक राजस्थान में होकर जाना पड़ता है, उससे जनता को सुविधा मिलेगी। इससे पिड़ावा के काश्तकारों को बड़ी परेशानी होती है। किसी के पास पैसा वगैरह होता है तो लोग छीन लेते हैं। आप पिड़ावा से दस मील का टुकड़ा बना दें, वैसे पिड़ावा से चार मील का टुकड़ा पक्का है, छः मील का टुकड़ा बना दें। हम नयी रोड की मांग करते हैं कि आप नयी रोड बनायें।

कल मेरा एक सवाल था, लेकिन मैं चला गया था। वह प्रश्न लिस्ट पर आ गया था। आप हर काम के लिए कहते हैं कि हमारे पास पैसे का अभाव है। ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप माही प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं, राजस्थान कैनाल पर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है तो फिर पिडावा ने क्या बिगाड़ा है? पिड़ावा में इरिगेशन की योजना आज तक कोई नहीं बनी है। आजादी के सत्ताईस साल निकलने के बाद में भी नहीं बनाई है। एक भी सड़क का काम नहीं किया है। मेरी मांग है कि पिड़ावा के जो रहने वाले हैं उनको झालावाड़ में जाना पड़ता है मुकद्दमे के सिलसिले में। आप पीलिया खाहा की पुलिया बना दें। इस पुलिया पर लगभग एक लाख रुपया खर्च होगा। आप पुलिया की घोषणा कर दें तो जनता खुश हो जायगी। आप आज ही घोषणा कर दें। आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन बड़ा दिल कीजिये। आप करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, उसको देखते हुए हम क्या मांग रहे हैं। हम एक लाख रुपया जनता के फायदे के लिए मांग रहे हैं। आप ठण्डे दिल से सोचिये, एक लाख से वह पुलिया बन सकती है। इसका एस्टीमेट हो चुका है। आप इसकी सदन में घोषणा कर दें। मुझे उम्मीद है, यह जनता का काम है, इसलिए मेहरबानी करके पुलिया की आज घोषणा कर दें।

(श्री हाजी जानमोहम्मद)

मेरे क्षेत्र में तहसील पचपहाड़ पंचायत आ गई है, ग्राम खोद से हजारों गाड़ियां आठ महीने तक रामगंज मण्डी आती जाती हैं। पचपहाड़ तहसील के ग्राम खोद के पास रेवा नदी में बाढ़ आ जाती है तो सैंकड़ों आदमी बैलगाड़ियों को निकालते हैं उनको बड़ी मुश्किल होती है। यह नदी है जिसका नाम रेवा है, अगर इस पर आप पुलिया बना देंगे तो सारी जनता को जो कठिनाई होती है, हजारों सैकड़ों लोगों की वह समस्या दूर हो सकती है। वहां की जनता सड़क नहीं चाहती है, जनता यह चाहती है कि आप पुलिया बना दें तो जो गाड़ियां फंस जाती हैं नदी में बाढ़ आ जाने की वजह से बैल मर जाते हैं, वह जनता की परेशानी दूर हो सकेगी। आप माही प्रोजेक्ट और राजस्थान कैनाल योजना पर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। हम आपसे थोड़ा सा पैसा मांगते हैं। यह जो कुछ काम मैंने अर्ज किये हैं इनको आप जरूर कर दें।

क्रेश प्रोग्राम में दो सड़कें बनानी थीं। सड़क तो बना दी लेकिन वह अधूरी रह गई। पिड़ावा सोजत रोड से घोरनियां तक की रोड है, उस रोड का निर्माण हुआ था, पैसा खर्च हुआ था। लेकिन सड़क वैसी की वैसी रह गई। डोंवला खींची की रोड है, यह क्रेश प्रोग्राम में बनी थी। दो दो मील की सड़क है। इस पर खर्च हुआ है, महरबानी करके इसको पूरा करवा दें।

पिड़ावा पीलिया खाल की पुलिया है, इसको बनवा दें तो महरबानी होगी। और वहां के लोगों की समस्या दूर हो सकेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं बार बार निवेदन करूंगा कि खोद ग्राम के लोग सड़क नहीं चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं वहां तो आप पुलिया बनाने की घोषणा कर दें ताकि हम वहां जाकर वह सकें कि तुम्हारा काम कर दिया है। आप दिल बड़ा करके घोषणा कर दें। यह केवल दो लाख रुपये की मांग है। जो नदी पर दो पुलिया हैं, वह आप बना दीजिये। जनता आपको दुआ देगी। अगर दिल बड़ा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। हम यहां दिलके गुबार निकाल लेते हैं, बोल लेते हैं। (व्यवधान) यह उचित नहीं है कि आप लोग बात कर रहे हैं। बात सुनी नहीं जा रही है। महरबानी करके, मिनिस्टर साहब, हमारी बात को सुनें। पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब, हम हमारी बात सुनाना चाहते हैं, आप बात कर रहे हैं, हम सुनायें किसको। आप दो बातों में से एक बात को सुनते हैं। पी.डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब, मैं अर्ज करना चाहता हूं, मेरी बात पर ध्यान दें महरबानी करके। बात तो फिर भी हो सकती है, माननीय सदस्य यहीं रहेंगे। मैंने जो बातें अर्ज की हैं, मैं पिछले सालों से बराबर अर्ज कर रहा हूं, आप इनकी घोषणा कर दें तो महरबानी होगी।

श्री सभापति : श्री बद्री प्रसाद गुप्ता।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (बानसूर) : मैं बहुत ही संक्षेप में दो तीन बातें कहूंगा अलवर जिले की सड़कों के बारे में। उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये, उसके कई कारण हैं। एक तो यह हमारा अलवर जिला हरियाणा से मिला हुआ है। हरियाणा का हर एक गांव सड़क से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारे इलाके में लोगों को इस बात की शिकायत है कि पड़ोस का हर गांव

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

सड़क से जुड़ा हुआ है तो फिर अलवर जिले में भी सड़कों की कमी नहीं होनी चाहिये, हर गांव की मांग है कि हमें सड़क मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे यहां पर बहुत सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर रेगिस्तान है, वहां पर आवागमन की दिक्कतें हैं और किसानों को अपने खेतों की पैदावार लाने में बड़ी कठिनाई होती है। तीसरी बात, हमारे यहां पर कच्चे रूट्स हैं जहां पर बसें चलती हैं और सबको दिक्कत होती है और रास्ते में आने जाने में कठिनाई होती है। ये तीन कारण हैं जिनकी वजह से अलवर की सड़कों के बारे में मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए। मैं जानता हूं कि मंत्री जी बड़े सज्जन और बड़े होशियार हैं। हो सकता है कि हमारी किसी बात से वे नाराज हैं और इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं देते हों तो मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके हमारी कोई गलती हुई हो तो माफ कर दें और हमारे जिले की सड़कों के बारे में आप ध्यान दें तो अच्छा है। अब तो दो करोड़ रुपये ज्यादा मिले हैं और चुनाव का साल हैं, फरवरी में चुनाव जरूर होने वाले हैं। इसलिए भी आवश्यक है मैंने 3-4 कारण भी बताये हैं और अपने इलाके बानसूर के बारे में भी मैंने दरख्वास्त की थी। मैं फिर कहता हूं कि गलती हुई हो तो माफ कर दो बाबा।

एक बात और कहना चाहता हूं हमारे यहां पुरानी सड़कों की मरम्मत की दिक्कत है। बानसूर से भी जो सड़क जाती है वह खराब हालत में हैं, वहां से निकलना मुश्किल है। यह वैल्यूवल सड़क है। इसकी मरम्मत करायें और पुलिया की तरफ भी ध्यान दें। यह आखिरी साल है इसके बाद पता नहीं कौन विधायक आयेंगे कौन नहीं आयेंगे, इसलिए श्री आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री भोमाराम :

श्री भोमाराम (डीडवाना) : सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में जो सड़कें टूटी फूटी हैं और अकाल के अधूरे काम पड़े हैं उनके लिए कहूंगा। डीडवाना से कुचामन सड़क बिल्कुल टूटी हुई है, आवागमन का रास्ता बिल्कुल बन्द हो जाता है। उससे आगे जो पुल बना हुआ है उस पुल के आगे दो पुल और बना दिये जाएं तो नागौर से जयपुर जाने वाला रास्ता चाहे किशनगढ़ हो, चाहे सीकर हो, वह रह सकता है। दूसरा दौलतपुरा से कोसल रोड पर जहां सड़क टूटी है वहां से गड्ढे पड़ गये हैं और नागौर व जोधपुर से यहीं एक सड़क है जहां ट्रक्स बसेज व रोडवेज की गाड़ियां चलती हैं। उसकी यदि थोड़ी बहुत मरम्मत हो जाए तो वह सड़क भी रह सकती है वरना वह टूट जाएगी।

इसी के साथ जो कोलिया से खुनखुना 4-5 किलो मीटर का टुकड़ा है उस पर छोटी मंडी खुनखुना है जहां काश्तकार जाकर अपना माल बेचते हैं। जो माल बाहर से आता है ट्रकों के जरिये कोलिया खुनखुना पहुंचता है। 8 मार्च से वह बन्द है क्योंकि वहां इतना पानी आगया कि वह सड़क डूब गई, आने जाने का कोई रास्ता नहीं है और जनता को असुविधा हो रही है। अत: उस सड़क को भी ठीक कराया जाए तो जो हमारी मंडी है उसके लिए काफी अच्छा फायदा हो सकता है।

( श्री भोमाराम )

इसी प्रकार खाटू को जाने वाली सड़क के लिए स्वयं मंत्रीजी को पता होगा कि बाढ़ के कारण आवागमन का रास्ता बन्द हो गया था, लोगों ने तार दिए, बसें चलती थी वे बन्द हो गई, ट्रकें बंद हो गईं। बाढ का एक दो महीने पानी नहीं निकला। अभी दो महीने पहले रास्ता निकला है तो खाटू के पास पुलिया बनाई जाए और जो पानी आ रहा है उसके लिए बांध बनाने की जरूरत है ताकि जो आवागमन का रास्ता है वह कायम रह सके। खाटू ऐसा भी गांव है नागौर जिले में जहां इमारती पत्थर, पट्टियां मिलती हैं, वहां अधिकतर मुसलमान है, जब आवागमन बन्द हो जाता है तो उनकी रोटी रोजी बन्द हो जाती है क्योंकि खाटू से मकराना जो सड़क है वह टूटी होती है। वे लाडनू और चोमूं तक अपना माल सप्लाई करते है, उस सड़क को बनाना जरूरी है, पुलिया बनाना जरूरी है और उस सड़क को उपयोगी बनाना जरूरी है।

कींचक से बनवासा रोड़ जाती हैं उसके अन्दर बड़े गांव आते हैं उसमें मिलिट्री व अन्य राजकीय परिवार हैं। उनको आने जाने में बड़ी असुविधा रहती हैं और सड़क बन्द रहती है चौमासे में। तो, सभापति महोदय, बनवासा से जो कीचक सड़क आती है उसमें सड़क की स्थिति बहुत खराब है वहां पर जो छकड़ा आता है वह पांच रुपये प्रति सवारी लेता है और वहां पर बस दिन में दो बार आती है। तो अगर आप इस सड़क को ठीक करादें तो जनता को काफी राहत मिले। इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो सड़क खाटू से मोलासर वाया घनकोली खानड़ी आती है वह रोड पुरानी बहुत बनी हुई है। सन् 52 में बनी थी। उसकी आज तक राज्य सरकार ने रिपेअर नहीं करायी है इस पर सभापति महोदय, बसे चलती हैं और सड़क खराब होने के कारण जनता को काफी परेशानी होती है। इसके अलावा एक और सड़क जो मिनिमम नीड के अन्तर्गत सेंक्शन हुई थी वह बहुत ही महत्वपूर्ण रोड हैं। सको आप बना दें तो काफी जनता को लाभ पहुंचेगा। सभापति महोदय, खाटू से पत्थर कुचामन, किशनगढ़ वग़ैरह ट्रकों से जाते हैं लेकिन रास्ते व सड़क खराब होने कारण बहुत ही जनता को नुकसान होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है जिसको ठीक कराया जाना अत्यन्त आवश्यक हैं। इसी प्रकार पोलिया से खुनखुना सड़क खराब होने की वजह से काफी जनता को परेशानी होती हैं उसको पूरा कराया जाना चाहिए। दौलतपुरा से लोसळ की सड़क को ठीक कराया जाना चाहिए। इन सड़कों की मरम्मत होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार एक बांकडी से खाटू रोड है जहां से कि पत्थर वगैरह जाता है। उसको भी ठीक कराने की आवश्यकता है। यह सभी ठीक करायी जानी चाहिये।

सभापति महोदय, इसी प्रकार बरसात में पानी अधिक आने के कारण डीडवाना साल्ट में सड़क तोड़ कर पानी भर गया है। इसके अलावा नीचे सेजों से भी पानी बह कर जाता है। जो वहां पर नमक बनाया जाता था पानी भरने के कारण नमक नहीं बन पा रहा है और राज्य सरकार को इससे हर साल एक करोड़ रुपये का नुकसान होता है। मेरी राय है कि इसका सर्वे कराकर यहां पर पानी का बांध

( श्री भोमाराम )

बना दिया जावे। इससे एक तो बांध से वहां के एरिया में खेती हो जावेगी, दूसरे जो डीडवाना साल्ट में और बालिया में पानी भर गया है वह समाप्त हो जायेगा और वहां पर खार से वापिस नमक बनाया जा सकेगा। इसके अलावा वहां पर खार का पानी भर जाने से आने जाने के साधन बन्द हो गये हैं इसलिये पानी को निकाल कर उस सड़क को ठीक कराया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। अकाल राहत कार्यों के तहत जो कार्य शुरू किये गये थे अकाल राहत कार्य बन्द हो जाने से वहां पर वह कार्य पूरे नहीं हो सके हैं। इसके अलावा जो फेमिन में रोड्स बनाई गई थीं उनमें किसानों की जमीन राज्य सरकार ने कटान के लिए ली थी उन लोगों को कटान के पैसे आज तक नहीं मिले हैं। इसलिए मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध कि उनको मुआवजा कटान का दिलाया जावे। बेचारे गरीब काश्तकारों की जमीन भी ले ली गयी लेकिन उन्हें कोई मुआवजा आज तक नहीं दिये जाने के कारण वह लोग आज तक परेशान हो रहे हैं। उन्हें मुआवजा दिलाने की व्यवस्था की जावे। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि फेमिन रिलीफ वर्क्स के अन्तर्गत डीडवाना से डूदोली रोड 20 किलोमीटर तक बनी थी लेकिन बाद में अकाल राहत कार्य बन्द होने से आज तक पूरी नहीं हो सकी है। सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वह सड़क बन जाय, सिर्फ एक मील का टुकड़ा सड़क का और बनाना है ज्यादा खर्च भी नहीं आयेगा और वहां पर जो आज आवागमन का रास्ता नहीं है वह शुरू हो जायेगा और उससे वहां पर जनता को भारी सुविधा मिलेगी। दूसरे अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत जो कार्य हमारे निर्वाचन क्षेत्र में अधूरे पड़े हैं उन्हें पूरा कराया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने जो वहां पर अकाल राहत कार्य बन्द कर दिये हैं उन्हें वापिस शुरू किया जाना चाहिए। आज भी वहां पर स्थिति खराब है। सभापति महोदय, जैसा कि हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि छप्पने के काल में हमारी जनता ने खेजड़ी के छोडे खाये थे। अब इस प्रकार का अकाल हमारे उधर पड़ा है कि लोग खेजड़ी को ही खा रहे हैं, सन् 75 में।

सभापति महोदय, एक बार मैं अभी एस० डी० ओ० साहब के साथ दोलतपुर से डीडवाना आ रहा था तो रास्ते में हमने देखा कि करीब 300 छकड़े खेजड़ी के पेड़ों की काटी हुई लकड़ी के मिले। एस. डी. ओ. साहब से मैंने कहा कि आप कम से कम वन विभाग को और आपके यहां पर जो पटवारी और आर. आइ. हैं उनको कहो कि यह लोग इन पेड़ों को नहीं काटें। सभापति महोदय, आ। लोगों को अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो छोटे और गरीब लोग हैं जो कि बाहर नहीं जा सकते हैं उन्हें वहीं पर एक दो कोस या तीन कोस पर काम दिलादें ताकि वह लोग वापिस शाम को आकर अपने जो मवेशी हैं भैंस, बकरी, बैल वगैरह उनको सम्भाल सकें। आज अकाल में उनकी हालत खराब है। अगर आप उनको काम

( श्री भोमाराम )

दिला देंगे तो अपना काम करके जीवन निर्वाह कर सकेंगे। मैं मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल के समय की हमारी रोड्स अधूरी पड़ी हैं और जिन रोड्स की हालत खराब है उनको ठीक करायी जावे। इसके अलावा जब हम जयपुर से नागौर, किशनगढ़ और जयपुर वाया होकर आते हैं तो बीच में रोड्स की हालत को भी सुधारा जाना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

और जो हमारे यहां पर जानकीपुरा, बालिया और डीडवाना साल्ट के पास नया बान्ध बनाया गया है उसे पूरा कराया जावे ताकि वहाँ की जनता को फायदा हो और राज्य सरकार को भी लाभ हो।

**श्री सभापति** : श्री भेरूंलाल।

**श्री भेरूंलाल (अकलेरा)** : सभापति महोदय, आज निर्माण विभाग की मांग सदन में चल रही है इस मांग के सम्बन्ध में मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, कोटा डिवीजन में हमारा झालावाड़ जिला सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। वहां पर सड़कों के लिहाज से तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। वह क्षेत्र सड़कों के मामलों में राजस्थान में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। मैं, सभापति महोदय, अपने निर्वाचन क्षेत्र अकलेरा की समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, अकलेरा राजस्थान के पूर्वी दक्षिणी हिस्से में मध्यप्रदेश से लगा हुआ है। इस क्षेत्र की दो तहसीलें अकलेरा और मनोहर थाना स्टेट के समय में मर्जर के पहले दो अलग अलग तहसीलें थीं। लेकिन उसके बाद में एक अकलेरा ही तहसील कर दी गयी। इन दो तहसीलों के दोनों कस्बे अकलेरा मनोहरथाना के बीच में दो नदियां हैं नेवज नदी और परवण नदी इन नदियों पर पुल बने हुए हैं जो बहुत छोटे हैं। लेकिन बरसात में पानी बहुत अधिक आने पर पुलियाओं पर पानी भर जाता है और इस प्रकार की स्थिति बन जाती है कि अकलेरा से मनोहरथाना का सम्बन्ध बिलकुल टूट जाता है। पुल के ऊपर पानी भर जाता है और आवागमन के सम्बन्ध विच्छेद हो जाते हैं। इसके अलावा वहां का बरसात में अदालती और व्यापारिक सम्बन्ध तथा अन्य प्रकार के सम्बन्ध समाप्त हो जाते हैं। इसके लिये मेरा यह निवेदन है कि वहां पर जो दो पुलियाएं हैं उन्हें ऊंची बना दी जाय ताकि वहां पर आवागमन के साधन हो सकें।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह है अकलेरा से बीनागंज सड़क की। मनोहरथाना से बीनागंज सड़क की पुलियायें ठीक करा देवें। जो रेलवे लाइन से मिलाती है वह सड़क आप अगर सड़क ठीक करा दें तो जनता को काफी लाभ पहुंच सकता है। वहां पर सड़क का काम अधूरा पड़ा हुआ है उसको आप जल्दी से जल्दी पूरा करावें। दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह अकलेरा बीनागंज रोड के बारे में है। वह सड़क खराब होने के कारण वहां पर डामर करादें तो काफी जनता को और आपको फायदा हो सकता है। वहां पर सड़क की हालत इतनी खराब है कि वह सिर्फ 14 मील 15 मील का टुकड़ा है वहां पर

( श्री भैरूंलाल )

रोजाना 8–10 रोडवेज की बसें आती हैं और सड़क खराब होने के कारण वहां पर बसों के टायर फूट जाते हैं। इससे राज्य सरकार को भी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा हमारे यहां पर फेग्रर वैदर रोड्स जो कि अकाल और क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत रोड्स बनी थी उसकी हालत बहुत खराब है। इसमें हरानावदा से मनोहरथाना सड़क फेग्रर वैदर रोड है, इसी प्रकार ल्हास से लसूड़िया शाह, तथा खुरी से कामखेड़ा और भिरी पिपलादी से कोलूखेड़ी कलां, कच्ची रोड्स बनी हैं इनको आपने अधूरी छोड़ रखी है और आपने यह कह दिया कि इन सड़कों का निर्माण कार्य बाकी बचा हुआ पंचायत समितियों के माध्यम से कराया जाय जिनके पास बजट नहीं है। सभापति महोदय, आसलपुर से भालता की सड़क की भी यही हालत है। यह सड़कें सिर्फ 7–8 मील की अधूरी बची हुई है। बजट में प्रावधान इस बार भी नहीं रखा है तो भी आप अगर नया प्रावधान करके इन सड़कों को ठीक और पूरी करवा दें तो जनता को काफी राहत मिलेगी। वैसे पंचायत समितियों के पास इतना पैसा नहीं है कि वह इस कार्य को पूरा कर सकें। सभापति महोदय, आसलपुरा से भालता जाते हैं वह सड़क और यह अकलेरा तहसील में जितनी सड़कें हैं वह अवश्य ठीक होनी चाहियें क्योंकि अकलेरा सब डिविजन मध्य प्रदेश से लगा हुआ है और एक बड़ा कस्बा है जहां पर होस्पीटल है और मिडिल स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूल तथा सब-डिविजनल हैडक्वार्टर होने के नाते सभी सरकारी दफ्तर हैं। ऐसे कस्बे को जोड़ने के लिये यह रोड जरूरी है। रोडवेज वाले बसें इसीलिये नहीं चला रहे हैं कि सड़कें खराब हैं। मैं निवेदन करूंगा बजट से इसको दुरुस्त करा दिया जाय तो वहां की जनता के लिये लाभदायक हो सकता है। एक निवेदन मैं यह भी करूंगा, मनोहरथाना से बीजगंज चाचोड़ा की सड़क के लिये 50 हजार की रकम दी थी। एक गांव है कानवा, कानवा कालोनी के निर्माण में वहां 60–60 हजार तो खर्च हो गये। समाज कल्याण द्वारा वह बस्ती बनाई थी लेकिन उसके बाद एक भी परिवार बस्ती में नहीं बसा। इसकी जांच कराई जाय कि कौन दोषी है। जांच कराने के लिये मैं आपसे निवेदन करूंगा।

एक निवेदन मेरा यह भी है, श्रीमान्, जब से इस सड़कों का काम हुआ, सड़कों का निर्माण हुआ कोटा से भोपाल तो उसमें घाटोली में एक किसान का खेत आ गया उसको मुआवजा नहीं दिया गया। इसलिये उसको मुआवजा दिलाने के लिये मैं निवेदन करूंगा।

एक निवेदन यह है कि अकाल सहायता व क्रैश के काम में जो पिछले अधूरे काम रह गये हैं– जिन गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है उनमें चार लाख रुपये कम से कम दो साल में खर्च हुये हैं लेकिन वे निर्माण काम, सड़कें अभी पूरी नहीं हो पाई है। 20–20 हजार के ऐसे गांव हैं जो जोड़े जा सकते हैं भिरी गांव कालखेड़ी कलां है, खुरी से कामखेड़ा ल्हास से लसूड़िया शाह जिनमें कम से कम दो लाख की राशि खर्च हो गई है और अभी भी अपूर्ण है। इसलिये बजट में प्रावधान रखना चाहिये। यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री नन्दलाल ।

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन): सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 19, 20, 21 और 33 सार्वजनिक निर्माण विभाग व अकाल सहायता पर चर्चा हो रही है। मैं सबसे पहले हमारे कोटा डिवीजन में चम्बल क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने सड़कों का निर्माण कार्य हाथ में लिया है उसके लिये राज्य सरकार और मंत्री महोदय को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता हूं। चम्बल कमाण्ड के अन्दर जो सड़कों का निर्माण गत दो वर्षों से हाथ में लिया है उसके लिये किस प्रकार से कार्य निर्माण विभाग द्वारा अथवा ठेकेदारों के द्वारा हुए हैं, उस सम्बन्ध में, मैं निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, सबसे पहले ठेकेदार को ठेका देने के लिये टेन्डर आमंत्रित किये जाते हैं। कई बार टेण्डर आमंत्रित करने के बाद और टेन्डर स्वीकार करने के बाद और वर्ल्ड बैंक से पैसा आने के बाद भी कई महीनों बाद काम शुरू किये गये। कई सड़कें डिपार्टमेंट के मार्फत बन रही है और कई सड़कें ठेकेदारों के मार्फत बन रही हैं और कुछ हिस्सा ठेकेदारों के द्वारा और कुछ हिस्सा डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया जा रहा है। दो वर्ष से उस सड़क पर मिट्टी डालने का काम प्रारम्भ कर रखा है जब कि मिट्टी का काम खत्म नहीं होने पर हजारों ट्रकें बजरी की डालदी गईं। तो जब मिट्टी का काम ही पूरा नहीं हुआ तो उस पर जो बजरी डाली गई उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। जब जोरदार बरसात हुई, आप स्वयं वहां जाकर देखें कि बजरी का कोई काम नहीं हुआ है। हमारे वर्ल्ड बैंक का पैसा उस क्षेत्र वाले चुकायेंगे या राज्य सरकार चुकायेगी, हजारों ट्रक बजरी के पानी में बह गये और उसका कोई सदुपयोग नहीं हुआ। वह सारा का सारा पैसा बेकार चला गया— बजरी के ट्रकों को डालने की आवश्यकता नहीं थी और उसके बाद कई जगह मिट्टी डाली गई उसका आज की तारीख में पता नहीं है कहां चली गई है। इसलिये, सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा आज की तारीख में यदि बजरी का और मिट्टी का काम किया गया है तो पैसे दिये जाने चाहियें और अगर बजरी का या मिट्टी का कोई काम ही नहीं हुआ है तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सब नाजायज पैसे का भुगतान किया गया है। हमारा हजारों लाखों रुपया बेकार गया और ठेकेदारों ने बजरी और मिट्टी के पैसे ले लिये लेकिन सड़क जहां की तहां है। इसलिये मेरा निवेदन है वर्ल्ड बैंक का पैसा जो आपने लिया है उसको सड़कों पर सही मायने मे खर्च करना चाहिये। यही हालत केशोरायपाटन की है। वहां भी काम चालू है लेकिन जितनी मिट्टी डाली जा रही है, वह पूरी सड़क पर डाली जा रही है। मेरा निवेदन है कि यदि आपको पांच मील का टुकड़ा तैयार करवाना है तो उतने पर ही मिट्टी डालने की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि हमारे पैसे का सदुपयोग हो सके। सन् 1958 में केशोरायपाटन का काम शुरू हुआ और अब तक हजारों लाखों रुपये खर्च कर दिये गये लेकिन आज भी लाखेरी से लवान तक डामर का काम नहीं किया गया और, सभापति महोदय, डामर छोड़ मिट्टी का काम भी नहीं हुआ है। इसलिये, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं यदि सड़कों को बनाना चाहते हैं तो कृपा करके आप दो

( श्री नन्दलाल बैरवा )

मील की ही चाहे सड़क बनायें लेकिन कम से कम ऐसी सड़क बनायें कि वर्षों तक उस पर पैसा खर्च नहीं करना पड़े और चम्बल एरिया में आपकी सड़कें काफी लम्बे समय तक रह सकती हो। ऐसा न हो कि एक वर्ष में सड़क बनाई और दूसरे वर्ष में टूट गई। सड़क में जितना मेटेरियल काम में आना चाहिये उतना ही काम आये, बेकार मेटेरियल का पैसा सरकार को नहीं देना पड़े। तो जो वस्तुस्थिति है, उस मामले में मैंने निवेदन किया है और आपसे यह भी निवेदन किया कि वर्ल्ड बैंक का काम हमारे यहां इस प्रकार का चल रहा है। आप मौके पर चलकर देखिये वर्ल्ड बैंक के इस काम में जितने अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं आज उनकी वहां पर इतनी जीपें घूम रही हैं। कोई कहता है यह चूना काम का नहीं है, कोई कहता है यह बजरी काम की नहीं है और कोई कहता है गिट्टी काम की नहीं है– इस बजरी में मिट्टी मिली हुई है, इस मिट्टी में गिट्टी मिली हुई है। इस तरह की अनेक शिकायतें वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। लाखों– हजारों रुपया लग रहा है लेकिन कोई पता नहीं कि वे कब तक पूरी होंगी। मेरा निवेदन है इसकी जांच होनी चाहिये। यदि मिट्टी के काम के बाद बजरी का काम किया गया है तो बजरी का पेमेन्ट होना चाहिये अन्यथा पेमेन्ट नहीं होना चाहिये। बजरी का पेमेन्ट ठेकेदारों ने फालतू में ही उठा लिया है, इसको चैक करना चाहिये।

इसके बाद, सभापति महोदय, कोटा डिविजन की सड़कों के बारे में माननीय सदस्यों ने निवेदन किया। बूंदी जिला हैडक्वार्टर है, नैनवां सब डिवीजन है, केशोरायपाटन, लाखेरी–इन तीनों जगहों पर मुख्य सड़कें बूंदी जिले से जाती हैं। इन सड़कों पर काफी गड्ढे पड़े हुए हैं। साधारण आदमी भी जाय तो उसको बड़ी भारी दिक्कत होती है। पहले मंत्री महोदय स्वयं पधारे थे। लेकिन यदि आज की तारीख में पधारें तो आपकी कार निकल नहीं सकती। वहां उन सड़कों पर एक आदमी भी काम नहीं कर रहा है। यदि बरसात के आने से पहले सड़कें ठीक नहीं हो पायीं तो टोंक, सवाई माधोपुर से बूंदी का सम्बन्ध ही टूट जावेगा। आज की तारीख तक एक भी लेबर वहां पर काम नहीं कर रहा है। बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। एक पैसा भी खर्च नहीं किया है आपने वहां पर। खटगर लाखेरी इन्द्रगढ़ से लाखेरी। डामर कमाण्ड में है मोटर तो जाती है लेकिन बहुत ही खराब हालत है उसकी। राज्य मंत्री बनवारीलालजी वहां आये थे। यह कहा उन्होंने कि यह कैसी सड़क है। दो तीन जिले पड़ते हैं। सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी। इन्द्रगढ़ से लाखेरी। सवाई माधोपुर से उनियारा उनियारा से टोंक। नई की नई रोड है। रोडवेज चलती है। ड्राइवर कहता है कि यदि मालिक की गाड़ी होती तो वह कभी नहीं चलाता। रोडवेज की गाड़ियां खराब होती हैं। सवाई माधोपुर से लाखेरी के बीच में गिट्टी पड़ी हुई है। साफ करा देनी चाहिये। जिससे कि रोडवेज की बस ठीक चल सके और टूट फूट न हो।

इन सड़कों पर पैसा पर्याप्त मात्रा में खर्च नहीं हो पाता है। आपने स्वयं ने देखा है। एक एक किलो के पत्थर डामर

(श्री नन्दलाल बैरवा)

डाल कर छोड़ कर चले जाते हैं। न डामर न गिट्टी, कई जगह मिट्टी डाल दी जाती है। मिनिस्टर साहब आने वाले हैं इन्जीनियर साहब आने वाले हैं बड़े तो बस मिट्टी डाल दी। जनता का पैसा है। चाहे टैक्स से वसूल करते हैं या और कहीं से आता है। इस तरह से पैसा मिट्टी में नहीं जाना चाहिये। वर्ल्ड बैंक की मार्फत पैसा खर्च किया जा रहा है उसकी गारन्टी होनी चाहिये। कभी चूने पर कभी गिट्टी पर और कभी मिट्टी पर वर्ल्ड बैंक का पैसा है वह क्या पूरी तरह से खर्च होता है और क्या वास्तविकरूप से काम होता है यह देखना चाहिये। जांच की जानी चाहिये कि कितना पैसा कैसे खर्च किया जा रहा है। इतना निवेदन करते हुए मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कोटा डिविजन की जो सड़कें बन रही हैं उनको मंत्री महोदय स्वयम् देखें कि कितना पैसा खर्च हुआ है और क्या होने जा रहा है। कसे काम किया जा रहा है। पैसा आप लाये हैं और आपको वहां की जनता बधाई देना चाहती है कि आप वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर आये। आपको निश्चितरूप से देना चाहिये। देखने से निरीक्षण करते रहने से काम अच्छा होता है। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री सभापति :** श्री शंकरलाल, (पाली)

**श्री शंकरलाल (पाली) :** सभापति महोदय, आज की मांगों के विषय में मैने भी कटौती प्रस्ताव रखे हैं।

सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर जब सड़कों के बारे में विचार करें तो ऐसा लगता है कि आपके पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब की सड़कों पर से गुजरते हैं, दूसरी तरफ गुजरात की सड़कों पर से गुजरते हैं और तुलनात्मक दृष्टि से राजस्थान की सड़कों पर से गुजरते हैं तो राजस्थान में सड़कों की हालत खराब है, राजस्थान में सड़कों की कमी है और राजस्थान में सड़कों का विकास बहुत ही दयनीय है।

सर्वप्रथम तो यह कहना चाहूंगा कि हमारे राज्य को विकास की ओर ले जाना है और ग्रामों को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाना है तो सड़कों के कार्य जैसा प्रोग्राम रखा था कि पांच हजार की आबादी को सड़कों से जोड़ देंगे और बाद में बनाया कि 2500 तक की आबादी के प्रत्येक गांव को सड़कों से जोड़ देंगे—इसके लिये पैसा कहां है? बजट में प्रावधान देखते हैं सड़कों के लिये तो जितना इसके लिये प्रावधान होना चाहिये, जितने माननीय सदस्य बोले हैं अलग 2 इलाकों के, बूंदी के, झालावाड़ के बोले हैं कि सड़कें नहीं हैं, उसके लिये आपको पर्याप्त धनराशि प्राप्त करनी चाहिये थी। राजस्थान से करनी चाहिये थी या केन्द्र से करनी चाहिये थी और मंत्री महोदय को प्रयास करना चाहिये इस ओर कि सड़कों का विकास हो, उनकी हालत में सुधार हो। साफ इसके लिये बजट में प्रावधान होना चाहिये जिसका अभाव हम देखते हैं। जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के अन्तर्गत सड़कों के लिये रकम का प्रावधान होना चाहिये। हम प्रावधान देखते हैं केवल 25 लाख रु० यह कोई आवश्यक प्रावधान नहीं हैं सड़कों की हालत को देखते हुए।

(श्री शंकर लाल)

दूसरा जो भी प्रावधान हो उसका सही उपयोग नहीं हो पाता है। विधान सभा प्राक्कलन समिति की 75-76 की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है और उसकी सिफारिशें प्राप्त हुई हैं उनको देखें तो इन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। सभापति महोदय, उसमें यह बात कही गयी है कि ग्रामीण पथ विकास निगम बनाने की आवश्यकता है। इस ओर माननीय मंत्री महोदय, गम्भीरता से विचार करेंगे। कई बार पहले भी यह बात सदन में आयी कि ग्रामीण सड़कों का विकास करना चाहिये। ग्रामीण पथ विकास निगम की आप स्थापना कीजिये। दूसरे प्रान्तों में भी इस प्रकार के निगम स्थापित किये गये हैं जिसमे खासतौर से सड़कों का निर्माण, और विकास हो।

दूसरी ओर जो रकम सड़कों के कार्य के लिये जिस साल में अलाट होती है वह उस साल में खर्च भी नहीं हो पाती है। प्रावधान कम है, एक बात यह कही है लेकिन जो प्रावधान कर देते हैं उस साल में खर्च हो जाय यह नहीं देखते हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना और आगे के साल की रकम को देख लीजिये। वह पूरी खर्च नहीं हो पाती है । पाली जिले की बात बताऊं। फेमिन में पाली सुमेरपुर जिले में सड़कों के लिये पैसा मंजूर हुआ। फेमिन तो चला गया। कोई बात नहीं। जाने के बाद कितना समय हो गया वह कार्य अधूरा ही पड़ा है। 1/3 भी नहीं हो पाया है। सोजत बागावास सांडावा और पाली निर्वाचन क्षेत्र में आप चले जायं। यह दिल्ली और अहमदाबाद के लिये आम सड़क है। यह ऐसी सड़क है। जो फेमिन में महत्वपूर्ण समझ कर मंजूर की गयी थी। बहुत ही धीमी गति से काम हो रहा है। करते हैं तो करते हैं विभाग वाले वरना हमारे पास पैसा नहीं है यह कहते हैं। मिनिमम आवश्यक कार्यक्रम के अन्तर्गत जैतपुरा से साहोर तक सड़क का काम मंजूर हुआ। 4 लाख रुपये मंजूर हुए और मैं समझता हूं कि 1½ साल हो गया। बार बार चिट्ठियां लिखते हैं। मंत्री महोदय को चिट्ठी लिखी, अधिशासी अभियन्ता को लिखी। ठेकेदार को काम दिया हुआ है। ठेकेदार काम नहीं करता है। कहते हैं काम कैंसिल कर रहे हैं कभी कहते हैं कि ठेकेदार आ गया। कभी उधर से गुजरते हैं तो देखते हैं कि काम बन्द हो गया और कभी काम शुरू हो गया। चौड़ी जितनी होनी चाहिये उतनी नही, एक तरफ की गाड़ी भी जा सकेगी या नहीं। यह ठेकेदारों को काम दिया जाता है।

एक पूर्व वक्ता ने कहा था जो मैं भी पुरजोर शब्दों में सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। आज के युग में आप सार्वजनिक निर्माण के कामों को अगर अच्छी तरह से कराना चाहते हैं, प्रगति के साथ और श्रमिकों से पूरा काम लेना चाहते हैं, वास्तविक काम कराना चाहते हैं तो आपको ठेकेदारी की प्रथा समाप्त करनी होगी सार्वजनिक निर्माण विभाग में। आज सार्वजनिक निर्माण विभाग में काम करने वाले ठेकेदार भ्रष्ट हैं, वह अधिकारियों को भी भ्रष्ट करते हैं। आप देखिये कि चाहे वह जोधपुर के ठेकेदार हो लाखों रुपयों के बंगले उन्होंने बना रखे हैं और लाखों रुपयों की उनकी जायदाद है। वह ठेका ले लेते है और वह काम नहीं करते। जब उनके खिलाफ कार्यवाही होती है तो इधर

(श्री शंकर लाल)

उधर मिलकर केस को खत्म करा देते हैं वह मेटेरियल लगाते हैं तो खराब लगाते हैं। उसकी जांच पूरी नहीं होती है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि क्या दिक्कत है आपको। आप सीधा सम्पर्क श्रमिकों से रखिये। मुझे याद है कि शायद पांच सात वर्ष पहले जब सदन में बजट पेश हुआ था तो यह कहा गया था कि जो भी बेरोजगार इन्जीनियर्स हैं, बेरोजगार जो टेक्नीकल आदमी हैं उनको इन ठेकेदारों को अपने यहां रखना पड़ेगा और उनके द्वारा काम कराना पड़ेगा आपने कभी ठेकेदारों को इस बात के लिए पाबन्द नहीं किया। आज वह ठेकेदार चाहे पढ़े लिखे हैं या नहीं वह आज ऐसा मस्टर रोल बनाते हैं कि मजदूरों को उनकी पूरी मजदूरी नहीं मिलती। आप अगर मजदूरों का हित चाहते हैं, आप अगर श्रमिकों का हित चाहते हैं तो कल्याणकारी राज्य और लोकतान्त्रिक राज्य के अन्दर हमारा सीधा संबंध श्रमिकों से होना चाहिए। आप सीधा काम श्रमिकों से कराइये। आप अपना स्टाफ बढ़ा दीजिए। आप अपने यहां मिस्त्रियों को बढ़ा दीजिए। आप अपने अमले को बढ़ा लीजिए आप नेशनेलाइज्ड तरीके से चलिये कि जो बिचोलिये ठेकेदार हैं उनको आप समाप्त करेंगे। आप उनको जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक आपका काम ठीक होने वाला नहीं है और पैसे का सही उपयोग होने वाला नहीं है और भ्रष्टाचार मिटने वाला नहीं है।

दूसरी बात मैं इसके आगे और कहना चाहूंगा इन सड़कों के मामले में। जैसा कि प्रवर समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि जो भी कार्य होते हैं उन कार्यों के साथ उसकी फाइल में अधिकारी का और उस काम के निरीक्षण करने वाले का नाम होना चाहिए। सड़क तो बन जाती है और उसके बाद जब उसके लिए जिम्मेदारी की बात आती है तो पी. डब्लू. डी. ने तो काम कर दिया और फिर कहते हैं कि पहले वह इन्जीनियर था और बाद में वह इन्जीनियर आया किस आदमी पर आप जिम्मेदारी डालें। अगर उस फाइल पर उस इन्जीनियर और ओवरसीयर का नाम होगा तो उसको कहेंगे कि तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। इसलिए जिस सड़क का काम हो उसकी फाइल में अधिकारी का नाम होना चाहिए कि इस इन्जीनियर ने यह काम करवाया और उस समय यह ओवरसीयर था और इस अधिकारी ने उसको देखा है और अधिकारी ने पेमेन्ट किया है। जब वह काम खराब होता है तो उसको खींचा जाना चाहिए और उस के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए जिससे कि वह अधिकारी भी ध्यान में रखे कि उसकी जिम्मेदारी है। काम खराब हुआ तो ऐसा न हो कि वह यह समझे कि यह राज्य का काम है बल्कि उसके खुद के ऊपर उसकी जिम्मेदारी हो। इसलिए इस बात को वह अधिकारी भी समझ सके और काम को जिम्मेदारी के साथ कर सके।

दूसरी बात मैं कहना चाहता था कि इस प्रवर समिति की रिपोर्ट में ही कहा गया है और हमने यह देखा हैं कि जितनी भी राज्य के अन्दर पहले सड़कें बनती थीं तो सड़कों के सहारे हर 20-25 मील पर जैसे हरियाणा में है और पंजाब में भी है, ऐसी जगह बनाई जाती थी कि जो विश्राम करने की जगह हों। जो पी. डब्लू. डी. के बंगले हैं वह आज किस जगह बनाये जाते हैं, अगर आप बाड़ी से सुमेरपुर जाते हैं तो आपको

( श्री शंकरलाल )

सोजत में मिलेगा, पाली में मिलेगा, सांडेराव में भी मिलेगा लेकिन अगर आप पाली से जोधपुर चले जायें तो एक भी आपको बंगला नहीं मिलेगा। बाड़ी से सुमेरपुर तीन-चार बंगले मिलेंगे और वहां पंचायत समिति हेड-क्वार्टर भी है। तो सड़कों के सहारे-सहारे 20-25 मील पर ऐसी जगह हो जैसे पहले लोग धर्मशालायें बनाते थे और बावड़ियां बनाते थे और वहां लोग विश्राम करते थे। तो इस प्रकार से सड़क के सहारे-सहारे हर 20-25 मील पर पी.डब्ल्यू.डी. के विश्राम गृह होने चाहिएं, ताकि जो लोग सड़कों से जाने वाले हैं उनको विश्राम करने की जगह मिल सके।

सभापति महोदय, मुझे पता नहीं कि राष्ट्रीय परमिट की व्यवस्था है इसके अंतर्गत, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कहां तक पहल की है क्योंकि इसमें ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट भी आता है। आपकी सड़कों पर ट्रक चलते हैं, ट्रक बाहर से भी आते हैं और यहां से भी जाते हैं, और रोड टैक्स देते हैं, और टैक्स की जगह जगह चोरियां भी होती है। तो जो राष्ट्रीय परमिट की योजना है वह बीस-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का अंग है, उसको भी आप राजस्थान के अन्दर ज्यादा से ज्यादा जो परमिट लेने वाले हैं उसका प्रचार और प्रकाशन करके उनको दें तो आपके राजस्थान में इसकी आमदनी होगी। जिन लोगों को आप राष्ट्रीय परमिट देंगे उनकी आमदनी आपके पास आयेगी और जो बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का सूत्र है इसकी सफलता में आप कुछ कार्य कर सकेंगे।

दूसरे यह है कि जो भी जिला विकास समिति में योजनायें स्वीकृत कराते हैं उन योजनाओं को आपको तकनीकी दृष्टि से देखकर रखना चाहिए। ऐसी सड़कें जो स्वीकृत हो गयीं उनके बारे में विभाग वाले कहते हैं कि इनमें टेक्नीकल दृष्टि से यह चीज रह गयी। तो पहले जिला विकास समिति में प्रपोजल्स ही क्यों रखें? आप उन प्रपोजल्स को कमेटी से स्वीकृत कराइये और टेक्नीकल पाइन्ट आफ व्यू से सारी चीजों की जांच हो जाये उसके बाद ही उसको वहां पर आप रखिये।

अब मैं कुछ अपने निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप कई दफा पाली से गुजरे हैं। आप ही नहीं बल्कि शायद मंत्री मण्डल के सभी सदस्य गुजरे होंगे। पाली एक प्रकार का बड़ा कस्बा है और वहां से दिल्ली से अहमदाबाद वाली सड़क गुजरती है। आप जानते हैं कि पाली के पास बांडी नदी है उससे आपका सारा आवागमन रुक जाता है। पचास ट्रक इधर खड़े रहते हैं और पचास ट्रक उधर खड़े रहते हैं लोगों को खाने तक के लिए नहीं मिलता है। इस नदी पर पुल नहीं बनाने से हजारों नहीं लाखों आदमियों को आप असुविधा में डाल देते हैं। मैंने कई बार कहा है कि बांडी नदी के पुल को लीजिए। यह पाली डिस्ट्रिक्ट की योजना नहीं है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र की योजना नहीं है, इसको राजस्थान स्तर पर महत्व दीजिए और इसके निर्माण के काम को लीजिए। यह बहुत ही जरूरी योजना है। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरे, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा मन्त्री महोदय से कि मैंने

( श्री शंकरलाल )

अपने निर्वाचन क्षेत्र में पाली से खैरवा जाने के लिए जो सड़क है उस पर एक पुलिया का निरीक्षण कराया था वह पुलिया बाढ़ के अन्दर टूट गई वह जो टूटा हुआ पुल था उसे मन्त्री महोदय ने स्वयं देखा और उस समय बड़ी तत्परता ने मन्त्री महोदय ने एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर से कहा था कि आप इसके इस्टीमेट्स बना कर भेज दें। वास्तव में यह पुलिया टूटी हुई है और इतना नुकसान हो रहा है, गांव वालों को नुकसान हो रहा है लेकिन वहां मालूम करते हैं तो कहते हैं कि एस्टीमेट्स बना कर भेज दिये और यहां मालूम करते हैं तो कहते हैं अभी तक एस्टीमेट्स ही बन कर नहीं आये। पता नहीं कागज कहां हैं और कहां नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस पुलिया को आप स्वयं देख चुके हैं और जिसके लिए एस्टीमेट्स बनाने की बात आपने कही थी अगर पी. डब्ल्यू.डी. फण्ड से नहीं तो फेमिन के फण्ड से भी पैसा दिया जा सकता है। इस पुलिया को आप हाथ में लीजिए और उसको आप स्वीकृत करा कर उस काम को आप आगे बढ़ायें।

दूसरा मैं यह निवेदन कर रहा था, सभापति महोदय, यह एक सामान्य बात है कि जो भी काम अकाल राहत के अन्दर होते हैं ज्योंही अकाल चला जाता है वह काम भी जहां के तहां रह जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो पैसा फेमिन में लगता है उसका भी उपयोग नहीं हो पाता और मैं तो यह कहूंगा कि कई दफा पैसा बर्बाद होता है। आपने जो सड़कों का काम फेमिन के अन्दर हाथ में लिया, अब अधूरी सड़कों को पूरा नहीं कराते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? इसी प्रकार अपने फेमिन में जो सड़कें बनाई, टूट जाती हैं। आपने कई जगह देखा होगा कि आपकी सड़कों के पास से दूसरा रास्ता निकालना पड़ता है। फेमिन की बनी हुई सड़कें है, माननीय मन्त्री महोदय, आप दौरा करें तो मैं आपको उनकी हालत दिखाऊं। फेमिन में बनी हुई सड़क जैसे एक शो रूम में पड़ी हुई हो वैसे रहती है और उसके पास से रास्ता निकाल कर, दूसरे रास्ते से निकलना पड़ता है। क्योंकि वह चलने योग्य नहीं है। तो आज भी जिस प्रकार फेमिन और पी. डब्ल्यू. डी. की मांगें साथ-साथ पेश की गई हैं उसी प्रकार से फेमिन और पी. डब्ल्यू. डी. का तालमेल बिठाकर जो भी फेमिन में सड़कें रह जायं उनको आप बाद में पूरा करें। आप फेमिन का फण्ड बचा हुआ हो तो उसके पैसे से या पी. डब्ल्यू. डी. में लेकर अधूरे कामों को पूरा कराना चाहिए। अगर आप पूरा नहीं कराते हैं तो फेमिन की इन सड़कों को हाथ में नहीं लेना चाहिए। उन्हीं कामों को हाथ में लेना चाहिए जिनको फेमिन के निकलने के बाद पूरा करा सकें। यह आमतौर पर आपको राजस्थान में नीति के रूप में अपनाना चाहिए जिससे कि हमारा जो पैसा है उसका उपयोग हो सके।

सभापति महोदय, मैं आवास के संबंध में भी कुछ बातें कहूंगा। आज पाली के अन्दर सरकारी कर्मचारियों की यह हालत है कि कम से कम, सभापति महोदय, ढाई सौ, दो सौ के लगभग कर्मचारी ऐसे हैं जो हमेशा पाली से जोधपुर जाते हैं और जोधपुर से पाली आते हैं। क्योंकि वहां पर पाली में रहने के लिए मकान

( श्री शंकरलाल )

की कोई व्यवस्था नहीं है। पाली इतना इण्डस्ट्रियली डेवलप्ड हो गया है कि वहां पर मकान किराये पर नहीं मिल पाता। इसलिए जो जोधपुर के लोग हैं वह जोधपुर से हमेशा पाली आते हैं। सुबह की ट्रेन से आते हैं और शाम को वह ऑफिस से निकलने के बाद वापिस जाते हैं। तो उनके आने-जाने में ही कम से कम पांच घण्टे लगते हैं, लगने तो छ: घण्टे चाहिए, लेकिन कम से कम पांच घण्टे तो अवश्य ही आने-जाने में लगते हैं। सुबह अंधेरे अंधेरे घर से निकल कर आएं और फिर वापिस काम करके जायं एक मशीन की तरह, कितनी असुविधा होती है। तो यहां पर, सभापति महोदय, एक प्रश्न के उत्तर में शायद मुख्य मंत्रीजी ने या संबंधित मंत्रा ने यह कहा था कि राजस्थान के अन्दर इस प्रकार की कई जगह समस्या है। अगर इस प्रकार की समस्या है तो उस समस्या को ध्यान में रख रहे हैं या उसके प्रति कितने सचेत हैं उसका भी अभाव दिखाई देता है। जो आपके सार्वजनिक निर्माण विभाग का प्रगति प्रतिवेदन 1975-76 और रूपरेखा 1976-77 लैंड एण्ड हाउसिंग के बारे में दी है, उसमें आपने यह बताया कि:

"राजस्थान सरकार राज्य कर्मचारियों के लिए भवनों का निर्माण करती है तथा उचित किराये की दरों पर उनको उपलब्ध कराती है। वर्ष 1974-75 में करीब 30 लाख रुपये व्यय किये गये तथा वर्ष 1975-76 में 49 लाख रुपयों का प्रावधान रखा गया है जिसमें से जनवरी 76 तक 32 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं। वर्ष 1976-77 के लिए 15 लाख रुपयों का प्रस्ताव किया गया है।"

तो जब आपने 74-75 में तीस लाख का प्रावधान किया और 75-76 में 49 लाख का प्रावधान किया लेकिन अब 76-77 में 15 लाख ही कर दिया। एक तरफ तो आप इस बात को मानते हैं कि राज्य कर्मचारियों को मकानों की तकलीफ है, डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स पर तकलीफ है और दूसरी तरफ आपने इस बार 15 लाख का ही प्रावधान रखा है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप राज्य कर्मचारियों से राज्य की सेवायें ठीक-तौर पर लेना चाहते हैं और उनको अपने काम में एफिशियेन्ट बनाना चाहते हैं, तो आप को यह रेंटल हाउसिंग स्कीम जो है राज्य कर्मचारियों की उसको पाली जिले में भी जल्दी से जल्दी लागू करना होगा और राज्य के उन हिस्सों में जहां कि कर्मचारियों को रहने के मकान नहीं हैं वहां पर उनके लिए मकान बनाने पड़ेंगे और सस्ती रेट पर देने पड़ेंगे। आपने बड़े 2 बंगले बड़े 2 अधिकारियों को दे दिए, लेकिन जो दूसरे आदमी काम करने वाले हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं दें तो हम कैसे अपेक्षा करें कि वह पूरी तरह से काम कर पायेंगे? उसमें उनको दिक्कत आती है। इतना ही मैं, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री सभापति** : श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल।

**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर) : सभापति महोदय, आज की मांगों पर मैंने अपने कटौती प्रस्ताव रखे हैं उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा।

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

सर्वप्रथम मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी देश का या किसी प्रान्त का या जिले का या किसी क्षेत्र का जो विकास है वह वहां के यातायात एवं आवागमन के साधनों के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। यह भी सत्य है कि हमारा देश भारत एक अमीर देश है फिर भी इसमें गरीब लोग बसते हैं। इसके कारण हमारे देश के अन्दर सड़कों के या यातायात के जो साधन हैं वह अभी पूर्णरूप से विकसित नहीं हुए हैं। कारण, हमारे देश में जो वन सम्पदा हैं, खनिज सम्पदा है हमारे देश में प्रचुर मात्रा में होते हुए भी हम उनका सही ढंग से सदुपयोग नहीं कर पाये हैं। इसके अन्दर यातायात के साधन बहुत बड़ी अड़चन डाले हुए हैं। इसलिए यह निवेदन करना चाहूंगा, यह ठीक है कि आजादी के 28 साल के बाद राजस्थान ने सड़कों में काफी प्रोग्रेस की है, लेकिन जिस गति से प्रोग्रेस होनी चाहिए थी वह नहीं हुई है। हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा को ले लीजिए, हालांकि हरियाणा राजस्थान का एक छोटा सा अंग है, लेकिन फिर भी हरियाणा के प्रत्येक गांव के अन्दर आज डामर रोड़ है

श्री हीरालाल देवपुरा : हरियाणा राजस्थान का अंग कैसे है? कोई जिला है क्या?

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल :...सड़क है और यही कारण है कि हरियाणा ने हमारे राजस्थान के मुकाबले काफी प्रोग्रेस की है।

सभापति महोदय, मैं सवाई माधोपुर जिले के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि आज सवाई माधोपुर जिला हमारे राजस्थान के अन्दर सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। इसका मूल कारण यह भी है कि वहां पर आवागमन और यातायात के साधनों में कोई विशेष प्रोग्रेस नहीं हुई है। सिर्फ एक हिण्डोन एण्ड गंगापुर क्षेत्र ऐसा है जिसमें कुछ हद तक सड़कों की ओर ध्यान दिया गया है लेकिन करौली, सपोटरा, सवाई माधोपुर, खंडार ये चारों तहसीलें और सब डिविजन ऐसे हैं कि वहां पर सड़कों की ओर विशेष ध्यान नहीं देने के कारण वहां पर रेलों का साधन नहीं है, सिर्फ वहां पर एक साधन है सड़क का। उसके अन्दर सड़कों का साधन नहीं होने के कारण से उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। आप ताज्जुब करेंगे कि करौली तहसील के कुछ गांव तो ऐसे हैं जिनके लोगों ने तो आज तक रेल का दर्शन नहीं किया है। इसका कारण यह है कि वहां पर आवागमन के साधन नहीं होने के कारण लोग अपने घरों में ही रहना पसन्द करते हैं, बाहर जाना पसन्द नहीं करते और अपने घरों में बैठे रह कर अपनी खेती-बाड़ी का काम करते हैं। वहां तक ही वे सीमित रहते हैं। तो मेरा निवेदन है कि जिला सवाई माधोपुर के अन्दर अत्यन्त प्रचुर मात्रा के अन्दर खनिज सम्पदा भी है, वन सम्पदा भी है और वन सम्पदा और खनिज सम्पदा जो कि प्रदेश के विकास में, प्रदेश के उत्थान में काफी सहायक सिद्ध हो सकती हैं। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे सवाई माधोपुर जिले के बारे में प्रगति रिपोर्ट में बताया गया है कि सवाई माधोपुर जिले के अन्दर डामर रोड बहुत कम बनी है तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कम से कम सवाई माधोपुर जिले की ओर, और इन सड़कों की ओर विशेष ध्यान दिया जावे।

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

अब दूसरा निवेदन अपने क्षेत्र के बारे में मैं करूंगा और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सवाई माधोपुर जिले का हैड क्वार्टर सवाई माधोपुर है। सवाई माधोपुर हैड क्वार्टर तो है लेकिन आज इस तरह की स्थिति है कि अगर कोई भी आदमी करौली तहसील का या हिन्डौन तहसील का या गंगापुर तहसील का कोई नागरिक हैडक्वार्टर पर जाना चाहे तो वह सड़क के द्वारा नहीं जा सकता क्योंकि जो गंगापुर और सवाई माधोपुर की सड़क है उसके ऊपर दो दो नदियां आती हैं—एक बनास की नदी और दूसरी मोरेल नदी। मंत्री महोदय ने और मुख्य मंत्री महोदय ने भी सवाई माधोपुर में आश्वासन दिया था कि बनास नदी के पुल पर कार्य शुरू कर दिया जायेगा, इसके लिए तो मैं धन्यवाद दे दूं लेकिन मोरेल नदी का पुल भी ऐसा है कि अगर मोरेल नदी पर पुल नहीं बना और सिर्फ बनास पर पुल बन जाता है तो इसका परिणाम यह होगा कि जिस तरह की पहले समस्या थी वही बराबर बनी रहेगी। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि बनास और मोरेल पर पुल बनाने की कृपा करें।

दूसरा यह निवेदन है कि नादौती से श्री महावीरजी जो सड़क है उसके ऊपर डामर नहीं है। गिट्टी की सड़क है और यह गिट्टी सड़क के ऊपर आ गई है और हालत यह हो गयी है कि आदमी इस पर चल नहीं सकता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि नादौती से श्री महावीरजी की सड़क को डामर की सड़क बनाने की कृपा करें। यह गिट्टी की सड़क है और इस पर डामर बिछाने का काम शीघ्र करावें।

इसके साथ ही गंगापुर के बारे में निवेदन करूंगा। मंत्री महोदय, आपने गंगापुर को देखा है। तो जो जयपुर-करौली सड़क है उससे गंगापुर में एन्टर होते हैं तो जो सड़क है, उसके लिए पी. डब्ल्यू. डी. कहती है कि यह हमारी सड़क नहीं है, यू. आइ. टी. कहती है कि यह हमारे अधिकार में नहीं है और नगरपालिका कहती है कि यह सड़क हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तीनों ही डिपार्टमेंट यह कहते हैं कि यह हमारी सड़क नहीं है। इसका कोई राम रखवाला नहीं है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि या तो बाइपास बना दीजिये। सड़क खराब होने के कारण गंगापुर कस्बे के बारे में यह धारणा बना लेते हैं कि यह रद्दी कस्बा है। इसलिए कम से कम मंत्री महोदय आप आज ही फर्मा दें कि इस रोड को पी.डब्ल्यू. डी. लेगा और उसके बाद पी. डब्ल्यू. डी. इसकी बदस्तूर मरम्मत करेगा।

इसके अलावा मेरा एक और निवेदन है वैसे कृषि उपज मंडी के माध्यम से मेरे निर्वाचन क्षेत्र गंगापुर में ढाई हजार की जनसंख्या के जो गांव हैं और पांच हजार की जनसंख्या के जो गांव हैं, उनको जोड़ने का काम कृषि उपज मंडी कर रही है। इसके साथ साथ वैसे जो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के अन्तर्गत अधूरे काम रह गये थे, उनके लिए भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि इन कार्यों को भी शीघ्र पूरा करवाने की कृपा करें।

इसके अलावा मैं अकाल मंत्रीजी से भी निवेदन करूंगा ...

**एक माननीय सदस्य :** अकाल राहत मंत्री हैं ....

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : ... अकाल सहायता मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि गत वर्ष आपने बड़ी तत्परता से हमारे सवाई माधोपुर जिले के लिए, रुपया दिया । वैसे भगवान की कृपा है कि सवाई माधोपुर जिले में अकाल नहीं पड़ता है परन्तु कभी कभी अतिवृष्टि से बाढ़ आ जाती है और बरसात के कारण, बाढ़ के कारण, इस बहाने से हमें भी कुछ न कुछ मिल जाता है हमारे जिले को 6 लाख 60 हजार रुपया इस काम के लिए दिया गया, लेकिन इस 6 लाख 60 हजार में से 20 हजार रुपया ही वहां पर काम में आया है । इसके लिए मंत्री महोदय को मैं दोष नहीं दे सकता हूं । आपने तो अपना कर्त्तव्य पूरा कर दिया परन्तु भगवान जाने इस सिंचाई विभाग ने 6 लाख 60 हजार रुपये का क्या किया ? वहां तो सिर्फ 20 हजार रुपया ही खर्च किया गया है । इतना जरूर कहूंगा कम से कम मेरे क्षेत्र के लिए कि वहां पर इस कार्य के लिए तीन तालाब लिये गये थे, आटलिया, शेखपुरा इन तीनों तालाबों पर काम शुरू हो गया था, पानी भी रुक गया था । इससे वहां के किसान भी बड़े प्रसन्न हुए, परन्तु यह काम अधूरा ही हुआ है । 15/20 हजार रुपया और खर्च हो जाये तो वहां के किसान प्रसन्न होंगे और यह जो स्वीकृत पैसा है वह भी लेप्स नहीं होगा । इसलिए जो बकाया पैसा है, उस पैसे को इन तालाबों में लगा दिया जाये जिससे वहां की जनता आपको दुआएं देगी । आशा है मंत्री महोदय मेरे इस निवेदन पर अवश्य ही गौर करेंगे ।

अब मैं आवास की समस्या के बारे में निवेदन करना चाहता हूं ...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक मिनिट में निवेदन कर दूंगा ।

जयपुर शहर के अन्दर जो पी. डब्ल्यू. डी. के क्वार्टर्स हैं, उनके बारे में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो क्वार्टर्स एलाट किये जाते हैं, पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब भी यहां पर बैठे हैं और एलाट करने वाले भी यहां पर विराजमान हैं, इसके अन्दर हमारे विधान सभा के जो कर्मचारी हैं, उनकी समस्या की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । हम सदन में बैठते हैं, मीटिंग्स में आते हैं, तो हमको एक तरह से उलाहना देते हैं, एम. एल. ए. साहब हमारी मदद नहीं करते हैं । मैंने उनसे पूछा कारण क्या है ? हमारे को 12/13 साल हो गये, इस 13 साल में, 60-61 के बाद विधान सभा के किसी कर्मचारी को गवर्नमेंट क्वार्टर्स एलाट नहीं किये गए हैं । जो विधान सभा में 8/10 साल से काम कर रहे हैं उनको आज तक ये क्वार्टर्स एलाट नहीं किये गये हैं । इसका यह कारण बताते हैं कि जो एलाटमेंट कमेटी बनी हुई है उसमें एक सचिवालय का रिप्रजेन्टेटिव है और एक हैड आफ दी डिपार्टमेंट का है और तीसरे एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर हैं । इस एलाटमेंट कमेटी में विधान सभा के कर्मचारियों का रिप्रजेन्टेशन नहीं है और इस कारण इन कर्मचारियों को एलाटमेंट नहीं होता है । इसलिए मंत्री महोदय से मेरा यह निवेदन है कि अपने सदन के जो कर्मचारी हैं, उनको आप अपनी तरफ से फेसिलिटीज प्रदान करें और उनको कम से कम जो एलाटमेंट होना चाहिए, उससे आप उनको वंचित नहीं रखें । कृपया इसकी तरफ भी विशेष ध्यान देने का कष्ट करें ।

श्री सभापति : श्री रामलाल।

श्री रामलाल ( बाड़ी ) : सभापति महोदय, सड़कों और पुल की मांगों के सम्बन्ध में मेरे भी कटौती प्रस्ताव हैं। जितनी सड़कें आज हमें चाहियें उतनी सड़कें नहीं हैं और जो कुछ हैं वह हमारे लिये कम हैं। राजस्थान में सड़कों की बहुत कमी है। हमारे मंत्री महोदय ने काफी तादाद में सड़कें बनायी हैं और आशा है बनाते जाएंगे। हमारे क्षेत्र में जो स्टेट की सड़कें थीं, वे ही हैं। धौलपुर से राजाखेड़ा बसेड़ी, सपेऊ, सरमथुरा और धौलपुर से बसेड़ी, बसेड़ी से सपेऊ होते हुए धौलपुर, काफी सड़कें थीं। इन सड़कों में से काफी सड़कें खराब हो चुकी हैं और उनकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। हमारी मुख्य सड़क धौलपुर से जयपुर के लिये है। मंत्री महोदय ने काफी पैसा इसके लिए मन्जूर किया है। दो-तीन साल से काम हो रहा है। फिर भी पूरा नहीं हो पाया है। कुछ पुलियाएं भी हैं, उनका काम पूरा नहीं हुआ है दो साल से। इसके अलावा कई छोटे मोटे नदी नाले हैं। इन पर भी काम चल रहा है। तो इस मुख्य सड़क के ऐसी होने से जयपुर से धौलपुर का कोई सीधा रास्ता नहीं है। मध्यप्रदेश होकर धौलपुर जाना पड़ता है। इस सड़क की कमी के कारण हमारा ट्रैफिक जाता है आगरा होते हुए जाता है और आगरा से मध्य प्रदेश को जाता है। इसके लिए हमें टैक्स देना पड़ता है। अगर हमारी सड़क सीधी होती तो हमारा ट्रैफिक मध्य भारत और उत्तर प्रदेश होकर नहीं जाता और राजस्थान में होकर ही जावे ऐसा रास्ता भी नहीं है। राजस्थान की गाड़ी मध्य-प्रदेश में जाती है। टैक्स देना पड़ता है। यहां से राजस्थान की गाड़ी यू. पी. जाती है और यू. पी. से मध्य प्रदेश को। अगर सीधा रास्ता हो तो कुछ किलोमीटर की भी बचत हो सकती है। धौलपुर को जो प्राइवेट गाड़ी जाती है उसका किराया है साढ़े ग्यारह रुपये और धौलपुर को हम आगरा होते हुए रोडवेज की गाड़ी में जाते हैं तो 23 रुपये और कुछ पैसे लगते हैं। इतना डिफरेन्स है। रोडवेज की गाड़ियों को कितना चक्कर लगाना पड़ता है और गरीब आदमी के लिए कितना फायदा हो सकता है अगर रास्ता सीधा हो। फायदा भी होगा और टाइम भी बचेगा। धौलपुर से जो सड़क आयी है करौली तक, स्टेट हाई वे है। तो उसके लिए मंत्री महोदय से निवेदन है कि उसको जल्दी से जल्दी चौड़ी कराई जाय जिससे जनता को लाभ हो।

दूसरी ठेकेदारी की समस्या है। ठेकेदार काम को पूरा नहीं करते हैं। कर्मचारियों से पूछते हैं कि काम बन्द क्यों हो गया तो कहते हैं कि ठेकेदार नहीं कर रहा है। ठेकेदार यह कहता है कि पैसे मुझे वक्त पर नहीं मिलते हैं। मंत्री महोदय, न मालूम उनके बीच क्या झगड़ा है, कुछ पर्सेन्टेज बन्धा है या क्या बात है?

श्री शंकरसिंह रावत : ( निर्माण-मंत्रीजी के जाने पर मंत्री महोदय को जो सड़कें जहां बनानी होती हैं तो बैठ जाते हैं और जहां पर नहीं बनानी होती हैं तो चले जाते हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं बैठा हुआ हूं नोट कर रहा हूं। मैं मंत्री महोदय को बता दूंगा।

श्री रामलाल : हमारे वहां जो सड़क 18 फीट चौड़ी है उसको चौड़ी करवाने के

( श्री रामलाल )

लिए ठेकेदार ने उसमें गड्ढे खुदवा दिये और फिर काम बन्द करके छोड़कर चला गया। ऐसी सूरत में वह सड़क पड़ी हुई है। ठेकेदार से पूछते हैं तो कहता है कि पैसा नहीं देते हैं और कर्मचारियों से कहते हैं कि काम करवाइये तो कहते है कि ठेकेदार नहीं करते हैं। मैंने मंत्रीजी को चिट्ठी लिखी कि कहां तक सही पैसा उसमें लगा है। कितना पैसा मन्जूर हुआ है और कितना पैसा लगा है तो इसका कोई जवाब नहीं मिला है हमको।

बसेड़ी से माचलपुर की जो सड़क है वह 6 किलोमीटर बीच रास्ते में पड़ी हुई है। ठेकेदार कहता है कि पैसा नहीं मिला और कर्मचारी कहते हैं कि ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे कामों को मंत्रीजी स्वयं देखें। पैसे की कमी तो नहीं है या कोई कर्मचारियों की तरफ से कमी है। हमारे यहां पर बसेड़ी से भरतपुर के लिए सीधी सड़क है। पिछले साल हमारे यहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। मुख्य मंत्रीजी आये थे तो उस सड़क को देखकर गये। उसके बाद में एक महीने में डामर की सड़क बन गई। पांच साल से टूटी पड़ी थी, लेकिन मैं एक महीने बाद में आया तो वह पूरी हो गई थी। सड़क तीन साल में उड़ गई। ठेकेदारों को जिम्मेदारी कितने साल की होती है या कर्मचारियों की जिम्मेदारी कितने साल की होती है। जनता का पैसा है तो उसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए कि पैसा जहां पर लगाया जा रहा है ठीक-तरह से लगाया जा रहा है। मंत्री महोदय को इसकी देखरेख रखनी चाहिए। जहां पर इस प्रकार की समस्या है वहां पर खास तौर से देखना चाहिए कि वाकई में पैसा लग रहा है या नहीं लग रहा है, सड़क पर पैसा सही तरीके से

( 3.34 म.प. )

( श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

लग रहा है या नहीं। इसका हिसाब कर्मचारियों से लिया जाय। साल भर में सड़कों पर गड्ढे पड़ जाते हैं। कर्मचारियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, ठेकेदार की जिम्मेदारी होना चाहिए। डामर के ड्रम्स के ड्रम खत्म कर देते हैं। ऐसी सूरत में समस्या मंत्रीजी को बैठकर हल करनी चाहिए। हम जो कुछ चिट्ठी लिखें तो हमारी चिट्ठी पर गौर करें। हमारी जो विधायकों की चिट्ठियां आती हैं तो उन पर गौर तो करिये। बाड़ी से धौलपुर की सड़क पर गड्ढे पड़े हुए हैं। पहले कच्ची सड़क निकलवा रखी थी तो उस पर डामर करवाया। तो ऐसी सूरत में कैसे काम चलेगा ? पहले कच्ची करवाते हैं फिर उस पर डामर ढोल दिया जाता है। तो आप देख भाल करें कि जो पैसा मंजूर है वह लगाया जा रहा है। पूरा पैसा लगाया जा रहा है कि नहीं लगाया जा रहा है। ठेकेदार धपलाबाजी करते हैं। इतना ही मुझे निवेदन करना है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रामगोपाल।

**श्री रामगोपाल (किशनगंज)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज की मांग पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के संबध में मैंने कुछ कटौती प्रस्ताव दिये हैं। मैं सदन का अधिक समय न लेकर संक्षेप में ही कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में अर्ज करना चाहूंगा।

( श्री रामगोपाल )

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा डिविजन के मेरे पूर्व वक्ता ने वहां की रोड्स की जो समस्या है, जो उनकी दुर्दशा है उसके बारे में आपके माध्यम से सरकार को सुझाव दिये। मैं यह कहना चाहूंगा कि जब हम जयपुर से कोटा की तरफ चलते हैं तो वह सड़क झालावाड़ को छूती हुई भोपाल को निकल जाती है, कोटा से होती हुई शिवपुरी निकल जाती है। इस प्रकार दोनों ही सड़कें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्व-पूर्ण हैं और मध्य प्रदेश को जोड़ती हैं। मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज इन सड़कों की दुर्दशा है; यह पक्की सड़कें बनी हुई हैं आपके जयपुर से जहां जहां तक हैं उनकी दशा को आप बरसात से पहले सुधारने की कोशिश करें। जो कार्य आपके धीमे चल रहे हैं उनमें गति लाने की कोशिश करें। आगे मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो मैंने अलग अलग क्षेत्रों की सड़कों के बारे में कटौती प्रस्ताव दिये हैं, माननीय उपाध्यक्ष, मैं एक तथ्य माननीय मंत्री महोदय के समक्ष रखना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक कटौती प्रस्ताव मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत भंवरगढ़ से नाहरगढ, एक बारां वाया जलवाड़ा से नाहरगढ़ सड़क और सालपुरा से जो इकलेरा को जाती है वाया छीपा बड़ौद होते हुए उस सड़क के बारे में मैंने एक कटौती प्रस्ताव यहां पर दिया है। उसमें यह आग्रह किया गया है; माननीय उपाध्यक्ष, राज्य सरकार से कि यह सड़कें बहुत ही खराब है। इनकी बहुत ही दुर्दशा हो रही है। बरसात में यहां पर रास्ते बन्द हो जाते हैं। भंवरगढ़ से नाहरगढ़ की सड़क है माननीय मंत्री महोदय, वह गिट्टी रोड है उसको पक्की कराकर डामर बिछाने की व्यवस्था करें। क्योंकि यह आदिवासी क्षेत्र है इसलिये आप इस ओर निश्चित रूप से ध्यान देने की कृपा करेंगे।

दूसरी सड़क, माननीय उपाध्यक्ष, बारां से वाया जलवाड़ा होती हुई नाहरगढ़ को मिलाती है वह अभी तक कच्ची पड़ी हुई है। उससे यातायात बिल्कुल अवरुद्ध हो जाता है और किसानों का माल मंडी में आने में दुविधा हो जाती है। इस प्रकार की राज्य सरकार की नीति है कि जो ऐसे क्षेत्र हैं; जो मंडियों से दूर हैं तो उनको मंडियों से जोड़ा जाना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस सड़क को पक्की बनवाने की योजना करें।

तीसरे, कटौती के प्रस्ताव में, मैंने सालपुरा से इकलेरा जाने वाली सड़क के बारे में जिक्र किया है वाया छीपा बड़ौद होते हुए। उसमें कहा गया है कि इस सड़क पर डामर बिछाने की कोशिश करें। माननीय उपाध्यक्ष जी; आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे भाई माननीय सदस्य श्री जगमोहन सिंहजी उस क्षेत्र से आते हैं और वह इस सड़क के बारे में चार वर्ष से राज्य सरकार से समय समय पर आग्रह करते आ रहे हैं। मैं भी कहना चाहता हूं विशेष तौर से कि मैं उन्हीं के गांव का हूं और इस सड़क की वस्तु स्थिति के बारे में मेरी जानकारी है। उस पर मुश्किल से 5 मील तक डामर बिछी हुई है आगे बिल्कुल सपाट सड़क हो रही है जिससे वहां यातायात की सुविधा जो है खराब हो रही है। लोग डरते हैं उस सड़क पर मोटर चलाने में क्योंकि वह जानते है कि अगर इस सड़क पर मोटर चलाई तो उनके टायर बच नहीं सकते ज्यादा दिन तक

( श्री राम गोपाल )

और वह खर्चा उस पर नहीं निकाल पाते हैं 20-20, 30-30 कोस के झालावाड़ जिले के लोग उस पर से गुजरते हैं और सालपुरा स्टेशन को यह सड़क मिलाती है। उससे काफी परेशानी है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा पुरजोर शब्दों में कि इस सड़क पर डामर हर साल लगाते हैं और उसके लिए वहां पर डामर के ड्रम्स छोड़े हुए हैं और उन ड्रम्स पर सियार बैठ जाते हैं तो बैठे ही रह जाते हैं। तो एक तरफ तो आप सियार की हत्या करते है और दूसरी ओर दुर्दशा डामर की करते हैं। जब सियारों की चौपाल होती है और आपके डामर के खुले हुए ड्रम पर अगर पटेल बन-कर बैठ जाता है तो वह पटेल ही बना रहता है। मेरे बाद और भी कई माननीय सदस्य इस बारे में कहेंगे। मैं ज्यादा तो क्या कहूं, उन पर डामर बिछाने की कृपा करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगला कटौती प्रस्ताव मैंने मांगरोल से रामगढ़ रोड के लिए दिया है। इस सड़क की बहुत ही बुरी दुर्दशा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार और सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़कों को पक्का कराना चाहती है और सड़कों का पक्का निर्माण चाहती है लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि वहां पर आज की तारीख में यातायात बिल्कुल बन्द है और जो मोटरें उधर से आती जाती हैं वे भी बन्द पड़ी हुई हैं। वहां के लोग इस प्रकार से महसूस कर रहे हैं जैसे दूसरे इलाके से वे बिल्कुल अलग हो रहे हैं। जगह-जगह नहरों की वजह से बड़ी दुर्दशा हो रही है उन सड़कों की। मैं निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि हमारे जो सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी हैं उनके पास सिंचाई विभाग भी है, इसलिए मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि मांगरोल से रामगढ़ की जो सड़क है उसको पक्का बनवाया जाय और जो वहां पर काम में धीमी गति हो गई है उस गति को तेज किया जाय जिससे लोगों को राहत पहुंचे और जनता को सुविधा उपलब्ध हो जिससे यातायात सुलभ हो सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो किसान अनाज पैदा करता है उसकी जो पैदावार होती है उसको मण्डी तक पहुंचाने में बड़ी असुविधा इसलिए आती है क्योंकि रोड बनी हुई नहीं है। इस वजह से राज्य सरकार जो फायदा किसानों को देना चाहती है वह उनको नहीं मिल सकता। इसलिए मेरा निवेदन है कि मांगरोल से सुरथाग रोड की सड़क है उसका भी पक्का निर्माण करवाने की कृपा करें। इसी कटौती प्रस्ताव में मांगरोल से रामगढ़ की सड़क है, पिछले सत्र में भी मैंने इसके लिए बार बार निवेदन किया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सड़क की इस प्रकार से दुर्दशा है कि एक मोटर वहां पर उलट गई थी और कई व्यक्तियों की मृत्यु भी हो गई थी। इस बात को मैंने सदन में बताया था और बार बार मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि इस सड़क का पक्का निर्माण कराया जाय, यहां पर आदिवासी इलाका है। इसके अलावा यह सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है, रामगढ़ एक धार्मिक स्थान भी है, दर्शनीय स्थल भी है, हजारों यात्री और पर्यटक लोग वहां पर आते हैं लेकिन याता-

(श्री रामगोपाल)

यात की कोई सुविधा नहीं होने की वजह से उनको भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शाहबाद से कस्बा थाना जो रोड जाती है जो मध्य प्रदेश को भी मिलाती है और रामगढ़ से आगे जाती है, इस रोड की भी बड़ी दुर्दशा है। इसको पक्का करवाने के लिए भी मैं माननीय मन्त्री महोदय से आग्रह करूंगा कि उसको योजना के अन्तर्गत लेकर पक्का बनाने का कोशिश करें।

आगे दूसरा कटौती प्रस्ताव मेरा किशनगंज-रामगढ़ सड़क के बारे में है। यह सड़क मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ती है। वहां के किसानों को अपना अनाज बारां ले जाना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि रामगढ़ सड़क की बहुत दुर्दशा है। उसी प्रकार से यह भी बहुत टूटी हुई सड़क है। इस सड़क के ऊपर चलने से बैलों के कंधे टूट जाते हैं, इस वजह से किसान लोग बहुत ही चिन्तित हैं। मैं भी इस महीने की चार पांच तारीख को बस में बैठ कर गया था तो वहां पर लोगों ने वहां के किसानों ने जो भावना व्यक्त की, उन भावनाओं को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। वे यह चाहते हैं कि यह जो सड़क है उसको पक्का करवा दिया जाय जिससे उनको मण्डी तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हो।

मैं माननीय किशोरीलाल जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री जी जब उदयपुर आते हैं तब भी आपकी तो बात हो जाती है और हमको तो सदन में ही अपनी बात कहने का मौका मिलता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामगढ़ की सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। इसी सड़क से जनता को चिकित्सा सुविधा आदि के लिए जाना पड़ता है। आज स्थिति ऐसी है कि गर्भवती महिलाओं को उधर से ले जाते हैं तो शफाखाने में पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो जाती है। ऐसी अव्यवस्था वहां पर फैली हुई है। और भी कई जरूरी सामान वहां पर नहीं पहुंच पाते। इसी फरवरी माह में जब मन्त्री महोदय ने दौरा किया था तो किशनगंज जाते समय मैंने उनको इसके लिए इशारा भी किया था। अतः आप कृपा करके रामगढ़ की सड़क को महत्व दीजिये इरिगेशन की वजह से जो यहां पर प्रोडक्शन होता है उसको मंडी तक पहुंचाने के लिए काफी परेशानी किसानों को उठानी पड़ती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक कट मोशन मैंने कोटा कस्वा थाना रोड को समरकिया से काला थाना तक पक्की बनाने और डामर का कार्य अभी तक नहीं हुआ है उसको करवाने के लिए दिया है। अब की बार उसकी तरफ मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित हुआ था क्योंकि 26 फरवरी को उन्होंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया था। शाहबाद की तरफ जाते हुए उन्होंने स्वयं ने महसूस किया था कि जो रास्ते में खाना खाया था वह धचकों से पच गया। शाहबाद से समरेणा को जो सड़क जोड़ती है उसकी बहुत ही दयनीय अवस्था है। इसके लिए मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि डामर बिछाकर पक्का करवा देंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय पधारें तब कुछ कार्य भी चालू किया था उनके दौरे के समय लेकिन अब वह गति

(श्री रामगोपाल)

मन्द हो गई है। उसको तेज किया और बरसात से पहले ही उसको पूरा करवाने की कृपा करें। वह सही ढंग से बनवादी जावे ताकि बार बार परेशानी नहीं उठानी पड़े।

शाहबाद से कस्बा थाना को रोड जाती है उसमें मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है। इस सड़क पर दोनों ही राज्यों की रोडवेज चला करती है। जो इलाका मध्य प्रदेश का है उसमें तो पक्की सड़क बनी हुई है लेकिन जब वह राजस्थान में आते हैं तो खिल्ली उड़ाते हैं। इसलिए मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप इसमें निश्चितरूप से सुधार करने की कृपा करेंगे।

इसी सन्दर्भ में मेरा निवेदन है कि छीपाबड़ौद से एस. डी. ओ. के आफिस में लोगों को पेशी वगैरह के लिए जाना पड़ता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनके लिए यातायात की कोई सुविधा नहीं है। वहाँ का व्यक्ति छीपाबड़ौद से सालपुरा आता है तो उसको तीस मील का सफर तय करके आना पड़ता है और सालपुरा आकर वहां दबड़ा 2 बजे तक पहुंच पाता है जिससे वह पेशी से वंचित रह जाता है। इसलिए यह सड़क भी बहुत जरूरी है। मेरा सुझाव है, माननीय मन्त्री महोदय को निवेदन करूंगा कि अंधेरी नदी है उस पर पुल बना दिया जावे। वहां पर स्कूल भी है, औषधालय है, और अच्छा स्थान है। यह दस मील का एक टुकड़ा है इसको पक्का करवा दिया जावे इससे वहां की जनता को यातायात की काफी सुविधा होगी।

इसी सन्दर्भ में छीपाबड़ौद की ओर मैं पिछले चार वर्ष से ध्यान आकर्षित करता रहा हूं। इस ओर आप ध्यान दें। यह केवल 25–30 हजार का मसला है। बहुत बड़ी राशि की व्यवस्था की बात नहीं है। वहां पर गेस्ट हाउस की व्यवस्था नहीं है। जो डी. एल. ओ. जाते हैं, वह या तो छीपाबड़ौद की ओर जाने की कोशिश नहीं करते हैं, या फिर क्योंकि वहां 'रुकने की व्यवस्था नहीं है इसलिए ठहर नहीं पाते हैं। अगर वहां रुकें तो वहां की जनता सम्पर्क करके' उनको अपने अभाव के बारे में बतावे, या फिर वह स्वयं महसूस करें और हमारा विकास हो। गेस्ट हाउस की जो कमी है यह भी हमारे विकास में व्यवधान बनी हुई है। मैं आग्रह करूंगा, आपको लिखित में दिया है और बराबर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए जनता के प्रार्थना पत्र आये हैं। इसका एस्टीमेट भी बना हुआ है। मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर आप गेस्ट हाउस की व्यवस्था करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कुछ निवेदन कर चुका हूं, मैं कहना चाहूंगा, शाहबाद पंचायत समिति क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है वह बहुत पिछड़ा हुआ इलाका रहा है। इसका कारण है कि वहां यातायात की व्यवस्था नहीं है। आज सिंचाई विभाग तो सिंचाई के मामले में प्रोग्रेस करना चाहता है लेकिन जो काश्तकार प्रोडक्शन करेंगे, उसको मंडी में ले जाने के लिए यातायात की सुविधा उपलब्ध करना आवश्यक है। यह आप पहले से ही कीजिये, वहां पर सड़कों का जाल बिछाने की कोशिश कीजिये सड़कों के काम को प्लानिंग में लीजिये। मध्य प्रदेश से, जो कुछ दूरी पर है, नाहर

(श्री रामगोपाल)

गढ़ से जो छीपा बड़ौद को मिलाती है, उस के बीच में तीन जगह मण्डी है, मिडिल स्कूल है। वहां सड़क बनायें तो राजस्थान की जनता को सुविधा हो। नाहरगढ से जो सड़क जाती है, मैं कहना चाहूंगा कि दो मील दूर डामर की सड़क है, वह एम. पी. सरकार की बनाई हुई है, बिजली आयी हुई है। इसलिए आप सड़क बनाने की कोशिश करें। इसका सर्वे हो चुका है। इसको एम. पी. तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो यातायात की सुविधा बढ़ेगी। मैंने जो सुझाव रखे हैं मंत्री महोदय के समक्ष, मुझे आशा है, निश्चितरूप से मेरे सुझावों पर गौर करेंगे। शाहबाद क्षेत्र है, वह अभाव-ग्रस्त क्षेत्र है, यातायात की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रामगोपाल : इस ओर ध्यान दें। रामगढ़ का एरिया है उस ओर भी ध्यान दीजिये। मैंने अपने कटौती प्रस्तावों के माध्यम से जो सुझाव दिये हैं, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उन पर गौर करें।

आपने जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, लालाराम जी दो मिनिट बोलना चाहते हैं। चार वर्ष में आज दूसरा मौका है जब यह बोलना चाहते हैं। आप इनको मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगमोहनसिंह।

श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे चुनाव क्षेत्र छबड़ा का छीपा बड़ौद कस्बा है वहां पंचायत समिति हैड क्वार्टर था और है लेकिन वह सड़क से कनेक्टेड नहीं है। वहां जो गम्भीरी नदी पड़ती है उस पर पुल वगैरह बना हुआ नहीं है, कोई आदमी जाना चाहे परगना हैड क्वार्टर होते हुए तो वह नहीं पहुंच सकता है। इस साल इस नदी पर पुल का निर्माण करने के लिए कहा गया है उसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं जनता की ओर से कि इतनी बड़ी समस्या पर ध्यान दिया गया है। मैं धन्यवाद जोरदार शब्दों में देना चाहता था, सोच कर आया था, लेकिन बजट का अलाटमेंट देखा तो नौ लाख की सेंक्शन है लेकिन एक लाख रुपया इस साल में दिया गया है 28 साल की प्रतीक्षा के बाद। यह इतनी अहम समस्या थी मैं नहीं समझ सका कि एक लाख रुपये में वहां क्या काम होगा......

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद में कटौती कर रहे हैं क्या?

श्री जगमोहनसिंह : इससे काम चलने वाला नहीं है। इसलिए आप और पैसा दीजिये ताकि वर्षा से पहले यह बन कर तैयार हो जाय। जल्दी टेण्डर वगैरह करवाने की कृपा करें। ऐसा नहीं हो कि इस साल काम नहीं हो तो फिर अगली साल न जाने क्या हो और एक लाख की स्वीकृति बजट में दिखाई गई हैं वह यों की यों रह जाय। परगना हैड क्वार्टर है, अहम है, तीन तहसीलें हैं उसमें, छबड़ा, छीपाबड़ौद और अटरू, एस. डी. ओ. कोर्ट है, डी. एस. पी. हैड क्वार्टर है– इन सारे दफ्तरों के कारण तीनों तहसील की जनता

(श्री जगमोहनसिंह)

को आवागमन कस्बे में होता है। मैं निवेदन करूंगा कि और ज्यादा पैसा इस साल दीजिये ताकि बस से आवागमन शुरू हो जाये।

कोटा जिले की सड़कों के बारे में मंत्री महोदय स्वयं जानते हैं। जब हम मिलते हैं तो वह कहते हैं, वास्तव में सड़कों की हालत बहुत खराब है। बराबर चार वर्ष से हम इस ओर ध्यान आकर्षित करते आ रहे हैं। आपके पूर्व जब मुख्य मंत्री के पास यह विभाग था, बरकत साहब के टाइम में तब इस क्षेत्र के विधायकों ने काफी जोर से वहां हो हल्ला मचाया, तो उन्होंने कहा कि कोटा आऊंगा, देखूंगा सडकें कैसी हैं। हमें आशा हुई कि हमारे यहां सड़कों का काम शुरू होगा। उसके बाद मुख्य मंत्री जी पधारे, जो उस समय सार्वजनिक निर्माण मंत्री थे, वे पधारे। लेकिन हुआ कहीं कुछ नहीं। सडकों की हालत वैसी की वैसी है। आज भी हमको कारण यह बताया जाता है कि पैसे का अभाव है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में छीपाबडोद, अकलेरा, सालपुरा सड़क, जो सब डिवीजन की मुख्य सड़क है, छबडा सब डिवीजन और अकलेरा सब डिवीजन दोनों मेरे चुनाव क्षेत्र में आते हैं लेकिन उनकी इतनी खराब हालत है कि बसें चलाना बहुत ही मुश्किल है, चार छः घण्टे लेट आकर पहुंचती हैं। लेकिन सड़कों की मरम्मत के लिए आपके पास पैसा नहीं है इस साल, इस साल से पहले, उससे पहले, मरम्मत के लिए पैसा नहीं था। दो सब डिवीजन में एक सड़क है पूरी जनता के लिए एक सड़क है, उसकी इतनी हालत खराब है कि मंत्री महोदय अन्दाज लगा सकते हैं। उन सड़कों के लिए क्या कहा जाय। हम नई सड़क की बात कहें वह दूर की बात है, लेकिन एक मात्र सड़क है उस पर लोगों का आवागमन हो, यह सोचने का विषय है। मैं खासतौर पर मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि धन के अभाव की बात न कह कर जो सड़क है इसे पूरा इसी वर्ष में कराएं, उस की हालत ठीक करायें।

छबड़ा से सालपुरा जाने के लिये बहुत पहले सड़क बनाई गई थी। उसकी हालत ऐसी है कि अब अवशेष रह गये हैं। इस वर्ष उस पर काम नहीं कराया गया तो लोग कहेंगे कि कभी कोई सड़क यहां पर नहीं थी। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पर कार्य प्रारम्भ कराना आवश्यक है। इतना काम तो करायें जिससे अवशेष बाकी रहें कि सड़क नाम की कोई चीज है। मेरा निवेदन है यह रोड है इसके लिए पैसा देने की कृपा करें और ध्यान देकर इसको ठीक करायें।

मान्यवर, क्योंकि पैसों का अभाव है इसलिए मैं कुछ सजेशन देना चाहता हूं। आज मेन सड़कों की हालत खराब है लेकिन यह कहें कि पैसा नहीं है तो मैं निवेदन करूं कि जहां काम कराने की आवश्यकता है वहां पैसा आ सकता है और पैसा आता है, और काम होता है। मेरा निवेदन है, इस वर्ष का बजट देखें तो जिसे लक्जूरिअस इन्वेस्टमेंट कहते हैं उस पर पचास साठ लाख खर्च करना चाहते हैं। जब कि सारे इलाके से मांग है कि हमारी सड़कों की हालत खराब है, पचास, साठ लाख रुपया जिन्हें सुरक्षा कार्य कहते हैं उस पर खर्च कर रहे हैं, रेल्वे क्रासिंग है शहर में, वहां पर।

(श्री जगमोहनसिंह)

यह कौनसा महत्वपूर्ण काम है। दस बारह मिनिट फाटक बन्द कर रखा जा सकता है। ट्रेन आने वाली है, ट्रेन निकले तब तक ट्रेफिक रुक जाय। शहर की इतनी सी असुविधा को दूर करने के लिए पचास साठ लाख रुपया खर्च करने जा रहे हैं, जब कि दूसरी तरफ जो नेसेसिटीज हैं, जहां आवागमन का रास्ता नहीं है, आने जाने का रास्ता नहीं है, बस बन्द है, लाखों आदमियों को परेशानी है जहां ऐसी सड़कें हैं, जहां इस तरह की व्यवस्था है तो मंत्री महोदय, इस पचास साठ लाख रुपये को उधर डाइवर्ट कर दें, ज्यादा से ज्यादा फंड से काम कर दें। आज उसकी अहमियत है। सिविल लाइन में क्रासिंग है, वहां दस मिनिट खड़े रह जायं, जोधपुर में क्रासिंग है, दस मिनिट खड़े हो जायं।

इसी तरह से कोटा में क्रासिंग्स बनाये जा रहे हैं। अगर 5-10 गाड़ियां जाती हैं तो क्रासिंग बन्द हो जाता है। हमारे यहां उल्टा मामला है। आगे कालीसिंध आती है। मैं नहीं कहता कि क्रोसिंग्स मत बनायें लेकिन जहां सड़कों की हालत खराब है उनकी ओर पहले ध्यान दें। आप जयपुर के डाक बंगला व सरकिट हाउस के लिए रख रहे हैं तो मेरा मतलब है कि इस चेंज्ड कान्टेक्स्ट के अन्दर सारे एलोकेशन्स पर विचार करें तो जो धन के अभाव वाली बात है, उसमें सुधार हो सकता है और ग्रामीण जनता को फायदा मिल सकता है।

इसी तरह से मिनीमम नीड प्रोग्राम के तहत हमारे जिले में कम पैसा दिया गया है एक बार केवल 47,000) दे दिए। इतनी बड़ी सड़कें जहां हैं, इतनी खराब सड़कें हैं उनके लिए और भी पैसे की जरूरत है वह दें तो सड़कें ठीक हो सकती हैं।

एक और छोटी सी सड़क है अरणावदिया - कलभूजिया-अकलेरा, 6 मील का टुकड़ा है। पिछले सत्र में भी मैंने प्रश्न पूछा था कि अब तक कितना खर्चा हुआ तो आपका जवाब आया 1974-75 में 1.50 लाख खर्च किया गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह सूचना कहां से दी है....

**श्री हीरालाल देवपुरा** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कौनसी सड़क ?

**श्री जगमोहनसिंह** : अरणावदिया-अकलेरा। एक और घोटाला हो गया जो सदन में कह देना चाहता हूं। वहां सड़क का रास्ता था। बारिश में पुलिया टूट गई, बसों का आना जाना बन्द हो गया तो गांव वालों ने श्रमदान करके बाइपास बना दिया और विभाग ने उसके लिए 33,000) रुपये निकाल दिए। पुलिया भी टूटी हुई है तो इस तरह से आप एलोकेशन्स दें जिससे सड़कें ठीक हो सकें।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री मोहरसिंह।

**श्री मोहरसिंह** (सादुलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव हैं सड़क व अकाल राहत सम्बन्धी। जहां तक सड़कों का सवाल है, मेरी निश्चित रूप से राय है कि किसी भी राज्य के विकास में तेज गति करने के लिए सड़कों का योगदान जरूरी है। तो इस विषय पर विचार व्यक्त करते समय मैं आई हुई कठिनाइयों के बारे में कह देना चाहता हूं। पहले तो सड़कें निकालने के लिए सर्वे जो किया जाता है उसी में कुछ

(श्री मोहरसिंह)

गड़बड़ी रहती है। खास तौर से उन इलाकों के लिए जहां पुराने रास्ते कटे हुए हैं, हमारी मान्यता होनी चाहिए, पूरे दिमाग में यह समझ रहनी चाहिये कि वे रास्ते शार्टेस्ट हों। पुराने बुजुर्गों ने गांवों में वे रास्ते निकाले हैं जो सबसे कम लम्बाई के हैं शार्ट-कट हैं। इससे किसानों की बहुत सी बाधायें खत्म हो जायेंगी और विभाग की दिक्कतें भी दूर हो जायंगी। होता क्या है कि इधर से उधर सर्वे में कर दिया जाता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि जो रेवेन्यू के काटे हुए रास्ते हैं उनके ऊपर से ही सड़कें जानी चाहिये।

दूसरी बात जिसका राजस्व मन्त्री से ताल्लुक हैं, वह है कि जहां सड़कें निकाली गई है, मुझे अपने इलाके का अनुभव है, उनका मुआवजा किसानों को नहीं मिला है। इससे किसानों में रोष है। साथ में लगान भी नहीं काटा गया है। सड़कों के दोनों तरफ छूटने वाली जमीन की समस्या है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अन्न पैदा करें इसलिए जितनी काम चलाऊ जमीन दोनों तरफ छोड़नी जरूरी है उतनी ही छोड़नी चाहिये याने कम से कम जितनी सड़क की मरम्मत के लिये दोनों ओर खाली आवश्यक है उतनी ही छोड़े उससे अधिक नहीं। शहरों में तो म्यूनिसिपल एरिया है लेकिन देहातों में सड़क के दोनों ओर कल्टीवेशन की जमीन है। सड़क के लिये काफी जमीन छोड़ी जाती है लेकिन सड़क जो बरसात में टूट जाए उसको ठीक करने के लिए मिट्टी डालने के लिए जितनी आवश्यकता है उतनी ही छोड़ी जाये। ज्यादा जमीन नहीं।

अकाल में अधूरी सड़कें पड़ी हुई हैं। पत्थर या मिट्टी डाल देते हैं और पैसा फिजूल खर्च होता रहता है। अभी तक वे सड़कें पूरी नहीं हुई हैं। उसके लिये हमको ध्यान देना चाहिये। काफी सड़कें अकाल की अधूरी पड़ी हुई हैं। शुरू में ही ठीक ढंग से बनवायें जिससे राष्ट्र का फिजूल खर्चा न हो।

राजाओं के जमाने में जो सड़कें बनी हुई थीं, वे कम टूटती हैं। अगर टूटती भी हैं तो उनके अन्दर बड़े मजबूत पत्थर निकलते हैं। जो अब आप ठेकेदारों से बनवाते हैं उनकी पूरी चेकिंग नहीं होती, पतली तह होती है, टूटकर जल्दी ही चूर चूर हो जाती है। इसलिये सड़कों को मजबूत बनवाया जाए।

इसके साथ साथ मेरे इलाके में जो सड़कों की शिकायत है उसके लिए कह देना चाहता हूं। राजगढ़ तहसील में, जिसको सादुलपुर कहते हैं, 1।। लाख आदमी रहते हैं जब कि चूरू जिले में कुल 8 लाख आदमी याने चौथा हिस्सा। सारे चूरू जिले की 9 सड़कों की लम्बाई 972 किलोमीटर है और राजगढ़ की 108 किलोमीटर। वह इलाका सबसे आगे है चाहे शिक्षा में, चाहे उत्पादन में। जैसा कि बद्री प्रसादजी ने बताया उनका इलाका हरियाणा से लगता हुआ इलाका है वैसे ही मेरा इलाका भी चिपता हुआ है। वहां हरियाणा के आदमी आते हैं, वे गालियां देते हैं, पूछते हैं कि यहां भी कोई सड़क बनाई जाएगी कभी? 40 साल से इन सड़कों की यही हालत देख रहे हैं।

तो 108 किलोमीटर सड़क जहां कुल है ऐसा मेरा इलाका है। उसमें भी नेशनल

(श्री मोहरसिंह)

हाई वे शामिल है जो डिफेन्स रोड है, दिल्ली से पाकिस्तान की सीमा में जाने वाली, वह भी इसमें शामिल है। नेशनल हाई वे में केन्द्रीय सरकार का खर्चा है। इस प्रकार मेरे इलाके के साथ में वाकई न्याय नहीं हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके राजगढ़ के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि वहां पर सड़कों का कार्य जो किया गया है वह सही ढंग से नहीं हुआ और सब दुर्भावनापूर्ण बर्ताव मेरे इलाके की जनता के साथ हो रहा है। इसी प्रकार से हमारे यहां पर जो सड़कें फेमिन में अधूरी बनी हैं उनमें राजगढ़ से सांखू बनी है। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से गंगानगर सीधी सड़क का निर्माण अगर आप करना चाहते तो हो जाता। राजगढ़ से सादुलपुर से सांखू पुख्ता सड़क बननी चाहिये तथा रामनारायण जी चौधरी झुन्झुनूं से अलसीसर तक सड़क ले जा रहे हैं। अगर आप अलसीसर से मलसीसर से सादुलपुर सिद्धमुख और भादरा होते हुए गंगानगर तक सड़क निर्माण कर सकते थे तो सही सड़क बनती। इसी प्रकार हमारे यहां पर, उपाध्यक्ष महोदय, राजगढ़ से सांखू की सड़क 96 के अकाल में कच्ची बनाई हुई है वह जगह जगह टूट गई है उसकी हालत खराब है। जगह जगह टूट जाने से, उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर सफेद कंकरी वगैरह डालने की जरूरत है। अगर मन्त्री महोदय इसको ठीक करा दें तो यह कोई विशेष लम्बा टुकड़ा नहीं है, ठीक करवा दें तो आवागमन के साधन काफी अच्छे हो सकते हैं और हमारे वहां के एरिया का काफी विकास हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज वहां पर दो फसलें होने लगी है। सावनी और रबी की फसल भी काफी जगह होने लगी है, अगर आप वहां पर सड़क कार्य को जल्दी जल्दी पूरा करवा दें जो कि निहायत जरूरी है तो जनता को आवागमन की काफी सुविधा हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, राजगढ़ से सिद्धमुख की सड़क के लिए भी यही कहना है। हमारे यहां के एक करोड़पति ने भूंपा से नांगल तक सड़क बनाने की बात की है, जिसमें वह तीन लाख 60 हजार रुपये भी जमा करवाने को तैयार था। उसने शायद वित्त मन्त्री महोदय से बातें की हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के मन्त्री से बात नहीं की होगी। पर अव्वल वहां पर कार्य नहीं हो सका। उसने मुझे कहा, मोहरसिंह, इस रोड के बनने का खर्चा सात लाख बीस हजार है उसमें से मैं तीन लाख 60 हजार रुपये देने को तैयार हूं लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि 8-10 लाख रुपये लगेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, वह कहता है कि पैसे मैं किसी तीसरी एजेन्सी के पास जमा करवा सकता हूं। पर पता नहीं क्यों राज्य सरकार राजगढ़ का विकास नहीं करना चाहती। राज्य सरकार को चाहिये कि राजगढ़ का विकास कोई विपक्ष सदस्य का निजी विकास नहीं है राजस्थान की जनता का विकास है। उनको इसमें इन्ट्रेस्ट लेना चाहिये। राज्य सरकार को चाहिये कि राजगढ़ से सांखू वाया लम्बौर होकर सड़क बनाई जायें। जो कि सांखू से झुन्झुनूं तक की सड़क में मलसीसर मिलाई जानी जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात बहुत ही दुख के साथ कहनी पड़ती है कि हमारे यहां के अधिकारी मन्त्री महोदय को गलत सूचना देते हैं और सिर्फ उनको ही नहीं वह राज्य

(श्री मोहरसिंह)

पास तक को भी गलत सूचना दे देते हैं। वहां पर राज्यपाल महोदय द्वारा जगदम्बा का दर्शन करने की बात थी, यह सूचना दी गई है उनको कि वहां पर राजगढ़ से लम्बोर बड़ा तक सड़क पक्की बन कर तैयार हो चुकी है। पक्की सड़क का निर्माण हो चुका है। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि वहां पर कोई पुख्ता सड़क नहीं है। इस तरह की गलत सूचनायें कौन देता है इसके लिए आपको कार्यवाही करनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, राजगढ़ से सांखू एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है इसमें दो राय नहीं। आपको सड़कों के निर्माण कार्य को अच्छे ढंग से करना चाहिये इन्हीं शब्दों के साथ सड़कों के कार्य के बारे में जो निवेदन करना था वह कर दिया। अब थोड़ा मैं इसी के साथ साथ रिलीफ कार्यों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के समय फेमिन रिलीफ का काम कराया गया लेकिन दुर्भाग्य से अकाल के समय ऐसे कार्य कराये गये कि जिससे अकाल का सिर भी नहीं फूट सका। आपको अकाल की समाप्ति के लिए पानी को लाने की तो पूरी व्यवस्था करनी चाहिये थी। आपको ट्यूबवैल की व्यवस्था करनी चाहिये थी। वह नहीं करने से वहां पर अकाल हर साल पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, अकाल और राजस्थान का संबंध चोली-दामन का संबंध है। यहां पर अरबों रुपया राज्य सरकार ने खर्चा किया लेकिन हम अकाल समाप्त करने के लिए कोई सही योजना नहीं बना सके। हमें हर साल अकाल के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं लेकिन क्या कारण है कि राज्य सरकार ने ट्यूबवैल्स का निर्माण नहीं कराया? अकाल के वक्त जो काम कराये गये वहां पर कई शिकायतें आयीं और इन अकाल राहत कार्यों में लोगों का काफी नैतिक पतन भी हुआ। लोगों ने इसमें भ्रष्टाचार किया। इतना ही नहीं लोगों ने फर्जी मस्टर रोल बनाये और पैसे उठा कर खा गये। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने कि वहां पर डेढ़ दो आने रोज में कार्य किया उनका मस्टर रोल बन जाने के बाद भी कोई चुकारा नहीं हुआ। यहां पर जिस प्रकार कि माननीय सदस्य श्री लूणाराम जी ने बताया, आज भी डूंगरगढ़ एरिया में कई लोगों के पैसे बाकी हैं। इसलिए मैं मन्त्री मुताल्लिका को कहना चाहूंगा कि इन गरीब मजदूरों को उनकी मजदूरी का तुरन्त भुगतान किया जावे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजगढ़ इलाके की तरफ ध्यान दिया जावे। वहां की मांगें जो मैंने आपके सामने रखी हैं वह सही मांगें हैं। आपको यह ध्यान रख कर वहां काम नहीं करना चाहिये कि वह इलाका मोहरसिंह का है। आखिर वह इलाका विपक्ष के सदस्य का है तो क्या हुआ? वहां की जनता तो राजस्थान की ही हैं। आपको वहां का भी विकास करना चाहिये। बस, इन्हीं शब्दों के साथ मैं, मेरे कटमोशन सदन में प्रस्तुत करता हूं।

**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** : यह आपका इलाका हमेशा ही आपका इलाका थोड़ी रहेगा?

**श्री मोहरसिंह** : हमारा इलाका है वह तो रहेगा ही।

श्री अजीतसिंह (टोंक) उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मांग संख्या 21 और मांग संख्या 33 के ऊपर मेरे कट मोशन रखे हैं। मान्यवर, जो बजट में सड़कों के लिये प्रावधान किया गया है वह बहुत ही कम धनराशि है। यह धनराशि जितनी हमारी राज्य सरकार की मांग है उसके अनुरूप नहीं है। उपाध्यक्ष जी, राजस्थान सड़कों के मामले में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। उसके बाद भी हमारे यहां पर उसका पूरी तरह से विकास करने की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। आज, उपाध्यक्ष महोदय, शहरों को गांवों से मिलाने के लिये सड़कों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आज हमारे देश के पंजाब प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। लेकिन हमारे यहां पर बार बार मन्त्री महोदय के कहने से भी बजट एलोकेशन जो सड़कों के बारे में किया गया है वह सही नहीं किया गया है उपाध्यक्ष महोदय, सड़क हमारे यहां विकास की एक कड़ी है इसलिये मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि बजट एलोकेशन में सड़कों के बारे में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। इसके अलावा एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बजट जो अलोट किया जाता है वह साल के अन्त में किया जाता है इससे उसमें भ्रष्टाचार फैलने की गुन्जायश बहुत होती है। लोग जल्दी से ठेकेदारों से काम करवाते हैं, मनमाने ढंग से काम करवाते हैं जिससे होता यह है कि उसमें काफी गड़बड़ियां होती हैं। उन आफिसरों को यह खतरा है कि कहीं बजट लेप्स नहीं हो जाय। इसलिये मेरा निवेदन है कि बजट को साल के शुरू में ही अलोट करके उसकी सैंक्शन कर देनी चाहिये ताकि उसमें भ्रष्टाचार कम हो सके। इसके अलावा सड़कों के बारे में, एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले स्टेटों के समय जब सड़कें बनती थीं उस वक्त सड़कों के दोनों साइड में गोट बान्धते थे जिससे सड़कों के टूटने का भय कम रहता था। आज उन सड़कों पर गोट नहीं बन्धी हुई होने से सड़कें जगह जगह टूट जाती हैं। इसके अलावा उन सड़कों पर साइकल, मोटर और ट्रकों का बहुत ज्यादा यातायात रहता है और साइड वगैरह देने के चक्कर में उन सड़कों के सभी किनारे टूट जाते हैं जिससे इन ट्रकों को तो खासतौर से साइड देने में बहुत खतरा होता है और वह लोग साइड एक्सीडेन्ट के डर से नहीं देते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि सड़कों की दशा सुधारने के बारे में काफी ध्यान दिया जाना चाहिये और उनकी साइड में गोट भी बान्धी जानी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर जब से इमर्जेन्सी लगी है आपने काफी अनधिकृत कब्जे हटाये हैं लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि अभी मैं थोड़े समय पहले पाली से होता हुआ आबू गया था तो मैंने वहां देखा कि वहां लोग अपने खलिहान से अनाज निकाल कर सड़कों पर लाकर साफ कर रहे थे। इधर उधर से मोटर, साईकल और ट्रकें वगैरह निकल रही थी काफी दिक्कत वहां पर हो रही थी और लोग आम सड़क के बीच में बैठे हुए थे। तो यह कहां तक उचित है? इससे वहां तो ऐसी स्थिति हो जाती थी, आगे अगर ट्रक आ जाये तो आपको कुछ नजर आये नहीं और अगर आप साइड से निकल जाओ तो लोगों के एक्सीडेन्ट का खतरा बना रहता था। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि आप सार्वजनिक निर्माण के साथ साथ पुलिस

(श्री अजीतसिंह)

विभाग से संबंध रख कर उनको वहां से हटावें। इसके अलावा कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि सड़कों के पास लोग थोड़ी जगह छोड़कर वहां पटवारियों के पास दुकान लगा लेते हैं। उस पर ध्यान नहीं देते है और भ्रष्टाचार का रूप धारण कर लेते हैं। अभी दुकानें और थड़ियां हटाई गई लेकिन बाजार वालों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि वर्क लोड को देखें। आपके डिपार्टमेंट का वर्क लोड बड़ा विचित्र है। दुनियां भर की भर्ती कर दी है लेकिन जो आपका परमानेन्ट और टेम्प्रेरी लेबर है उनका क्या हाल है, कभी आपने देखा है? 300 करीब लेबर हैं लेकिन कोई काम नहीं करता है। कोई आफिसरों के यहां पानी भरता है तो कोई उनकी बकरियां चराने जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप अपने स्टाफ को देखें। आपने दुनियां भर के ओवरसीयर्स लगा रखे है। पुराने समय में जो वर्क लोड था उसमें भी तब्दीली करें और नये वर्क लोड के अनुसार आपको स्टाफ बढ़ाना चाहिये, क्योंकि कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ गया है। उसके हिसाब से रखें और काम चालू हो तो रखें वरना नहीं।

मेरा निवेदन है मेन्टीनेन्स के अन्दर जो पैसा दिया जाता है वह सारा का सारा मेन्टीनेन्स का खर्चा आपके परमानेन्ट और टेम्प्रेरी लेबर में और उनके मेडीकल में खर्च हो जाता है और एक पैसा भी सड़कों पर खर्च नहीं होता है। इसके साथ यह भी मान लें कि उपयोगिता है तो फिर जब सारा पैसा डिपार्टमेंट पर खर्च कर देंगे तो मेटेरियल के लिये पैसा नहीं बचता है--डामर, गिट्टी, बजरी आदि के लिये पैसा नहीं बचता है। लेबर पर पैसा कम खर्च कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट के वर्क लोड को भी देखिये।

पेड़ों के सम्बन्ध में, मैं निवेदन करना चाहता हूं। शेरशाह सूरी के जमाने से सड़कों पर दोनों तरफ पेड़ लगाये जाते थे। तो मेरा निवेदन है कि सड़कों के दोनों तरफ पेड़ लगाने चाहियें। आज लगातार पेड़ों की दुर्दशा हो रही है। नये प्लान्टेशन की तो आपने कसम खा रखी है। आपने भी देखा होगा, पहले सड़क के दोनों ओर पेड़ लगते थे लेकिन आज पेड़ लगने के बजाय काट दिये गये। मेरी समझ में नहीं आता है आपके डिपार्टमेंट के अधिकारी जब जाते है तो उन नम्बरों को क्यों नहीं चैक करते हैं? पहले नम्बर लगते थे कितने पेड़ लगाये लेकिन आपने सारी व्यवस्था खत्म कर दी। आपका लेबर लगा हुआ है लेकिन काम नहीं होता है। पेड़ों की छाया मिलती थी और भी दूसरे उनके फायदे होते थे। मैं चाहूंगा इस पर कुछ ध्यान दें।

अब मैं अन्तर्राज्यीय सड़कों के बारे में थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा। जयपुर से भोपाल सड़क जाती है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं यह हमारे टौंक के बीच में से निकाली जा रही है। सड़क को चौड़ा कर रहे हैं, वह तो ठीक है लेकिन शहर के बीच में से निकाली जा रही है वह ठीक नहीं है। आप बेकार का इन्वेस्टमेंट करते है। मैंने आपको बाई पास का निवेदन किया था और मैंने यह भी निवेदन किया था कि आप प्रशासनिक स्वीकृति करें लेकिन वह भी अभी नहीं हुई। काम तो जब आपके पास बजट हो तब करवा देना ताकि वह

( श्री अजीतसिंह )

जमीन तो एक्वायर हो जाती। जब आप सब जगह रोड्स को बाई पास कर रहे हैं तो यहां ही ऐसा क्यों है ? आप खुद पधारें तो देखेंगे, बीच में होकर सड़क जाती है, चौड़ी भी नहीं हो सकती हैं और बड़ी भारी दिक्कत है और जनता परेशान है। आपने मौका देख लिया है लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि यह बहुत आवश्यक काम है। जनता कि मांग है कि सड़क का बाई पास निकलवा दें। अभी आपके पास फन्ड्स नहीं है तो कम से कम प्रशासनिक स्वीकृति दिला दें। यह मेरा आग्रहपूर्वक निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय, पांच मिनिट अकाल सहायता पर लेना चाहूंगा। अकाल राहत में जो सड़कें बनाई हैं। कृषि मण्डी वहां अपना काम करना चाहती है। मुझे आप अपने भाषण में स्पष्ट करें कि फेमिन में जो सड़क बनी है, क्या उसमें कृषि मण्डी काम करवा सकती है आप वह सड़क कृषि मण्डी को देने को तैयार हैं ? तब तो वह काम में ली जा सकती है, नहीं तो, आपका सारा मेटेरियल काम में नहीं आ रहा हैं। इसके साथ ही बाढ़ में दो करोड़ रुपया भारत सरकार से मिला है। मान्यवर, उसके अन्दर यह निवेदन करना है आपने हमारे जिले में चार लाख दिया है सड़कों के लिये और चार लाख दिया है सिंचाई विभाग को। मान्यवर हमारे यहां 20 लाख की टूट-फूट हुई थी। पूरी रिपोर्ट हमने मय नकशे के पेश कर दी थी। जो रोड टोंक से मालपुरा डिग्गी होते हुये जाती है उसकी हालत बहुत खराब है। पहले कंक्रीट रोड थी डामर किया हुआ था। अब सारी की सारी रोड टूट चुकी है, उस सड़क में कुछ भी नहीं बचा है इसलिये पूरा पैसा दिया जाना चाहिये वह नहीं दिया गया है और काफी कटौती कर दी गई है। तो मैं चाहूंगा, मान्यवर, जो कुछ पैसा आया है उसको हमें दिलाने की कृपा करें। सिंचाई विभाग को भी बहुत कम पैसा दिया गया है। बाढ़ से नहरें टूटी पड़ी हैं, बान्ध टूटे पड़े हैं और मान्यवर, अभी यदि उन पर काम करा दिया जाय तो काफी कम पैसे में मरम्मत हो सकती है लेकिन बाद में ज्यादा जरूरत होगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा, आप कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करावें और जो धनराशि दी है, उसको भी बढ़ावें।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री देवीलाल।

**श्री देवीलाल** (सराड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग पर पांच मेरे कटौती के प्रस्ताव हैं तथा एक कटौती प्रस्ताव मेरा अकाल सहायता विभाग पर है। माननीय मंत्री जी के ध्यान में तो है कमी विशेषकर याद दिलाया नहीं और आपके द्वारा उनके ध्यान में लाना चाहता हूं। आदिवासी पिछड़ा इलाका उनके ध्यान में पूर्णरूप से है फिर भी बजट के प्रावधान में कहीं आदिवासियों की सड़कों का नाम नहीं है और न धनराशि कहीं की गई है। इसलिये मुझे बड़ा कष्ट यही है कि आपका ध्यान ऐसे इलाके की ओर नहीं है जैसे कोटड़ा, झाड़ोल, और खैरवाड़ा का पश्चिमी इलाका जो गुजरात के बोर्डर पर पड़ता है सराड़ा तहसील का सारा इलाका और सराड़ा से सलूम्बर सब डिविजन को जोड़ने वाली सड़क, ये आपके ध्यान में रही नहीं। पलोटड़ा से जावर माइन्स दो मील की सड़क जोड़ने का है लेकिन आपके ध्यान से निकल गई होगी, मैं याद दिला रहा हूं। वैसे रेलवे

( श्री देवीलाल )

स्टेशन डूँगरी और नठारापाल करीब चार हजार जनसंख्या की ग्राबादी का गांव है मैंने बराबर ध्यान दिलाया है और आपके ध्यान में है जैसे फेमिन में काम कराया था लेकिन फेमिन में एक इंजीनियर गुप्ता करके आगया, आपने ऐसे आदमी को भेज दिया जिसने केवल मजदूरों के पेमेन्ट में धाड़ा डालने के सिवाय कुछ नहीं किया। मैं यह समझता हूं डिपार्टमेंट के पास कोठारी के पास भी हाथ में लेकर कार्य करवाते तो मेरे ख्याल से नठारापाल तक सड़क बन जाती। आज 20 साल हो गये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसी गांव में रहता हूं। इस तरह के गांव हैं उनको एप्रोच रोड से जोड़ कर मुख्य सड़क से नहीं जोड़ते हैं तो मेरा वहां 20 साल से चुनकर आना ही अच्छा नहीं रहा और वहां रहना भी बेकार बात है। इसलिए माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ग्रोर दिलाता हूं कि इस वर्ष कम से कम यह बात तो ध्यान में रहे क्योंकि 76 का आखरी वर्ष भी है। मर्जी यही है कि आप इसके लिए धनराशि रखें। नटारा को बावनिया फलां जोड़ दिया जाय जिससे लोग बाजार में अपनी पैदावार को ला सकें और, पहुँचा सकें और लाभ उठा सके। कोई ऐसी सुविधा नहीं होने से लड़के तक पढ़ने नहीं जा सकते हैं दूसरा और कोई बात नहीं। पर सब प्लान के अन्तर्गत इसको लेते तो कुछ न कुछ तो भला होता। इसी प्रकार खरबर की पाल को नेशनल हाई वे को जोड़ा जाय यह चार मील का रास्ता है। जयसमंद से झाडोल होकर सल्लाड़ा गांव है। जयसमन्द का ओटा आता है, गोमती नदी है। उस पर पुलिया तथा कोज वेयर बना दिया जाय तो सल्लाड़ा गांव बड़गांव को जोड़ देते हैं और सलूम्बर से आने वाले लोग आराम से रेलवे स्टेशन आ जा सकते हैं। फलोदड़ा से लगा कर तहसील हिडक्वार्टर सेमारी से कल्याणपुर तक प्लान में थी। 14 मील तक तो विभाग ने प्लान में ली और आगे सारा काम रिलीफ से करवाया। उस सड़क पर न तो पैसा दिया जाता है और न कुछ। कल्याणपुर से यह सड़क अधूरी पड़ी हुई है। यह रोड भी आपके ध्यान में रहे। मेरा निवेदन यह है कि इन सड़कों पर ध्यान रख कर काम करवाया जाय। कल्याणपुर से रिखबदेव रोड और ओरांई रोड का काम भी पूरा नहीं हुआ। गये साल प्रश्न पूछा था कि मुख्य सड़कों से कौन कौन से गांव जोड़ने वाले हैं। एक फलोदरा से अदवास नटारा की पाल, मुख्य सड़क से जोड़ने का नाम आया। उसके लिये कोई प्रपोजल नहीं बनाया। कहते हैं पैसा नहीं है। इस साल जोड़ी जावेगी या नहीं जोड़ी जावेगी. तीनों पंचायत समितियां सारी की सारी सराड़ा तहसील से अलग है उनको जोड़ने का प्रोग्राम करें तो आपका आभारी रहूंगा। सारे राजस्थान का तो आप ध्यान रखते ही हैं। कुछ पिछड़े इलाकों की ओर भी विशेष ध्यान रहे, यही मेरा निवेदन हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुलचन्द।

श्री गोकुलचन्द जाटव ( कठूमर ) : माननीय उपाध्यक्षजी, पिछले दिनों माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने यह जबाब दिया था स्कूल की मांग पर कि आपके क्षेत्र में भाषण दे आऊंगा और जनता को संतुष्ट कर दूंगा। स्कूल तो खोल नहीं सकते। भाषण दे देंगे। यदि सड़क के लिए आपने भी यही बात कह दी तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। कोई हल निकालें। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कठूमर

( श्री गोकुलचन्द जाटव )

घोसराणा की सड़क को 15 साल हो गये। 12 मील की सड़क है आज तक पूरी नहीं हो पायी। उत्तर मिलता है कि पैसा नहीं है। मंत्री महोदय को चिन्तित होना चाहिये उनकी क्या परेशानी है मैं नहीं जानता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह अच्छी बात नहीं है। एक निर्वाचन क्षेत्र में एक सड़क 15 साल से अधूरी पड़ी रहे यह प्रशासन के लिए भी उचित नहीं है। बार बार कहा, इन्जीनियर साहब से लिखा पढ़ी भी की। परन्तु इस महीने में एक्स.इ.एन. ने बताया कि वह नहीं बन सकेगी। पैसा ही नहीं दे रहे हैं। सारे काम बन्द कर दिये और भी आश्चर्य की बात है। विभाग को कोई ऐसा निर्णय लेना ही चाहिए कि कोई सड़क या स्वीकृत योजना कितने समय में पूरी हो जानी चाहिये।

मैं सन् 67 में खैरथल से एम. एल. ए. था तब तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण मंत्री नवाब साहब ने एक लाख रुपया रामगढ़-गोविन्दगढ़ सड़क के लिए रखा। साल पूरा हो गया। एक लाख रुपया मिला। लेकिन कन्स्ट्रक्शन 6 हजार का ही हुआ। क्यों साहब ? क्या करें ठेकेदार ने काम नहीं किया। तो सब तरफ से मार खानी पड़ती है गवर्नमेन्ट रुपया न दे तो परेशानी और रुपया दे दे तो ठेकेदार काम पूरा न करें। इन्जीनियर यह कह देते हैं कि क्या करें। कठूमर घोस सड़क के लिये बार बार कहा। यह बात कब तक चलती रहेगी ? रुपया लेते रहे, काम करना चाहते नहीं। ठेकेदार ने काम नहीं किया और कारण से रुपया लेप्स हो गया। यह अच्छी बात नहीं है। नीति ऐसी निर्धारित करनी चाहिये कि स्वीकृत योजना उस अवधि में पूरी हो जानी चाहिये। नहीं होती तो क्या कारण थे ज्ञात करना चाहिए।

मैं विशेषतौर से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य तो पहले भी चलता था। सड़कें भी बनती थी। उन राज्यों की जैसी हैसियत होती थी उसी अनुसार काम होते थे। अब एक जनता का प्रतिनिधि आकर बैठता है यहां तो क्या हम मंत्री महोदय से यह उम्मीद भी न करें कि वे जनता के हितों की रक्षा करें, हमारे काम में मदद करें। इतना कहना काफी होगा। मंत्री महोदय महसूस करेंगे कि यह बात बड़ी चिन्ताजनक है। कोई न कोई आपको नीति निर्धारित करनी पड़ेगी कि किन कामों पर कितना समय चाहिये और कितने समय में पूरे हो जाने चाहिये।

वैसे तो बहुत बड़े काम हैं सड़कों के निर्माण के। उसके लिये इतना पैसा मिल जाय, यह मुश्किल है। मैं नीति सम्बन्धी एक बात कहना चाहता हूं। जितना बजट आप खर्च करना चाहते हैं उसका हर निर्वाचन क्षेत्र में समान वितरण करना चाहिए, कितनी मील लम्बी सड़कें बनाना चाहते हैं, कितनी निर्मित करवा सकते हैं। यह लूट कब्बड़ी नहीं होनी चाहिये कि एक को दस लाख दे दिया और दूसरे की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता। जनता इससे यह समझती है और यह देखती है कि हमारा प्रतिनिधि कमजोर है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जितना रुपया आप बजट में रख रहे हो उसका समान रूप से बंटवारा हो जाय।

पिछले दिनों की बात है। सरकार के सामने क्या कठिनाई थी। मेरी जानकारी

( श्री गोकुलचन्द जाटव )

में आया और विभाग के इंजीनियर्स ने बताया कि कुछ काम सड़कों के लिये चुनाव में किये गये। क्रेश योजना थी। कुछ सड़कें बन गयीं। खुदाई का काम हो गया, मिट्टी डल गयी उसको यह कह कर खत्म कर दिया कि क्रेश योजना खत्म कर दी गयी। काम बन्द हो गया। आज वे सब काम अधूरे पड़े हुए हैं। क्यों करते हैं? क्रेश योजना में लोगों को रोजगार मिल जाय, इसी उद्देश्य से तो योजना बनती है।

लेकिन रोजगार मिलने की दृष्टि से आप उन्हीं सड़कों को क्यों नहीं लेते जो कि आवश्यक हैं? आप क्यों इन सड़कों को शुरू करा देते हैं? गांव के किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने कह दिया या प्रेशर आया कि खुश करना ही है--इसमें रुपया व्यय होता है और जनता के उपयोग में सड़क नहीं आती है। तो मेरे ख्याल से सरकार को इन बातों पर बहुत गम्भीरता से सोचना चाहिए कि जो भी आप रुपया सड़कों के लिए रखते हैं उसका खर्च बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए और जनहित में होना चाहिए।

मेरा ख्याल है कि जो योजनायें बनती हैं मैं उनको सही नहीं मानता। पता नहीं लगता कि किस जिले में कौन सी सड़क मन्जूर हो गयी और कौनसी सड़क का प्रस्ताव आ गया। मैंने इतनी महत्वपूर्ण सड़कों के नाम लिये और सन् 57 से कहता चला आ रहा हूं। जिलाधीश महोदय मीटिंग बुलाते हैं और कहते हैं कि आपके सुझाव हम भेज रहे हैं और यह सड़कें योजनाओं में आ जायेंगी लेकिन उन सड़कों का कहीं जिक्र तक नहीं आता और उनका नाम तक नहीं देखते। मैं कहता हूं कि आपकी पॉलिसी जिला से जिला हैडक्वार्टर जोड़ने की होनी चाहिए, तहसील से तहसील को जोड़ने की होनी चाहिए और फिर सब-तहसील से सब-तहसील को जोड़ने की होनी चाहिए। वह पॉलिसी तो आपको बनानी ही चाहिए। कहीं आप एप्रोच रोड बनाते हैं। पिछली बार जिक्र आया कि एप्रोच रोड के नाम दीजिए। तो एप्रोच रोड आप एक फर्लांग बनायेंगे या दो फर्लांग बनायेंगे। इससे क्या होने वाला है? तो मेरा ख्याल है कि आप विधायकों या प्रधानों से परामर्श करके ऐसा रास्ता निकालिये कि ऐसी योजना आप तैयार कर लें कि पैसे का सदुपयोग हो जाये और जनहितकारी काम हो जायें। आज भी कुछ गांव वाले परेशान हैं। तहसील तक जाने के लिए सड़कें नहीं हैं। वह जा नहीं सकते। बरसात के दिनों में बहुत तकलीफ होती है। तो मेरा ख्याल है कि मैंने जो कुछ बातें कही हैं चाहे वह मेरे निजी स्वार्थ की हों लेकिन मैंने नीति संबंधी बातें कही हैं। समय पर योजनायें बनें और समय पर ही उनके लिए प्रावधान होना चाहिए। दूसरे तहसील, सब-तहसील या जिलों की सड़कों पर ध्यान रखा जाना चाहिए और मेरा ख्याल है कि इन्जीनियर चाहे वह एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर हो या असिस्टेन्ट इन्जीनियर हो जिसको भी आप वाजिब समझें वह हमारे साथ बैठकर बात कर ले और मौके पर जाकर देख ले और यदि वह हमारी राय से सहमत हो कि यह सड़क बननी चाहिए तो ऐसी योजनायें बनाकर उनकी स्वीकृति के लिए सरकार को दे देनी चाहिए और जितनी रकम इसके लिए आपके पास है उसका सदुपयोग भी हो जाये। इतनी सारी सड़कें हैं जिनको

# Page No 137

(137)



( श्री गोकुलचन्द जाटव )

आप न तो एक साथ बनवा सकते हैं और न यह मुमकिन ही है और न आप करवाने वाले हैं। मैं इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रतापसिंह।

श्री मूलचन्द सामरिया : उपाध्यक्ष महोदय, दो-तीन मिनट का समय मुझे दे दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं। श्री प्रतापसिंह।

श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो आज डिमाण्ड है उसमें मैंने भी कुछ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। उस संदर्भ में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जो सड़कों की स्थिति है उसके विषय में राजस्थान और राज्यों के मुकाबले कहां खड़ा होता है इस बारे में एक माननीय सदस्य ने अपने विचार प्रकट किये, उसके सम्बन्ध में अधिक नहीं निवेदन करके इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस विषय में मन्त्री महोदय भी काफी चिन्तित हैं कि राजस्थान की आवागमन की सुविधायें हैं उनको किस प्रकार से बढ़ाया जाये किन्तु यह अवश्य निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार 2500 की जनसंख्या के गांवों को जोड़ने का प्रश्न था उसमें यह भी साथ में बात थी कि 1500 की जनसंख्या तक के गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जाये। राजस्थान देश के अन्य राज्यों से बहुत पिछड़ा हुआ है तो मेरी समझ में नहीं आता कि जो 1500 तक की जनसंख्या के गांवों को जोड़ने वाली बात थी उसको राज्य सरकार ने 2500 तक कैसे बढ़ा दिया। सम्भवतः इसलिए कर दिया होगा कि राजस्थान की फाइनेन्शल स्थिति अच्छी नहीं। इस सम्बन्ध में यह अवश्य निवेदन कर सकता हूं कि फाइनेन्स का जहां तक सवाल है निश्चित ही राज्य की स्थिति अच्छी नहीं है, किन्तु जो कृषि उपज मण्डियां हैं और उन में जो धनराशियां जिस प्रकार से शुल्क के नाम से और टैक्स के नाम से वसूल की जा रही हैं उनका यदि उपयोग हो सकता है तो इन सड़कों के लिए सही तरीके से उपयोग हो सकता है। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा मन्त्री महोदय से कि यद्यपि इसका सीधा सम्बन्ध आपसे नहीं है कि कृषि उपज मण्डियों पर आप इस प्रकार का नियन्त्रण लगा सकें। किन्तु फिर भी यदि आप चाहें तो किसी प्रकार से तालमेल और कोआर्डीनेशन बैठाकर जो कृषि उपज मण्डियों की आय है उसमें से आप सड़कों का अधिक से अधिक निर्माण कराने के लिए योजनायें बना सकते हैं और इस प्रकार से सड़कों के विकास को गति अवश्य दे सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप इस सुझाव पर अवश्य ही गौर करेंगे।

जहां तक राजस्थान में सड़कों के विकास का प्रश्न है इतना ही कह कर अजमेर डिस्ट्रिक्ट के लिए यह निवेदन करना चाहूंगा कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पहले से ही काफी संख्या में सड़कें बनी हुई हैं किन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि उनका मेंटीनेन्स जिस हिसाब से होनी चाहिए, वह नहीं हो पाता है। उसका भी कारण खास यही है कि जो बजट में प्रावधान हमें सड़कों के मेंटीनेन्स के लिए रखना चाहिए वह नहीं हो

( श्री प्रतापसिंह )

पाता है। उस संदर्भ में, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अजमेर में खासतौर से अपनी डेरी की योजना है उसको राज्य सरकार ने स्वीकृत कर दिया है। उसके लिए आवागमन के जो साधन होने चाहिएं उस डेरी की जो योजना है यदि उसको सफल बनाना है तो बगैर आवागमनों के साधनों के वहां पर्याप्त मात्रा में दूध इकट्ठा नहीं हो पायेगा। इसलिए जो कुछ भी सड़कें वहां बनी हुई हैं उनके रख रखाव के लिए भी प्रावधान किया जाना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

अभी दो मिनट में समाप्त करता हूं।

इसके साथ ही साथ मैं आपको अपने क्षेत्र की भी कुछ बात निवेदन करना चाहूंगा। आपने जो रूपनगढ़ के पास बहुत लम्बे समय से पुलिया का निर्माण होना चाहिए था वह स्वीकृत किया है उसके लिए तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वह एक महत्वपूर्ण पुलिया थी और जिस पुलिया के अभाव में नागौर डिस्ट्रिक्ट भी कट आफ रहता था और मकराना की खानें हैं उनका माल ढोने के लिए व्यवस्था नहीं थी वह भी इस पुलिया के निर्माण से चालू हो जायेगा किन्तु वहीं उसी के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसी क्षेत्र में जो आपने धनराशि स्वीकृत की है उस सड़क के विकास के लिए और मेंटीनेन्स के लिए जो कार्य चल रहा है उसको दुबारा गति से नहीं चलाया जायेगा तो वह कार्य वर्षा से पहले पूरा नहीं हो पायेगा और आपकी जो धनराशि लगी हुई है सम्भवतः उसका सही लाभ जनता को जो मिलने वाला है, वह नहीं मिल पायेगा। तो मेरा अनुरोध है कि उसको आप वर्षा काल से पहले ही समाप्त कराने का, पूर्ण कराने का आप मेरा अनुरोध स्वीकार करेंगे।

इसी तरह से, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि किशनगढ़ का जो बाई-पास है वह काफी अर्से से पड़ा हुआ है और उसके महत्व को मंत्री महोदय स्वयं जानते हैं कि किशनगढ़ का जो मार्केट है उसके अंदर आपका नेशनल हाई-वे नम्बर 8 है वह गुजरता है, आए दिन वहां एक्सीडेंट होते हैं, किन्तु वहां अभी भी उस बाई पास को न ले करके और बाकी किसी बाई-पास को बनाने की बात होती है तो टेक्निशियन हमेशा यह बात बता देते हैं कि कोई धन-राशि अलाट नहीं हुई है जब कि आए दिन देखते हैं कि आय-व्यय के अंदर लाखों रुपयों की पुलियायें बनाई जाती हैं और दूसरे मरम्मत और चौड़ाई करने के कार्य चालू होते हैं। मैं समझता हूं कि केवल प्रायोरिटी देने का सवाल है। यह तो सवाल है नहीं कि इस राज मार्ग पर, नेशनल हाई-वे के लिए आपको धनराशि आवंटित नहीं होती है। प्रश्न यह है कि उस धनराशि को किस प्रकार से, किस जगह काम में लेना चाहते हैं। तो जहां तक धनराशि का सवाल है मैं समझता हूं कि उसका अभाव नहीं है किन्तु प्राथमिकता का ही सवाल है, एक सोच विचार का तरीका है। इस सम्बन्ध में, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किशनगढ़ के मार्केट की जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए आए दिन एक्सीडेंट होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस बाई-पास को आप प्राथमिकता के अन्दर पूरा करने की कृपा करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ में, मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग की बात को तो पूरा करता

( श्री प्रतापसिंह )

हूं। अब अकाल के संदर्भ में और बाढ़ के संदर्भ में राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अजमेर जिले में अब की राजस्थान में जो वर्षा हुई उस अनुपात में यदि देखें तो 162 पर्सेन्ट जैसा कि आपके आंकड़े हैं, अधिक वर्षा हुई है और अधिक वर्षा के फलस्वरूप जो वहां हमारे अजमेर जिले की स्थिति रही वह राज्य सरकार से छुपी नहीं है। राज्य सरकार ने समय पर जो सहायता की उसके लिए तो मैं राज्य सरकार को धन्यवाद निवेदन करना चाहूंगा किन्तु साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो स्वीकृतशुदा धनराशियां हैं उनका सही उपयोग हो जाय और समय के ऊपर कार्य पूरा हो जावे ऐसा भी मेरा राज्य सरकार से और मंत्री महोदय से निवेदन है। इसके साथ साथ मैं अधिक कुछ न कह करके यही निवेदन करना चाहूंगा कि बाढ़ में जो आपका

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अजमेर जिला प्रभावित हुआ है, उसके साथ साथ रबी की फसल में रोली की बहुत अधिक शिकायत हुई है और दोनों फसलों के नष्ट ....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

होने से अब इसे अभावग्रस्त घोषित किया जाकर राहत कार्य

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

शुरू करने के लिए मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, नम्र निवेदन है।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री मूलचन्द सामरिया।

**श्री मूलचन्द सामरिया ( दौसा ) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के बारे में जो पूरे राजस्थान और भारतवर्ष में राजस्थान की क्या स्थिति है, बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बारे में फर्मा दिया है इसलिए मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर न जाकर पहले न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत --

(4.54 म.प.)

(श्री रघुनाथ विश्नोई, सभापति, पीठासीन)

जो सड़कें थीं उसके लिए 63 हजार रुपया मंजूर किया गया था और अबकी बार उसी काम के लिए 25 लाख रुपये भी रखे गये हैं जिससे कि सरकार की यह न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को पूरा करने की नियत का पता चलता है। छोटे-2 गांवों में पच्चीस सौ की आबादी को न जोड़ने का मतलब होगा कि इस प्रदेश के छोटे गांवों के विकास को रोकना है और उनके साथ न्याय नहीं होगा।

माननीय सभापतिजी, मैं मिसाल के तौर पर निवेदन करना चाहूंगा कि दौसा से सिगवाड़ा के बीच, तहसील दौसा में सिगवाड़ा गांव है, उसके बीच में सड़क का सिलसिला पांच सात साल पूर्व चलाया गया था, उस पर कुछ काम भी हुआ, मिट्टी का काम हुआ और वह काम मिट्टी का होने के बाद वहां बरसात के दिनों में जो हालत है, जो फेयर वेदर रोड की जो हालत हुई और आसानी से जो लोग आ जा सकते थे अब उसमें रुकावट पैदा हो गई। इसलिए इस काम को हाथ में लिया गया है जो चाहे

(श्री मूलचन्द सामरिया)

अकाल राहत के तहत काम करायें या किसी और से लेकिन काम पूरा कराया जाना चाहिए। जब हजारों रुपया खर्च हो जाता है तो मैं समझता हूं कि वह काम रुकावट के रूप में नहीं हो बल्कि उस सड़क को पूरा किया जाना चाहिए। इसी संदर्भ में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि दौसा सिगवाड़ा रोड़ अधूरी पड़ी हुई है उसके लिए मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसी सत्र में पूरा किया जाना चाहिए।

इसी तरह से खान–मांकरी–कुम्बल रोड़ पर भी अकाल राहत में कार्य हुआ था और जिस समय माननीय हरिदेवजी जोशी पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर थे इसी सदन में यह आश्वासन दिया था कि इसको अकाल राहत में लेकर हम पूरा करवा देंगे लेकिन वह काम भी आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। उसके आसपास कम से कम पांच सात पंचायतें ऐसी हैं जिनका दौसा तहसील हैड क्वार्टर से कोई भी सड़क के द्वारा सम्पर्क नहीं है। जिसकी वजह से जो कुछ किसानों को दिक्कतें होती हैं उनके बारे में मिनिस्टर साहब को और सरकार को सोचना चाहिए। उस पर रुपया खर्च हुआ है उसका सदुपयोग इसमें हो तो उसको पूरा किया जावे। क्योंकि बहुत से कामों के अंदर साथ साथ हजारों रुपया खर्चा करें और वे अधूरे पड़े रहें तो जो सड़क फुटपाथ के रूप में काम आती थी उससे भी जनता वंचित रह जाती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह रास्ते की रुकावट वाली बात खत्म करेंगे और उसको पूरा करायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि दौसा लालसोट रोड को चौड़ा करने के लिए लास्ट ईयर से यह प्रोग्राम चल रहा है लेकिन मैं यह समझता हूं कि पता नहीं किसी अधिकारी की लापरवाही से वह रुपया उस पर खर्च नहीं किया गया और जो बिल्कुल मन्थर गति से चल रहा है उसको सरकार शीघ्रता से पूरा करे क्योंकि यह दौसा-लालसोट, लालसोट-सवाई माधोपुर, लालसोट-गंगापुर, लालसोट-कोथून और लालसोट से मन्डावरी, लालसोट गंगापुर वाली सड़क को चौड़ा करने का और इसको ठीक करने का काम सरकार को प्राथमिकता के अन्दर करना चाहिए। इसी तरह से, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर वह नहीं रखेंगे तो माननीय सदस्य जो बी. एन. जोशी हैं उनके निर्वाचन क्षेत्र में एक गांव फूलियों वालों की ढाणी है। अगर आप देखें तो कम से कम दस पांच पंचायतें ऐसी हैं जिन्होंने सपने में भी नहीं देखी कि सड़क कैसी होती है। किस तरह से बस से पहुंचा जा सकता है। माननीय सभापति महोदय, ये पांच सात गांवों के अन्दर ऐसी हालत है कि जीप से तो क्या बैलगाड़ियों से भी आसानी से नहीं जा सकते हैं। दूधाणी ऐसा ग्राम है कि वहां जाने का कोई रास्ता नहीं है। बरसात के अन्दर क्या मजाल है कि कोई बैलगाड़ी पास हो जाय, कोई मोटर पास हो जाय, कोई ट्रक पास हो जाय। इसलिए जब सरकार समानता के आधार पर बर्ताव करना चाहती है तो मैं समझता हूं कि किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, किसानों को मण्डियों और कस्बों के अन्दर अपने कृषि उत्पादन को बेचने के लिए आसान और सीधा सम्पर्क होना आवश्यक है। इसी कारण मैं यह निवेदन करूंगा कि लालसोट गंगापुर रोड, लालसोट से मंडावरी और जो दूसरी सडकें हैं उनका काम प्राथमिकता के आधार पर नहीं करेंगे तो इस

( श्री मूलचन्द सामरिया )

प्रान्त के किसानों के साथ, गरीब किसानों के साथ न्याय नहीं होगा। जिन्होंने कभी सड़क नाम की चीज को नहीं देखा।

इसके बाद क्योंकि समय कम है, अब मैं अकाल राहत....

श्री खेतसिंह : (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि सदन का समय जब तक मांगें पारित हों तब तक के लिए बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति : क्या सदन की सम्पति है कि सदन का समय बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय सभापति जी, अकाल राहत ऐसा प्रश्न है जिस पर राजस्थान सरकार ने बराबर दृढ़ता के साथ कई बार इस सदन में घोषणा की है और यह फरमाया है कि यह एक्चुअली प्रकृति के अलावा इंसान के कण्ट्रोलेबल है। इंसान उन पर नियंत्रण कर सकता है। लेकिन सरकार इन घोषणाओं के बावजूद इसमें कामयाब नहीं हुई और अगर आज भी यह सरकार यह कहे कि प्राकृतिक प्रकोप है उस पर हम पार नहीं पा सकते हैं तो यह सरकार की असफलता होगी। माननीय सभापतिजी, चाहे कितना ही भयंकर अकाल पड़ा हो, फसल को रोली लग गयी हो, फसल पकी और तैयार होकर आने वाली हो और ओलावृष्टि हो गयी हो, किसानों की इस तरह से फसलें बर्बाद होती हैं परन्तु इस सरकार ने आज तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जिससे कि किसानों को राहत मिल सके। जब कभी भयंकर अकाल पड़ा, जब कभी बाढ़ से भयंकर तबाही हुई तो इस सरकार ने लगान को स्थगित कर दिया। लगान को माफ नहीं किया। आखिर में तो उसकी वसूली होगी। जब किसी बड़े उद्योगपति का नुकसान हो जाता है, घाटा हो जाता है और वह कम्पनी बन्द हो जाती है तो करोड़ों रुपया सरकार का डूब जाता है। वह वसूल नहीं होता है और इधर किसानों का लगान माफ नहीं किया जाता है बल्कि स्थगित किया जाता है।

इसी तरह से, सभापति महोदय, जो अकाल राहत के अंतर्गत काम होते हैं, जैसे मेरे से पूर्ववक्ता ने यहां पर कहा, वे सारे कार्य टेम्प्रेरी होते हैं। अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कोई एक सड़क का कार्य प्रारंभ किया गया है तो उसको पूरा किया जाना चाहिए। अकाल राहत के अन्दर कोई ऐनीकट शुरू किया गया है तो मैं समझता हूं कि उसको पूरा किया जाना आवश्यक है। इसके बिना मैं समझूंगा कि उस पर जो रुपया खर्च किया गया है, वह व्यर्थ में खर्च किया गया है। इसलिए सरकार को अकाल राहत कार्यों में अधिक से अधिक ध्यान देकर एक परमानेन्ट नेचर के काम शुरू करवाने चाहियें जिससे अकाल और बाढ़ को यहां से मिटा सकें। अगर सरकार यह कहती है कि यह हमारे बस का काम नहीं है, यह तो नेचुरल है तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि यह सरकार निकम्मी है और ऐसा बहाना करती हैं। लम्बे अर्से तक यह दल सरकार में है और यह राज्य सरकार और अकाल आज पर्यायवाची बन गये हैं जिससे राजस्थान के किसान मर मिट गये हैं, उनकी कमर टूट गयी है और

( श्री मूलचन्द सामरिया )

फिर यह कहें कि यह किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है ? 80 प्रतिशत जिस प्रदेश में किसान हों, उनके लिए यह सरकार क्या पर्मानेन्ट इलाज नहीं कर सकती है ? सभापति महोदय, जयपुर शहर के ब्यूटिफिकेशन के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, जोधपुर शहर के ब्यूटिफिकेशन के लिए, इस नाम पर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया जाता है। तो यह ब्यूटिफिकेशन करने वाली सरकार किसी भी तरह से किसानों की सरकार नहीं हो सकती है। पर्मानेन्ट तरीके से अकाल की समस्या का हल करने के लिए, गरीबों को रोटी रोजी देने के लिए, यह सरकार कोई उपाय व्यवस्था करे, किसानों की सरकार में इतना दम होना चाहिये। फसली बीमा शुरू करें। किसी भी तरह से किसानों को बर्बादी से बचाने के लिए उनकी फसलों का इन्श्योरेंस होना चाहिए। अमुक अमुक क्षेत्र में अमुक अमुक फसल बोयी जाये, फलां फलां खाद दिया जाये और इस तरह की फसल पर इतने रुपये का प्रीमीयम देने के बाद इतने अनाज के पैदावार का इन्श्योरेंस दे दें। इस तरह की फसल बीमा योजना सरकार चालू करती है तो गरीब किसानों को बचाया जा सकता है। लेकिन, सभापति महोदय, आजादी के इतने साल बाद भी, शीत लहर, ओलावृष्टि के बाद भी इस सरकार ने किसानों को इससे बचाने का कोई उपाय नहीं निकाला और इन सब को कुदरत की देन मान कर इन गरीब लोगों को भूखों मरने के लिए छोड़ दिया, पेड़ की छाल खाने के लिये छोड़ दिया। अगर किसान के खेत में गेहूं पैदा हो गया तो सरकार उससे लेवी लेगी और कभी पैदावार ज्यादा हो गई तो यह सरकार रिजर्व प्राइस पर भी किसान से गेहूं खरीदने को तैयार नहीं होगी। सभापति जी, इस समय फसल बहुत अच्छी दिख रही है लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी जगह भी है जहां गेहूं की फसल को रोली लग चुकी है। क्या राज्य सरकार गम्भीरता से इस पर विचार करेगी ? जिस किसान ने ऊंची कीमत का बीज डाला, जिसने महंगा खाद डाला, फसल पकने को तैयार हुई और रोली लग जाने से नुकसान हो गया तो क्या सरकार ऐसे किसानों को जिन्दा रख सकेगी। परन्तु यह सरकार उनको किसी भी तरह रिलीफ देने को तैयार नहीं है। जो उनको लोस हुआ है उसके बावजूद उनको अगली फसल तक जिन्दा रखने के लिए उनको काम दिया जाय। इसकी ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। आज उनके गांव में सड़कें नहीं हैं कोई सड़क नहीं बनती। किसी तरह के पर्मानेन्ट नेचर के काम आप नहीं करते हैं जिससे कि वे आगे बढ़ सकें। कृषि उपज मंडी का उदाहरण आपने दिया। सभापति जी, एक तरह से किसानों पर यह दोहरा भार है। किसान राजस्व देता है। हर तरह के टैक्स देता है अब कृषि उपज मंडी का टैक्स और हो गया। पी. डब्लू. डी. को किसान तंग न करें, किसी काम के लिए नहीं कहें, इसलिए कृषि उपज मंडी आपने बना दी। यह दोहरा भार है। इससे किसान बर्बाद हो जायेगा। यह गरीबों पर भार है। इनडायरेक्ट रूप से किसान सारे टैक्स देता है और उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आपने ऐसी व्यवस्था की है ताकि वह आपसे कोई मांग नहीं करें। ..

श्री शंकर लाल : माननीय सदस्य कृषि की मांग तो कल है।

श्री मूलचन्द सामरिया : कृषि उपज वाले सड़क बनावें। कृषि उपज मंडी में जो रुपया आता है, वह किसान पर वजन है। इस तरह से अपने आपको समस्या से अलग रखने के लिए यह एक साधन बना दिया है जिससे सरकार के पास कोई एप्रोच न करे। सड़क के नाम पर नाममात्र की मिट्टी डलवा दी और जो अच्छे रास्ते थे उनको भी बर्बाद कर दिया। पहले जिससे साधारणतया आ जा सकते थे, वह भी न हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

इसी प्रकार, सभापति महोदय, आवास की समस्या के बारे में दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। बीस सूत्री प्रोग्राम के अंतर्गत सबसे जोरदार अभियान यह चलाया गया कि इतने लाख आवासीय भूखंड गरीब लोगों को आवंटित कर दिये गये हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा बड़े शहरों को जो आवास की समस्या है....

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। यह जो आवास की मांग है और इसमें जो कटौती प्रस्ताव आये हैं, उसमें इसका आशय क्या है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : सवेरे ही मैंने साफ कह दिया था इसमें आवास की समस्या जनरल है वह नहीं है। सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए जो आवास बनाये जाते हैं, वह है, सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए आवास बनाने की बात है। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आवासीय भूखंड देने का जो अभियान है वह इसके अन्तर्गत नहीं आता है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह आवास 'शब्द' क्यों रखा ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह बजट में चला आ रहा है।

श्री शंकरलाल : अब आगे हिन्दी क्यों की जा रही है ?

श्री दिनेश राय डांगी : गोटेवाला जी, आवास की समस्या से पीड़ित हैं उनको एक भू-खण्ड गन्दी बस्ती में दे दिया जाये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : डांगीजी के अपना मकान नहीं है, इसलिए उन्होंने यह मांग रखी है। उनको भू-खण्ड दिया जाये।

श्री हीरालाल देवपुरा : गोटेवाला जी जयपुर के एम. एल. ए. हैं, वे दे सकते हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : आवास के सम्बन्ध में यह व्यवस्था है। मैं तो यह समझ रहा था कि जो भू-खण्ड अभी दे रहे हैं, वह है। खैर। भवन के मामले में वह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए मकान बना कर देते हैं कम रेन्ट पर उसी तरह से आप ज्यूडिशियल आफिसर को फेसिलिटी दें, तो मैं इसका स्वागत करूंगा। साथ ही जो लो-इन्कम के कर्मचारी हैं उनके लिए भी आप अलग से व्यवस्था करें, उनके लिए रिजर्वेशन करें तो अच्छा होगा। पांच सौ से हजार रुपये तक जिनकी इन्कम है, उनके लिए व्यवस्था नहीं करें तो भी ठीक है लेकिन जो पिओन है, एल. डी. सी. हैं, लो-इन्कम वाले हैं उनको आप मदद करते हैं तो उचित होगा। आज जो प्रभाव-

( श्री मूलचन्द सामरिया )

शाली हैं वे तो फायदा ले लेते हैं और जो कमजोर आय वाले होते हैं, कम वेतन पाने वाले लोग हैं, उनको इनसे बहुत फायदा नहीं मिलता है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप ज्यूडिशियरी के आफिसर को भी एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर की तरह जो उसके समकक्ष हों, उनके बराबर सहूलियत देंगे तो प्रदेश की ज्यूडिशियरी के साथ आप न्याय करेंगे।

**श्री सभापति : श्री चतुर्भुज।**

**श्री चतुर्भुज** (टोडारायसिंह) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 11 मई, 1975 को माननीय मुख्य मन्त्री जी हमारे क्षेत्र में पधारे थे और आपने ग्राम भादोलाई की सभा में उपस्थित जन समुदाय को सम्बोधित करते हुए यह घोषणा की थी कि इसी चालू साल में सामरिया से भौर तक की सड़क को पक्की बनाकर डामर करवा दी जावेगी। इसी के साथ साथ यह भी घोषणा की थी कि ग्राम पत्तालिया को, जो भादोलाई से 3 4 किलोमीटर दूर है, बिजली की लाइन से जोड़ दिया जावेगा। मगर अभी तक भी इस घोषणा की अनुपालना नहीं हुई। मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से पुनः यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या यह घोषणा जो आपने की उसकी अनुपालना होगी ? ऐसी मुझे आशा है।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि टोडारायसिंह टौंक सड़क बनी हुई है मगर वह सड़क इस समय ऐसी टूट गई है कि अगर गर्भवती स्त्री उस सड़क पर होकर सफर करे तो निश्चितरूप से उसका गर्भपात हो जावे। ऐसी स्थिति में ऐसे मुसाफिरों को टोडारायसिंह से मालपुरा होकर जाना पड़ता है, उनको 40-45 किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ता है और यह हालत बरसात के मौसम में तो साधारणतया मुसाफिरों के सामने भी आती है क्योंकि मोटर मालिक बरसात में तो मोटरें ही बन्द कर देते हैं। अब मालपुरा से टौंक की सड़क की भी यही हालत हो चुकी है। अतः सरकार टोडारायसिंह से टौंक तक डामर सड़क पर करवा कर जनता को राहत पहुंचाने का कष्ट करें।

टोडारायसिंह से मालेडा रोड, जो सरकार से सेंक्शन्ड है उसका कार्य सन् 49 से चल रहा है मगर यह रोड सन् 76 तक भी 8 या 10 किलोमीटर बन पाई है। इस रास्ते पर वर्षा से कई मोटरें सवारी की रोजाना जाती है जिनका रोड टैक्स जो सरकार ने उक्त वर्षों में लिया वह भी इस रोड पर खर्च नहीं किया गया जब कि यह रोड देहली से बम्बई को संचालित करने में कम समय व कम दूरी पर है। ऐसी स्थिति में इस रोड को अविलम्ब बनाने का कष्ट करें। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि देवली टोडारायसिंह का ही एक विधायक क्षेत्र है तथा एक तहसील को दूसरी तहसील से जोड़ने का जो सरकार का निर्णय है उसे पूरा करता है। इस रोड के मध्य में एक कस्बा जिसका नाम नासीरदा है वहां की आबादी छः हजार के करीब है उस कस्बे ने सरकार को अपनी तरफ से सदा सहयोग दिया है। यह कस्बा मिनिमम प्लान के अन्दर भी भागीदार है। अतः इतनी बड़ी जनसंख्या को बरसात के मौसम में तो

( श्री चतुर्भुज )

भयंकर परेशानी भोगनी पड़ती है और सब रास्ते आवागमन के रुक जाते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार से निवेदन है कि इस रोड को बनवाने का अविलम्ब आदेश प्रदान करें ताकि इस क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके।

मैं माननीय विद्युत मन्त्री महोदय का भी ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, हालांकि आप के समय में यह बात नहीं है मगर फिर भी सम्बन्धित मन्त्री होने के नाते मेरा निवेदन है कि कस्बा नासरदा तहसील देवली में 3 साल पहले ही बिजली की लाइन डाल दी गई मगर अब तक भी इसके कनेक्शन जनता को नहीं मिल सके। अगर कनेक्शन दिये जाते तो आज कृषक वर्ग भी इसका अधिक लाभ उठा कर 20 सूत्री कार्यक्रम के पहले पैरों को सहयोग देता है। आशा है इस तरफ गौर करके कनेक्शन दिए जाने के आदेश प्रदान करवाने की कृपा करेंगे। इस कस्बे में करीब 300 घरों की आबादी शिड्यूल्ड कास्टस् व शिड्यूल्ड ट्राइब्स की है उनको भी समाज कल्याण विभाग की तरफ से राहत देने का कर्त्तव्य है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन परिवारों को भी इस स्कीम का लाभ पहुंचाने का अपना कर्त्तव्य निभाने का कष्ट करें।

मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि दिनांक 28-2-76 को देवली नगरपालिका की तरफ से आवासीय गृह पट्टा वितरण समारोह में श्रीमान् ने देवली से बोराड़ा गणेशजी के स्थान तक सड़क बनवाने की घोषणा जनता की मांग पर की थी जो केवल 4 किलो मीटर का टुकड़ा है। इसी आशा से मैं पुनः यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस घोषणा की अनुपालना शीघ्र करवाने का कष्ट करेंगे।

बीसलपुर बांध की स्कीम सरकार के द्वारा 20 साल से विचाराधीन चल रही है। मगर इसका काम अभी तक भी शुरू नहीं किया गया है जब कि सरकार बार बार इस बांध का एडवर्टाइजमेंट करती है। अजमेर, ब्यावर व किशनगढ़ आदि शहरों की पानी की तकलीफ दूर करना चाहती है इसका मुझे कतई ऐतराज नहीं है, मगर इस योजना पर सिंचाई विभाग द्वारा कम से कम 60 लाख रुपया सर्वे पर खर्च करने का मेरा अनुमान है। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि सिंचाई के लिए भी इस बांध का उपयोग हो जिससे टोंक जिला सवाई माधोपुर जिला का एरिया जो लाखों एकड़ हो सकता है, में हरित क्रांति होगी और देश की खाद्य समस्या को हल करने में बड़ा भारी सहयोग मिलेगा।

अगर सरकार इस योजना को हाथ में नहीं लेना चाहती तो इस योजना को रिजेक्ट करे ताकि हम संतोष तो ले सकें। इस क्षेत्र का जो वर्षों से विकास अवरुद्ध हो रहा है वह प्रारम्भ होकर इस क्षेत्र की जनता को लाभ जितना मिल सके वह तो मिले। उदाहरण के तौर पर जयपुर से टोडारायसिंह तक रेल चलती है वह लाइन कोटा तक नहीं बढ़ाई जा रही है, क्योंकि इस योजना की वजह से यह काम भी रुका हुआ है और न जनता इस क्षेत्र में पक्के मकान व कुएं बना सकती है।

डाई नदी के बांध की योजना सरकार द्वारा चल रही है उसको पूरा कर-

( श्री चतुर्भुज )

बाया जावे ताकि जमीन की सिचाई हो सके जिससे गरीब कृषकों को लाभ मिल सके।

आज का जो मुझे मौका बोलने का दिया गया उसके लिए मैं इस सीट का आभारी हूं।

**श्री सभापति** : श्री लालाराम।

**श्री लालाराम** (फलासिया) : सभापति महोदय, मुझे आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। हमारे जिले में फलासिया और कोटड़ा यह जो दो तहसीलें हैं, ये गुजरात से सम्बन्ध रखती हैं सड़कों के बारे में। कई अर्से से कुछ काम चल रहे हैं। कभी चलते हैं और कभी बन्द हो जाते हैं। जितना भी काम किया जाता है वह बरसात के अन्दर वापस खराब हो जाता है। मैं यही निवेदन करूं कि उदयपुर से जो रोड जाने वाली है, झाडोल, खाखर, फलासिया की तरफ जो जाती हैं, वहां पर अकाल राहत मन्त्री जी ने बहुत काम करवाया भी है। सोन नदी पर पुल भी बना है लेकिन जो सड़कें हैं थाणा पीपला, जावल से गोगुन्दा इन पर नाम मात्र का डामर बिछा हुआ है, इनको पक्का करावें। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। पांच दस मील तक तो हो गया है।

**श्री हीरालाल देवपुरा** (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : 35 मील तक हो गया है।

**श्री लालाराम** : दूसरा मेरा निवेदन है कि माधरी जाते समय रास्ते में न कोई सड़क है और न कोई पुल गाड़ियां खराब हो जाती हैं, इसलिए कोई योजना बनाकर इसको बनवाया जावे तो अच्छी बात है। जावल से गोगुन्दा को जो सड़क जाती है वह भी टूटी फूटी हालत में है वह भी ठीक कराई जावे। इस सड़क पर आप पधारे भी थे तब भी याद दिलाया था। मैं उधर जाता हूं तो लोग मुझको कहते हैं। मैं क्या जवाब दूं उनको ? मन्त्री महोदय कभी उधर जाते नहीं। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री सज्जनसिंह** (सुमेरपुर) : माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं यह निवेदन करना उचित समझता हूं कि हमारी सरकार निर्भर करती है एक तो ब्यूरोक्रेट्स पर और दूसरे टेक्नोक्रेट्स पर। टेक्नोक्रेट्स की यह हालत है कि किसी भी योजना के लिये, किसी भी बात के लिये जब तक उनकी कृपा दृष्टि नहीं हो, तब तक मामला बन ही नहीं सकता और उनकी कृपा दृष्टि में उनकी स्पेशल नोलेज का जो बेनीफिट जन साधारण को मिलना चाहिए वह उपलब्ध सहज तरीके से नहीं होकर बड़ी अड़चनों के बाद उपलब्ध होता है।

सर्वप्रथम मैं सड़कों के लिये निवेदन करना चाहूंगा। नेशनल हाई वेज बनते हैं, यह मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया का इन्वालवमेन्ट है, डिसाइड भी शायद गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया करती है लेकिन राजस्थान गवर्नमेन्ट बिल्कुल आंख मूंदकर बैठी रहती हो यह भी मेरी कल्पना के परे की बात है। मैं यह स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं कि राजस्थान सरकार का नेशनल हाई वेज के मामले में किसी भी प्रकार का दखल नहीं होता। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं, अपने राजस्थान

( श्री सज्जन सिंह )

के उन टेक्नोक्रेट्स की बुद्धि विवेक, और कार्य क्षमता की ओर ध्यान खींचना चाहता हूं कि दिल्ली से अहमदाबाद को नेशनल हाई वे जाता है, वह दिल्ली से जयपुर, जयपुर से ब्यावर और ब्यावर से उसका उदयपुर की तरफ डाइवर्शन किस हिसाब से किया, किस तरह से उसको जस्टिफाई किया जब कि मेन रोड पाली डिस्ट्रिक्ट में से होकर जाती है। समस्त ट्रेफिक पाली डिस्ट्रिक्ट में से होकर जाता है, आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं, श्रीमान, कि उदयपुर में जो नेशनल हाई वे डाइवर्ट करके बनाया है, ठीक है उदयपुर के लिए आपके मन में बहुत प्रेम है, आप भूल जाते हैं कि आप राजस्थान के प्रशासक हैं, आप राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते है, राजस्थान का प्रशासन चलाते हैं, लेकिन क्षेत्रीय भावनाएं आपको दबा लेती हैं, मानता हूं कि मनुष्य में जन्म से कमजोरी होती है लेकिन यह कहां का न्याय है कि एक नेशनल हाई वे को, जो कि मुख्य नेशनल हाई वे है उसको घुमा फिरा कर हिम्मतनगर होकर अहमदाबाद में मिलाता है। पाली डिस्ट्रिक्ट की ओर जो रोड्स हैं उनको आपने नेग्लेक्ट कर दिया। मैं जानना चाहता हूं टेक्नोक्रेटस की राय को उन्होंने किस प्रकार से जस्टिफाई कर दिया। आज भी सारा ट्रेफिक उधर से निकलता है, व्हीकल ट्रेफिक उधर से निकलता है, गुड्स ट्रेफिक उधर से निकलता है, पैसेन्जर ट्रेफिक उधर से निकलता है और टूरिस्ट सारे उधर से जाते हैं इसलिये नेशनल हाई वे हमारे उधर से जायं उदयपुर से क्योंकि एक दफा बन चुका है। मैं मान्यवर, राज्य सरकार से अपेक्षा करता हूं और विश्वास के साथ अपेक्षा करता हूं कि आपने जो गलत निर्णय ले लिया, किन्हीं कारणों से प्रभावित होकर जो निर्णय ले लिया, आपमें उन निर्णयों को दुरुस्त करने की शक्ति है, आप में इसकी क्षमता है और आप इसको रिवाइज कीजिये। यह नेशनल हाई वे का जो डिसीजन किया है वह गलत किया है, यह आपको स्वीकार करना पड़ेगा और इसको रिवाइज करना पड़ेगा। आपको गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया के पास अपनी राय भेजनी होगी कि नेशनल हाई वे को तुरन्त दिल्ली से जयपुर, ब्यावर, बर, पाली, सुमेरपुर, आबू रोड, सिरोही होता हुआ अहमदाबाद जाना चाहिए। इसके लिये अगर आप इस बजट में प्रावधान नहीं कर सकें तो भविष्य में भी इसके लिए जागरूक होकर कार्यवाही करनी चाहिए। यह करके आपने पाली डिस्ट्रिक्ट की रोड्स को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया है और उसके कारण मान्यवर, जब यहां से मैं घर जाता हूं, बड़ी मुश्किल से कर्जा लेकर मैंने एक गाड़ी मोल ली है, और बड़े दुःख के साथ यह महसूस करता हूं कि आज कल मैं भी एक कार ओनर हूं लेकिन जब पाली डिस्ट्रिक्ट में मेरी कार घुसती है तो मेरे को दर्द होता है कि सड़कों की क्या दुर्दशा हो रही है, गांव पहुंचता हूं तब तक गाड़ी की काफी दुर्दशा हो जाती है और वह केवल इसलिए कि आपने पाली डिस्ट्रिक्ट की रोड्स को नेग्लेक्ट किया है। न स्टेट हाईवेज के तौर पर उसको डवलप किया है और नेशनल हाई वे तो हुआ ही नहीं क्योंकि ब्यावर से उदयपुर होकर नेशनल हाई वे डाइवर्ट हो गया, इसलिए मैं निवेदन करूंगा ...

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** आप उसको जयपुर में ही रखा करें, बाहर लेकर नहीं जाया करें।

श्री सज्जनसिंह : सलाह बड़ी नेक है, माननीय सदस्या मेरी शुभ कामना के विषय में सलाह देती है, मेरी आर्थिक हालत को मैं ही ज्यादा जानता हूं। लेकिन नई कार का नया नया शौक था, मेरे मन में भी लोगों की गाड़ियां देख कर ईर्ष्या होती थी कि कार में बैठकर मैं भी घर जाऊं। इस तरह गाड़ी की दुर्दशा हुई, अब मैं माननीय सदस्या की राय पर....

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय सदस्य, मेरी राय में—देख परायी चूपड़ी मत ललचावे जीव, रूखा सूखा खाय के ठंडा पानी पीव।

श्री सज्जनसिंह : यह सलाह भी नेक है और इस सलाह पर जब मैं अकाल राहत पर चर्चा करूंगा तो अपने विचार पेश करूंगा। अभी मुझे पाली डिस्ट्रिक्ट की सड़कों की जो दुर्दशा है, उसको मेरे अनुभव के आधार पर निवेदन करने दीजिये।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि बर से लगाकर सुमेरपुर और जवाई नदी पार करने से पहले तक पाली डिस्ट्रिक्ट है, इस तरफ आपने रोड्स को कितनी बुरी तरह से निग्लेक्ट किया है, माननीय मंत्री महोदय आप इस पर गौर फर्माइये। कारण क्या है—यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं जब देखता हूं कि दूसरी जगह बहुत बड़े पुल बन गये हैं, नदियां सीजनल रिवर्स हैं, उनके ऊपर, पाली जिले में पुल नहीं बन सकते। ट्रैफिक जाम हो जाता है, रुक जाता है, और लोगों को बहुत दुःख होता है। इसलिए मैं चाहता था, आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूं, हालांकि मुझे विश्वास है कि आपका ध्यान आकर्षित करने के बावजूद होना जाना कुछ नहीं है। आप करेंगे नहीं। गर्दन आपकी टेढ़ी मेढ़ी हिलती रहती है, सीधी नहीं हिलती है। खैर यह आपकी मर्जी। मेरा जो फर्ज है उसे मैं अदा किये बिना नहीं रह सकता।

पाली जिले में सुमेरपुर से रोड जाती है, तखतगढ़, तखतगढ़ से जालौर। वह मेन रोड है। वह रोड फ्लड की वजह से चार साल पहले डेमेज हुई। मालूम नहीं, रिपेयर का फण्ड कहां वेस्ट होता है, कहां उसका उपयोग किया जाता है—यह जानकारी नहीं है। यह जानकारी करने का प्रयत्न भी नहीं किया। लेकिन आप अपनी निजी कार लेकर सड़क पर जा नहीं सकते। कार का सत्यानाश हो जायगा—यह मेरा विश्वास है। मैं उधर से निकलता हूं। जन साधारण कितना दुःखी है। ट्रैफिक वहां से किस तरह से निकलता है। बैलगाड़ियां कितनी मुश्किल से निकलती हैं। छोटे छोटे नाले हैं, बरसात में पानी कमर कमर तक भर जाता है। लोग बैलगाड़ियों को निकालने के लिए परेशान होते हैं। सरकार को गालियां बोलते हैं तो मुझे अफसोस के सिवाय और हो क्या सकता है? इसलिए मान्यवर, यह मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट के लिए इस तरह का उपेक्षा का दृष्टिकोण मत रखिये। हमने कोई गुनाह नहीं किया। पाली डिस्ट्रिक्ट ने कोई गुनाह नहीं किया कि तमाम रोड को इस बुरी तरह नेग्लेक्ट करें।

इसके बाद एक शुभ दिन आया था जब हमें मिनिमम नीड में कुछ रोड्स मिलने की आशा बंधी थी। कुछ रोड्स डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में बैठकर स्वीकार की थीं। लेकिन आज हमें बजट में बताया है कि पूरे राजस्थान के लिए मिनिमम नीड प्रोग्राम में

( श्री सज्जन सिंह )

25 लाख का प्राविजन रखा है। मैं यह जानता हूं, मेरी एक तहसील के अन्दर रोड 16 किलो मीटर की थी। शायद उसकी सेंक्शन हुई थी 9 लाख रुपये की, वह काम बिल्कुल अधूरा पड़ा है। आपने पूरे राजस्थान भर के लिए पच्चीस लाख रुपये का प्राविजन रखा है। इससे कितनी सड़क दुरुस्त हो जायगी? आपने जो मिनिमम नीड प्रोग्राम में वर्क्स शुरू किये, उन वर्क्स की क्या हालत होगी? कैसे वर्क पूरा कर पायेंगे? कैसे मेन्टेन कर पायेंगे? यह सारी बात ध्यान में लाना आवश्यक था। इसलिए निवेदन किया है। यह मैं जानता हूं, आप इसमें कर कुछ नहीं सकते क्योंकि टांग टेक्नोक्रेट्स की ऊपर है। इसलिये इतने पैसे का भी उपयोग नहीं करेंगे, जब कि इस साल में उसका उपयोग किया जा सकता है और सड़क बनाई जा सकती हैं, जो इन्कम्पलीट वर्क्स हैं उनको कम्पलीट किया जा सकता है। लेकिन विभिन्न प्रकार की अड़चनें पैदा की जाती हैं। कान्ट्रैक्ट दे दिया गया। कान्ट्रैक्टर ने वर्क स्टार्ट नहीं किया। किन कारणों से वर्क स्टार्ट नहीं किया जाता है—यह मैं नहीं जानता। लेकिन वह वर्क अधूरे पड़े हैं, हमेशा के लिए अधूरे पड़े रहेंगे। मैं राज्य सरकार से अपेक्षा करता हूं कि मिनिमम नीड प्रोग्राम के वर्क इन्कम्पलीट वर्क हैं उनको कम्पलीट करना चाहिए, जो कि हमेशा हमेशा उपेक्षित एरिया में पड़े रहे हैं। प्रिन्सिपल यह था, ढाई हजार से पांच हजार की पापुलेशन तक के विलेज को वह टच करेगा। हमारे उस सिद्धान्त के आधार पर जो बेसिक मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में रोड ले ली गई थी, उन रोड्स की हालत आज यह है कि इस हालत में बिल्कुल नेगलेक्ट होने की परिस्थिति पैदा हो गई है। इसलिए निवेदन किया कि इस पर आपको गौर करना चाहिए।

मान्यवर, सामन्तवाद के युग से तो राजस्थान निकल गया। राजाशाही समाप्त हो गई। राज्य हमारा कल्याणकारी, जनहित में चल रहा है। आवास के लिए नये निर्माण होते हैं, नये डिजाइन के, नये पैटर्न के। बम्बई और दिल्ली की खनक जब पाली में, मैं देखता हूं तो दिल में खुशी भी होती है। लेकिन जब कभी मुझे दिल्ली जाने का अवसर प्राप्त हुआ तो राजस्थान हाउस में डिस्क्रिमिनेट्री बिहेवियर देखा। वहां ब्यूरोक्रेट्स को रूम रेंट केवल तीन रुपया देना पड़ता है और जनता के प्रतिनिधि को 27 या 30 रुपया देना पड़ता है, I fail to understand why this discriminatory behaviour. केवल इसलिए कि आप चाहते हैं, आपके ब्यूरोक्रेट गुड ह्यूमर में रहे, केवल इसलिए कि आप यह चाहते हैं कि सारे के सारे कम्फर्ट्स और लक्जरी लाइफ की उन्हें मिले। उसके बाद मैंने सुना है कि वहां पर एक "जोधपुर हाउस" नाम के हाउस का निर्माण हुआ है। निर्माण हुआ है अथवा रिनोवेशन–यह मैं जानता नहीं। यह भी मैंने सुना है फर्नीचर तक माडर्न, आल एमेनिटीज, मोस्ट अपटूडेट बनाई गई हैं। केवल दो रूम हैं, एक रिजर्व रहता है उनके लिए ·

श्रीमती सुमित्रा सिंह : चार हैं।

श्री सज्जन सिंह : चार होंगे। छः भी हो सकते हैं। केबिनेट के सारे के सारे मिनिस्टरों को वहां सारी सुविधा मिलनी चाहिए, After all they are supe·

( श्री सज्जन सिंह )

rior people, they belong to a superior race of new class of rulers. इसलिए यह सुविधा मिल भी जाती है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन समझ में नहीं आता, इसमें कौनसा जनहित है कि इसके रिनोवेशन के लिए पचास लाख रुपये···

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 5 लाख।

श्री सज्जनसिंह : 5 लाख होंगे। मुझे यह बताया गया कि 50 लाख···

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय: Don't disturb the speaker please. It is not good.

श्रीमती सुमित्रासिंह : आप गलत कह रहे थे इसलिए करेक्ट किया।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : You corrected him, but it breaks the flow of the speaker. When you were speaking, he did not disturb you.

श्रीमती सुमित्रासिंह : वह तो नहीं कह रहे हैं, आप क्यों कहते हैं ?

श्री सज्जनसिंह : I welcome the suggestion and I welcome the correction. My information was it involved an expenditure of rupees fifty lakhs. I also welcome the suggestion given by the Hon. Member not to disturb, and also discourage the Minister not to play mischief.

तो यह निवेदन कर रहा था, यह राजाशाही को मात करने वाला आपने कौनसा कदम लिया ? क्या उसकी आवश्यकता थी ? क्यों आपने जोधपुर हाउस में इतना पैसा खर्च किया ? क्या आपने सोचा? जन-कल्याणकारी समाज में, समाजवादी समाज में इसकी आवश्यकता महसूस क्यों की ? इसका भी, मान्यवर, मंत्री महोदय, अपने जवाब में स्पष्टीकरण देने की कृपा करेंगे - ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। मैं समझता हूं कि आपने व्यर्थ का खर्च किया। मैं समझता हूं कि आपने राजस्थान के लिए कलंक प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूं, राजस्थान को यह पैसा खर्च नहीं करना चाहिए था। मैं समझता हूं कि आपका राजस्थान हाउस ही आपके लिए सारी एमेनिटीज प्रोवाइड करता है, वह सफिसियेन्ट है। मैं समझता हूं, यह डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर, प्रिफरेंसियल ट्रीटमेंट करना, आज की समाज व्यवस्था में अपने लिए सुविधा करने का कोई अधिकार आपको नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, इस पर आप स्पष्टीकरण देने की कृपा कीजिये कि इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी कि जोधपुर हाउस को आपने इस तरह रिनोवेट किया, इस प्रकार फर्निस्ड किया, ऐसा बाथरूम बनाया, ऐसी लेट्रिन बनाई जो राजा-महाराजा के रुतबे से आगे बढ़े। मैं इस बात को पसन्द नहीं करता। मैं समझता हूं कि राजस्थान का कोई नागरिक इस बात को पसन्द नहीं करता। मैं समझता हूं, मैं राजस्थान के हर नागरिक के विचारों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं कि सरकार ने गलत तरीके से खर्च किया है। मान्यवर, यह निर्माण का प्रश्न आता है, भवन निर्माण का, तो आपके डाक बंगले में

(श्री सज्जनसिंह)

आपके गवर्नमेंट ग्राफिसर को प्रिफरेंसियल ट्रीटमेंट मिलेगा, केवल गवर्नमेंट ग्राफिसर का रिजर्वेशन होगा, या मिनिस्टर के लिए रिजर्वेशन होगा, मिनिस्टरों के लिए रूम्स पर्मानेन्टली रिजर्व रहेंगे । जन प्रतिनिधि जायं तो जवाब दे दिया जाता है, यह कमरा मिनिस्टर साहब के लिए रिजर्व रहता है । इस कमरे में यह अधिकारी बैठे हैं, चाहे वह ग्रधिकारी ट्रान्सफर पर आया है, चाहे उसे हाउस ग्रलाट नहीं हुग्रा है, चाहे खुद का मकान बनाकर डाक बंगले में दो चार महीने पड़ा रहता हो और हमको ग्रसुविधा में डाल देते हैं । इसका भी मैं जवाब चाहता हूं कि इस व्यवस्था को सुधारने के प्रति ग्रापके क्या विचार हैं ? मैं ग्राशा करता था कि आप गरीब जनता को जिला मुख्यालय पर ग्रावासीय सुविधा प्रदान करते । मैं चाहता था कि किसान को, जिला मुख्यालय पर हर गरीब ग्रादमी को कम से कम ग्राराम से रात बिताने को जगह देते । लेकिन जब मैं देखता हूं कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में इस तरह का डिस्क्रिमनेट्री बिहेवियर होता है, ग्रधिकारियों को प्रिफरेंसियल ट्रीटमेंट मिलता है ग्रौर जन प्रतिनिधियों की उपेक्षा की जाती है तो मेरी समझ में नहीं आता कि ग्राप सौतेला व्यवहार हम लोगों के साथ क्यों करते हैं ? इसको भी ग्राप ग्रपने उत्तर के समय या तो जस्टिफाई करेंगे या मैं जानता हूं ग्राप कह देंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, ग्रौर यह भी मैं जानता हूं कि पैसे का कितना दुरुपयोग कहां कहां किस प्रकार से होता है । खैर, मान्यवर, क्योंकि मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि हमारी सरकार ब्यूरोक्रटस व टेक्नोक्रेट्स पर डिपेंडेंट है इसलिए उनको नाराज नहीं कर सकती । जन प्रतिनिधियों की ग्रवहेलना की जा सकती है. उनकी राय आप वेस्ट पेपर बास्केट में फेंक सकते हैं लेकिन टेक्नोक्रेट्स के साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते ।

तो मैं सड़कों के बारे में निवेदन कर चुका। सरकारी भवनों के लिए मेरा निवेदन है कि ये जो ग्रापने ए. बी. सी. डी. ई. व एफ टाइप न मालूम कितने टाइप के भवन बनाये हैं, उसके लिए भी ग्रधिकारियों को जब वहां जिला मुख्यालयों पर लड़वे देखता हूं तो वे कहते हैं कि यह हमारी डिग्निटी के खिलाफ है, इन्फीरियर टाइप क्वार्टर में जाकर कैसे रहूं । तो मेरी समझ में नहीं ग्राता कि एक तरफ हम समानता की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, दूसरी तरफ कम्फर्टस, लक्जरीज ग्रौर एफ्लूएंट सोसाइटी के बेनीफिट्स ग्रभी भी ग्रपने व्यवहार में इनकारपोरेट करते जा रहे हैं । यह केवल इसलिए होता है कि हम टेक्नो-क्रेट्स पर डिपेंडेंट हैं । कभी वेतन के हिसाब से तो कभी पद के हिसाब से कभी गजेटेड और नान-गजेटेड के हिसाब से चलते हैं । मैं केवल एक हिसाब जानता हूं कि रूस में शायद ऐसा नहीं होता होगा, रूस देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुग्रा. मेरे मित्र सौभाग्यशाली हैं उन्होंने कभी बताया नहीं कि वहां पर क्या होता है . . .

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : मैं बताऊंगा । ग्राप मेरे ग्रनुभव सुन लेना ।

**श्री सज्जनसिंह** : I will welcome. yerhaps you do not have time for that ग्रधिकारियों के लिए इस तरह से ग्रावासीय भवनों का वर्गीकरण, ग्रेडेशन, कम्फर्ट्स का ग्रेडेशन । ग्रापको एक ही स्टाइल के मिनीमम कम्फर्ट्स के मकान हर जिला मुख्यालय पर बना देने चाहिए ।

(श्री सज्जन सिंह)

आपको गजेटेड अधिकारियों को विशेष कम्फर्ट्स प्रोवाइड करने की कल्पना नहीं करनी चाहिए। आपका यह डिस्क्रिमिनेशन प्रिफरेंसियल ट्रीटमेंट, आज के युग में, आज के देश के वातावरण में ठीक नहीं लगता। यह तो गए गुजरे जमाने की बात है। इस लिए भवनों के निर्माण में ये आपके टाइप्स, ग्रेड्स व डिस्क्रिमिनेशन अब तो कम से कम समाप्त कर देने चाहिए।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** अब अकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर फर्मायें।

**श्री सज्जन सिंह :** अब अकाल के विषय में कहना चाहता हूं। राजस्थान में आज तक अकाल सहायता पर 4 लाख रुपये खर्च हुए हैं, ऐसा मुझे बताया गया है। I am open to correction और समस्या आज के दिन भी सुलझी नहीं है। जब कभी थोड़ी बहुत परेशानी होती है तो पश्चिमी राजस्थान का अकाल से पीड़ित किसान अपने मवेशियों को लेकर खानाबदोश तरीके से जब मालवा की तरफ जाता है तो एक तरफ दुःख होता है और दूसरी तरफ गुस्सा भी आता है। मैं कल्पना करता था कि हमारी सरकार कम से कम अकाल से जूझ कर इस समस्या का स्थाई हल निकालेगी और जब मैंने देखा कि टेक्नोक्रेट्स इस अकाल के मामले में भी टांग फंसाते हैं, उनकी राय को तरजीह दी जाती है, जनसाधारण के हित को नहीं देखा जाता, उसकी अवहेलना की जाती है तो सिवाय पीड़ा के और क्या हो सकता है ?

मैं मालवा भी गया था। हजारों मवेशी लेकर किसान गाड़ी में अपने बर्तन, भांडा, बिस्तर डालकर, सर्दी के मौसम में दर दर के भिखारी की तरह जाता है। खेत वाला मवेशियों को एक रात से दूसरी रात खेत में टिकने नहीं देता। हमारी सरकार उस समय भी उनकी सहायता नहीं करती। मैंने अकाल के समय भी प्रश्न द्वारा जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया था कि आपने क्या व्यवस्था की है। आपने लिएजन अधिकारी नियुक्त किया था जो मध्य प्रदेश में सरकार के साथ राजस्थान सरकार का लिएजन रखता था लेकिन उस लिएजन से गरीब किसान को, जो अपने मवेशी व परिवार को लेकर वहां गया, क्या राहत मिली और इसका आपने स्थाई क्योर क्या किया ? जब पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान का प्रश्न उठता है तब भी मुझे दुःख होता है। कई माननीय सदस्यों से मैंने कहा है कि आप और दिनों में शायद हम लोगों को सुखी देखकर कुछ नहीं फर्माते होंगे लेकिन जब अकाल के दिनों में दुर्दशा होती है, भिखारी की तरह रोते फिरते हैं उन दिनों में आप सोचते हैं कि आप शरण दे रहे हैं और हमारे स्वाभिमानी, हमारे गौरव को कितना जलील करते हैं, कितना पतित हमको माना जाता है, कितना थर्ड ग्रेड नागरिक हमको माना जाता है। हमारी आत्मा विद्रोह करती है। हम चाहते हैं कि हमारा कल्याणकारी राज्य इस समस्या को हमेशा के लिए सल्टा दे लेकिन उसमें भी हमारे टेक्नोक्रेट्स की टांग आड़े आएगी। इस साल अच्छी घास हुई थी, वह सारी की सारी समय पर काटी जानी चाहिये थी। सरकार के कागजी घोड़े न मालूम किन मैदानों में दौड़ते रहे, कौनसी हरी घास चरते रहे। मैंने परसों वन की मांगों के समय भी निवेदन किया था कि बिजवा की जोड़ जिसको कई दिन गुजरात ने फाडर

(श्री सज्जनसिंह)

सप्लाइ किया था, उसमें घास नहीं कटी है, तो कहा गया कि फाडर बैंक बना लिया है, भविष्य में फाडर बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा। मुझे याद है सड़ा गला रद्दी भूसा हरियाए। और पंजाब से आया था जो बारिश में भीगा था वह भी किसानों ने औरतों के जेवर बेचकर 10–12 रुपये प्रति मन में खरीदा था। हमारी सरकार जब अच्छी सीजन होती है, अच्छा समय होता है, उस समय फाडर कलेक्ट नहीं करती, फाडर बैंक नहीं बनाती है। तो अकाल सहायता के समय जब वित्त मन्त्री बड़े जोर से घोषणा करते हैं कि भारत सरकार ने पैसा नहीं दिया फिर भी हमने करोड़ रुपये खर्च किये और एक भी आदमी को भूख से नहीं मरने दिया। उस दिन भी मैंने कहा, यह तो आपकी प्राइमरी जिम्मेदारी है, आपने किसी पर कृपा नहीं की, किसी को आपने भीख नहीं दी, दान नहीं दिया, हम कोई गरीब भिखारी ब्राह्मण नहीं हैं जो दान लेने के लिये आये हैं। हम अपना हक मांगते हैं। अकाल पश्चिमी राजस्थान के लिये अभिशाप है। इसको वरदान में बदलने का कर्तव्य आपका है। इस साल आपने कुछ प्रावधान नहीं किया तो आपको कटु शब्द सुनने को तैयार रहना चाहिये। सभापति महोदय, हमारे पाली जिले में हजारों की तादाद में मवेशी मर गये, हजारों की तादाद में मकान टूट फूट गये। इसके साथ साथ, उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर लोगों की खड़ी फसल नष्ट होगई। लोग बरबाद हो गये हैं। वहां आप सड़कों की बातें करते हैं उन सड़कों पर से धूल उड़ गई। वहां काफी गड़बड़ियां इन सड़कों के बनाने में हुई। आपने उन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया? सभापति महोदय, हमारे वहां जवाई का बांध है उस बांध के नीचे एक छोटा सा बांध सिगरू का बांध बनाने की योजना अकाल राहत कार्यों के तहत सक्शन आपके इरिगेशन विभाग के द्वारा हुई। उस इर्रीगेशन डिपार्टमेंट ने उस वर्क को सैंक्शन किया और उसका एक्जीक्यूशन भी इर्रीगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा होना था। सभापति महोदय, उसके लिये इरिगेशन विभाग ने दस लाख रुपये सैंक्शन किये। उस छोटे से बांध के ऊपर आपके दस लाख के बदले 50 लाख रुपये खर्च हो गये। And the work still continued to be incomplete तो मेरा निवेदन है कि आपके जो एस्टीमेट्स बनाये जाते है जो टेक्नोक्रेट्स इनको बनाते हैं उन सभी ने सारे के सारे एस्टीमेट गलत बनाये। जिस छोटे से बांध के बनने के बाद उन लोगों ने कभी कल्पना की थी कि जवाई कमान्ड में जहां पानी पहले कभी नहीं लगा था वहां अब पानी लगने लगेगा, उस एरिया के लोगों की जमीन को भी पानी मिलेगा लेकिन वह कल्पना आपके डिपार्टमेंट के टेक्नोक्रेट्स से आज तक पूरी नहीं हो सकी। उस स्कीम को इस तरह से हेपहेजर्डवे में बनाया गया कि वह आज दिन तक स्कीम पूरी नहीं हो सकी। आपको अपने ऐसे टेक्नोक्रेट्स पर गर्व है। इसके अलावा आप इस प्रकार की घोषणायें करते हैं कि अगर हमें भारत सरकार से पैसा नहीं भी मिलेगा तो भी हम पैसा कहीं से लाकर खर्च करेंगे और हमारे यहां अकाल की जगह है वहां लोगों को भूख से नहीं मरने देंगे। जब इस प्रकार की यहां पर घोषणायें आप करते हैं तो हमें दर्द होता है। आप हमारे जले हुए पर नमक छिड़कते हैं क्योंकि जनता को भूख से नहीं मरने देने की आपकी प्राइमरी रेस्पोन्सि-

(श्री सज्जनसिंह)

बिलिटी है। आप अगर यह करते हैं तो आप क्या अहसान करते हैं ?

सभापति महोदय, अकाल की समस्या हमारे पश्चिमी राजस्थान की बहुत ही भयंकर समस्या है। इसके अलावा वहां पर एक समस्या और है। वहां पर अकाल के साथ कहीं कहीं पर फ्लड भी आता है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में बरसात का एवरेज पर्सेन्टेज इतना अधिक नहीं है लेकिन फिर भी वहां पर खासतौर से पाली जिले में बरसात आती है तब वहां पर छोटे छोटे बांध टूट जाते हैं। जिसका नतीजा यह होता है कि वह पानी बहता हुआ वहां रास्ते में फसल को बरबाद कर देता है। इसीलिए आपके विजडम परसोनीफाइड पिपुल्स ने इस सिन्धूरा बांध के एस्टीमेट बनाये। आपके टेक्नोक्रेट्स ने जो स्कीम बनायी वह पूरी न हो सकी। मुझे ऐसा मालूम होता है कि हमारी सरकार कानों से बहरी है और आंखों से अन्धी है। क्योंकि जो हमारे आफिसर कहते हैं वहीं हमारी सरकार करती है। यहां पर थोड़ा सा अकाल के समय में आपने कुछ केम्प्स लगा दिये और कुछ सिरकियां और ठंडे पानी की व्यवस्था के लिए आपने अगर मटकियां रखवा दीं और भरी गर्मी में आपने हमारी माताओं और बहनों से अकाल के समय में काम लिया और आपने इतना थोड़ासा काम करके आप क्या यह सोचते हैं कि आपने पूरा हल निकाल लिया ? आपने क्या परमानेन्ट सोल्यूशन अकाल का निकाल लिया है ? आपके टेक्नोक्रेट्स यह समझते हैं कि आपने परमानेन्ट हल अकाल का निकाल लिया ? यह बात नहीं है। आपको इसके लिए एक प्लान बनाना चाहिए और फिर उस प्लान को एक्जीक्यूट करना चाहिये चाहे आपको इसमें कितनी ही डिफिकल्टीज क्यों नहीं आये परमानेन्ट हल निकालने के लिये आपको एक बार इसका कम से कम कोई न कोई परमानेन्ट हल तो निकालना चाहिये। कोई न कोई तरकीब तो आपको निकालनी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, इसी प्रकार अब फ्लड के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां जैसा कि मैंने कहा कि फ्लड आते हैं और उसका यह कारण है कि हमारे पाली जिले में छोटी छोटी नदियां हैं उनमें वर्षा कभी अधिक होती है तो एक साथ पानी बहता है। हमारे यहां पर जो छोटे छोटे बान्ध हैं वह टूट जाते हैं उनके अन्दर इतनी केपेसिटी नहीं होती है कि इस पानी को रोक सके। जिससे काफी नुकसान होता है, खेत खलिहान सभी बरबाद हो जाते हैं। तो वहां पर आपने यह कह दिया कि पुल टूट गया था उसको ठीक कर दिया या कहीं पर छोटी मोरी रिपेअर कर दी तो यह कोई काम नहीं हुआ। कहीं से आपने छोटी सी रोक नदी की बनादी तो यह क्या कोई काम थोड़े ही हो गया ? उससे तो कोई स्थायी हल तो निकालता नहीं है। मैने देखा कि जालोर में ज्यादातर बांध इसीलिये टूटे। तो मैं यह मंत्री महोदय यह पूछना चाहता हूं कि यह उलटे सुलटे प्लान कैसे बनाते हैं आपके टेक्नोक्रेट्स। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इनके खिलाफ में कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। सभापति महोदय, जब कभी मैं सेक्रेटेरियेट में जाता हूं और वहां पर लोगों को, सेक्रेटेरियेट के अधिकारियों को एअर कन्डीशन कमरों में

(श्री सज्जनसिंह)

बैठे देखता हूं, वह लोग वहां पर खस की टाटियों में कूलर से ठन्डे होते हैं तो उन के इस आराम को देख कर मेरे सीने में आग लग जाती है। एक तरफ तो मुझे ख्याल आता है कि राजस्थान की सरकार के यह अधिकारी इतने आराम से रहते हैं दूसरी तरफ राजस्थान की ग्रामीण जनता गर्मी में परेशान होती है। तो आप कल्पना कीजिये उन बेचारे गरीब लोगों की जो अकाल और फ्लड से जूझते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप अकाल और फ्लड का कोई पर्मानेन्ट हल निकालें। आप प्लान्ड वे में स्कीम्स बनाकर योजनाबद्ध तरीके से काम करिये तो काम होगा।

( समय-समाप्ति-सूचक घन्टी )

मैं क्षमा प्रार्थी हूं, बस, अब इतना ही निवेदन करके समाप्त करना चाहता हूं कि हालांकि आपने जो बजट बना दिया है उसमें अब आप किसी प्रकार की चेंज करने में अपनी असमर्थता प्रकट करेंगे यह मैं जानता हूं। मैं जानता हूं कि क्षमता क्या है। उसकी सीमा कौनसी है। मैं यह भी मानता हूं कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। लेकिन आप उसमें सभी उलट पुलट जरूर करते हैं तो ऐसे काम करते वक्त, कम से कम जब आप गलत काम करते हैं तो आप उन गरीब लोगों के हितों की ओर जरूर ध्यान दें। उनके लिये आप जरूर काम करें। खासतौर से पश्चिमी राजस्थान का वह इलाका है जिसमें हर साल अकाल आते हैं या बाढ़ आती है उनके लिये कोई न कोई स्थायी हल जरूर निकालें। बस यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री शिवनारायण।

श्री शिवनारायण (बारां) : सभापति महोदय, आज की मांगों के बारे में, मैंने भी कुछ कटौती प्रस्ताव सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में दिये हैं। उन कटौती प्रस्तावों के माध्यम से मैं राज्य सरकार का ध्यान कोटा डिविजन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कोटा जिला सभी जिलों से पिछड़ा हुआ जिला है और यह कोटा डिविजन उत्पादन के मामले में अपना विशेष स्थान रखता है। यह राजस्थान के अन्दर दूसरे नम्बर पर उत्पादन के सम्बन्ध में आता है। इसके अलावा कोटा डिविजन की जो शाहबाद तहसील है यहां पर इतने भयानक जंगल हैं कि जिससे राजस्थान को काफी मात्रा में लकड़ी मिलती है। इसके अलावा चारा वगैरह भी मिलता है। लेकिन इन सभी के लिये यातायात की ओर अगर हम अपना ध्यान दें तो हमें दिखाई देगा कि वहां पर सड़कों की बहुत भारी समस्या है। जैसा कि मेरे पूर्व के माननीय सदस्यों ने भी इस समस्या का यहां पर वर्णन किया था उसी को मैं फिर से दोहरा रहा हूं। सभापति महोदय, आज राजस्थान बनने के बाद करीब 28 वर्ष हो गये हैं लेकिन वहां पर आज दिन तक कोई नई सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। जो सड़कें कोटा स्टेट के समय बनी हुई थीं वही आज दिन तक चली आ रही हैं। वे सड़कें, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान बनने के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग से पंचायतों और पंचायत समितियों को हस्तांतरित कर दी गयीं। लेकिन उसके बाद उन सड़कों पर आज दिन तक कोई काम नहीं हुआ। जब कि उन सड़कों की हालत बहुत ही

(श्री शिवनारायण)

खराब है। वहां पर फेयर वेदर रोड्स हैं जिनकी मरम्मत कराने के लिये पंचायतों और पंचायत समितियों के पास पैसा नहीं हो सकने के कारण सड़कें बुरी तरह से टूट चुकने के बाद भी उनकी मरम्मत नहीं हो सकी हैं और राज्य सरकार ने चूंकि वे सड़कें पंचायत समितियों और पंचायतों को ही सुपर्द कर दी थीं इसलिये वह उनको ठीक कराती नहीं हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि राज्य सरकार इन सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग को वापिस हस्तांतरित करके उन्हें ठीक करायें अन्यथा पंचायतों और पंचायत समितियों के पास तो पैसा है नहीं कि वह उनकी हालत सुधार सके।

इसके अलावा, मंत्री महोदय से मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे वहां पर दो नदियां हैं काली सिंध और पार्वती। उन नदियों के ऊपर पुल बने हुए हैं उनकी हालत खराब हैं। उन नदियों पर बीच में कलवर्ट्स बने हुए हैं। जो भी टूट गये हैं और उनकी हालत खराब हो गयी है। उसके लिये भी मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि उन्हें भी ठीक करावें। यह काम राजस्थान बनने के बाद निर्माण विभाग से पंचायतों और पंचायत समितियों को सुपुर्द कर दिये गये थे और उनके पास पैसा नहीं होने से उनकी भी हालत आज तक नहीं सुधर सकी है। इनकी मरम्मत कराना नितान्त आवश्यक है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इनको निर्माण विभाग से ठीक करावें। वहां जो सड़कें बनी हुई हैं वह स्टेट के जमाने में बनीं थीं और उन पर जगह जगह मील और फर्लांग के रास्ते बने हुए हैं, अब चूंकि उन सड़कों की हालत खराब हो रही है इसलिये उन्हें ठीक कराना जरूरी है। वहां पर नहीं तो यातायात बिलकुल ठप्प हो जाता है। इसके अलावा दूसरी वहां पर आज दिन तक कोई नयी रोड बनी नहीं। जो पुरानी रोड हैं वह सभी फेयर वेदर रोड हैं उन पर डामर अगर आप करा दें तो जनता को काफी राहत मिलेगी। दूसरे वहां पुलिया है उसकी मरम्मत भी होना आवश्यक है। वह इलाका उधर मध्यप्रदेश से लगता है और उत्पादन करने वाला एरिया है इसलिये वहां से माल ले जाने में अगर आप इन सड़कों और पुलियों की मरम्मत करायेंगे तो जनता को राहत मिलेगी। एक और राजस्थान की सबसे बड़ी यह समस्या है, मंत्री महोदय, आप विशेष ध्यान देकर नोट करें और राजस्थान की समस्या को हल करने की कृपा करें। दूसरे जिला कोटा में पार्वती बड़ी नदी है और कोटा से जो सड़क जाती है उसमें कालीसिंध और पार्वती नदी में वर्षा के तीन महीने यातायात रुक जाता है। बारां, अटरू, किशनगंज, शाहबाद और मांगरोल इनसे चार महीने करीब यातायात बन्द रहता है। न बसेज चलती हैं और न कुछ और साधन हैं केवल सुबह और शाम रेल जाती है इसके अलावा और कोई साधन नहीं होता है। सभापति महोदय, उस क्षेत्र में तीन महीने के अन्दर जितनी भी चीजें हैं, घासलेट का तेल है, नमक है, मिर्च है और अनेक प्रकार की उपभोग की वस्तुएं हैं वह वहां की जनता को उपलब्ध नहीं होती हैं और काफी असुविधा आने जाने की रहती है और इन दिनों वहां काफी बेईमानी का धन्धा होता है। सभापति महोदय, यहां

(श्री शिवनारायण)

तक कि अगर कोई बीमार हो जाये तो उसको वहीं मरना पड़ता है, क्योंकि शीघ्रता से वह किसी साधन से अस्पताल तक नहीं पहुंच सकता है ।

मेरा निवेदन है दो नदियों को नहीं तो कम से कम एक नदी को लेकर कार्य पूरा किया जाय । काली सिंध नदी का काम बहुत जरूरी है, पहले इसे लिया जाय । राज्य सरकार के लिये कोई बड़ी चीज नहीं है । मांगरोल से बारां 14 मील का सड़क का टुकड़ा है और कम से कम इस 14 मील के टुकड़े में दो घन्टे का समय लग जाता है वैसे तो डामर सड़क है लेकिन कहने मात्र की डामर सड़क हैं । वहां कोई जाना पसन्द नहीं करता है, पहुंचने में काफी दिक्कत होती है । अभी बनवारी लाल जी साहब पधारे थे लेकिन वे भी आते समय अन्ता से बारां होकर आये जो करीब 31 मील का ज्यादा चक्कर लगाना पड़ता है । मांगरोल से सूरथाल मध्य प्रदेश की सीमा पर पड़ता है उस रोड पर ब्रिज है उसके तहत काम करवाया है थोड़ी बहुत गिट्टी पड़ी हैं लेकिन न जाने अब उस गिट्टी का क्या हुआ । वह रोड बहुत खराब दशा में है । उस रोड पर बमोली गांव है, वहां मिडिल स्कूल है, पुलिस चौकी है लेकिन वहां न कोई डाक्टर जाना पसन्द करता है न कोई पुलिस वाले ही जाना पसन्द करते हैं । उस नदी पर गये साल कुछ काम हुआ था लेकिन वह काम अधूरा पड़ा है । तमाम जनता को दिक्कत होती है, गाड़ी बैल वगैरह कोई नहीं जा सकता है और उस रोड पर जहां मध्य प्रदेश मिला हुआ है पार्वती पर बड़ा पुल नहीं तो कोई छोटी पुलिया बना दें ताकि जनता को राहत मिल सके । फेयर वेदर रोड जो है सांगोद से अन्ता, मांगरोल से शीसवाली होकर अटरू जाती है और नाहरगढ़ से मध्य प्रदेश को मिलाया जाता है उसकी यातायात की हालत बहुत खराब है । दूसरी रोड मांगरोल से सूरथाल और रामगढ़ जाती है और तमाम इलाके को पार करती हुई किशनगंज के पास आती है । तो, माननीय सभापति जी, जो जनता की दिक्कत हैं वह सड़कों की सबसे बड़ी समस्या है । जिला कोटा की तमाम समस्या सड़कों की हैं । जिस प्रकार मोर सुन्दर होता है और वह पैरों को जब देखता है तो रो पड़ता है उसी प्रकार हमारा कोटा जिला है । सड़कों की हालत को देखते हुए कोटा जिले की जनता को बहुत दुःख होता है तो मेरा निवेदन है जो जनता की खास दिक्कतें हैं हैं वह सड़कों की हैं ।

तीसरे जो कल्वर्ट्स और पुलियायें हैं जो वर्षों से अधूरी पड़ी हुई हैं, उनके लिये भी धनराशि दी जाय और इसके लिये मेरा सुझाव है । 57 में बारां में जबर्दस्त बाढ़ आ गई थी और काफी नुकसान हुआ था । लाखों रुपये व्यापारियों के बरबाद हो गये छोटे 2 लोगों के कई मकानों का नुकसान हो गया था और उनको वहां से भागना पड़ा था । वह समस्या आज तक बराबर हल नहीं हो सकी है और अब की बार जो बाढ़ आई उससे बारां और मांगरोल को ग्रसित होना पड़ा और 500 - 600 घर बह गये । थोड़ी बहुत सहायता मिली हैं 100—100 रुपये की और कम्बल व रोटी दी गई है उससे समस्या हल नहीं हुई है । मुख्य मन्त्री जी पधारे थे और उनको निवेदन किया था कि मांगरोल से अंता तक सड़क

( श्री शिवनारायण )

जुड़ जाय। उन्होंने इसे स्वीकार भी कर लिया था लेकिन मैं समझता हूं वह काम भी हाथ में नहीं लिया गया है। जो राजगढ़ से सड़क आती है उससे मिला दें तो कोटा पहुंचने के लिए साधन हो सकता है। आशा है, मैंने मन्त्री महोदय को जो सुझाव दिये हैं उन पर मन्त्री महोदय गौर फर्मायेंगे।

सूचना प्राप्ति प्रश्न

सामाजिक सेवाओं में पूंजी की लागत संख्या 20 (आवास) सम्बन्धी सूचना

**श्री सभापति :** श्री श्रीराम गोटेवाला।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** ( किशन पोल, जयपुर): सभापति महोदय, पहले तो मैंने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया हैं, उसके बारे में आपका निर्णय चाहता हूं मैंने निवेदन किया था आवास के बारे में जो मांग है उसमें मंत्रीजी ने जो स्पष्टीकरण दिया है मैं उससे सहमत नहीं हूं। मांग संख्या 20 के अन्दर हमने कटौती प्रस्ताव दिये हैं और मांग संख्या 20 में नम्बर 283 में जो आय-व्ययक का अनुमान है उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में यह लिखा हुआ है यह हाउसिंग या गन्दी कच्ची बस्तियों की सफाई हेतु करीब 30 लाख रुपया प्लान में रखा है। तो मैं यह जानना चाहता हूं किस मद पर···

(6.08 सायं)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन)

आपने यह किया है ···

**श्री केशरीमल :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने लगातार सभी सदस्यों को गुमराह करने की कोशिश की है और सारे हाउस को गुमराह किया है····

**श्री श्रीराम गोटेवाला :** मैंने पाइन्ट ऑफ आर्डर रेज किया है। मैं निर्णय चाहता हूं। जो गन्दी और कच्ची बस्तियां हैं उसके उन्मूलन के बारे में कहूंगा, उसके बारे में स्पष्टीकरण मिलेगा या नहीं? 12 बजे के बाद यह कहा जा रहा है कि आवास का मतलब यह नहीं है। 30 लाख सारे राजस्थान में दिये गये हैं, ये गन्दी और कच्ची बस्तियों के लिये रखे गये हैं। उसका कुछ पता ही नहीं रहेगा और यह रुपया यों का यों ही रह जायगा····

(विराम)

(व्यवधान: अश्रव्य) मैंने भी कटौती प्रस्ताव यह देखकर ही दिया है।

**श्री हीरालाल देवपुरा:** उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य थोड़ा देखने की कोशिश करें। सार्वजनिक निर्माण विभाग मांग संख्या 19 लोक निर्माण एवं अन्य सामाजिक····

**श्री श्रीराम गोटेवाला :** उस बारे में कोई आपत्ति नहीं है।

**श्री हीरालाल देवपुरा :** और सामाजिक सेवाओं में पूंजी की लागत मांग संख्या 20 (आवास) वह सार्वजनिक निर्माण विभाग के हैड में अलग अलग हैं। आवास में पूंजी की लागत है। तो जो सार्वजनिक निर्माण विभाग से आवास की लागत है, उसके बारे में निवेदन किया है। यह 30 लाख रुपया जो आवास का है वह हाउसिंग का है वह अलग है

**श्री उपाध्यक्ष :** वह मांग संख्या 47 में है।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : आज जिस पर बहस कर रहे हैं वह सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित जो मांग संख्या 20 है उस पर बहस चल रही है। मैंने हाउस को गुमराह करने की कोई बात नहीं कही है। माननीय सदस्य को यह भ्रम हुआ है। उनको यह सोच कर कहना चाहिये कि मैंने जो कुछ कहा है वह गुमराह करने की दृष्टि से कहा है।

**श्री श्रीराम गोटेवाला:** मैंने, मंत्री महोदय, आप पर कोई आरोप नहीं लगाया है।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : आपके लिये नहीं कहा है। उनके लिये कहा है।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : जो कटौती प्रस्ताव मुझे मिला है उसमें यह है, मांग संख्या 20 मुख्य शीर्षक 283 आवास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर की गंदी बस्तियों की सफाई हेतु उचित योजनाबद्ध कार्य नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)। इसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आप इस पर व्यवस्था दें चाहे आप निर्णय दें।

**श्री उपाध्यक्ष** : किशनपोल, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने मांग संख्या 20 के बारे में प्रश्न उठाया। बजट हैड में मांग संख्या 20 में लिखा है 'पा. राजकीय आवासीय भवन, (क) निदेशन एवं प्रशासन (ख) निर्माण (ग) अनुरक्षण और मरम्मत (घ) साज सज्जा (ङ) पटघृत व्यय।' इत्यादि मांग संख्या 20 को जिस पाइन्ट पर पेश करना चाहते हैं वह विषय इस में सम्मिलित नहीं है। हाउसिंग स्कीम्स के बारे में आपका तात्पर्य था। आप कटौती प्रस्ताव जिस मुद्दे पर लाना चाहते हैं वह विषय बजट की मांग संख्या 47 में है '(क) गंदी बस्तियों की सफाई 1 सहायतार्थ अनुदान और 2 स्वास्थ्य का सुधार (ख) अल्प आय वर्ग आवास योजना।' आप अल्प आय वर्ग आवास योजना के लिये चाहते थे और वह इसके 'ग' पार्ट में आता है। डिमान्ड नं० 47 है। यह इसमें सम्मिलित है। इस प्रकार से आपका कट मोशन का तात्पर्य मांग संख्या 47 के सम्बन्ध में है न कि मांग संख्या 20 से। माननीय मंत्री महोदय ने पूर्व में सदन में निवेदन किया था, मांग संख्या 20 के सम्बन्ध में वह सही है और बजट के अनुसार सही है।

### मांग सं. 19, 20, 21 व 33 पर अग्रेतर विचार एवं पारण

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : हो सकता है गुमराह हो गया कटमोशन से। इस आधार पर यह बात उठायी थी। अब आपका निर्णय आ गया है। मैं इसको स्वीकार करता हूं।

मैंने सार्वजनिक निर्माण विभाग और अकाल राहत के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव दिये हैं। अकाल राहत के सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना है कि जब फ्लड आया था और खण्डेला और अन्य इलाकों में भी बाढ़ आयी थी, 12 व्यक्तियों के प्राण गये थे तब राज्य सरकार की ओर से घोषणा की गयी कि बांध बनाया जायगा। जब आप विद्युत ग्रिड स्टेशन का उद्घाटन करने पधारे तो भारी तादाद में लोग उपस्थित थे। उस समय आपने यह घोषणा की थी कि चाहे अकाल राहत से या सिंचाई विभाग से इस बांध को पूरा करवाया जावेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस बांध के नहीं बनने से

# Page No 160

(160)



( श्री श्रीराम गोटेवाला )

एक तरफ लोगों की अपार क्षति जन-धन की हुई और पीने के पानी का प्रश्न भी गम्भीर बन गया। जल प्रदाय योजना के लिये यह कहना है और आपके विशेषज्ञ भी यही कहते हैं कि अगर यह बांध बन जाय तो खंडेला ग्राम के अन्दर पानी की व्यवस्था होगी । माननीय मंत्री महोदय, वादा करते आते हैं, सार्वजनिक घोषणा करते हैं, लाख सवा लाख से अधिक खर्च का प्रश्न नहीं है, जो बचा हुआ कार्य है उसको पूरा इसी वर्ष कराने की घोषणा करें।

मुझे ऐसा लगता है 12 बजे के बाद डिमान्ड पर चर्चा चल रही है मंत्री महोदय, सारी बातों को सुन रहे हैं और विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिये । जयपुर शहर राजस्थान की राजधानी है । 50 लाख रुपया सड़कों पर खर्च हुआ। उसके लिये तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सड़कें सुन्दर बनी हैं। माणक चौक चौपड़ से चान्दी की टकसाल तक इतनी अच्छी बनी हैं लेकिन रोज रोज सड़क टूटती हैं, वहां पर गंदा पानी कहां से इकट्ठा होता है। टूरिस्ट्स आते हैं। बड़ा ही उनके सामने भद्दा दृश्य उपस्थित होता है। सारे इलाके में आपने गुलाबी रंग करवाया। ऊपर का शो तो अच्छा दीखता है। लेकिन लगातार नीचे सड़कें टूटती हैं। आमेर तक सड़क की हालत खस्ता है। मैंने इसके लिये कटौती प्रस्ताव दिया है। मैं उम्मीद करता हूं और आपसे अनुरोध करूंगा कि यहां की इम्पोर्टेन्स को देखते हुए, कुछ माननीय सदस्य देहात से आते हैं, उनका दृष्टिकोण दूसरा होता है, बाहर से टूरिस्ट्स काफी आते हैं और जब वे इसको देखते हैं। तो बड़ा भद्दा लगता है। इसलिये आप मेहरबानी करके इसकी ड्रेनेज की व्यवस्था करावें। नाहरगढ़ के लिये आप एक रुपया भी नहीं दे रहे हैं। सारा रुपया भारत सरकार से आ रहा है । फोरिन एक्सचेन्ज के रूप में 1½ करोड़ रुपया जयपुर अकेला देता है । इतनी सुन्दर सड़कें बनायीं। केवल ड्रेनेज की प्रोब्लम है उसके कारण ये टूटती जा रही हैं। लाखों रुपया लगा है और उसके लगने के बाद कई जगह ड्रेनेज न होने से हालत यह है कि पानी जगह जगह इकट्ठा हो जाता है । पानी और डामर की दुश्मनी है । नेशनल हाई वे जाता है वहां तक ड्रेनेज बना दें। रामगंज मंडी से सड़क गयी है । नेशनल हाई वे वालों ने पानी रोक दिया है। बुरी हालत है। इस बात को आप देखें कि रुपया लगा है वह वेस्ट न हो और दुबारा पूर्ति न करना पड़े।

दूसरी बात यह निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत दिनों से बाई पास की बात के लिये निवेदन किया जाता रहा है। मास्टर प्लान स्वीकृत हो चुका है। बाई पास बन जाता है, कच्ची बस्तियों की बात हो चुकी है, जयपुर शहर की बहुत अच्छी स्थिति है उसमें चार चांद लग जावेंगे और आपके विभाग की ओर से जयपुर का सौंदर्यकरण कराया जा रहा है, उसमें योगदान होगा।

एक प्रश्न कुछ समय पूर्व माननीय सदस्य ने रखा था। वह बाई पास का प्रश्न मामूली बात पर अटका हुआ है । उस सारी बात को सम्पूर्ण करवाने की बात करें सर्वे करवा कर हमने नक्शे अधिकारियों को जयपुर नगर विकास न्यास की ओर से

( श्री श्रीराम गोटेवाला )

भिजवाये हैं। यह बन जाता है तो समूचे ढंग से आकर्षक और सुन्दर हो जाता है। रुपये की दिक्कत इसलिये नहीं हो सकती है कि जयपुर शहर देश के आठ शहरों में सम्मिलित किया गया है। मैं यह नहीं कहता कि गांवों में सड़कें, विकास मत करो। कृषि उपज मंडी समिति है उसमें 1। करोड़ रुपया प्राप्त होता है। यह भी नहीं कहना चाहता कि किसान से लेकर शहर में खर्च कर दो। मेरा अनुरोध है कि हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग योजना बना कर कमेटियों के माध्यम से एप्रोच रोड की व्यवस्था कर लें। एक तरफ 15 करोड़ रुपया उन सड़कों के लिये मंडी समितियों से मिल जावेगा और हम भी कम से कम यह संकल्प कर सकेंगे कि गांव बसे हुए हैं वैसे ही हैं। उनकी योजना बना कर उनमें प्रत्येक गांव, 2½ हजार की पापुलेशन वाले गावों को जोड़ नहीं पाये हैं, उसको पूरा कर पायें उसके बारे में भी हमारे पास कई साधनों का अभाव है लेकिन मैं समझता हूं कि दो तीन एजेन्सियों को जैसे कृषि उपज मण्डी, पी. डब्ल्यू. डी., नगर विकास न्यास या नगरपालिका — सब को मिलाकर और सामूहिक रूप से बैठकर एक योजना बनाई जाये तो घनी आबादी वाले जिले हैं इन जिलों के प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप में भी तड़फ है और आप भी इसके लिए प्रयत्नशील हैं आपके सौभाग्य से सब सक्षम अधिकारी हैं, राजस्थान के जो अधिकारी हैं वह किसी भी दूसरी स्टेट से कम नहीं पड़ते हैं और उन्होंने दूसरी जगह जाकर अच्छे रिजल्ट्स दिये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सड़कों को पूरा करने की बात है वह हमको करनी पड़ेगी उसके लिए मंत्री महोदय थोड़ी परेशानी आपको और हमको भी उठानी पड़ेगी तब यह सारी बातें हो जायेंगी। हम खाली यह मानकर चलें कि कृषि उपज मण्डी के पैसे को इसमें नहीं लेते हैं तो मैं समझता हूं कि वह बात पूरी नहीं होगी।

मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक खाटू श्यामजी नाम का स्थान सीकर जिले में बहुत ही अच्छा स्थान है यहां राजस्थानी प्रवासी लोग फागुन के महीने में आते हैं और हजारों की संख्या में लोग यहां आते हैं। वह लोग इसके लिए कुछ रुपया भी खर्च करने के लिए तैयार हैं। मंत्री महोदय के पास उन्होंने प्रार्थना-पत्र भी दिया था और यह भी कहा था कि वहां सड़क बनती है तो एक लाख की राशि यह प्रवासी लोग देने के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूं कि चार, पांच किलो मीटर का टुकड़ा है, ज्यादा भी हो सकता है मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं है यदि आप उसको पूरा करवाते हैं तो मैं समझता हूं कि प्रवासी राजस्थानियों की भावना है कि इसके अलावा और भी विकास के कामों को वह करना चाहते हैं और इसके साथ धार्मिक भावना भी जुड़ी हुई है तो उसमें आप दिलचस्पी लें तो यह कार्य पूरा हो सकता है।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः यह कहते हुए कि जहां भी आप रोड्स बना रहे हैं मैं निश्चितरूप से कह सकता हूं कि मेरे यहां की बड़ी सुन्दर सड़कें हैं और अच्छे ढंग से विकास करवाया है। इस ड्रेनेज और पानी के निकास के बारे में भी आप ध्यान दें तो मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छा कार्य होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अकाल राहत मंत्री जी ।

श्री गौरीशंकर मुनीम : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो तीन मिनट के लिए कुछ कहना है ।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : उपाध्यक्ष महोदय, हमने एक ही साथ एक स्लिप पर नाम भेजे थे और आपने एक को मौका दे दिया और मुझे नहीं ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,''''

श्री गौरीशंकर मुनीम : मुझे नहीं अवसर देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष: अच्छा बोलिये ।

श्री गौरीशंकर मुनीम ( खानपुर ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 19 और 21 के विषय में थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं । मुझे लम्बा भाषण तो देना नहीं है यह माननीय मन्त्री महोदय को भी मालूम है । झालावाड़ जिले के सब माननीय सदस्य बोल चुके हैं और मैं सिर्फ खानपुर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां काफी अनाज पैदा होता है और वहां का किसान आपको बहुत कुछ आमदनी देता है, वहां की सड़कों का इतना बुरा हाल है । मैं तीस साल से बराबर निवेदन करता आ रहा हूं लेकिन उस ओर कतई ध्यान नहीं दिया गया । खानपुर से सारोला 6 हजार की आबादी का गांव है । खानपुर से सारोला तक सड़क टूटी हुई है और दस पन्द्रह साल से टूटी पड़ी है। उस सड़क पर सिर्फ मिट्टी डालकर कूटनी है । गिट्टी बराबर साइड में पड़ी हुई है और बिखर रही है और बेकार जा रही है । लोग इतने दुखी हैं कि वह बरसात में आ जा नहीं सकते । खानपुर से इकलेरा जाने के लिए जहां एस. डी. एम. कोर्ट है तो झालावाड़ होकर जाना पड़ता है । यदि सीधे जायें तो 2॥ रुपये लगते हैं और खानपुर से इकलेरा यदि झालावाड़ होकर जायें तो एक तरफ के 6 रुपये लगते हैं। तो इस तरह से 6 और 6 रुपये 12 रुपये लग जाते हैं और सीधे व अरन्या होकर जायें तो 5 रुपये में ही काम चल जाता है। तो मेरा निवेदन यह है कि अगर आपके पास पैसा ज्यादा नहीं है तो कम से कम खानपुर से सारोला तक की सड़क बनी हुई है और सिर्फ गिट्टी कुटवानी है इसको भी पूरा नहीं कर सकते तो तारज से अरनिया तक नहीं बनवावें । खानपुर से सारोला तक की पूरी करवा दें गिट्टी कुटवाकर क्योंकि वहां हाई स्कूल भी है और अस्पताल भी है और सब कुछ है । तो मेरा निवेदन यह है कि आप कृपा करके खानपुर से सारोला तक सड़क तो कुटवा दीजिये ।

दूसरा निवेदन यह है कि आपने 2500 की आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने की बात कही है तो हमारे यहां देई, खेड़ा, पनवाज यह तीन, चार हजार की आबादी के गांव हैं. वहां हाई स्कूल है और सब कुछ है और आज वर्षों हो गए उधर कतई ध्यान नहीं दिया गया कि यहां पर सड़कें बनवायें । अगर आपके पास पैसे ज्यादा नहीं हैं तो साल में दो, दो किलोमीटर की सड़क तो कम से कम बनवा दें ताकि पांच साल में दस किलोमीटर की सड़क बन जाय और दूसरे एम. एल. ए. आयेंगे तो और करवा लेंगे । लोग मुझे कोसते हैं और

( श्री गौरीशंकर मुनीम )

गालियां देते हैं। मैं आपको बताऊं कि वहां के लोग बहुत दुखी हैं। कम से कम उस सड़क की तरफ तो ध्यान दो जहां सिर्फ आपको मिट्टी कुटवानी है।

दूसरा अर्ज करना यह है कि मेरी समझ में नहीं आता, उपाध्यक्ष महोदय, सड़कें इतनी खराब हो गई हैं और उन पर हमारी बसें चल रही हैं। टायर, ट्यूब और मशीनरी कितनी महंगी हो गई है और वह बसें इस कदर टूट जाती हैं कि मोटरें बन्द हो जाती हैं और चार, चार रुपया देकर प्राईवेट मोटरों में लोग आते हैं। तो आप खानपुर से सारोला तक सड़क बनवा दो। मोटर किसी और की तो है नहीं। वह सड़कें ठीक हो जायेंगी तो गवर्नमेंट का नुकसान तो बसों का नहीं होगा। तो मेरा निवेदन है कि आप इस ओर भी ध्यान दें।

तीसरी बात यह है कि आज से तीन साल पहले अकाल राहत कार्य में थनावद गांव है वहां कच्ची रोड़ बनी थी और अकाल राहत कार्य में एक मील की सड़क बनाने का काम शुरू किया। बोल्डर जमा दिये गये मिट्टी पड़ी हुई है और वह अकाल राहत कार्य बन्द हो गया। अब जाने का भी रास्ता नहीं है। मैं तीन साल से बराबर कहता आ रहा हूं। कम से कम दस बीस हजार रुपया खर्च होगा उस सड़क पर आप गरीब आदमियों को ऊंचा उठाने की बात करते हैं। गरीब आदमी आपको वोट देते हैं, आपके साथ हैं और सब कुछ कर रहे हैं सरकार को फायदा पहुँचाने के लिए लेकिन आप उनके लिये कुछ नहीं कर रहे हो। जयपुर की सड़कों की आपको बहुत फिक्र है। श्रीमान गोटेवाला ने कह दिया कि यहां की सड़कें तो कांच की हो रही हैं। कहने का मतलब यह है कि कितनी बढ़िया हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि उन्हीं लोगों से हमें सब कुछ मिलता है तो गांव वालों को राहत नहीं पहुंचायेंगे तो फिर उनको क्या फायदा पहुंचा? मेरा लम्बा चौड़ा भाषण नहीं है। कृपा करके एक मील का टुकड़ा है उसको कुटवा दो और खानपुर से सारोला तक की सड़क का काम पूरा करवा दो। मैं आपको धन्यवाद अर्ज करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय।

**श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय** (बून्दी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं मांग संख्या 19, 20, 21 और 33 के सम्बन्ध में आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा और मेरे पास में बैठे हुए साथी किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा केवल जयपुर की सड़कों को ठीक कर देने से, जयपुर की गुलाबी नगरी को और गुलाबी कर देने से, इस राजस्थान के चेहरे पर लिपस्टिक लगा देने से इस राज्य की भूखी नंगी जनता का पेट नहीं भर सकता, इस भूखी नंगी जनता की जो आंतों की तरह है, जो उनकी जीविकोपार्जन का साधन है उसकी आप पूर्ति नहीं कर सकते हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि उनको मालूम है कोटा डिविजन हमेशा से चाहे वह मानें न मानें, मैं इस बात को कहूंगा कि उदयपुर की कोलोनी की तरह आज तक रहता आया है और आज भी है।

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)

कोटा डिविजन के मन्त्री होते हुए माननीय मन्त्री महोदय देवपुरा साहब आज भी उस बीस सूत्री कार्यक्रम के इन्चार्ज हैं। इससे बड़ा उदाहरण कालोनियलिज्म का क्या मिल सकता है कि हमको ऊपर नहीं उठने दिया जाय। हमारी आवाज भी नहीं सुनी जाती है। हमको ज्ञात है किस प्रकार से हमारी आवाज रोकने की कोशिश होती है। आप सड़क के मन्त्री हैं, कोटा बून्दी और झालावाड़ के आप इन्चार्ज हैं आप देख सकते हैं कि यह तीनों जिले हमारे बोर्डर पर है और मध्यप्रदेश से मिलते हैं।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : राजस्थान का सबसे बड़ा सेठ आपके पाली आया है।

**श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय** : सेठों से तो आपको मोहब्बत हो सकती है। मैं तो उनको कामरेड बनाऊंगा।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो हालत आज राजस्थान और मध्यप्रदेश की है, इस स्टेट की जो हालत है, मैं समझता हूं कि कभी भी इससे बेहतर हालत नहीं रही। कोई जमाना था, मैं तो कहूंगा कि स्टेट का टाइम वह बैटर था उस समय राजस्थान की और इन रजवाड़ों की रोड्स मध्यप्रदेश की रोड्स से अच्छी मानी जाती थीं। आज जो मेन सड़क है और जिसके बारे में पहले भी मैं एक वक्त कह चुका हूं कि आपने सब जगह हाई ब्रिज बनाये गत 25 साल के अन्दर, मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या 25 माइल का टुकड़ा भी आप बून्दी जिले में 25 साल में बतला सकते हैं ? आप नहीं बता सकते। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम कोई और रोड नहीं चाहते, राजस्थान की इम्पोर्टेन्ट रोड की बात करता हूं जो रोड जयपुर को भोपाल और इन्दौर से जोड़ती है उस रोड को नेशनल हाई वे नहीं बनाया गया है। इसकी क्या वजह है ? या तो मैं यह मानूं, यह सही बात है कि नेशनल हाई वे सेन्टर मंजूर करता है लेकिन चार साल में एक रोड भी हमारी राजस्थान को सरकार सेन्टर से नहीं मनवा सकी तो मैं क्या यह मानूं कि राजस्थान सरकार की सेंटर के सामने कोई वोईस नहीं है। अगर आप खुद सख्त होते और जितने चाव से नेशनल हाई वे जयपुर से उदयपुर होकर हिम्मत नगर से अहमदाबाद तक पहुंचा सकते थे, जो क्षेत्रीय भावना का भाषण आपने पिछले मौके पर दिया था अगर उसको सही मायने में आप उतारना चाहते हैं तो आपके मन्त्री-पने की बात मैं समझता था कि आप उतनी ही दिलचस्पी से जैसे उस वक्त के मन्त्रीगण जिस प्रकार से उदयपुर होकर ले गए, कोटा बून्दी होकर इस नेशनल हाईवे को बनवाते। तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अब तक आप नहीं कर सके तो अब जो वक्त आपका और हमारा रहा है उसके बीच में तो इसको करवाने का कष्ट करें। मंजूर करवा लें फिर बनती रहेगी।

इसके अतिरिक्त मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चम्बल का ब्रिज जैसी चीज हैं, एक एक साल, छः छः महीने से आपके टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स उस चम्बल के पुल, जो कोटा और बूंदी को जोड़ता है, के बारे में फेल हो गये टेक्नोक्रेसी में। वहां पर कोई पुल का दूसरा नमूना नहीं रख सकें सिवाय इसके कि बाई पास दे दिया जिसमें उन टेक्निशियन्स की अकर्मण्यता

( श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय )

नजर आती है। उस ब्रिज को प्लक करने के कोई रास्ता नहीं दे सकते। बड़े बड़े इंजीनियर लोग इतने दिनों तक रहे, उसका आल्टरनेटिव, वहां की जनता के फायदे की चीज आप दे नहीं सके और न उस पुल को रेज करने की कोई योजना दी। आप लंगड़ा लंगड़ा कर कोटा डिविजन को अपने साथ नहीं लेंगे, किस तरह से आप उदयपुर को साथ ले सकते है इस बात पर आप विचार कीजिये ....

श्री हीरालाल देवपुरा : आपके और हमारे विचार साथ ही रहेंगे चिन्ता मत कीजिए।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपने लंगड़े का अच्छा साथ लिया।

श्री हीरालाल देवपुरा : लंगड़े को साथ लेने का प्रश्न नहीं है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : कोटा डिविजन को, इस बीस सूत्री प्रोग्राम के मौके पर तो कम से कम हमको ऊपर उठने का मौका दें। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार ....

श्री उपाध्यक्ष : इतना जल्दा निराश हो रहे हो, अभी तक समय है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : समय तो बहुत कम ही है। चार साल निकल गए, एक साल और बचा है ....

श्री श्रीराम गोटेवाला : इनका तो समय भी निकलता जा रहा है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : तो निवेदन है कि आपने जो रोड्स बनाई है उसके लिए तो आपको धन्यवाद है। जो प्लान में रोड्स है दूसरी रोड्स उनमें आपका अच्छा काम चल रहा है बून्दी जिले में, किन्तु मैं निवेदन करना चाहूंगा अकाल राहत मंत्री महोदय को भी साथ में कि लाखों रुपया आपने अकाल राहत में लगाया रोड्स के बारे में, उस बर्ड के इलाके के बारे में मैं निवेदन करूं कि नमाना से डाबी के अन्दर अकाल राहत में कंक्रीट पड़ चुकी हैं, सारा काम हो गया है, लाखों रुपयों का काम हो चुका है, बोर्डर खिंच गई है, ऊपर से वह हो गया है, उसके ऊपर जो गिट्टी मिट्टी डालने का काम था वह हो चुका है अब थोड़े से पैसे की जरूरत है। अगर नामाना से डाबी तक करीब 25 किलोमीटर की रोड है उसको मंजूरी फर्मा दें तो वह आदिवासी लोग, वह नानाजी भील जिन्होंने अपनी जान लगाई आजादी की लड़ाई में, माणिक्यलालजी वर्मा के जमाने में, उन भीलों के शहर में आने जाने की सुविधा हो सके, वह भी गांव से शहर तक आ जा सकें और अपनी उपज को वहां तक ला सकें। इसके बारे में निवेदन करूंगा कि आप इस रोड को देने की कृपा करें।

दूसरा मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कई एक हिस्टोरिकल प्लेसेज आज पी. डब्ल्यू. डी. की लिस्ट पर हैं जो पुरातत्व विभाग को ट्रांसफर नहीं की गई हैं। बूंदी में बड़ी वेल्यूएबल इस तरह की चीजें है, जैसे राणाजी की बावड़ी, नागर सागर कुंड, इतने भव्य तरीके से बने हैं। या तो आप पुरातत्व डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दें, या उनके लिए मेंटीनेंस का फण्ड आता है, जो फोरिनर्स आते हैं, उनसे उनको आप सहीतौर पर मेंटेन करने की कोशिश करें।

( श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय )

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसी प्रकार से जो जो भी फण्ड आपके पास जिस जिस पर्पज के लिए आते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए सब जगह आपने योजना बनाई लेकिन आजादी के पहले के जो हाउसेज गवर्नमेन्ट की बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट सर्वेंट और ऑफिसर के भवन बने हुए थे वही आज तक हैं। इसमें माननीय मंत्री महोदय जी, भ्रम आपने आवास नाम डालकर किया है, इसमें मेरा कसूर नहीं है। यह भवन वर्ड का ट्रांसलेशन आवास में किया है और यदि यह कटमोशन्स कल सर्कुलेट हो जाते तो पहले ही बोल लेते, किन्तु जो बिल्डिंग्स की जरूरत है उनको तैयार कराना चाहिए। नई बिल्डिंग्स के लिए और किराये के लिए जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा आपके ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट को इतनी सुविधा राजस्थान हाउस और जयपुर के सर्किट हाउस में ठहरने की और उधर जन प्रतिनिधियों के लिए क्या है? उनसे पूरा किराया लिया जाता है। क्या डिफरेन्स है ? जो कंसेशन्स उनको मिलते हैं वहीं हम लोगों को हैं किन्तु आज जयपुर के अन्दर अगर कोई एम० एल० ए० कभी चाहे, मान लीजिए किसी कारण से सर्किट हाउस में ठहरना पड़े तो उसको कोई सुविधा नहीं मिलती। यह डिफरेंशियेशन हमारा समाप्त होना चाहिए।

मै आपसे निवेदन करूंगा, एक और समस्या प्रस्तुत करने के बाद मैं समाप्त कर देता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर आपके पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के तहत में कई जगहों पर बूंदी, भरतपुर वगैरह में कुछ दुकान है। उन दुकानों के बारे में एक समस्या, कठिनाई सारे राजस्थान में आई हुई है। आपने मेरे ख्याल से यह निर्णय किया है कि या तो उनकी ज्यादा से ज्यादा बोली लगायें उसको नीलाम किया जावे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गरीब आदमी जो वर्षों से उन दूकानों पर बैठे हुए हैं वह बर्बाद हो जायेंगे, आउस्टी हो जायेंगे और जो मालदार लोग हैं वे इन दुकानों को खरीद लेंगे। तो क्लासलेस सोसायटी के बजाय आप क्लास रिडन सोसायटी बनायेंगे। बीस सूत्री प्रोग्राम की मन्शा भी यही है, गरीब आदमियों को राहत देने की मन्शा है उसके लिहाज से, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आज की तारीख में उस तरह की जमीन का वेल्यूएशन करवा लें और बिल्डिंग जो उस समय की बनी हुई हैं उसका वेल्यूएशन करवा लें। इन सब का वेल्यूएशन निकाल कर आप सही कीमत पर किश्तों में दें तो मेरे ख्याल से जनता की सरकार ज्यादा सेवा करेगी, यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अकाल राहत मंत्रीजी।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** (राज्य मंत्री, अकाल राहत) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 33 के सम्बन्ध में 39 माननीय सदस्यों ने 58 कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये है और आज की इस चर्चा में 17 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। कई माननीय सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव राज्य सरकार को दिये हैं। इसके लिये मैं उनका बहुत आभारी हूं। इन सुझावों के आधार

(श्री गुलावसिंह शक्तावत)

पर हम अपनी भावी नीति को निर्धारित करेंगे।

इस सदन में कई माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर चर्चा करने के पहले, उससे पूर्व मैं भ्राम बातें सदन की जानकारी के लिये बताना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन को मालूम है हमारा विक्रम सम्वत् 2031 और 2032 जिसे हम कहते हैं, हमारे राजस्थान के लिये बहुत ही खराब वर्ष रहा। पहले वर्ष में वर्षा की कमी रही, समय पर वर्षा नहीं हुई। वर्षा के अभाव की वजह से राजस्थान के 33 हजार गांवों में से 20 हजार गांवों को अकालग्रस्त घोषित करना पड़ा और करीब 2 करोड़ 12 लाख की जनसंख्या में से करीब 1 करोड़ 39 लाख के आस पास की जन संख्या को अकालग्रस्त घोषित करना पड़ा।

हमने उस समय, जब ये गांव अकाल-ग्रस्त घोषित हुए थे, राज्य सरकार की यह नीति निर्धारित की थी और वह नीति इस बात पर थी कि माननीय सदस्यों का इस सदन में यह आरोप रहा करता था कि राजस्थान में अकाल राहत के लिये जो काम लिये जाते हैं, वे स्थाई नहीं लिये जाते हैं। मिट्टी डाल दी जाती है और बाद में वह हवा में उड़ जाती है। इस प्रकार की आलोचना हमारे विरोधी पक्ष की ओर से की जाती रही है। इसको ध्यान में रखते हुए इस बार राजस्थान सरकार ने यह निर्णय लिया कि इस बार अकाल के जो काम हाथ में लिये जायें, वे काम लिये जायें जो कि स्थाई हों, टिकाऊ हों, जिनका प्रभाव उस क्षेत्र पर निश्चित रूप से आवे। राजस्थान सरकार ने यह निश्चय किया कि अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत उन्हीं कार्यों को लिया जायेगा जो योजना के अन्तर्गत कार्य चल रहे हैं और जिन में धनराशि की कमी है, या योजना के साथ साथ जैसे ड्राट प्रोन एरिया प्रोग्राम के जहां कार्य चल रहे हैं, उनको प्राथमिकता दी जाये। इसके साथ ही मिनिमम नीड बेस्ड प्रोग्राम चल रहे हैं, उन कार्यों को प्राथमिकता दी जाये। साथ ही साथ यह निर्णय भी किया गया कि पिछले फेमिन के वक्त जो कार्य चलाये गये थे और वे अधूरे रह गये हैं, उनको भी पूरा कराने का प्रयत्न किया जाये। इसलिये माननीय सदस्यों को कुछ समय तक तो यह आक्रोश रहा कि राजस्थान सरकार स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए, स्थानीय स्तर पर, गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर काम नहीं करा रही है। जैसा कि मैंने निवेदन किया, माननीय सदस्य, इसके पीछे हमारी भावना यह थी, ऐसे कार्य हाथ में लिये जायें, जो कार्य अगर अकाल के समय के बाद अधूरे पड़े रह जायें तो उनको योजना के अन्तर्गत सम्मिलित कर के पूरा किया जा सके। मैं आपकी जानकारी के लिये, सदन की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत कि हमने इस वर्ष, पिछले साल और इस वर्ष की 31 जुलाई तक जो काम हाथ में लिये उनमें सार्वजनिक निर्माण विभाग के 532 काम थे, इरिगेशन विभाग के 901 काम हाथ में लिये, इसी प्रकार साइल कन्जर्वेशन के 176 काम और फोरेस्ट विभाग के 120 काम हाथ में लिये। इस प्रकार अकाल से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिये हमने विभिन्न एजेन्सियों के 1729 काम हाथ में लिये :

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

वर्ष 74-75 में जैसा कि आपको मालूम है हमने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि राजस्थान सरकार को 10.19 करोड़ रुपये आपात स्थिति का मुकाबला करने के लिये जो दिया है, वह काफी कम है इसलिए और राशि दी जाये। भारत सरकार ने हमको योजना अग्रिम राशि के रूप में 10.24 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। इस राशि के आवटन होने से हम ये काम चला सके हैं और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 74-75 में हमने 22 करोड़ 14 लाख का खर्चा इन कार्यों पर किया। जैसा कि मैंने आपको पहले निवेदन किया है जो निर्माण कार्य हाथ में लिये गये थे, उन निर्माण कार्यों के अलावा पशुओं के निष्क्रमण के रास्ते पर भी खर्च किया पानी पिलाने के कार्यों पर भी खर्च किया। इसी तरह से जो असहाय लोग गांवों में थे और किसी तरह से काम नहीं कर सकते थे, उन प्रत्येक को भी सहायता दी। इसी तरह से कैटिल कैंप शुरू किये गये और बीच बीच में उनको कुछ सहायता भी प्रदान की गई। इस तरह से कुल 22 करोड़ 14 लाख रुपया वर्ष 74-75 में खर्च किया गया। यह वर्ष हमारा समाप्त हो रहा है। इस वर्ष विभिन्न कार्यों के अन्तर्गत जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, बजट भाषण में हमारे वित्त मंत्री महोदय ने कहा है, उसके आधार पर हमने इस साल 29.04 करोड़ रुपये अकाल राहत कार्यों और फ्लड से डेमेज्ड कार्यों पर खर्च किया है। इस 29.04 करोड़ रुपये की राशि में से भारत सरकार ने हम को 2 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि फ्लड डेमेजेज के लिये दी है। अलग अलग जिलों में जहां फ्लड से नुकशान हुआ है, इसमें से 2 करोड़ रुपये सड़कों पर खर्च किया गया और 50 लाख रुपये इरिगेशन के बन्धों और दूसरी जो हमारी नहरें टूट गई थीं फ्लड की वजह से, उन पर खर्च करने का प्रावधान किया गया है।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस वर्ष जो काम हुए हैं, वे उन काम का जायजा लें तो मैं यहां पर उनको जानकारी के लिये निवेदन करना चाहूंगा कि हमने जो सड़कों का काम हाथ में लिया था 532 वर्क्स लिये थे उनमें 1215 किलोमीटर डामर की सड़क बनाई गई है, 2152 किलो मीटर मैटल रोड्स बनाई गई है और 700 किलोमीटर ग्रेवल रोडस् बनाई गई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले माननीय सदस्य यहां यह बात कहा करते थे कि फेमिन में जो काम लिये जाते हैं, उनमें सिर्फ धूल डालने का काम हाथ में लिया जाता है। हमने वह नहीं करके इस नीति को बदला है और बदल कर इस ढंग से काम किया है जिसके परिणाम निकले हैं, इतनी लम्बी चौड़ी सड़कें बनाई गई हैं। जब माननीय सदस्य यहां पर बोल रहे थे उनमें से कई माननीय सदस्यों ने इसका स्वागत भी किया कि राजस्थान में अकाल राहत के जो काम हुए हैं, वे अच्छे काम हुए हैं, मजबूत काम हुए हैं, टिकाऊ काम हुए हैं और वहां की प्रशंसा की है। इसके लिये मैं उनका आभार प्रकट करता हूं यह जो कुछ संभव हो सका, वह उन्हीं के सहयोग से सम्भव हो सका। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं।

इन जनरल बातों के बाद, माननीय सदस्यों ने जो कटौती प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत किये हैं, इस सदन में जो चर्चा की है, उनमें लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि .......

श्री श्रीराम गोटेवाला : वे यहां पर नहीं है। आप जवाब उनको भेज दें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : खैर, माननीय सदस्य नहीं हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सिंचाई के समय खण्डेला वाला बांध भी जोड़ लें, इसकी घोषणा कर दें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने बहस के दौरान जो मुद्दे उठाये, उनको मैं तीन, चार केटेगरीज में रखना चाहता हूं। मुख्य बात यह कही गई है कि अकाल के समय जो काम शुरू हुए थे, वे अकाल के काम अधूरे पड़े हुए हैं, उनको पूरा कराया जाये। एक बात तो यह कही। दूसरी बात यह कही कि बाढ़ में अजमेर, नागौर, भरतपुर और दूसरे जिलों में नुकसान हुआ है, जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई, बांध टूटे, उनकी रिपेयर करने के लिये धनराशि दी जानी चाहिये। बाड़मेर जिले को बाढ़ से नुकसान होने के बावजूद धनराशि का प्रावधान नहीं किया गया। इस तरह की चर्चा हुई।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि हमने अजमेर डिस्ट्रिक्ट में जो बाढ़ से सड़कें टूटी हैं उनके लिए 14 लाख, अलवर के लिए 7 लाख, बांसवाड़ा में 2 लाख, भरतपुर में 49 लाख, बूंदी में 12 लाख, चित्तौड़ में 1 लाख, डूंगरपुर को 1 लाख, जयपुर को 22 लाख जालौर को 4 लाख, झालावाड़ को 10 लाख, जोधपुर को 5 लाख, कोटा को 19 लाख, नागौर को 16 लाख, पाली को 11 लाख, सवाई माधोपुर को 2 लाख, सिरोही को 4 लाख, टोंक को 4 लाख और उदयपुर को 2 लाख दिये हैं। माननीय सदस्यों को इन आंकड़ों से ज्ञात होगा कि यह राशि उन जिलों को ही दे रहे हैं जिनमें बाढ़ से नुकसान हुआ है। बाढ़ से नुकसान सबसे ज्यादा भरतपुर को हुआ है इसलिए भरतपुर को 49 लाख रुपया दिया है। उससे कम नुकसान जयपुर में हुआ है तो जयपुर को 22 लाख की राशि दी है। जब यह रुपया वितरण किया गया था तो इस बात को ध्यान में रखा गया था कि जहां पर जिस मिकदार में नुकसान हुआ हो उसी मिकदार में पैसा रखने की हमने कोशिश की। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कोई हिस्सा राशि नहीं मिली। यह बात सही है कि जब डी.पी.सी. के सामने फ्लड की चर्चा की गई थी और जब हम चर्चा कर रहे थे तो डी.पी.सी. के आदमी बाड़मेर के मामले में फ्लड से कन्विंस्ड नहीं हुए। बाड़मेर के लिए वह कह रहे थे कि वहां पर कोई फ्लड नहीं है, इसलिए कोई राशि का आवंटन नहीं किया जाना चाहिए। उस जिले के बारे में प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा था और कहा था कि लूनी नदी की बाढ़ से इस जिले में 20 लाख के आस-पास का नुकसान हुआ है। मैंने इस बारे में अधिकारियों से चर्चा की और बाड़मेर जिले में गवर्नमेंट जो जनरल सहायता की ग्रान्ट रखती है उससे दो लाख रुपया अधिक करवाया है जिससे उनकी मरम्मत करवाई जाय। और भी आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार के सहायता विभाग में इस बात को देखूंगा कि उनको कुछ रुपया मिले।

इसी तरह से 50 लाख जो सिंचाई कार्यों के लिए मिले हैं उसका वितरण हमने नागौर में एक लाख, उदयपुर में 3 लाख डूंगरपुर को 1 लाख, बांसवाड़ा को 2

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

लाख, अजमेर को 5 लाख और भरतपुर को 11 लाख। जहां जहां पर जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है उसके हिसाब से आवंटित करके बाढग्रस्त कार्यों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा यह लक्ष्य रहेगा कि जो बाढ़ से क्षतिग्रस्त गांवों के बन्धे और सड़कें वगैरह हैं उनको पूरा करने की कोशिश की जाए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जालोर के लिये नहीं है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय सदस्य जालोर की बात पूछ रहे हैं। तो जहां तक इरिगेशन का सवाल है और सड़क का सवाल है 4 लाख रुपये दिये हैं। सिंचाई का जहां तक सवाल है ..

श्री रघुनाथ विश्नोई : पहले 8 लाख रखे फिर काट दिये 4 लाख।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सड़कों के लिए जालोर डिस्ट्रिक्ट मे दिये गये हैं। उससे उसको वंचित नहीं रखा गया है। जहां तक फ्लड रेस्ट्रिक्शन वर्क्स का सवाल है अकाल सहायता विभाग फ्लड के डेमेजेज के बारे में सुधार के लिए धनराशि प्रोवाइड करता है, लेकिन उससे पूर्व फ्लड से बचाने का जो काम है वह काम अकाल सहायता विभाग का नहीं है। वैसे आपने इरिगेशन का बजट देखा होगा इरिगेशन आपने की डिमांड पास की होगी तो इरिगेशन की डिमांड में ही प्रोटेक्शन के लिए फन्ड्स निर्धारित किये हुए हैं, और यह फ्लड के प्रोटेक्शन का काम इरिगेशन विभाग ही किया करता है और उस विभाग के बजट में ही इसका प्रोवीजन किया गया है। तो इस तरह के जो कार्य हैं उनके लिए मैं आपके साथ माननीय सिंचाई मंत्रीजी यहां पर बैठे हुए हैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इस प्रकार के सुझाव आयेंगे तो विचार करेंगे।

अजमेर के बारे में कुछ चर्चा की है कि इस प्रकार से अजमेर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मैं मानता हूं। लेकिन राजस्थान में हमने पहली बार इस बात की कोशिश की कि जो मकान ध्वस्त हो गये हैं, पूरे या पार्शियली डेमेज्ड हो गये, उनको राज्य सरकार द्वारा 100 रुपये जो पूरे मकान नष्ट हो जाते थे और 50 रुपये जो पार्शियली डेमेज होते थे उनको सहायता के लिए दिये जाते थे। यह सहायता नगण्य थी। उसमे मकान पूरे नहीं होते है। तो हमने भारत सरकार के सामने कहा कि यह सहायता अपर्याप्त है। इससे कुछ सम्भव नहीं हो सकता है, और हमने उनसे कहा है कि अजमेर शहर में और नागोर खास में जो मकान टूट गये हैं या आधे टूट गये ऐसे लोगों के पुनर्वास के लिए, उनको बनाने के लिए ज्यादा धनराशि की आवश्यकता होगी। आपको यह जानकर खुशी होगी कि भारत सरकार ने ऐसे मकान बनाने के लिए एल.आइ. सी. की मार्फत कर्जा देने की बात की है और अजमेर के लिए 14 लाख और नागोर के लिए 10 लाख रुपये प्राप्त हो गये हैं जिससे इन मकानों को बनाने की बात करेंगे।

इसके साथ साथ अजमेर में 2700 मकान बनाने का कार्य अपने हाथ में लिया है। उनके लिए 2,70,000 सहायता मद से सहायता देंगे और यू. आइ. टी. को 12 लाख कर्ज के रूप देंगे और 15 लाख रुपया एल. आइ. सी. से कर्जा मिलेगा।

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

इससे यह वर्क्स हाथ में लेंगे। इसी तरह से नागौर में यह हाथ में लेने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि यह सहायता मिलने के बाद उसे हम पूरा कर पायेंगे।

जहां अजमेर में बाढ़ से बहुत बड़ा नुकसान हुआ तो हमने टेम्प्रेरी शेल्टर दिया। खाने की व्यवस्था की और उसके साथ साथ यह भी किया है कि अजमेर शहर गन्दगी से परेशान हो गया था वहां पर सफाई के लिए म्युनिसिपैलिटी को 1 लाख का अनुदान दिया था, और वहां की सड़कों को सम्हालने के लिए हमने ढाई लाख रुपया उसको दिया। एक प्रस्ताव और राज्य सरकार के सामने विचाराधीन है। वह यह है कि जो आनासागर लेक का पानी आता है और जिस पानी की नाली में से गुजर कर आता है वह नाली भर गई है। जब तक उसकी सफाई नहीं कर देते हैं तो हमेशा फ्लड होने की सम्भावना लगी रहती है। यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और करीब 5,70,000 रुपया खर्च होने का अनुमान है। राज्य सरकार की इसके लिए शीघ्र ही स्वीकृति होने वाली है ताकि इस समस्या के समाधान का काम भी हाथ में लिया जा सके।

इकलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सवाल उठाया था कि फेमिन विभाग में कोई राशि वहां पर दी गई थी मकान बनाने के लिए तो उस पैसे का दुरुपयोग हुआ है। मैं माननीय सदस्य को जानकारी दे दूं कि वहां पर कोई भी स्कीम मनोहर थाना ग्राम के लिए फेमिन विभाग से स्वीकृत नहीं हुई थी, बल्कि वहां की पंचायत समिति ने योजना स्वीकृत की थी, और उसके लिए मुझे मालूम पड़ता है कि पंचायत समिति द्वारा 35 हजार रुपये का ऋण स्वीकृत किया था और उसने 33 हजार रुपया कर्ज दिया गया था। इसलिए सहायता विभाग से इसका कोई लेना देना नहीं है। पंचायत समिति का मामला है और पंचायत समिति और जिलाधीश इस मामले को देख रहे हैं। यह उन्हीं का कहना है।

इसी तरह से एक सवाल आया, सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान में अभी तक 4 अरब रुपये फेमिन और फ्लड पर खर्च कर दिये गये हैं। परन्तु अब तक राज्य सरकार इस समस्या पर काबू नहीं पा सकी। यह फिगर्स सही नहीं है जो कि माननीय सदस्य ने रखे हैं। यह बात सही है कि पिछले 10 वर्षों में राजस्थान में फ्लड और फेमिन पर किये गये कार्यों के लिए राज्य सरकार ने अपने स्वयं के साधनों से या भारत सरकार के सहयोग के जरिये अभी तक 2 अरब 64 करोड़ और 56 लाख रुपये राजस्थान में खर्च किये हैं। यह कहना भी उपयुक्त नहीं होगा कि राजस्थान सरकार इसके स्थाई समाधान के लिए चिन्तित नहीं है। राजस्थान सरकार ने प्रयत्न किये और उसी वजह से आज राजस्थान के पश्चिमी जिलों के लिए ड्राट प्रोन एरिया प्रोग्राम की हमें स्वीकृति मिली है, और आज ड्राट प्रोन एरिया के तहत बड़े बड़े काम हाथ में लिये जा रहे हैं। मैं थोड़ा-सा उसके सम्बन्ध में जो प्रयास किये जा रहे हैं उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, हालांकि चीफ व्हिप का हुक्म है कि मैं बैठ जाऊं।

सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम जो राजस्थान में लागू है, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, पाली, बीकानेर,

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

चूरू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर का इलाका शामिल है। इसके अलावा, उदयपुर जिले की खैरवाड़ा, भीम, देवगढ़ तहसीलें, अजमेर जिले की ब्यावर, झुंझुनूं जिले की झुंझुनूं और चिड़ावा इसके अन्तर्गत शामिल की गई हैं और प्रतिवर्ष हम इस बात का प्रयत्न करते हैं कि इस योजना के जरिये वहां पर जो अकाल की स्थिति रहती है उसको दूर किया जाय। इस योजना के तहत जो काम हाथ में लिये गये, 75–76 के अन्दर साढ़े सात करोड़ की योजना बनाई गई थी, एक कमेटी के तहत सारा खर्चा हुआ था, उस कमेटी की एप्रूवल से सारा खर्चा हुआ करता था। इस कमेटी के अन्दर पहले विधान सभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य मेम्बर नहीं हुआ करते थे। इस बार राज्य सरकार द्वारा इस काम के लिये जो डिस्ट्रिक्ट कमेटियां हैं उनके अन्दर विधान सभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य भी सदस्यों के रूप में रखे गये हैं। अगले वर्ष की योजना के लिये इस योजना में 9 करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा गया है, इसकी थोड़ी सी जानकारी मैं माननीय सदस्यों को सेक्टरवाइज देना चाहूंगा:–

| | |
|---|---|
| कृषि के लिए | 94.34 लाख |
| भू-जल | 185.98 लाख |
| वनों के लिये | 62.63 लाख |
| फोडर के लिए | 41.66 लाख |
| अन्य विकास के लिये | 135.46 लाख |
| पशुधन के लिए | 133.47 लाख |
| विद्युत के लिये | 218.00 लाख |

इस तरह से हमने करीब 9 करोड़ रुपया अगले वर्ष में खर्च करने के लिये रखा है। जहां पर पानी की कमी है, वहां पानी के लिये, जैसा कि मैंने माननीय सदस्यों को निवेदन किया वहां पर पानी पर खर्च किया जाय, पशु विकास के लिये जहां पर जरूरत होगी, वहां पशु विकास के लिये, चरागाहों के लिये, फारेस्टरी डवलपमेंट के लिये जहां जरूरत होगी वहां फोरेस्ट के लिये खर्च किया जायगा। इस तरह से हम खर्च करते हुए विकास की बात करेंगे ताकि वहां पर पड़ने वाले सूखा के प्रभाव को कम किया जा सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात नागौर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कि वहां पर कोई कम्प्रेसर काम में लाया गया था, उसको मिट्टी में लगाकर सारा पैसा उठा लिया गया और–

एक माननीय सदस्य : ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हां, सौरी, ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मिट्टी के अन्दर कम्प्रेसर लगाकर पैसा उठा लिया गया और झूठा बिल बनाया गया। इसकी उन्होंने विभाग को शिकायत भी की। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल सहायता विभाग को तो इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। हो सकता है उन्होंने पी. डब्लू. डी. को की हो। तो जब सार्वजनिक निर्माण विभाग के मन्त्री जी बोलेंगे तब इसका भी उत्तर देंगे। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि झूठा बिल बनाने के लिये मिट्टी में होल क्यों किया गया, होल तो ब्लास्ट होने के बाद पर्मानेन्ट स्थिति में रहता ही नहीं है। फिर भी सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी इसका उत्तर देंगे। एक बात और कही गई, मिट्टी के मेजरमेन्ट क

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

सवाल उठाया गया, जिसमें कमी बेसी की बात कही गई। इस विषय में मेरा निवेदन करना यह है कि जब अकाल का काम चल रहा था उस समय भी मेरे से मिल सकते थे। उन्होंने कभी मेरा ध्यान आकर्षित नहीं किया और न कभी विभाग को ही इस बारे में कोई शिकायत की।

श्री केशरीमल (ब्यावर): सार्वजनिक निर्माण विभाग को की थी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत: सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी बोलेंगे तब इसका उत्तर देंगे। नागौर और लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्यों ने एक बात की मांग की कि हमारे यहां पर अतिवृष्टि हो गई इसलिए फेमिन के कार्य शुरू किये जाने चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर में भी मैंने सूचित किया था कि राज्य सरकार जिलाधीश की रिपोर्ट पर कार्यवाही करेगी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी कहा था कि जहां पर भी उचित होगा, अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो जहां पर राहत कार्य खोलने आवश्यक हैं वहां पर अवश्य खोले जायेंगे। मैं नागौर से आने वाले माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार की हमेशा यह नीति रही है कि कोई भी इलाका अगर अकाल से प्रभावित है और जनता तकलीफ में है तो राज्य सरकार का यह फर्ज है कि वहां पर फौरन राहत कार्य खोले जायं और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां पर जब भी आवश्यकता हुई उस समय राज्य सरकार राहत कार्य खोलने में किसी प्रकार की कोताही नहीं करेगी।

सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि फोडर बैंक आप नहीं खोलते और धन बचाने की बात नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि डी.पी.ए.पी. के तहत फोरेस्ट के अलावा फोडर डिपो की योजना भी बनाई है। वे ताकतवर हो जायेंगे तो हमारी समस्या का समाधान हो जायगा। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान का मन्त्रिमण्डल केवल ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स पर निर्भर करता है। इस संबंध में मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान ही नहीं, सारा हिन्दुस्तान और सारा विश्व टेक्नोक्रेट्स पर निर्भर करता है। अगर आज आप एक्सपर्ट्स को तरजीह नहीं देना चाहते हैं तो क्या एक्सपर्ट्स की नोलेज को आगे नहीं बढ़ाना चाहते और देश की तरक्की नहीं करना चाहते। मैं समझता हूं कि उनको तवज्जह देकर कोई हम गुनाह नहीं करते हैं, सारा देश और सारा विश्व उनको तरजीह दे रहा है। मैं आपका बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेता हुआ इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्रीजी।

श्री हीरालाल देवपुरा (मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांगों से सम्बन्धित मांग संख्या 19, 20 व 21 के संबंध में इस सदन के लगभग 31 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये और कई महत्वपूर्ण सुझाव माननीय सदस्यों की तरफ से आये, मैं उन सब माननीय सदस्यों का बहुत बहुत आभारी

(श्री हीरालाल देवपुरा)

हूं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जब सड़क विकास की बात लेकर हम चलते हैं तो हमें राजस्थान के निर्माण के इतिहास को, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को और राजस्थान निर्माण के समय जो राजनैतिक पृष्ठभूमि मिली है उसको दृष्टिगोचर रखते हुए सोचना होगा। केवल यह कह कर कि राजस्थान में सड़कों की दृष्टि से विकास नहीं हो पाया, राजस्थान के पड़ोसी प्रान्त हरियाणा ने गांव गांव तक सड़कें पहुंचा दी, राजस्थान अभी बहुत पिछड़ा हुआ है, मैं समझता हूं माननीय सदस्य राजस्थान के प्रति न्याय नहीं करते, जन प्रतिनिधि होने के नाते वे अपने प्रति भी न्याय नहीं करते। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा और पंजाब ब्रिटिश रूलर्स के समय में ब्रिटिश प्रोविन्सेज थे और राजस्थान नेटिव स्टेट्स में बंटा हुआ था जिन स्टेट्स के पास अपने कोई साधन नहीं थे, जिन स्टेट्स ने अपने भौतिक विकास की तरफ कोई खास तवज्जह नहीं दी थी। उस समय हरियाणा और पंजाब, जो पंजाब के सूबे के नाम से जाना जाता था, न केवल सड़कों की दृष्टि से बल्कि अन्य दृष्टियों से भी सिंचाई की दृष्टि से भी, उस समय पंजाब का सूबा जिसमें हरियाणा का सूबा भी शामिल था, बहुत आगे था। इसलिए राजस्थान की तुलना उससे नहीं की जा सकती उस स्थिति में जब राजस्थान का निर्माण हुआ उस परिप्रेक्ष्य में उसको आंकेंगे तो निश्चितरूप से मैं मानता हूं कि माननीय सदस्य अगर कुछ अपनी क्षेत्रीय भावनाओं से, अपने स्वयं के क्षेत्र की भावनाओं से आगे जाकर आंकेंगे तो वे जो कहना चाहें कहें, उनका यह कहना स्वाभाविक है, लेकिन मन में निश्चितरूप से, उपाध्यक्ष महोदय, सन्तोष महसूस करेंगे। उस दृष्टि से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ आंकड़े आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। 1949 में राजस्थान के अन्दर, आज का हमारा राजस्थान है, उसमें सभी रियासतों को मिला कर 741 किलो मीटर तार रोड्स हमें मिली थीं और आज जब मैं आपके समक्ष राजस्थान की सड़कों के विकास की बात कर रहा हूं, उस समय राजस्थान में 19286 किलो मीटर तार रोड, जिसको ब्लेक तार रोड कहते हैं, बन चुकी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1949 में राजस्थान में मैटल रोड्स जिनको हम कह कर चलते हैं, वह थी 4378 किलो मीटर। आज मैटल रोड 5113 किलो मीटर है। माननीय सदस्य कहें, इसमें क्या फर्क पड़ा है। फर्क यह पड़ा है, जो मैटल रोड उस समय थीं उन मैटल रोड को तार रोड में कन्वर्ट किया है, इसलिए इस समय की मैटल रोड की संख्या में कमी हो गई। आज मैटल रोड बता रहा हूं उसमें वह मैटल रोड बहुत कम बची होंगी और राजस्थान बनने के बाद में जो मैटल रोड निर्मित हुई, वह यह मैटल रोड है। हम निश्चित रूप से विकास की दृष्टि से देखें तो यह कम नहीं कही जा सकती। यही बात है ग्रेवल रोड के बारे में यही स्थिति है फेअर वेदर रोड के बारे में। ग्रेवल रोड राजस्थान जिस समय बना उस समय 2037 किलोमीटर थीं और आज राजस्थान के अन्दर 5967 किलोमीटर है। फेअर वेदर रोड जिसको मानते नहीं हैं सड़क की दृष्टि से, उनको देखें तो वह भी फिगर राजस्थान में काफी ऊंचे फिगर हैं। मेरे कहने का तात्पर्य, उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि जहां राजस्थान

(श्री हीरालाल देवपुरा)

के अन्दर पहले अजमेर और जयपुर शहर के इन्टीरिअर की बात नहीं कहता, बहुत बड़े बड़े शहरों की बात कहता हूं, अजमेर से जयपुर आने के लिए सोचना पड़ता था कि अजमेर से जयपुर कैसे पहुंचेंगे, जयपुर से अलवर जाने में क्या स्थिति बनेगी, कितना समय लगेगा। उस स्थिति में हमें राजस्थान मिला था। आज राजस्थान के रास्ते खोले हैं। राजस्थान के बड़े बड़े शहरों की बात छोड़िये। हो सकता है, हमारे रोड्स, जिन रोड्स की कल्पना करके चलते हैं, आज के युग में, आज के वैज्ञानिक युग में, उस लेवल की रोड्स नहीं हों, लेकिन विकास की दृष्टि से आंका जाना चाहिए, स्टैंडर्ड को दृष्टि से नहीं आंका जाना चाहिए। इस बात को सोचें कि कितने एरिया को ओपन किया है, कितनी जगह ट्रक और गाड़ियां पहुंच सकती हैं—इससे आंका जाना चाहिए। जयपुर से दूर दूर बैठे हुए किसान हैं, जिनको अनाज मण्डी में पहुंचना है, उनको कितना लाभ दे पाये हैं—उस दृष्टि से आंकें तो मेरी मान्यता है, मेरा आत्म विश्वास है, माननीय सदस्य सारी भावनाओं से ऊपर उठ कर सोचेंगे तो यह नहीं कहेंगे कि राजस्थान भारत के दूसरे प्रान्तों की अपेक्षा अपने क्षेत्र में विकास करने में कहीं पीछे रहा है, या राजस्थान में किसी प्रकार की कमी रही है। यह मैंने स्वयं कहा, उपाध्यक्ष महोदय, स्टैन्डर्ड में कमी हो सकती है, स्टैन्डर्ड—एक तरफ माननीय सदस्य चहुंमुखी विकास की बात करते हैं, इन्टीरिअर के विकास की बात कहते हैं, उस समय हम कहते हैं कि अर्थाभाव है तो जरूरी नहीं है कि डामर रोड बनावें। आप रास्ता खोल दीजिये, किसान के घर तक रास्ता खोल दीजिये। लेकिन जब दूसरी ओर कस्बे की बात आती है, शहर की बात आती है, गांव की बात आती है तो यह कहें, यहां तार रोड नहीं हैं, सड़क खराब हैं इसलिए कार खराब हो गई, कार टूट गई, मेरा जी जलता है। हम कल्पना करके चलते हैं कि अभी राजस्थान को बहुत करने की आवश्यकता है। आपको कार की चिन्ता है हमें इन्टीरिअर में बैठे हुए किसान के पेट की चिन्ता हैं। कार की चिन्ता नहीं है। जो सरकार राजस्थान में बैठी है वह राजस्थान के विकास की बात सोचेगी, कार मेन्टीनेन्स की बात नहीं सोचेगी। उसको सोचना होगा कि भूखे-नंगे सर्वहारा व्यक्ति इन्टीरिअर में बैठे हैं, जो अपने पांवों पर खड़े नहीं हो सकते हैं, उनको पांव पर खड़ा होने के लिए क्या कर रही है। वह यह सोच कर नहीं चलेगी तो वह सामन्तवादी विचार की हो सकती है। हो सकता है किसी माननीय सदस्य को सामन्तवाद के स्वप्न आते हों, इसलिए उस लहजे में बोलते हों। यह मेरी बात नहीं है, मुझे तो इस युग के साथ में चलना है। आज विकास को उस व्यक्ति तक पहुंचाना है जिस व्यक्ति के लिए सरकार यहां बैठी हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों के बारे में माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की बात कही। मैंने प्रारम्भ में कहा है, राजस्थान में सड़कों की दृष्टि से बहुत कुछ करना बाकी है। केवल 30-31 माननीय सदस्य बोले हैं, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के 184 माननीय सदस्य हैं, उस हिसाब से सभी माननीय सदस्य अपनी अपनी मांग रखते तो मैं नहीं कह सकता कि कितनी मांग हो जाती, लेकिन 30-31 माननीय

(श्री हीरालाल देवपुरा)

सदस्य बोले हैं उनके हिसाब को लगायें, उपाध्यक्ष महोदय, नई सड़कों की मांग, नये पुल की मांग, मेन्टीनेन्स की मांग, सड़क खराब हैं उनकी रिपेयर की बात–उन सबका लगभग कम से कम सौ, सवा सौ करोड़ के नीचे बजट नहीं बनता है। उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के विकास की बात कर रहे हैं, जब चहुंमुखी विकास की बात करते हैं तो कहते हैं प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 21 सूत्री प्रोग्राम की बात कही गयी है और सड़कों के विकास को 21 सूत्री प्रोग्राम के साथ जोड़ा गया है। इस सदन में बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों को मालूम है, 21 सूत्री प्रोग्राम में जो 20 बिन्दू दिखाये हैं उनमें कहीं भी सड़कों का जिक्र नहीं है, सड़कों का नाम नहीं है। इसका साफ मतलब है कि आज विकास के कार्यक्रम की दृष्टि से प्रायोरिटी है उसमें वह चीज मुख्य है, मूल है जो हमारे आर्थिक विकास को टच करती है, छूती है, जिससे गरीब व्यक्ति को खाने के लिये कुछ दे सके, उसकी आमदनी में कुछ जोड़ सके, बेकारी को हम मिटा सकें। यह चीजें उसमें निहित हैं और उस दृष्टि से हमारा इस वर्ष का यह कार्यक्रम, उपाध्यक्ष महोदय, बना है। माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते समय यह भावना व्यक्त की; जितना प्रावधान राजस्थान की सड़कों के विकास के लिए, निर्माण के लिए किया जाना चाहिए था, उतना प्रावधान नहीं किया गया है। इसका प्रावधान बढ़ाया जाना चाहिए था। अधिक प्रावधान किया जाना चाहिए था, मैं मानता हूं, आज सड़कों के विकास को भी हम अपने विकास में उतनी प्रायोरिटी देकर चलने की क्षमता रखते हैं। यह कार्यक्रम राजस्थान प्रान्त का कार्यक्रम नहीं है, यह कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम है और प्राथमिकता राष्ट्रीय स्तर पर तय की गई है, राजस्थान के स्तर पर नहीं की गई है। इस कार्यक्रम में आगे जो कुछ भी क्षमता होगी, उसके अनुसार काम होगा। इस वर्ष के प्लान में कितना व्यय कर सकते हैं उस क्षमता के आधार पर 135 करोड़ का राजस्थान को एलोकेशन हुआ। 135 करोड़ का तो राजस्थान के वित्त मन्त्री ने अनाउन्स किया, प्लानिंग में राशि मिली, उसके आधार पर एलोकेशन हुआ, उसके अंदर प्लानिंग कमीशन के सामने बैठ कर तय किया जाता है, किस सैक्टर में कितना व्यय करना है, उस सेक्टर में माननीय सदस्यों ने इसे देखा होगा, केवल 50 लाख 1976–77 वर्ष में सड़कों के लिए व्यय के लिए मिले हैं। उन 50 लाख रुपये में नई सडकें भी चाहते हैं, उस 50 लाख रुपये में आप पुल भी चाहते हैं, नालों पर पुल भी चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे पास में प्रोग्राम है, जिन कामों को हाथ में ले रखा है, उनको पूरा करना है। उनके ऊपर काम नहीं करें तो उसका नुकसान होगा। जो पैसा खर्च किया है वह वेस्ट जायगा। इस प्रोग्राम को चालू रखना ही मुश्किल हो रहा है 50 लाख रुपये को उस प्रोग्राम में डिस्ट्रिब्यूट किया है। मुझे कहते हुए दुःख होता है, मैं उन सब कामों को, जिनको पैसा देना चाहिए था, पैसा नहीं दे पाया हूं। लेकिन मैं अफसोस इसलिए नहीं करता हूं कि इस को बचा कर और इस पैसे को और दूसरे प्राथमिकता के अंतर्गत काम की ओर डाइवर्ट कर रहे हैं ताकि आने वाले वर्ष में जिस व्यक्ति के लिए आर्थिक विकास करना चाहते हैं; वह अपने पांव पर खड़ा हो।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

और वह कमाई करेगा, वह देश को आमदनी देगा और वह आमदनी देश की सड़कें बना सकेगी। आज अगर देश की सड़कें 4–5 साल के लिये डेफर हो जाती हैं और उसके बजाय एक आदमी को पैरों पर खड़ा कर देते हैं तो देश को नुकसान नहीं होता, राजस्थान को नुकसान नहीं होता। इस बैंक ग्राउंड में जब हम इन बातों को सोचते हैं तो निश्चित रूप से कुछ बिंदुओं पर एक होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस दिन जिस विषय की मांग आ जाए उस दिन पूरी तरह से बोलें। इस तरह से आप देखेंगे तो हम अपना कोई कार्यक्रम योजनाबद्ध तरीके से पूरा नहीं कर सकते, वह सारा उलझकर हैपहेजर्ड वे में हो जायेगा और किसी भी क्षेत्र में विकास करते हुए नजर नहीं आयेंगे, उलझे हुए नजर आयेंगे। जब योजनाबद्ध विकास की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमें कुछ बिंदुओं पर एक राय होकर आगे पूरी तैयारी करनी होगी, विश्वास पैदा करना होगा कि आज सड़क नहीं बनी है तो कल बनेगी लेकिन इस सड़क द्वारा जो बचाया हुआ पैसा है, व्यर्थ में ही दूसरे कामों में खर्च किया जाय और प्लान के अन्दर उसका हिसाब नहीं बताया जाय तो माननीय सदस्यों का कहना वाजिब होगा कि वह सरकार न्याय नहीं कर रही है। लेकिन जब आपके सामने सभी विषयों पर विकास की चर्चा की गई है और प्रॉपर वितरण प्राथमिकताओं के आधार पर प्लान के पैसे का किया गया है तो माननीय सदस्यों को उस दृष्टि से सोचकर अपनी बात कहनी चाहिये। अपने अपने क्षेत्र से आते हैं कहते हैं हमारा फलां रास्ता ठीक नहीं होता है, ग्राम लोग भी कहते हैं और माननीय सदस्य भी कहते हैं कि इतनी सड़क तो बन गई, बाकी एक दो मील का टुकड़ा नहीं बन पाया तो हम क्या कर पा रहे हैं इस पर जब गम्भीरता से सोचें तो निश्चित रूप से हम इस परिणाम पर आयेंगे कि जो कार्यक्रम लिया जा रहा है उससे इस राज्य का विकास सम्भव है, अन्यथा इस राज्य का विकास नहीं हो पायेगा। सिंचाई विभाग की मांग पर जब बहस चल रही थी तो माननीय सदस्यों ने एक मत होकर कहा कि राजस्थान का विकास केवल सिंचाई की समस्या सुलझाने पर ही निर्भर करता है। माननीय सदस्य स्वयं सोचते हैं कि प्राथमिकतायें क्या होती हैं लेकिन क्योंकि सार्वजनिक निर्माण विभाग की बात है, इसलिए अपने क्षेत्र की बात कहनी चाहिये, भले कहें, मैं उसका स्वागत करता हूं। उनके बहुमूल्य सुझाव ये मैंने प्रारम्भ में ही कहा है, उनका मैं स्वागत करता हूं।

उनमें से एक प्रमुख सुझाव जो माननीय सदस्यों ने दिया है वह यह है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से जो भी काम किये जाते है, वे काम ठेकेदारी प्रथा के आधार पर किये जाते हैं, उसमें भ्रष्टाचार की काफी संभावनाएं हैं। कई तरह के उदाहरण भी माननीय सदस्यों ने, स्पेसीफिक तो नहीं घुमा फिराकर दिए कि क्या क्या बातें होती हैं। वे बहुत हद तक सही हैं और उसी दृष्टि से मैं आपको जानकारी देता हूं कि राज्य सरकार ने फैसला किया है कि धीरे धीरे हम इस प्रथा को खत्म करेंगे। इस वर्ष जो हमने काम किये है, 21 करोड़ रुपये के कामों में से लगभग 9 करोड़ के काम विभाग ने स्वयं अपने माध्यम से पूरे किये हैं और 11–12 करोड़ के काम ठेकेदारों के माध्यम से किये गये और वे भी

(श्री हीरालाल देवपुरा)

ऐसे काम थे जिनकी तैयारी आज विभाग के पास नहीं है, जिनको विभाग को बाहर से ही कराना था। चम्बल का पुल बन रहा है, बहुत बड़ा पुल है। आज हमारा विभाग इतना इक्वीप्ड नहीं है, इसको स्वीकार करने में संकोच नहीं है। लेकिन स्थिति यह है कि जब आज हम इतने इक्वीप्ड नहीं है, उस पर इतना पैसा और एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर सकते और देश में जब दूसरों के पास वह चीज मौजूद है जिसके लिये पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं तो उसका उपयोग करने में हानि नहीं। इसलिए माही, लूणी के पुल हैं, दूसरे जो महत्वपूर्ण पुल हैं, आज हमारे रेलवे ओवर हेड ब्रिजेज हैं, ऐसे मूल काम ठेकेदारों को दिये हैं। हमारी कुछ लिमिटेशन्स हैं, उस कारण से हम नहीं कर सकते। ठेकेदारों के पास योजना के काम हैं जो पहले से ही ठेके पर दिये हुए हैं, उनको कन्टीन्यू कर रहे हैं। हमारा यह प्रयत्न बराबर रहा है कि जिस काम को विभाग के माध्यम से कराया जा सकता है उसको विभाग के द्वारा ही कराया जाये चाहे वह सड़क हो चाहे भवन का काम हो। बहुत सी बिल्डिंग्स के काम स्वयं विभागीय तौर पर कराए है और वे बिल्डिंग्स आपके सामने खड़ी भी है।

इसके अतिरिक्त जितने अकाल सहायता में काम हुए हैं, ठीक है, रुपया अकाल सहायता में उधार मिलता है, वर्किंग एजेंसी आपका सिंचाई विभाग है। जितने काम अकाल सहायता विभाग से हुए हैं उन सब कामों को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पूरा किया है और विभाग उन कामों को करके चलने की क्षमता रखता है। हम स्वयं इस ठेकेदारी प्रथा से अलग होना चाहते है और जहां तक हो सकेगा हम अपने माध्यम से करायेंगे ताकि जो मजदूर हैं उनका भी शोषण न हों, उनको पूरा पैसा मिले, उनका काम ठीक तरह से हम देख सकें, उसकी जिम्मेदारी किसी पर निश्चित कर सकें।

एक सुझाव यह भी आया कि जिस किसी सड़क का और काम करवाते हैं वहां किसी विशेष अधिकारी को उसकी जिम्मेवारी देनी चाहिए। यह बिल्कुल सही है। आज हर काम की जिम्मेदारी सम्बद्ध अधिकारी पर होती है और उस काम में यदि किसी प्रकार की गलती पाई जाती है तो सम्बद्ध अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। इस विभाग में ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है, सजायें दी है, निकाल भी दिया गया है। कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि अधिकारी यहां पर काम कर रहे हैं इस साल काम शुरू किया, 3–4 साल से वह है, प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण आवश्यक है और बीच में काम छोड़कर दूसरी जगह ट्रांसफर किया है। लेकिन कई ऐसे मुख्य काम चल रहे हैं वहां पर हमने अधिकारियों को बदला भी नहीं। जब तक वह काम एक अधिकारी के पास है उसको रखा है। अतः उसको जिम्मेदारी उस पर ही रहे ताकि वह यह नहीं कह सके कि बीच में ही मैंने छोड़ दिया था, आने वाला अधिकारी यह नहीं कह सके कि मैंने बीच में लिया था, पहले कई कमियां थीं। तो जो ऐसे मुख्य काम हैं जिनमें बिल्कुल साउन्ड टेक्नीक की जरूरत है जैसे बड़े बड़े पुल हैं, आम तौर पर अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं किया जाता है, उन्हीं के माध्यम से उसे पूरा कराया जाता है। तो जो सुझाव माननीय सदस्यों की तरफ से

(श्री हीरालाल देवपुरा)

आए उनको मैं मानते हुए आभार प्रकट करता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

माननीय सदस्यों को मैंने सन् 1948 और आज की स्थिति का कंपेरीजन कराया। इस वर्ष जो विभाग के माध्यम से राजस्थान में काम हुए हैं उनकी तरफ भी मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। स्टेट प्लान के अन्दर जो पैसा था उस से सड़कें बनाई हैं उसमें 189. 0 किलो मीटर बी. टी. रोड्स बनाई है, 141.90 किलो मीटर्स में इम्प्रूवमेंट किया है और 55 काजवेज भी हैं जिनमें कल्वर्ट्स भी है और छोटे मोटे पुल भी हैं जो हमने केवल स्टेट प्लान के आधार पर किए। इसके अतिरिक्त जो अकाल सहायता से हमें पैसा मिला था उसका कुछ ब्यौरा मेरे साथी अकाल सहायता राज्य मंत्री ने दिया। मैं कुछ फिगर्स उसके भी देना चाहता हूं जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि विभागीय आधार पर जो काम किया है, कितना काम इस वर्ष खास तौर से किया है।

मेटल रोड्स कम्पलीट की हैं 1083 किलो मीटर्स, यह छोटी बात नहीं है। विभागीय आधार पर कम्पलीट की, ब्लैक टार याने डामर की रोड्स 583 किलो मीटर्स। इसके अलावा कई जगह सड़कों को वाइडन किया गया है। क्योंकि सड़कें कम चौड़ाई में होने के कारण और ट्रेफिक ज्यादा होने के कारण उनका वाइडनिंग करना बहुत जरूरी था। इसमें से करीब 1 हजार 69 किलोमीटर मेटल रोड का सार्वजनिक निर्माण विभाग ने वाइडनिंग किया, और 692 किलोमीटर ब्लैक टार रोड्स का वाइडनिंग किया है। और करीब 700 किलोमीटर रोड, जो ग्रेवल रोड थी, का वाइडन किया। इसके अलावा क्रोस ड्रेनेज का काम भी हमने 824 किलोमीटर किया है। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने फैमिन के अन्दर करीब 314 रोड्स बनायी थीं। तो यहां पर यह कहना माननीय सदस्यों का है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कुछ भी काम नहीं किया, यह बात सही नहीं है। विभाग ने काम किया है। इस प्रकार कहना कि विभाग ने काम नहीं किया विभाग के साथ न्याय नहीं होगा। आज जो कुछ भी हुआ है वह निश्चित तौर से सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा ही हुआ है। मैं यह मान सकता हूं कि पहले कभी फैमिन के वक्त में शायद कुछ कमियां रह गयी हों लेकिन अब की बार विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है। इस वक्त जो भी फैमिन के अन्दर काम किया गया वह ऐसा काम किया गया जो पक्का काम था और उसमें कोई वेस्टफुल काम नहीं हुआ। इसमें ऐसा नहीं कि मिट्टी उड़ गई या कोई सड़क बनी ही नहीं। वहां पर लाखों रुपये लगाकर सरकार ने करीब 700 किलो मीटर तक ग्रेवल रोड बनायी है। वहां पर ऐसी सड़क बनी हैं कि उन पर गाड़ियां भी चल सकती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय सदस्यों ने यह कहा कि क्रेस प्रोग्राम के तहत जो काम लिये गये थे उनमें से कई काम अधूरे पड़े हैं। यह भी सही है कि फेमिन में कुछ काम कराये गये थे उनमें से कुछ बाकी रह गये हो या अधूरे पड़े हों। डी. पी. ए. पी. स्कीम्स के अन्तर्गत जो काम शुरू कराये गए थे, वह काफी तो पूरे हो गए लेकिन उनमें भी स्कीम्स बन्द हो जाने के कारण आज अधूरे पड़े हैं। इसका मतलब

(श्री हीरालाल देवपुरा)

यह नहीं है कि राज्य सरकार इन कामों को करना नहीं चाहती है। इन सभी कामों को राज्य सरकार एक साथ पूरा नहीं करा सकती है उसका कारण है धनाभाव। राज्य सरकार इनको ज्यों ज्यों पैसा मिलता रहेगा प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए पूरा करा देगी जिससे कि जनता को उन कामों के पूरा होने का लाभ प्राप्त हो सके।

यहां पर, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि वहां पर पुराना काम पूरा नहीं होने से और बीच में ही काम बन्द हो जाने के कारण जहां जो बजरी पड़ी थी और वहां पर जो मिट्टी पड़ी हुई थी उसको निर्माण विभाग वाले उठा कर ले गये। तो वह लोग उठाकर कहीं अपने घर नहीं ले गये। वह तो चूंकि स्कीम ही समाप्त हो गयी थी और पास में ही कहीं काम चल रहा था तो वहां पर काम में ले ली गयी थी। उपाध्यक्ष महोदय, जब फेमिन ओपरेशन बन्द हो गया या डी. पी. ए. पी. के प्रोग्राम्स समाप्त हो गये तो वहां सामान थोड़ा बहुत पड़ा था उसको अगर काम में ले लिया तो कोई खराबी नहीं की। उसका उपयोग कर लिया है। वैसे आपको मालूम है कि जो भी काम किसी भी स्कीम्स के अन्तर्गत शुरू हुए वह स्कीम्स बन्द होने के बाद वापिस शुरू नहीं हुई। इसका कारण है राज्य सरकार की आर्थिक सीमितता। यह आर्थिक सीमितता ही ऐसी है जो विभाग को और मुझे आगे बढ़ने से रोकती है। फिर भी मै माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस बारे में सक्रिय है। जो मिट्टी बजरी वगैरह के उठाके ले जाने या बरबाद होने की बात है वह बरबाद नहीं हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें परिस्थितियों को देखकर चलना है लेकिन यह बात सही है अगर माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि सभी कामों को एक साथ हाथ में लेकर समाप्त कर दिया जाय तो यह नहीं हो सकता। उनको प्राथमिकता के आधार पर ही लिया जा सकता है। इसमें हमें देखना पड़ेगा कि कौनसा काम जरूरी है जिससे कि ज्यादा जनता को लाभ हो सकता है। उसको पहले लिया जायेगा। ऐसा ही कार्यक्रम हमने बनाया है। उपाध्यक्ष महोदय, जब वित्त मन्त्रीजी ने बजट पेश किया था उस वक्त उन्होंने यह कहा था कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए इस बार मैंने दो करोड़ रुपये अप्रोच रोड को पूरा करने के लिए रखे हैं। यह उन्होंने अलग से आउट राइट अप्रोच रोड्स के लिए ही रखा, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। तो यहां पर माननीय सदस्यों ने जो कहा है कि अप्रोच रोड की तरफ राज्य सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, तो इस बार हमें चूंकि अप्रोच रोड के लिए अलग से पैसा मिला है तो अब इस ओर राज्य सरकार कार्यवाही करेगी। यह पैसा हमें राजस्थान बनने के बाद पहली बार फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने आउट राइट अप्रोच रोड्स बनाने के लिए दिया है। इससे जो भी अप्रोच रोड्स पूरी होगी उनका जनता को काफी लाभ मिलेगा। इसके अलावा यहां पर जैसा कि बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि हमारे यहां पर मिनिमम नीड्स प्रोग्राम चल रहे थे उनको बन्द कर दिया गया इनमें भी काम अधूरे पड़े हैं उनको पूरा करायें। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने, यह दो करोड़ रुपया वित्त विभाग ने दिया है उससे बाड़मेर में जो प्रोग्राम चल रहे थे उनको

( श्री हीरालाल देवपुरा )

पूरा करा दिया जाय तो मेरा निवेदन है कि जैसा वह सोचते हैं वह बात नहीं है, उनका कहने का आधार गलत था। आपकी यह धारणा थी जितने भी 2500 जनसंख्या वाले गांव हैं उनको रोड्स से जोड़ दिया जावेगा। यह बात नहीं है। इसमें हमें पहले तय करना पड़ेगा कि कौन कौनसी रोड्स को प्राथमिकता इनके आधार पर मिलनी चाहिए। हमें पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अपने लक्ष्य निर्धारित करने हैं। इसके लिए राज्य सरकार को 20 करोड़ रुपये मिनिमम नीड्स प्रोग्राम्स के लिए प्लान के अन्दर प्रोवाइड किया है। प्लान खतम होने तक हमें इसके अनुसार कितना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिल सकेगा या नहीं मैं अभी नहीं कह सकता हूं। वैसे 20 करोड़ रुपये दिये थे। इसके लिए पहले तो हमने यह सोचा कि जो गांव 1500 की जनसंख्या वाले हैं उन्हें शहरों से मिला दिया जाय। पर जो पैसा मिला है उसके अनुसार वह हो नहीं सकता। इसके बाद में हमने उन गांवों की लिस्ट को जोड़ा जो कि 2000 जनसंख्या वाले थे उसका भी हिसाब नहीं बैठा। इसके बाद हमने 2500 जनसंख्या वाले गांवों को शहर से मिलाने की योजना बनायी। इसमें भी पहले उन रोड्स को लिया जायेगा जो कि शहरों के नीयरेस्ट 2500 की जनसंख्या वाले गांव हैं। पहले उन्हें कनेक्ट किया जायेगा। लेकिन वृद्धिचन्द्र जी ने जैसा यहां कहा तो उसके लिए मेरा निवेदन है कि 2500 की जनसंख्या वाले गांव बाड़मेर जिले में तो बहुत ही कम है। तो आपको उसमें बहुत ही कम पैसा मिलेगा और जैसलमेर में 2500 की जनसंख्या वाले गांव अधिक है शहरों के पास उनको अधिक पैसा मिलेगा। माननीय सदस्य वृद्धिचन्द्र जी के यहां बाड़मेर जिले में पर किलो मीटर लेन्थ के हिसाब से देखने की जरूरत है। लेकिन आपके यहां पैसे कम खर्च हो सकेंगे कम गांव शहरों से लिन्क हो सकेंगे। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के अन्तर्गत पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 20 करोड़ रुपया हमें मिला है। इसमें हमें टोटल लेन्थ ऑफ दी विलेज देखनी पड़ेगी कि 2500 वाली जनसंख्या के गांवों के लिए कितनी लेन्थ जरूरी होगी। उसके हिसाब से किया जायेगा। यहां पर लेन्थ के हिसाब से होगा, संख्या के हिसाब से वहां नहीं होगा। इसके अलावा मैंने एक प्रश्न के जवाब में स्थिति बतायी थी। एक माननीय सदस्य ने बताया कि 44 हजार की आबादी वाले गांव हैं। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के तहत कोटा डिविजन में जो गांव है उनको शहरों से मिला दिया जाय। तो उसमें निवेदन है कि हमने इस साल कुछ पैसा कोटा डिविजन में सड़कों के लिए रखा है वहां पर सड़के बनाई जायेगी। उनका कहना है कि मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के अन्तर्गत पैसा नहीं दिया तो वह तो जितनी लेन्थ बनेगी उस हिसाब से पैसा दिया जायेगा। लेकिन यहां पर मैं माननीय सदस्य को यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि गये साल भी हमने कोटा डिस्ट्रिक्ट को पैसा दिया और इस साल भी हमने उतना ही पैसा कोटा डिस्ट्रिक्ट को और, दे दिया है।

इसका मतलब यह नहीं है कि कोटा डिस्ट्रिक्ट की सड़कों की हिसाब से उपेक्षा की जा रही है। मैंने कई बार निवेदन किया, कोटा डिविजन की भौगोलिक दृष्टि से जो सॉइल है वह विशेष प्रकार की है और बहुत ज्यादा खर्च सड़कों को ठीक करने के लिये करना

( श्री हीरालाल देवपुरा )

पड़ता है। थोड़ी सी वर्षा होती है और पानी ऊपर आ जाता है और दो फीट भी खोदते हैं तो पानी ऊपर आ जाता है और जैसा माननीय सदस्य ने कहा पानी और डामर की दुश्मनी है। डामर में कुछ ऐसा अंश होता है जो पानी में घुल जाता है और उसके लूज होने पर जब ट्रेफिक उसके ऊपर आता है तो वह टूट जाती हैं। इस प्रकार हमें मेन्टीनेन्स के लिये काफी खर्च करना पड़ता है। 7 करोड़ 11 लाख राजस्थान के लिये खर्च करना पड़ता है और नार्म्स के हिसाब से हमको चाहिये 15 करोड़ रुपया। 15 करोड़ के बजाय हमको 7 करोड़ 11 लाख मिलते हैं और, उपाध्यक्ष महोदय, मेन्टीनेन्स भी केवल उन सड़कों की होगी जो आज सार्वजनिक निर्माण विभाग की लिस्ट में हैं। जो लिस्ट में नहीं है उनका पैसा नहीं मिल सकता है उनके लिए रुपया नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य तो सभी सड़कों की मेन्टीनेन्स की बात करते है। हो सकता है वह पी. डब्ल्यू. डी. की लिस्ट में है या नहीं और अगर लिस्ट में नहीं है तो पैसा नहीं मिल सकता है। अब 7 करोड़ 11 लाख में से कितना मेन्टीनेन्स मिल सकेगा ? उसमें भी कोटा डिविजन में मेन्टीनेन्स के लिए जो पैसा दिया वह कोटा में 42 लाख 50 हजार, बूंदी में 15 लाख, झालावाड़ में 29 लाख....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : और बाड़मेर के लिये ?

श्री हीरालाल देवपुरा: बाड़मेर के लिये 17 लाख। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह निवेदन किया कहीं पर भी यह दृष्टिकोण लेकर नहीं चला गया जिससे यह कहा जा सके कि मेन्टीनेन्स के लिए पूरा पैसा नहीं दिया। माननीय सदस्य कोटा से आने वाले, माननीय सदस्य बूंदी से आने वाले, माननीय सदस्य झालावाड़ से आने वाले हैं वे स्वयं जानते हैं इस वर्ष उनकी सड़कों की अपेक्षाकृत ज्यादा मेन्टीनेन्स हुई है। मैं नहीं कहता सारी की सारी हो गई लेकिन मैं वहां गया था और साल के प्रारम्भ में कहा था कि सड़कों को मेन्टेन करना है। जिस जगह गाड़ी नहीं जा सकती थी, आज वहां ट्रेफिक चालू है। खड्डे भी होंगे, मैं यह नहीं कहता और पूरी सड़कें मेन्टेन हो पाई हैं लेकिन जहां गाड़ियां नहीं जा सकती थी वहां तक गाड़ियां जाने लग गई हैं। अकाल सहायता मंत्री जी ने बताया जो फेमिन में पैसा दिया भरतपुर, नागौर, झालावाड़, बूंदी डिस्ट्रिक्टस में वह अलग से दिया गया है। जहां नदियों की वजह से नुकसान हुआ है, वहां पैसा दिया गया है। तो जो पैसा मैंने बताया है वह तो अपने विभाग का बताया है और फ्लड में जो दिया गया है, वह अलग दिया गया है। कोटा में फ्लड में 19 लाख रुपये दिये गये, बूंदी में फ्लड में 12 लाख दिये गये और झालावाड़ को फ्लड में 10 लाख रुपया दिया गया। यह दो करोड़ का डिस्ट्रिब्यूशन हुआ है और कोटा डिविजन कहीं पीछे नहीं रहता है। जो सबसे दुर्भाग्य की बात है वह वहां की सॉइल है और चंबल का पानी इतना ऊंचा है और तीसरे नहरें आ गई है उससे वाटर लॉगिंग हो गया है। कमाण्ड एरिया डवलपमेंट प्रोजेक्ट में जब वाटर की प्राब्लम सुधरेगी तो सड़कों की स्थिति सुधरेगी। कोटा, बूंदी सड़को की दृष्टि से भाग्यशाली है लेकिन इस कमाण्ड एरिया डवलपमेंट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत वहां के इम्पार्टेन्ट टाउन्स को जोड़ने का सवाल है। वे सड़कें भी हमने ली हैं और अलग से पैसा

( श्री हीरालाल देवपुरा )

मिला है उस डेटा को देखते हुए भी अब कोई प्रोब्लम आने वाली नहीं हैं।

माननीय सदस्य जो नैनवा से आते है वे केशोरायपाटन की सडक की बात कह रहे थे कि पहले खराब थीं लेकिन अब काफी अच्छी हालत है। अब उसमें वह स्थिति आने वाली नहीं है। तत्काल हम सड़क का निर्माण कार्य हाथ में लें और वह पूरी हो जायं, यह तो कोई सम्भव नहीं है। सड़कें बनाने में आखिर टाइम तो लगेगा ही। जब सड़कों पर काम शुरू हो गया है तो निश्चित रूप से मानिये सड़कें पूरी बनेंगी। कोटा और बूंदी भाग्यशाली इलाका है या फिर राजस्थान नहर का इलाका भाग्यशाली है।

उपाध्यक्ष महोदय, बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही। मुझे आश्चर्य है भारतीय जी जो अपने आपको एक प्रगतिशील मानते हैं और हम भी मानते है, समाजवादी विचारधारा के आदमी हैं उन्होंने कहा कि स्टेट के टाइम सड़कें अच्छी थीं....

(व्यवधान–अश्रव्य)

कोटा और बूंदी के बीच 22 मील की सड़क निश्चित रूप से सीमेन्ट की रोड थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय जी से पूछना चाहता हूं कोटा और बूंदी स्टेट के टाइम वहां कितनी गाड़ियां चलती थीं ? केवल राजा–महाराजाओं की गाड़ियां चलती थीं, दूसरी गाड़ियां नहीं चलती थीं और उस वक्त गाड़ियां थी भी नहीं तो क्यों नहीं वह सड़क मेन्टेन रहेगी ? और आज उस सड़क पर 22 टन के कितने ट्रक रोज निकलते हैं ? आज उस सड़क का क्या मेन्टीनेन्स कर सकते हैं जो उस वजन को सह सकती हैं ? वह सीमेंट की जरूर नहीं है टार रोड बनाई हैं। आज मैं समझता हूं दिन में 300-400 ट्रक रोज पास हो रहे हैं और फिर भी वह सड़क बर्दाश्त करके चल रही है तो आप अन्दाजा लगाइये कौनसी सड़क अच्छी थी–उस वक्त की या अब की....

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : अब तो नई टेक्नोलोजी आनी चाहिए।

श्री हीरालाल देवपुरा : आज आप उन सड़कों से कम्पेयर मत कीजिये। वे उस वक्त के ट्रेफिक के हिसाब से बनी हुई थीं लेकिन आज जब ट्रेफिक बढ़ गया और आने वाले समय में और बढ़ेगा तो हमको और भी अधिक सोचना पड़ेगा कि सड़कें काफी अच्छी बननी चाहिये। पुरानी सड़कों को एकदम नई नहीं बना सकते हैं जैसे जैसे जरूरत पड़ती है–जयपुर से कोटा तक सड़क की क्या स्थिति है वह माननीय सदस्यों से छिपी हुई नहीं हैं, जयपुर से रवाना होंगे तो सांगानेर के पास और निवाई तक सड़क खराब मिलेगी। लेकिन निवाई से आगे बहुत सुधार मिलेगा। जो स्थिति वर्षा में हो गई थी, वह अब नहीं रही है। काफी तब्दीली हो गई है।

सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बर से पाली होकर आबू रोड जाने वाली सड़क के बारे में बताया कि बहुत खराब है। नेशनल हाई वे की बात मैं नहीं कहता– बहुत खराब सड़क है। मैं नहीं कहता, उपाध्यक्ष महोदय, सड़क अच्छी हैं लेकिन वर्षा के बाद उसमें कितना परिवर्तन हुआ है, मेहरबानी करके आप उस बात को भी

( श्री हीरालाल देवपुरा )

कह देते तो मैं समझता हूं आपकी बात ज्यादा वजनदार होती। दोनों तरफ की बात कहते तो ज्यादा उपयुक्त होगा। आज जो सिंगल लाइन रोड है, बर से सिरोही तक, इस सड़क को 60 मील तक वाइडन किया है मिट्टी के साथ, डामर के साथ और उसके पेचेज थे वे निकाले। आप कहते हैं पुल नहीं है। बांडी नदी पर ब्रिज नहीं बन पाया। प्लान में दिया भी नहीं है। यह बात सही है। उस सड़क पर जितनी दूसरी पुलिया बनी हैं वे राजस्थान बनने के बाद बनी हैं पहले नहीं। यदि आप दोनों तरफ की बात कहते तो वजनदार होती। गलतियां काम में हैं। काम में कमियां हैं। लेकिन जो कुछ किया है वह तो हिसाब से कहिये। यह तो ठीक ऐसी बात हुई, उपाध्यक्ष महोदय, एक ग्लास में आधा भरा हुआ है पानी। एक व्यक्ति आधा खाली कहता है और एक व्यक्ति आधा भरा हुआ कहता है। दोनों हा सही है। जो आधा भरा हुआ कहता है उसमें क्षमता है उसको पूरा करेगा और जो आधा खाली कहता है वह खाली ही देखेगा। जो कुछ काम करते हैं उसको भी आपको देखना चाहिये। यही कहते चले जाओ कि यह नहीं हुआ वह भी नहीं हुआ। काफी काम करना बाकी है। हमने यह कब कह दिया कि कुछ नहीं करना बाकी है और सब कुछ कर दिया है। बहुत करना है। सब को मिल कर करना होगा तब ही हो सकता है। मैं आपको कह देता हूं और आप मुझे कह देते हैं। आप कहते हैं मुझे पसन्द नहीं और मैं कहता हूं आपको पसन्द नहीं। इससे काम नहीं चल सकता। आप कान्क्रीट सुझाव दीजिये जो माने जा सकें और जिन पर काम किया जा सके तो निश्चित रूप से मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उन सुझावों का स्वागत करूंगा और इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करूंगा। किसी प्रकार की कमी नहीं देखेंगे।

राजस्थान का विकास मेरे अकेले का नहीं है। इस सदन में बैठने वाले सब ही माननीय सदस्यों का योगदान है। जिन क्षेत्रों से भी आप चुन कर आये हैं वहां के कामों के लिये बराबर सहयोग की आवश्यकता है। ठीक है, एक साथी इधर बैठे हैं और एक साथी पास में बैठे हैं लेकिन जिम्मेदारी सब की है। सादुलपुर से आने वाले माननीय सदस्य हमेशा कहते हैं कि मैं सादुलपुर से चुन कर आया और सी. पी. एम. से चुन कर आया इसलिये वहां कोई विकास का काम नहीं होता है। लेकिन इसके विपरीत हमारा यह मानना है कि हम वहां से सी. पी. एम. को तब ही रूट आउट कर सकेंगे जब कि हम वहां पर विकास का काम करेंगे। हम नहीं चाहते कि आपकी जड़ें जमें।

श्री मोहरसिंह : आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : विकास करने की जिम्मेदारी हमारी है आपको चिन्ता नहीं करनी चाहिये। उस क्षेत्र का भी दूसरे क्षेत्रों के साथ विकास किया जावेगा आप तो अब आये हैं। रामसिंहजी हमारे ही थे। सी. पी. एम. को हमको वहां जमाना नहीं है। हमको तो उसको उठाना है।

श्री मोहरसिंह : यह तो समय ही बतायेगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप

(श्री हीरालाल देवपुरा)

उस क्षेत्र के सदस्य हैं इसको हमें कहीं कोई मिला नहीं है और कोई वजन नहीं है। हम दूसरे क्षेत्र के हिसाब से इसको भी एक विकसित क्षेत्र देखना चाहते हैं।

श्री मोहरसिंह : कहना चाहते हैं, करना नहीं चाहते हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : बिजली भी लावेंगे। सड़कें भी होंगी, नहर भी लावेंगे। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कई बातें जनरल वे में माननीय सदस्यों के सामने रखीं कुछ बहुत सी बातें माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की कहीं। मुझे कहना तो नहीं चाहिये। भारतीय जी ने एक बात यह कह दी, माननीय सदस्य जो बूंदी से आये हैं उन्होंने एक बात कह दी, बूंदी में 25 वर्ष में एक इंच भी सड़क नहीं बनी। जोश में कह दिया हो।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : 25 मील।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि सन् 1950 में 73 किलोमीटर डामर की सड़क थी। सन् 1975 में 351 किलोमीटर डामर की सड़क है। वहां केवल 73 किलो मीटर और कहां 351 किलो मीटर। इसलिये आप यह कह दें कि सड़क नहीं बनी, मैं तो नहीं कह सकता। मुझे तो जहां पर जितना काम हुआ है वहां पर उतना बताना पड़ेगा। नहीं हुआ है तो उसको स्वीकार भी करना होगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : स्टेट के समय में गाड़ियां नहीं थीं। गाड़ियों की व्यवस्था कर दें।

श्री हीरालाल देवपुरा : एक बात यहां पर कही कि हमें सड़कों के लिए जो पैसा मिला उसका प्रोपर डिस्ट्रिब्यूशन कर काम में नहीं ले रहे हैं। किस जगह प्राथमिकता देनी चाहिए और कहां नहीं। रेल्वे ओवर हैड ब्रिजेज का भी उल्लेख किया। गाड़ी आती है तब फाटक बन्द रहता है। उस पैसे को राजस्थान की दूसरी सड़कों पर खर्च किया जाना चाहिये। सम्भवतः माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी नहीं है कि रेल्वे ओवर ब्रिज पर जो पैसा लगता है वह हमारे स्टेट प्लान का पैसा नहीं है। रेल्वे डिपार्टमेंट का पैसा है। रेल्वे डिपार्टमेंट फन्ड से उस पैसे को उसी काम में खर्च कर सकते हैं दूसरे काम के लिये नहीं। सवाई माधोपुर का रेल्वे ओवर हैड ब्रिज पूरा हो चुका है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि अधूरा है। अधूरा नहीं है। गंगानगर में ओवर हैड ब्रिज, जोधपुर में ओवर हैड ब्रिज बन रहे हैं। जहां तक स्टेट की जिम्मेदारी है उस काम को पूरा कर चुके हैं। जोधपुर और गंगानगर का मेन ब्रिज का जो काम है वह रेल्वे स्वयं करती है। रेल्वे को करना है और वह कर रही है। हमारा उस पर अब कन्ट्रोल नहीं है। फिर भी सार्वजनिक निर्माण विभाग बराबर प्रयत्नशील है कि जल्दी से जल्दी पूरे हों। भीलवाड़ा का ओवर हैड ब्रिज का मामला था वह अपना था। उसकी भी प्राब्लम सोल्व कर दी है। इसी तरह से हमारे दूसरे रेल्वे ब्रिज हैं बीकानेर, कोटा और अलवर। अलवर के रेल्वे ओवर हैड ब्रिज के लिए बात चीत चल रही है और कोटा के लिए भी बातचीत चल रही है। बीकानेर रेल्वे ओवर हैड ब्रिज के लिये माननीय सदस्य ने यहां प्रश्न भी पूछा था सदन में। बीकानेर

(श्री हीरालाल देवपुरा)

में रेल्वे क्रोसिंग शहर के बिलकुल बीच में है जहां मण्डी आ गयी है। ऐसी जगह पर जहां ओवर हैड ब्रिज बनाते है तो काफी लोगों को डिस्टर्ब करना पड़ता है। काफी खर्च करना पड़ता है। हमने एक आल्टरनेटिव रखा है कि उसी खर्चे में बीकानेर का रेल्वे स्टेशन कहीं और बना कर इसको हल कर दें तो शहर को सुविधा होगी और ओवर हैड ब्रिज भी नहीं बनाना पड़ेगा। रेल्वे अथोरिटीज को कहा। बहुत हद तक सहमत हुए हैं और वह बात फाइनल होते ही बाहर निकाल करके नया स्टेशन बना कर देंगे। हमारा मतलब पूरा हो जावेगा। इसलिए ओवर हैड ब्रिज का पुराना काम था वह रुका हुआ है। माननीय सदस्य ने भी इस बारे में कई बार कहा और इसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा कि यह ओवर हैड ब्रिज बनाना चाहिए और उसे हम बनायेंगे। उसमें डिले हुई परन्तु जो नई परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए हम समझते हैं कि उनको बनाने की जरूरत भी नहीं रहेगी। कोटा और अलवर के बारे में बात रेल्वे मंत्रालय के साथ चल रही है और मुझे विश्वास है कि उसमें भी हमें जल्दी ही सफलता मिलेगी और हम रेल्वे ओवर हैड ब्रिज को बनाने में जल्दी ही सफल हो सकेंगे।

इसी तरह से लूनी ब्रिज की बात कही गई थी। तो माननीय सदस्य को स्वयं को जानकारी है कि इसका हमने अगले वर्ष में प्रावधान किया हुआ है और वह ब्रिज बनाने के सम्बन्ध में भी माननीय सदस्य की जानकारी में है कि किस महनत के साथ बनाया लेकिन कुछ दुर्भाग्य रहा कि लूनी में इतना पानी आया कि जिसकी वजह से वह ब्रिज टूट गया और उसकी इन्क्वायरी भी हुई ...

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : मेन ब्रिज तो नहीं टूटा।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : हां मेन ब्रिज तो नहीं टूटा लेकिन उसकी साइड्स निकल गयीं। तो अब इस तरह से उसको करना है। मिनिस्ट्री आफ ट्रान्सपोर्ट के साथ हमारे इन्जीनियर्स ने बैठकर इसको फाइनल शेप दे दिया है। माननीय सदस्य ने कहा कि प्रावधान कुछ कम कर दिया तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितना पैसा नेशनल हाइवे के लिए मिलता है वह हमारे अपने प्लान से बाहर सीधे भारत सरकार से मिलता है और इस बार जो इन्डीकेशन मिला उसके हिसाब से जितना पैसा मिल सकता था, उतना पैसा रखा है। हमारी हार्दिक इच्छा यह है कि जितना जल्दी इस पर से ट्रेफिक पास हो सके इसके पूरा हो जाने के बाद उतना ही अच्छा है।

चम्बल का ब्रिज धौलपुर के पास है उसका काम चल रहा है और माही के ऊपर एक ब्रिज अण्डर कन्स्ट्रक्शन है जो चल रहा है और मैं समझता हूं कि इस वर्षा के पहले उससे ट्रेफिक पास हो जायेगा। माही के ऊपर दूसरा ब्रिज जो कि गुजरात और राजस्थान के सहयोग से बन रहा है उसका प्लान भी फाइनल हो चुका है और उसको भी अगले वर्ष में फाइनल करने वाले हैं। इसी तरह से बनास नदी के ऊपर ब्रिज बनने वाला है गुजरात और राजस्थान के बीच में उसकी भी मंजूरी दे रहे हैं और उसका काम भी बहुत जल्दी ही प्रारम्भ करने वाले हैं।

**श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय** : चम्बल का कोटा का ?

श्री हीरालाल देवपुरा : कोटा में चम्बल पर ब्रिज की बात कही। बूंदी और कोटा के बीच में चम्बल पर जिस ब्रिज की बात कही जा रही है और जिसको गये फ्लड के वक्त में भी नुकसान हुआ था उसकी रिपेयर करके चालू किया। जिस जगह यह बना हुआ है वह साइट ब्रिज बनाने के लिए उपयुक्त साइट नहीं है क्योंकि कोटा साइड में, बिलकुल नदी के करीब टाउनशिप आ गया है और मकान बने हुए हैं, वहां कोई भी चट्टान नहीं और केवल मिट्टी ही मिट्टी है। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा है कि और एक्सपेरीमेंट करके क्या हमें इसका ट्रीटमेंट करना है जिसकी वजह से कि वहां पर ब्रिज बना सके, ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन मुझे वह भी कुछ लगता नहीं क्योंकि टाउनशिप बिलकुल पास में आगया। अभी हम उसी को काम में ले रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली वहां ब्रिज बनाने के लिए प्रावधान हो सके और आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो सके इस दृष्टि से कोटा बेराज के ऊपर जहां चम्बल उद्यान बना है उससे भी ऊपर चम्बल के ऊपर ब्रिज बनाना पड़ेगा तभी जो दिक्कत है वह मिट सकेगी। तब तक इसी ब्रिज को मेन्टेन करके चलना चाहते हैं जिससे कि ट्रैफिक बराबर चलता रहे लेकिन जब भी कोई खतरा हुआ तो बेराज के ऊपर भी ट्रैफिक पास किया जा सके।

श्री शंकरलाल : भारतीयजी तो खुद ही चट्टान है।

श्री हीरालाल देवपुरा : कई छोटे मोटे ब्रिजेज और पुलियाओं की बात यहां पर कही गयी तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह स्पष्ट निवेदन किया कि जितने हमारे पास फण्ड्स हैं उसी आधार पर इन ब्रिजेज और पुलिया आदि का काम हो सकता है। अभी हमारे पास जैसा मैंने बताया कि 314 फेमिन रिलिफ के काम हैं जो कि अधूरे हैं। जो एक लेवल तक आ गये हैं और पूरी हाइट तक आ गये हैं और केवल स्लेब्स डालने हैं। हम पहले उनको पूरा कराना चाहेंगे ताकि कम से कम जो पिलर्स खड़े हैं उनके ऊपर स्लेब्स डाल दें तो वह पूरे हो जायें। हम नये कामों को फण्ड्स के अभाव में हाथ में लेकर अधूरे नहीं छोड़ना चाहते हैं क्योंकि और उनको हाथ में लिया तो वह पूरे नहीं हो पायेंगे और पैसे का यूटीलाइजेशन भी पूरा नहीं होगा। कई इम्पार्टेंट पुलियायें है जिनको बनाना है और कई छोटी मोटी सड़कें हैं जिनको पूरा कराना है। कहीं चार किलो मीटर का टुकड़ा है तो कहीं पांच किलो मीटर का टुकड़ा है। कहीं सौ किलो मीटर बन गयी और केवल 10 किलो मीटर का ही टुकड़ा बाकी है। इन सबको प्रायोरिटी के आधार पर प्लान किया है और उसी आधार पर हम उनको पूरा करना चाहते हैं। कई बातें मुमकिन हैं, रह गयी हों, बाकी सबका मैंने उपाध्यक्ष महोदय, जवाब दे दिया है। तो जो मुख्य मुख्य बातें रह गयी हैं उनका मैं लिखित में जवाब माननीय सदस्यों के पास पहुंचा दूंगा लेकिन जो मूल बात कहनी थीं वह मैंने सदन के सामने कहीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात भ्रष्टाचार के संबंध में इसी विभाग के लिए कही गयी। इस विभाग के लिए और इन्जीनियरिंग के किसी भी विभाग के लिए आम तौर पर जब कभी भी चर्चा आती है तो भ्रष्टाचार की बात साथ में जुड़ती है और इसके बारे में अवश्य चर्चा की जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, कौन भ्रष्टाचार को

( श्री हीरालाल देवपुरा )

पसन्द करेगा ? कोई पसन्द नहीं करेगा । न इधर बैठने वाले माननीय सदस्य पसन्द करेंगे और न उधर बैठने वाले माननीय सदस्य पसन्द करेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, जब भी यह भ्रष्टाचार के संबंध में प्रश्न आया तो मैंने निवेदन किया था कि जब कोई स्पेसिफिक केस आप मेरे सामने रखेंगे तो निश्चितरूप से उस पर कार्यवाही करूंगा । एक जनरल वे में भ्रष्टाचार की बात कहने से कार्यवाही नहीं हो पायेगी ।

ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें कहीं और एक एक्जाम्पल भी दी । मुझे जो सूचना मिली I may be corrected उसमें ऐसी बात है तो दुबारा जांच कर लूंगा । जो शिकायत आपने ब्लास्टिंग के होल्स की की उसके बारे में बताया गया कि आपकी और उस क्षेत्र के मेम्बर पार्लियामेन्ट श्री भार्गव साहब की बात की जांच की गयी और उस किस्म की इर्रेगुलेरिटी नहीं पाई गयी जिसके लिए यह कहा गया कि आपने भी इसको स्वीकार किया है और दोनों ने साइन किये हैं कि हम सेटिस्फाइड हैं कि कोई गलती नहीं है । तब जाकर उस केस को क्लोज किया । फिर आपको सन्तोष नहीं है तो आप मुझे जो फैक्ट्स आपके पास हैं वह और दे दीजिए मैं निश्चितरूप से जांच करवाऊंगा और कार्यवाही करूंगा । मैं नहीं चाहता कि किसी को गलत तरीके से पेमेन्ट हो या गलत तरीके से लोग पैसा कमा लें या सरकार को नुकसान पहुंचाएं ।

**श्री केसरीमल** : सड़क की नपाई, सीमेन्ट आदि की अलग से चिट्ठी लिखी है और सब में भ्रष्टाचार है ।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : जांच में आप भी थे और मेम्बर पार्लियामेन्ट भी थे । आपने सन्तोष व्यक्त किया । इसमें गलती हो तो बता दें मैं निश्चितरूप से जांच करवा लूंगा । इसमें तथ्य हों तो आप बता दें । आपने लिखा है उसके बारे में आगे कार्यवाही कर लूंगा । वह मैं देख लूंगा ।

इस विभाग ने, उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार की दृष्टि से कई सख्त कदम उठाये हैं । कई लोग सस्पेन्डेड हैं और कई लोगों के खिलाफ इन्क्वायरीज चल रही हैं । यहां नहीं अभी सफाई करने का मामला था उसमें मैंने ए. इ. एन. से लेकर, एस. इ. जो कि काफी सीनियर आदमी होता है, उससे लेकर नीचे तक के व्यक्तियों को सर्विस से निकाला है और उनको कम्पलसरी रिटायरमेन्ट दिया है । यह चीज बताती है कि हम ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहते हैं विभाग के अन्दर जो लोग भ्रष्ट हैं, गलत तरीके अपनाते हैं या विभाग का काम नहीं करते । वैसे ही फालतू बैठे तनख्वाह लेना चाहते हैं । ऐसे लोगों को विभाग कभी नहीं चाहता कि इनसे हमारे विभाग की कोई बदनामी हो । उपाध्यक्ष महोदय, अधीक्षण अभियन्ता 3, अधिशासी अभियन्ता 1 और सहायक अभियन्ता 5 हमने इसके अन्दर निकाले हैं । इसके अलावा कुछ लोगों के खिलाफ केसेज चल रहे हैं जिनमें 43 अधिकारी इन्वोल्व्ड हैं ।

दूसरी बात है कि इकानोमी की दृष्टि से हमने कुछ कदम उठाए हैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह नेचुरल है कि बजट में इस विभाग का पैसा कम हो तो वह नीचे आएगा । इसके लिए फण्ड कम अवेलेबल होंगे । आज जितना स्टाफ है उतनी आव

( श्री हीरालाल देवपुरा )

श्यकता नहीं है। उस सम्बन्ध में पोस्टें कम की हैं। सीनियर पोस्टें कम की हैं और नीचे की पोस्टें भी कम की हैं और इस तरह से करीब 14–15 लख रुपये की कटौती के प्रस्ताव हमने दिये हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : एस.इ. की पोस्ट ही अबॉलिश क्यों नहीं कर देते? क्या बुराई है इसमें वह डाक ही तो इधर उधर बांटते हैं।

श्री केशरीमल : यह सिर्फ कागजों पर चिन्दी लगाते हैं और कोई काम नहीं है।

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, काम तो असल में मेसिन करता है जो बिल्डिग खड़ी करता है। बाकी तो ए.इ.-एन. की भी क्या जरूरत है। काम तो मजदूर करता है जो चुनाई करता है। जो भी ए. इ. एन., एक्स इ. एन. हैं हर व्यक्ति की अपनी जरूरत है। एस. इ. की जगह पर एस. इ. हैं, चीफ इन्जिनियर की जगह चीफ इन्जिनियर हैं। एक्जीक्यूटिव की जगह एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आवश्यकता हो बना रखी है। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर तो आपको मदद करता है, जिम्मेदारी उसी की होती है बाकी तो क्या हैं?

श्री हीरालाल देवपुरा : आप री-आर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट की बात करते हैं वह कभी आपसे बात कर लेंगे और आपके सहयोग से डिपार्टमेंट में सुधार कर लेंगे। आपकी एडवाइज से एस.इ. की पोस्ट अबालिश करनी होगी तो वह भी करेंगे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि विभाग इस बारे में जागरूक है, राज्य सरकार जागरूक है और जहां अनावश्यक खर्चा कम किया जा सकता था वह किया है। जहां पर गलत आदमी बैठे हुए थे, उन गलत आदमियों को निकाले जाने की कार्यवाही भी की है और इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है हम भ्रष्टाचार को रूट आउट करना चाहते हैं और हम सब मिल कर ही इसको आप सब के सहयोग से रूट आउट कर सकेंगे। आप कोई स्पेसिफिक केस बता दीजिए उस पर निश्चित-रूप से कार्यवाही की जावेगी।

श्री केशरीमल : यह 33 एल. डी. सी. के बारे में भी बता दें।

श्री हीरालाल देवपुरा : हां यह भी एक बात थी। मेरी जो इन्फार्मेशन है उसके अनुसार एल. डी. सी. जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के है उनको हमने नहीं निकाला है और जो पोस्टें कम हुई हैं उनकी पोस्टें सरप्लस डिक्लेयर की हैं और जो जूनियर मोस्ट थे, जो नियमों के अनुसार सर्विस रूल्स के मुताबिक पर्मानेंट नहीं हो सकते थे जिनको निकालने के सिवाय कोई चारा नहीं था उनको निकाला है। आपका सुझाव है कि राज्य सरकार के दूसरे विभागों में नई भर्ती में क्यों नहीं खपाया जाता है। यह बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, सर्विसेज में उन्हीं लोगों को सरप्लस डिक्लेयर करके दूसरे विभागों में भेजा जाता है उसके लिए पहले से ही रूल्स हैं कि किन लोगों को सरप्लस किया जा सकता है और हर व्यक्ति को सरप्लस नहीं

(श्री हीरालाल देवपुरा)

किया जा सकता है। जो टेम्प्रेरी हैं जो व्यक्ति डेट के बाद सर्विस में आए हुए हैं उन व्यक्तियों को सरप्लस डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है, उन व्यक्तियों को निकालना ही होगा। दूसरे डिपार्टमेंट ले सकते हैं जहां पर उनको काल किया गया है। उनकी जो पुरानी सर्विसेज हैं, उनका जो एक्सपीरियन्स हैं उसको आधार माना जाय और उनको लेने में प्राथमिकता दी जा सकती है। इसके लिए आज भी रूल्स हैं लेकिन वे सीधी भर्ती में ही जा सकते हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग उनको वहां पर भेज दे, दूसरे विभाग में और उनको ही लेना पड़े, यह नहीं किया जा सकता है। मैंने जैसा आपसे निवेदन किया कि जो 1-12-74 के बाद जिनका अपोइन्टमेंट हुआ है उनको सरप्लस डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है, वे टेम्प्रेरी माने जाते हैं।

श्री केशरीमल : यह तो 73 के पहले के टाइम के हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : ऐसे केस हों तो देख लेंगे।

श्री केशरीमल : यह गवर्नमेंट का आर्डर है।

श्री हीरालाल देवपुरा: We will examine it. अगर हो सकते हैं तो हम देख लेंगे We will examine it.

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि डिपार्टमेंट के अन्दर कई लोग ऐसे हैं जो टेम्प्रेरी आधार पर चल रहे थे, वर्क चार्ज के आधार पर चल रहे थे, जिनके दस वर्ष पूरे हो गए उनके लिए 9180 पोस्टें परमानेंट क्रियेट करवाई गई हैं और उन लोगों को परमानेंट रूप में वर्क चार्ज से राज्य कर्मचारी की हैसियत में एब्जोर्ब किया है, लोर वर्क चार्ज में चल रहे थे जिनको परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेन्ट की फैसेलिटीज नहीं मिल रही थीं उनके लिए 9180 पोस्टें हमने परमानेंटली क्रियेट करवाई और उनको एब्जार्ब करने की बात की है। जहां हम बेकार लोगों को निकालें वहां लोगों को जमाना भी चाहते हैं। जिनकी सर्विसेज काफी हो गई उनको परमानेंट करना चाहिये ताकि उनके मन में विश्वास पैदा हो और विश्वास के साथ सरकार का काम करें। वे अपने आपको सिक्योर समझें और उनके मन में सिक्योरिटी की भावना आनी चाहिये और जैसा मैंने कहा कि उनके लिए 9180 परमानेंट पोस्ट्स क्रियेट करवाई गई हैं, यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक डिपार्टमेंट पूरा का पूरा इन्स्टीट्यूट हो जाता है वहां हजारों की तादाद में इतने लोगों को परमानेंट किया है....

श्री केशरीमल : इसके लिए तो धन्यवाद है।

श्री हीरालाल देवपुरा : तो जितनी मोटी मोटी बातें थीं—....

श्री श्रीराम गोटेवाला : अकाल राहत वाली बात रह गई खण्डेला ब्रिज की।

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने खण्डेला के प्रोटेक्शन डेम की बात की और मैं समझता हूं कि मैंने पहले भी निवेदन किया था और माननीय सदस्य स्वयं भी जानते हैं कि उसके बाद काम भी किया है। ऐसी बात नहीं है कि नजरअन्दाज कर दिया है। जो भी कार्य

( श्री हीरालाल देवपुरा )

है, यह सही है कि वालियण्टर एजेन्सी भी आगे आई हैं। जो कुछ काम बाकी है वालियण्टर एजेन्सीज और हमारे बीच में बातचीत चल रही है, कितना पैसा मिलता है उनकी तरफ से और कितना सिचाई विभाग की तरफ से किया जा सकता है, दोनों को मिला कर इस काम को पूरा कराने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में मुख्य मन्त्री जी ने भी कहा है, मैंने भी कहा है और भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी ने भी इस काम के लिए कहा है कि इसको बनाना है और खण्डेला डेम को बनायेंगे। माननीय सदस्य जानते हैं कि इस बार की बाढ़ में गांवों में पानी कम आया है। इस काम को पूरा करेंगे यह आप विश्वास लेकर चलिए। . . .

**श्री केशरीमल :** यह तो स्पष्ट कर दें जो एम. एल. एज. के ठहरने की बात है।

**श्री हीरालाल देवपुरा :** हां, दो तीन बातें बहुत जरूरी थीं जिनके बारे में हमें कहना है। हालांकि दो बातों से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। यह जी. ए. डी. से संबंधित है, सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित नहीं है। माननीय सदस्यों के मन में यह बात है कि चूंकि सार्वजनिक निर्माण विभाग कन्स्ट्रक्शन्स का काम करता है इसलिए जितनी बिल्डिंग्स बनती हैं वह प्रोपर्टी इस विभाग की प्रोपर्टी है। यह विभाग तो केवल एक वर्किंग एजेन्सी है जो केवल कन्स्ट्रक्शन करके देती है। यह बिल्डिंग सम्बन्धित विभाग की बिल्डिंग होती है और उस बिल्डिंग का बजट प्रोविजन सम्बन्धित विभाग का होता है। वह बजट प्रोविजन पी.डब्ल्यू.डी. को ट्रांसफर होता है और कन्स्ट्रक्शन करने के बाद भी पी.डब्ल्यू. डी. उसमें से कन्स्ट्रक्शन का खर्चा काट कर देती है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** जी. ए. डी. के मन्त्री जी बैठे हैं।

**श्री श्रीराम गोटेवाला :** आप टालो मत।

**श्री हीरालाल देवपुरा :** टालने की बात नहीं है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि जहां तक इन बिल्डिंगों के संधारण का, मेंटीनेन्स का प्रश्न है, जो एस. डी. ओ. हैड क्वार्टर्स की बिल्डिंग्स हैं, जो सब डिविजनल हैड क्वार्टर्स की बिल्डिंग है, जो डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स की बिल्डिंग्स हैं, चाहे डिविजनल हैड क्वार्टर्स हों या स्टेट हैड क्वार्टर्स की बिल्डिंग्स हों वहां पर बिल्डिंग्स होती हैं उनके मेंटीनेन्स की, संधारण की जिम्मेदारी पी डब्ल्यू.डी. की है और उनको पी.डब्ल्यू.डी. देखती है। उसके नीचे की जितनी बिल्डिंग्स हैं तहसील लेवल पर, सब तहसील लेवल पर, पुलिस थाने हैं, सैकेंड्री हायर सैकेंड्री स्कूल्स हैं, जो एस. डी. ओ. हैड क्वार्टर से नीचे की बिल्डिंग्स हैं उनके संधारण, मेंटीनेन्स की जिम्मेदारी पी. डब्ल्यू. डी. के हाथ में नहीं है। उनका संधारण सम्बन्धित विभाग ही करता है। तो माननीय सदस्य जो यह समझते है कि सारी बिल्डिंग्स की जिम्मेदारी पी. डब्ल्यू. डी. की है यह बात नहीं है। एस.डी.ओ. के हैड क्वार्टर से ऊपर की जो बिल्डिंग हैं उनका मेंटीनेन्स पी.डब्ल्यू.डी. करता है और उसका पी. डब्ल्यू. डी. को पैसा मिलता है रेगुलर मेंटीनेन्स के लिए। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि दानदाताओं ने बिल्डिंगें बना दीं और पी-डब्ल्यू.डी. उनको नहीं लेती है। जैसा मैंने निवेदन किया कि जो बिल्डिंग बनती हैं वह सम्बन्धित विभाग की ही बनती है और जिम

(श्री हीरालाल देवपुरा)

विभाग के लिए वह बिल्डिंग बनी है उसी विभाग को लेनी है। अगर स्कूल के लिए भवन बना है तो शिक्षा विभाग उसको लेगा, अगर आयुर्वेद औषधालय के लिए बिल्डिंग बनी है तो आयुर्वेद विभाग उसको लेगा, सम्बन्धित विभाग ही टेक ओवर करेगा। जिस काम के लिए बिल्डिंग बनी है उसके सम्बन्धित विभाग को ही लेना है, पी. डब्ल्यू. डी. उसको लेती नहीं है। अगर एस. डी. ओ. हैड क्वार्टर से नीचे के लेवल पर कोई बिल्डिंग बनेगी तो उसको पी. डब्ल्यू. डी. स्वीकार नहीं करेगी। तो कंसर्निंग विभाग स्वीकार करने के बाद ट्रांसफर करेगा मेंटीनेंस के लिए पी. डब्ल्यू डी. को और तब पी. डब्ल्यू. डी. मेंटीनेंस प्रारम्भ करेगी। तब तक पी. डब्ल्यू डी. पिक्चर में नहीं आती है। तो माननीय सदस्यों के स्पष्टीकरण के लिए एक बात अर्ज कर दी। अब माननीय सदस्यों ने यहां पर जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं उनके अपने कुछ प्रिविलेजेज के बारे में बात कही डाक बंगलों, सर्किट हाउसेज के बारे में, जो राज्य कर्मचारियों को ब्यूरोक्रेट कहा जाता है, उनसे भी नीचे आंका जाता है, उनके मुकाबले सहूलियतें नहीं दी जाती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक राजस्थान के रेस्टहाउस, डाक बंगलों का सवाल है, माननीय सदस्यों को पूरी सहूलियतें दी हुई हैं सिवाय जयपुर और माउन्ट आबू के सर्किट हाउस के।

**एक माननीय सदस्य** : दिल्ली का भी है।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : मैं राजस्थान की बात कह रहा हूं। राजस्थान के दो सर्किट हाउसेज में सहूलियतें नहीं दी गई हैं। एक समय में वे दो दिन इकट्ठे वहां पर ठहर सकते हैं। कुल मिलाकर महीने में चार दिन वहां पर ठहर सकते हैं। इस प्रकार माननीय सदस्य सर्किट हाउस में ठहर सकते हैं और उनको वही फेसिलिटीज मिलेंगी जो मंत्रियों को मिलती हैं, सरकारी अधिकारियों को मिलती हैं। उन्हें पूरी सहूलियतें दी जाती हैं बशर्ते कि डाक बंगला खाली हो। सदन के माननीय सदस्यों के ऊपर प्रायोरिटी किसी को नहीं दी जाती है। डाक बंगला खाली है तो माननीय सदस्यों को पहले प्रायोरिटी दी जायेगी और उन से खाली नहीं करवाया जाये, यह स्पष्ट आदेश है। परन्तु वहां पर कोई सरकारी अधिकारी पहले से ही सरकारी ड्यूटी से ठहरा हुआ है, यह ह्यूमेनेटेरियन आधार पर भी है, आप भी नहीं चाहेंगे कि वह खाली करके चला जाये। अब सवाल आता है दिल्ली के सर्किट हाउस और डाक बंगलों का जयपुर और माउन्ट आबू की तरह दिल्ली में सहूलियतें नहीं दी गई। वैसे यह मामला जी. ए. डी से संबंधित है और मुख्य मंत्री महोदय ही इसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं। वैसे दिल्ली में एकोमोडेशन कम है। वैसे भी दिल्ली में सब तरह के आफिसर्स को वहां पर ठहरने की छूट नहीं है। राजस्थान हाउस में सब नहीं ठहर सकते हैं। वहां पर लिमिट है कि इस लेवल तक के ऑफिसर ही वहां पर ठहर सकते हैं। इस विषय में विस्तार से नहीं जाना चाहता क्योंकि यह जी. ए. डी. से संबंधित है और मुख्य मंत्री महोदय के पास यह डिपार्टमेन्ट है। इसकी डिमान्ड निकल चुकी है। फिर भी किसी भी और रूप में आप चाहें तो इसको सदन में पूछने का आपको अधिकार है।

( श्री हीरालाल देवपुरा )

जी. ए. डी. से संबंधित और जो सवाल यहां पर पूछे गये हैं, उन पर जवाब देने का मुझे अधिकार नहीं है ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को निवेदन करूंगा मैंने जो मांगें प्रस्तुत की हैं, अकाल सहायता मंत्रीजी ने जो मांग प्रस्तुत की हैं, उन चारों मांगों को सर्वसम्मति से पारित किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 19 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,41,80,000 रुपये की राशि प्रदान की जाये ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 20 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,09,22,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

( स्वीकृत )

मांग स्वीकार की गयी ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 21 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,08,78 000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ।

( स्वीकृत )

मांग स्वीकार की गयी ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 33 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,29,58 000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

( स्वीकृत )

मांग स्वीकार की गयी ।

सदन की कार्यवाही कल बृहस्पतिवार, 25 मार्च, 1976 के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8 25 बजे बृहस्पतिवार, दिनांक 25 मार्च, 1976 के म. पू. 11-00 बजे तक के लिए स्थगित की गयी ।)

## परिशिष्ट–1

### सम्याभाव के कारण सदन में नहीं लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर

### आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय में पंच मशीनों का उपयोग

320. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : श्री बनवारीलाल (धौलपुर) : क्या मंत्री आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि टैक्सटाइल एसोसियेशन, अहमदाबाद आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों को आंकड़े एकत्रित कराने के लिये ओनरेरियम देता है ?

(2) क्या टैक्सटाइल एसोसियेशन के अधिकारियों द्वारा मौके पर जांच की गई और जांच के पश्चात् पैनल बदलने की सिफारिश की गई ?

(3) क्या टैक्सटाइल एसोसियेशन ने उपभोक्ताओं को वितरित करने हेतु तौलिये भेजे थे ? यदि हां, तो क्या वे दे दिये गये या नहीं ? और यदि नहीं, तो कर्मचारियों के विरुद्ध गबन की कार्यवाही की गई या नहीं ?

(4) क्या आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय में यान्त्रिक सारणीकरण होता है ? यदि हां, तो इसके लिये मशीनें किराये पर ली गई हैं या खरीदी गई हैं ?

(5) क्या यह सही है कि गत तीन मास में किराये पर ली गई पंच मशीनों का उपयोग नहीं के बराबर हुआ ? यदि हां, तो क्या बिना कार्य किये भी किराया दिया गया ?

#### उत्तर

(1) जी नहीं टैक्सटाइल एसोसियेशन अहमदाबाद द्वारा नहीं दिया जाता बल्कि केन्द्रीय सरकार की मिनिस्ट्री आफ कामर्स के अन्तर्गत बनी हुई टैक्सटाइल्स कमेटी बम्बई के द्वारा दिया जाता है ।

(2) टैक्सटाइल कमेटी बम्बई ने एक अधिकारी को भेजा था जिसकी रिपोर्ट के आधार पर पेनल बदलने की कोई सिफारिश नहीं की गई । पांच में से चार इन्वेस्टीगेटरी को बदलने की सिफारिश की गई थी जिनको बदल दिया गया ।

(3) टैक्सटाइल कमेटी बम्बई द्वारा पेनल मेम्बर्स को देने के लिये जो तौलिये भेजे थे वे उन्हें दे दिये गये और उनकी प्राप्ति की रसीद मूल में कमेटी को भेज दी गई है अत: गबन का प्रश्न नहीं उठता ।

(4) जी हां । यांत्रिक सारणीकरण भी होता है । मशीनें किराये पर ली गई हैं ।

(5) जी नहीं

### जयपुर नगर विकास न्यास की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण

321. श्री जैसाराम (सिवाना) : क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1975 में अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, जयपुर को विशेष पुलिस संस्थान (सी. बी. आइ.) राज-

( श्री जैसाराम )

न्यास, शाखा जयपुर से अवैध निर्माण के सम्बन्ध में एक परिवाद समाचार-पत्र "प्रजा सन्देश" सहित प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो अवैध निर्माण के सम्बन्ध में कथित समाचार-पत्र में मुख्यतया क्या क्या आरोप आरोपित किये गये थे और वर्तमान में कितने वर्ग गज सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, जयपुर ने प्रश्न एक में वर्णित परिवाद की जांच करने हेतु किसी अधिकारी को एक निर्धारित अवधि में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में जांच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) यदि प्रश्न के भाग दो में वर्णित जांच अब तक पूर्ण नहीं हुई तो इसका क्या कारण है ?

(4) क्या यह सही है कि अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, जयपुर ने विशेष पुलिस संस्थान (सी. बी. आइ.) राजस्थान शाखा, जयपुर को वर्ष 1975 में सूचित किया था कि परिवाद में वर्णित स्टेनोग्राफर के विरुद्ध अलग से जांच की जा रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि इस सम्बन्ध में जांच पूर्ण हो गयी है, तो जांच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। यदि जांच लम्बित है तो इसका क्या कारण है ?

(5) क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग एक में वर्णित अतिक्रमण के स्थान पर सरकार जनहित में कोई निर्माण कार्य का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार का निर्माण कार्य करने का विचार है और यह कब से शुरू किया जायेगा ?

(स्थगित किया गया)

## नाहरगढ़ किले के विकास की योजना

322. श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या केन्द्रीय पर्यटन विभाग नाहरगढ़ को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक विकसित करने का कार्य प्रारम्भ हो जावेगा।

(2) क्या विकसित करने की योजना के अन्तर्गत नाहरगढ़ से जयगढ़ तक सड़क निर्माण के साथ ही पहाड़ी पर पार्क का निर्माण तथा पहाड़ी पर पेड़ पौधे भी लगायें जायेंगे ?

(3) क्या नाहरगढ़ किले की मरम्मत, रंग रोगन व दरवाजे के अन्दर स्थित खाली मैदान में पार्क और उसे सुन्दर बनाये जाने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

### उत्तर

(1) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने नाहरगढ़ से जयगढ़ तक की सड़क का निर्माण करने के लिए 4,94455) रु० स्वीकृत किये हैं जिसका कार्य शीघ्र चालू किया जा रहा है।

(2) नाहरगढ़ से जयगढ़ तक की सड़क निर्माण के अतिरिक्त फिलहाल कोई योजना नहीं है।

(पर्यटन मंत्री)

(3) जी नहीं।

बस स्टेण्ड चाकसू की भूमि पर अतिक्रमण

323 श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चाकसू में रोडवेज के बस स्टेण्ड पर जहां मुसाफिरों के बैठने के लिए चद्दर लगी हुई है वहां किसी व्यक्ति ने अतिक्रमण कर रखा है जिससे मुसाफिरों को काफी असुविधा होती है? यदि हां, तो इस अतिक्रमण को हटाया क्यों नहीं जा रहा है? अब कब तक हटा दिया जावेगा?

(2) क्या राज्य परिवहन निगम ने यहां पर किसी स्थान को किराये पर भी दे रखा है? यदि हां, तो किस किस व्यक्ति को कब से, कितने किराये पर दे रखा है? और इस स्टेण्ड पर मुसाफिरों के लिये क्या सुविधायें हैं?

उत्तर

(1) जी नहीं। निगम ने बस स्टेण्ड के एक छोर दो स्टाल किराये पर दे रखे हैं। किन्तु इससे यात्रियों को कोई असुविधा नहीं होती है।

(2) एक चाय स्टाल श्री रामकिशन को 50) रु० प्रतिमाह पर व एक पान स्टाल श्री मोहनलाल को 40) रु० प्रतिमाह किराये पर वर्ष 1973-74 से दिया हुआ है इस स्टेण्ड पर यात्रियों के लिये छाया, बैठने के लिये बैंचें व प्याऊ की व्यवस्था की हुई है।

जयपुर दुग्ध वितरण योजना

324. श्री रणजीतसिंह (ग्रांसियां): क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर दुग्ध वितरण योजना कब शुरू हुई और इस पर आज तक कितनी राशि लगाई जा चुकी है? कृपया वर्षवार आय व्यय की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत गत 3 वर्षों में कितनी कितनी राशि का क्या क्या माल तैयार कर बेचा गया? अलग अलग साल की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना घाटे में चल रही है? यदि हां, तो क्यों और इसके सुधार के लिए राज्य सरकार की क्या योजना है।

उत्तर

(1) जयपुर दुग्ध वितरण योजना का प्रारम्भ सर्वप्रथम दिनांक 1-4-63 से पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया था। भवन का निर्माण कार्य एवं स्थिर क्षेत्र आदि की स्थापना बाद में हुई एवं फरवरी, 1965 से इस योजना ने पूर्ण दुग्ध शाला के रूप में कार्य करना प्रारम्भ किया था। पायलेट प्रोजेक्ट एवं इसके बाद में योजना पशुपालन विभाग के एक अंग के रूप में ही संचालित की गई थी। दिनांक 1-4-66 से इस योजना को पृथक विभाग घोषित कर दिया गया।

वर्ष 1966-67 से पूर्व इस योजना का संचालन पशुपालन विभाग के अंग के रूप में हुआ था। उक्त अवधि से सम्बन्धित आय एवं व्यय के आंकड़े पृथक से उपलब्ध

(पशुपालन मंत्री)

नहीं हैं। अतः उक्त अवधि के सम्बन्ध में सूचना दिये जाने में असमर्थता है। वर्ष 1966-67 से वर्ष 1974-75 तक इस योजना पर कुल 4,92,19,261 रुपये की धनराशि खर्च की गई है। वर्ष 1966-67 से वर्षवार आय एवं व्यय की तालिका परिशिष्ट (क) के रूप में संलग्न है।

(2) वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है। ख

(3) यह सही है कि योजना प्रारम्भ काल से अब तक घाटे में चली है।

योजना का मुख्य उद्देश्य जयपुर शहर के नागरिकों को उचित मूल्य पर दूध उपलब्ध करवाना है परन्तु इतने बड़े शहर के लिए जो क्षमता डेयरी स्थिर यंत्र की होनी चाहिए थी, उसके मुकाबले इसकी क्षमता अत्यन्त कम है जिसके कारण लाभदायक आर्थिक इकाई के रूप में यह योजना कार्य नहीं कर पाई। योजना के घाटे में चलने का मुख्य कारण यह रहा है कि वितरण आवश्यकताओं के बाद बचे हुए दूध से उप उत्पादन बनाने सम्बन्धी मशीनें इस स्थिर यंत्र में नहीं हैं जैसे कि स्किम मिल्क पाउडर बनाने की मशीनें। उप उत्पादन बनाने की सुविधा न होने के कारण दूध प्राप्ति में किये गये खर्च के बराबर मूल्यों की प्राप्ति होना कठिन हो जाता है।

घाटे का दूसरा मुख्य कारण यह है कि योजना द्वारा जिन मूल्यों पर दूध खरीदा जाता था उसके लिए दुग्ध उत्पादकों से सीधा क्रय करने का कोई संगठन उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार के संगठन के अभाव में संयंत्र को पूरा दूध उसकी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त नहीं होता था। अब तक इस संयंत्र का मूल उद्देश्य जयपुर के नागरिकों को उचित मूल्य पर दूध उपलब्ध कराना रहा है जिसके कारण यह व्यावसायिक इकाई नहीं बन सका।

विश्व बैंक की सहायता से राज्य में डेयरी विकास की समन्वित योजना पृथक से बनाई गई है जिसके अन्तर्गत जयपुर में एक बड़े डेयरी स्थिर यंत्र की स्थापना की जावेगी। स्थिर यंत्र में सभी प्रकार के उप उत्पादनों के निर्माण की भी व्यवस्था होगी। नये स्थिर यंत्र के प्रारम्भ हो जाने के पश्चात न केवल जयपुर शहर की आवश्यकताओं की ही पूर्ति हो सकेगी बल्कि उच्चकोटि के सभी डेयरी उत्पादन भी बड़े पैमाने पर निर्मित किये जायेंगे। नई योजना के क्रियान्वयन के पश्चात घाटे नहीं रहेंगे। ऐसी आशा की जा सकती है।

## विभिन्न वर्षों के आय-व्यय का मानचित्र

| वर्ष | कुल व्यय | कुल आय | हानि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1966-67 | 22,35,700 | 13,88,800 | 8,46,900 | इन वर्षों में वाणिज्यक खातों का संधारण नहीं हुआ था अत: जो आंकड़े अंकित किये गये हैं वे सिविल लेखाओं के आधार पर हैं। |
| 1967-68 | 23,07,295 | 11,08,902 | 11,98,393 | |
| 1968-69 | 24,76,918 | 16,15,115 | 8,61,803 | |
| 1969-70 | 25,95,696 | 15,93,712 | 10,01,984 | |
| 1970-71 | 39,79,904 | 27,74,690 | 12,05,214 | |
| 1971-72 | 58,55,462 | 45,76,638 | 12,78,824 | ये आंकड़े वाणिज्यिक लेखाओं के आधार पर हैं। |
| 1972-73 | 68,07,775 | 58,13,605 | 9,94,170 | |
| 1973-74 | 1,00,80,799 | 82,31,369 | 18,48,930 | |
| 1974-75 | 1,28,80,412 | 1,02,40,794 | 26,39,618 | वर्ष 1974-75 के लेखाओं का अंकेक्षण अभी तक नहीं हुआ है अत: ये आंकड़े अन्तःकालीन प्रोविजनल हैं। |
| योग | 4,92,19,961 | 3,73,44,125 | 1,18,75,836 | |

गत पांच वर्षों में योजना द्वारा बेचे गये दूध व दूध से उत्पादित वस्तुओं की मात्रा एवं राशि का मानचित्र

| नाम वस्तु | वर्ष 1970-71 | | वर्ष 1971-72 | | वर्ष 1972-73 | | वर्ष 1973-74 | | वर्ष 1974-75 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मात्रा | राशि | मात्रा | राशि | मात्रा | राशि | मात्रा | राशि | मात्रा | राशि |
| 1. दुग्ध (लीटर में) | 20,26,204 | 24,29,939.00 | 33,56,841 | 37,79,751 00 | 4551339 | 5103056.00 | 5604393 | 6749827.00 | 5208151 | 8236679.00 |
| 2. मक्खन (किलो में) | 871 | 12,241.02 | 1,573 | 23,723.50 | 3470 | 52793.95 | 2946 | 67635.20 | 1021 | 26119.50 |
| 3. घी (किलो में) | 20,643 | 2,70,398.34 | 52,617 | 6,76,064.31 | 25383 | 367576.49 | 22721 | 483809.73 | 39926 | 859486.85 |
| 4. क्रीम (किलो में) | 178 | 1,248.45 | 676 | 4,746.90 | 410 | 2572.45 | 313 | 2567.50 | 96 | 1444.40 |
| 5. मिल्करोज (लीटर में) | 1,520 | 3,296.45 | 24,134 | 46,821.80 | 70689 | 141378.00 | 52376 | 107898.10 | 31218 | 90068.50 |
| 6. दही (किलो में) | 3,852 | 1,080.15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. छाछ (लीटर में) | 43,812 | 6,571.80 | 30 | 4.50 | — | — | 1154 | 436.60 | 13874 | 1109.80 |
| 8. सपरेटा (लीटर में) | 76,089 | 48,126.73 | 2,23,880 | 23,279.25 | 110882 | 13663.65 | 45340 | 11861.38 | 24298 | 10970.40 |
| 9. पनीर (किलो में) | — | — | 3,049 | 19,036.35 | 12163 | 84492.10 | 4171 | 32502.50 | 2978 | 29611.50 |
| 10. काफी (कप में) | — | — | 1,589 | 940.05 | 24971 | 12074.90 | 51307 | 26566.00 | 63267 | 41942.00 |
| 11. चाय (कप में) | — | — | — | — | — | — | 3397 | 849.25 | 168358 | 42369.15 |
| 12. आईसक्रीम (कौन में) | — | — | — | — | 37419 | 20867.50 | 76687 | 546000.40 | 76379 | 78738.00 |

## सहायक रजिस्ट्रार बारां के विरुद्ध जांच

325 श्री रामगोपाल (किशनगंज): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि वर्तमान सहायक रजिस्ट्रार बारां, जिला कोटा के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच हेतु लिखित में सूचना राज्य सरकार को समय समय पर दी गई थी ? यदि हां, तो इस अधिकारी के विरुद्ध राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही अब तक की है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं की गई है ?

### उत्तर

जी हां। वर्तमान सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, बारां के विरुद्ध लिखित में शिकायत श्री रामगोपाल जारवाल, विधायक, राजस्थान विधान सभा द्वारा प्रेषित की गई थी जिन पर जांच हेतु उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, कोटा को निर्देश दिया गया था। उनकी जांच रिपोर्ट विभाग को प्राप्त हो चुकी है।

जांच रिपोर्ट पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

## चौधरी जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्री की भूमि में प्लाटस की नीलामी

326. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) हनुमानगढ़ जंक्शन पर चौधरी जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्री कब लगाई गई तथा इसके कौन कौन हिस्सेदार हैं ? इस मिल का एरिया कुल कितना है तथा यह किसके द्वारा किस प्रकार, किस मूल्य पर अलॉट किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त प्रेसिंग फैक्ट्री के अन्तर्गत आने वाले प्लॉट्स सरकार द्वारा नीलाम किये जा चुके थे ? यदि हां, तो कितने प्लॉट्स थे तथा किस मूल्य पर नीलाम हुए थे ? क्या यह सही है कि इन प्लॉट्स की नीलामी के बाद इनकी एडवान्स मनी भी जमा करली गई थी ? यदि हां, तो कितनी ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त प्लाट्स की नीलामी के बाद नीलामी कैंसिल कर दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त नीलामी खारिज करने के बाद ये प्लाट्स चौधरी जिनिंग और फैक्ट्री को, कहीं कम कीमत पर अलॉट कर दिये गये ? यदि हां, तो किस कीमत पर तथा किन नियमों के तहत क्या इस पक्षपात के कारण राज्य सरकार को काफी हानि हुई है और इस हानि का जिम्मेदार कौन है ? क्या राज्य सरकार उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

( स्थगित किया गया )

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

## लाडनूं शहर की नल योजना

327. श्री दीपंकर (लाडनूं): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

( श्री दीपंकर )

(1) क्या यह सही है कि लाडनूं शहर की नल योजना सन 1962 में सन 1961 की जनगणना के आधार पर प्रतिव्यक्ति 10 गैलन पानी के हिसाब से बनाई गई थी जो अब भी वैसे ही चालू है।

(2) क्या यह सही है कि इस शहर की आबादी सन 1971 की जनगणना के आधार पर बढ़ गई है और अब प्रतिव्यक्ति पानी की खपत बढ़ी है। इसलिये इस शहर की संशोधित नल योजना राज्य सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे पास करने का सरकार का कब तक इरादा है ?

(3) क्या पुरानी योजना के कारण शहर के बहुत से मोहल्लों में आज भी पीने का पानी नहीं पहुंच पाता है। ऐसी स्थिति में सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

(4) क्या यह सही है कि मंगलपुरा जो कि लाडनूं की ही आबादी का हिस्सा है जहां अमूमन हरिजनों की आबादी है वहां सरकार ने जल योजनाओं के लिए बेरे खोद लिए हैं इसलिये गांवों के बेरों का पानी सूख गया है ? यदि हां, तो इस बस्ती के लिये पीने के पानी की वैकल्पिक व्यवस्था क्या की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। योजना 1961 की जनगणना के आधार लेते हुए 30000 व्यक्तियों की आबादी को 3 लाख गैलन प्रतिदिन जल वितरण करने के लिये बनाई गई है।

(2) जी हां। पुनर्गठन योजना विचाराधीन है। योजना की स्वीकृत धनराशि की उपलब्धि के अनुसार की जा सकेगी।

(3) शहर की आबादी बढ़ने एवं नई बस्तियों के बढ़ने के कारण कई स्थानों पर जल का दबाव कम रहता है। धनराशि की उपलब्धि के अनुसार राज्य सरकार पाइप लाइन में सुधार के लिये राशि खर्च कर रही है।

(4) जी हां। मंगलपुरा बस्ती के निकट नल-कूप बनाया गया है किन्तु इनसे कुओं का पानी सूखने के बाबत कोई जानकारी नहीं है। मंगलपुरा में मुख्य पाइप लाइन डालने की कार्यवाही की जा रही है।

## नागौर जिले में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के दर्ज मामले

328. श्री रामरघुनाथ (डेगाना): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने के बाद डेगाना तहसील में सरकारी जमीन) गोचर जमीन, पड़त जमीन और पायतन व रास्तों आदि पर कुल कितने लोगों ने अतिक्रमण किये हैं जिनकी सूचना या शिकायत तहसीलदार, एस. डी. ओ. एवं जिलाधीश के पास की गई या पटवारियों ने तहसीलदार को सूचना दी। सम्पूर्ण सूची, मय गांव, रकबा जिस पर कब्जा किया, किसने किया व उस पर क्या कार्यवाही की गई, का विवरण दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

(2) नागौर जिले में तहसील वाइज कुल कितने अतिक्रमण के मामले दर्ज हुए जिन पर माकूल नये कानून के आधार पर कार्यवाही की गई।

( श्री रामरघुनाथ )

(3) ऐसे कितने मामले हैं जो दर्ज तो हैं पर उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई यह कार्यवाही क्यों नहीं की गई? अतिक्रमण-कर्ता के नामों सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इस प्रकार के कुल 1475 मामले पाये गये हैं। इनमें से 1096 मामले निर्णीत हो गये हैं एवं 379 मामले विचाराधीन हैं। सम्पूर्ण विवरण सूची (क) एवं (ख) में अंकित हैं।

(2) नागौर जिले में अतिक्रमण के तहसीलवार जो मामले दर्ज हुए हैं उसका विवरण सूची (ग) में अंकित है। सब मामलों में नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

(3) ऐसे कोई मामले नहीं है।

( सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई )

### टौंक जिले में बसों के परमिट

329. श्री अजीतसिंह (टौंक) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) टौंक जिले में विभिन्न मार्गों पर चलने वाली बसों के कितने परमिट जारी किये हुए हैं? क्या सब मार्गों पर परमिटों के अनुसार बसें चल रही हैं?

(2) टौंक जिले में ऐसे कौन कौन से मार्ग हैं जहां परमिटों के अनुसार बसें नहीं चल रही हैं?

(3) टौंक जिले में रूट का राष्ट्रीयकरण होने के बाद कितनी बसों के परमिट कैंसिल किये गये? क्या और रूट्स का राष्ट्रीयकरण करने की योजना है?

(4) क्या जिला यातायात कमेटी की सिफारिश पर और नये रूट्स खोले जा सकते हैं? क्या इस कमेटी की सिफारिश पर नये परमिट भी दिये जा सकते हैं?

उत्तर

(1) 58 परमिट जारी किये हुए हैं और 19 मार्गों में से 17 मार्गों पर 56 वाहन चल रही है और दो मार्गों चानसेन—नानेर—मालपुरा एवं नगर उनियारा—अलीगढ़-बरवाड़ा मार्गों पर दो बसें आर. जे. एल. 3685 एवं आर. जे. एल. 294 काफी अर्से से बन्द हैं।

(2) निम्न मार्गों को छोड़ कर सभी मार्गों पर परमिट के अनुसार ही यात्री बसें चल रही हैं:—

1. टौंक से बौंली वाया सेतर ईसरदा (यह सिर्फ सिवाड़ तक चलती है आगे रास्ता ठीक नहीं हैं।)

2. टौंक से इन्द्रगढ़ वाया बनेठा (यह वाहन केवल बनेठा तक ही चलती है आगे रास्ता खराब है।)

3 टौंक से ईसरदा वाया चौरीज (यह दोनों यात्री वाहन सिवाड़ तक ही चलती है आगे रास्ता खराब है)।

4. चानसेन-नानेर-मालपुरा (वाहन मार्ग पर नहीं चल रही है)।

5. नगर—नैनवा—अलीगढ़—बरवाड़ा (वाहन मार्ग नहीं चल रही है)।

(3) राष्ट्रीयकरण होने के बाद एक भी परमिट कैंसिल नहीं हुआ है। राष्ट्रीयकरण की अभी योजना नहीं है।

(यातायात मंत्री)

(4) जी हां।

**अजमेर सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ में कर्मचारियों की नियुक्ति**

330. श्री नारायणसिंह मसूदा (मसूदा) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ में अधिकांश कर्मचारी अजमेर जिले के बाहर के हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) उक्त संघ में अजमेर जिले के कितने प्रार्थी साक्षात्कार के लिए नियुक्ति हेतु बुलाये गये और उनमें से कितने व्यक्तियों को नियुक्ति दी गई?

(3) इनमें से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने प्रतिशत कर्मचारी हैं?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) अजमेर जिले के सभी प्रत्याशियों को साक्षात्कार के लिये बुलाया गया। 17 स्थान भरे गये जिनमें 11 व्यक्ति अजमेर जिले के हैं।

(3) इनमें से अनुसूचित जाति एवम् जनजाति के लगभग 25 प्रतिशत कर्मचारी कार्यरत हैं।

**पाल टॉकीज केकड़ी को भूमि का बेचान**

331. श्रीमती जमुना सोलंकी (केकड़ी) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरदार श्री गुरबक्षसिंह को नगरपालिका, केकड़ी से कितनी बार और कब कब आवासीय भू-खण्ड लीज व नामीनल रेट पर दिये गये हैं?

(2) क्या यह सही है कि 50,000/- रुपये बाजार मूल्य की मुस्लिम वक्फ बोर्ड की भूमि जिसका क्षेत्रफल 1277 वर्ग गज है, सरदार श्री गुरबक्षसिंह को पाल टॉकीज की बिल्डिंग बनाने हेतु कार्मशियल परपज के लिये नामीनल रेट पर केवल 3000/– रुपये में नियम विरुद्ध बेचान की गई?

(3) उक्त बेचान में किन किन अधिकारियों की साजिश है? क्या इन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी?

(4) क्या इस सम्बन्ध में उप-जिलाधीश केकड़ी के यहां नागरिकों द्वारा की गई शिकायत पर कोई जांच भी चल रही है?

उत्तर

(1) नगरपालिका केकड़ी ने सरदार गुरबक्षसिंह को आवासीय भूमि $338\frac{1}{3}$ वर्ग गज भूमि 5/–रु० प्रति वर्ग गज से दिनांक 9-10-60 को बेचान की गई तथा श्रीमती उगम कंवर के नाम लीज पर दी हुई भूमि $20\frac{8}{9}$ वर्ग गज को 7 वर्ष की लीज पर दिनांक 13-8-74 को श्री गुरबक्षसिंह के नाम नामान्तरण की गई और इसके संलग्न $9\frac{8}{9}$ वर्ग गज भूमि 7 वर्ष की लीज पर दिनांक 10-9-74 को निर्धारित प्रचलित दर 1.75 पैसा प्रतिशत वर्गगज माहवारी किराये पर दी गई।

(2) जी नहीं।

गुरबक्षसिंह, इन्द्रपालसिंह को पाल टॉकीज हेतु $1277\frac{7}{9}$ वर्गगज भूमि दी गई

(स्वायत्त शासन मंत्री)

थी। यह भूमि मुस्लिम वक्फ बोर्ड की नहीं थी एवं न ही इसकी कीमत 50,000/- ही थी। भूमि नजूल कमेटी द्वारा निर्धारित की गई दर से, 3871.64 पैसे में विक्रय की गई थी।

(3) दिनांक 18-3-76 को सरकार द्वारा इसी प्रकार के प्रश्न के उत्तर में विभागीय अधिकारी द्वारा जांच कराने का आश्वासन दिया था। इस सम्बन्ध में जांच विभागीय अधिकारी द्वारा शीघ्र ही कराई जावेगी।

(4) प्रश्न के भाग 3 के उत्तर के बाद यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

## चित्तौड़गढ़ में खटीक परिवार के लड़कों के लिये छात्रावास की भूमि

332. **श्री नानालाल (राजसमन्द)** : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ में 1963-64 में कुछ भूमि अहिंसा नगर के नाम अलॉट की गई? यदि हां, तो यह भूमि कितनी है और इस पर किसका कब्जा है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि अनुसूचित जाति के खटीक परिवारों को कुव्यसनों का त्याग कर उनको अच्छे मार्ग पर लाने व उनके लड़कों की शिक्षा हेतु छात्रावास बनाने के लिये ही अलॉट की गई थी? यदि हां, तो क्या यह जमीन उन्हीं लोगों के उपयोग में आ रही है? यदि नहीं, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त भूमि की रजिस्ट्री अहिंसा प्रचारक जैन संघ के नाम से अधिकारियों की मिलीभगत से हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार ने जिस उद्देश्य हेतु जिन लोगों को ऊंचा उठाने हेतु भूमि अलॉट की है वह "बीरबल" समाज नाम से पंजीकृत संस्था, जो इन्हीं अनुसूचित जाति के खटीक लोगों की संस्था है, को दिलाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

भूमि अहिंसा प्रचारक जैन संघ को पंचायत ने उपलब्ध की थी। इसका उपयोग उस संस्था द्वारा किया जा रहा है।

## सवाई माधोपुर जिले की ग्रामीण जल प्रदाय योजना

333. **श्री चेतराम (टोडाभीम)** : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाई माधोपुर में ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें कहां 2 पर स्वीकृत हैं? अब तक योजनावार कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है तथा स्वीकृत योजनाओं पर कितनी धनराशि व्यय की जावेगी?

(2) क्या यह सच है कि जिला सवाई माधोपुर में सलावद, वागोर, बामोरी, शहर आदि 12 ग्रामों की योजना का सर्वे हो चुका है तथा जिला समिति ने इसे प्राथ-

# Page No 205

(205)



(श्री चेतराम)

मिकता देकर पूर्ण कराने का राज्य सरकार से अनुरोध किया है ? यदि हां, तो इसे अभी तक किन किन कारणों से स्वीकृत नहीं किया है ?

(3) क्या यह सच है कि इस योजना के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में पीने का पानी बिल्कुल नहीं है और वहां की जनता तालाबों (कच्चे गढ्ढों) का पानी पीती है और उनके सूख जाने पर आठ-दस मील से पानी लाना पड़ता है ?

(4) क्या यह सही है कि इस योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों की जनसंख्या आदिवासी बाहुल्य है ?

(5) राज्य सरकार इस योजना को कब तक पूर्ण करा देना चाहती है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जिला सवाई माधोपुर में सलावद, बागोर, बामोरी इत्यादि 10 ग्रामों की जल प्रदाय योजना का सर्वेक्षण किया जा चुका है । इस वर्ष यह योजना धनाभाव के कारण स्वीकृत नहीं की जा सकी है अगले वर्ष जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों के अनुसार इस पर विचार किया जावेगा ।

(3) जी हां । योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित ग्रामों में पेयजल की भीषण समस्या है ।

(4) जी हां ।

(5) अगले द्वितीय वर्ष में जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों के अनुसार इस योजना पर विचार किया जावेगा । वर्तमान में योजना तैयार की जा रही है ।

## सूची

| क्र.सं. | ग्रामीण योजना का नाम | स्वीकृत धन राशि (लाखों में) | माह 2/76 तक का व्यय (लाखों में) | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | तिवाड़ | 2.00 | 2.07 | योजना पर जल वितरण चालू है |
| 2. | ईसरदा | 1.70 | 1.70 | ,, |
| 3. | चौथ का बरवाड़ा | 2.91 | 3.05 | ,, |
| 4. | डुडेरा | 1.26 | 1.20 | ,, |
| 5. | खण्डार | 2.31 | 2.49 | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 6. | नन्दखुर्द | 0.57 | 0.60 | योजना पर जल वितरण |
| 7. | बोली | 2.40 | 2.69 | चालू है |
| 8. | बामनवास | 3.10 | 4.59 | ,, |
| 9. | उदईखुर्द | 1.39 | 1.75 | ,, |
| 10. | उदईकलां | 1.01 | 1.22 | ,, |
| 11. | वजीरपुर | 0.89 | 1.09 | ,, |
| 12. | सलेमपुर | 1.87 | 1.22 | ,, |
| 13. | मय्यारायल | 2.63 | 2.68 | ,, |
| 14. | रोघई | 1.43 | 1.44 | ,, |
| 15. | बाबटा | 1.44 | 1.51 | ,, |
| 16. | महूमा | 3.20 | 3.23 | ,, |
| 17. | भगवतगढ़ | 2.65 | 2.71 | ,, |
| 18. | बारसोप | 1.38 | 1.81 | ,, |
| 19 | सोप-शहर-नादौती विस्तार | 23.70 | 22.75 | – |
| 20. | पीलोदा, उदईखुर्द | 11.66 | 1.56 | – |

### बाड़मेर जिले में चिलिंग प्लान्ट की योजना

234. श्री गंगाराम चौधरी (गुड़ामालानी) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला बाड़मेर में बालोतरा के अतिरिक्त निकट भविष्य में किस किस स्थान पर दूध की डेयरी या चिलिंग प्लान्ट स्थापित करने की योजना है तथा उनकी क्या क्षमता होगी और किस अवधि तक वे कार्य हाथ में लिए जा सकेंगे ?

उत्तर

इस सम्बन्ध में राज्य स्तर पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

### पंचायत समिति लालसोट की साधारण सभा की मीटिंग के प्रस्ताव

335. श्री मोठालाल मीणा (लालसोट) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, लालसोट (जयपुर) की गत 6 दिसम्बर को साधारण सभा की मीटिंग हुई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मीटिंग की कार्यवाही में स्वीकृत प्रस्तावों के अतिरिक्त क्रम संख्या 'डी' प्रस्ताव सभा की

[redacted]



(श्री मीठालाल मीणा)

कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात् विकास अधिकारी व सम्बन्धित समिति के अन्य अधिकारियों ने तोड़ मरोड़ तथा फेर बदल कर बिल्कुल दूसरे प्रकार का लिख लिया ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त मामले की अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, जयपुर द्वारा जांच करने पर यह पाया गया कि प्रस्ताव में फेर बदल हुआ है तथा प्रस्ताव के समर्थक व प्रस्तावक दोनों ने उक्त प्रस्ताव रखने से इन्कार किया है और किसी अन्य सदस्य व सरकारी अधिकारियों ने भी इस प्रकार के प्रस्ताव के बारे में मना किया है ?

(4) क्या यह सही है कि जांच के दौरान जिला अधिकारियों को समिति अधिकारियों ने प्रस्ताव में फेर बदल करना मंजूर किया है ? यदि हां, तो इस प्रकार की फर्जी कार्यवाही करने वाले दोषी अधिकारी–कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(उत्तर)

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। क्रम संख्या "ही" का कोई प्रस्ताव उक्त बैठक में पारित नहीं किया गया था।

(3) जांच से यह पाया गया है कि जो प्रस्ताव पास किया गया है वह प्रस्ताव संख्या 2 (ड.) है जो बैठक में ही पास किया गया था। यह सही नहीं है कि प्रस्ताव में फेर बदल किया गया है।

(4) जी नहीं।

## शराबबन्दी और 12–सूत्री कार्यक्रम

336. श्री मोहनराज (बाली) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.–

(1) क्या यह सही है कि भारत सरकार ने शराबबन्दी हेतु अपने घोषित 12–सूत्री कार्यक्रम को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए एक निर्देश–पत्र भेजा है ? इन कार्यक्रम एवं उसकी पालना हेतु भेजे गये निर्देश-पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार ने उक्त परिपत्र की अनुपालना में जिलाधीशों अथवा जिला परिषदों, पंचायत समितियों आदि को कोई परिपत्र जारी किया है ? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

### उत्तर

(1) जी हां। प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) यह कार्यक्रम भारत-सरकार से दिनांक 24 फरवरी, 1976 को प्राप्त हुआ है। आबकारी आयुक्त, उदयपुर को लिखा गया है कि वे इस कार्यक्रम का परीक्षण कर यह बतायें कि इस कार्यक्रम के कौन कौन से बिन्दुओं पर इस समय अमल किया जा रहा है और कौन कौन से बिन्दुओं पर अमल होना शेष है और इस बारे में आगे क्या क्या कार्यवाही की आवश्यकता है ? आबकारी आयुक्त से प्रस्ताव आने के बाद सरकार इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेगी। साधारणत: कार्यक्रम के कई बिन्दुओं पर राज्य सरकार पहले ही अमल कर रही है जैसे :—

(ग्राबकारी मंत्री)

1. शराब के विज्ञापनों पर राज्य में कानून द्वारा फरवरी, 66 से ही रोक है।

2. सिवाय 15 ऐसे होटल जहां पर विदेशी यात्री ग्रामतौर पर ठहरा करते हैं, अन्य होटलों, रेस्टोरेन्टों मद्य क्लबों ग्रादि वर्जित स्थानों पर मद्यपान करने पर पाबन्दी हैं। उक्त 15 होटलों में भी केवल बार रूम ग्रथवा ड्राइंग-रूम में ही यात्रिगण शराब पी सकते हैं, ग्रन्य जगह नहीं।

3. श्रमिक ग्रौर हरिजन बस्तियों के 250 मीटर के भीतर देशी शराब की दुकान चलाना वर्जित हैं। इसी तरह से अस्पताल। कालेज एवं महत्वपूर्ण स्थान के 200 मीटर के भीतर शराब की दुकान चलाना मना है।

4. राजस्थान एक्साइज एक्ट में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम ग्रायु के व्यक्तियों को शराब नहीं बेच सकता।

5. ड्राइवरों का शराब पीकर वाहन चलाना राज्य में कानूनन ग्रपराध है।

6. कतिपय गैरसरकारी संस्थाओं को शराब बन्दी ग्रान्दोलन चलाने के लिये सरकार आर्थिक सहायता देती है।

7. राज्य के लगभग एक तिहाई हिस्से में पूर्ण शराबबन्दी लागू है। इस हिस्से में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर एवं चूरू ग्रौर नागौर तथा उदयपुर जिले की 6 तहसीलें सम्मिलित हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

### राजकीय कृषि फार्म मलिकपुर (भरतपुर) पर व्यय

337. श्री नत्थासिंह (नदबई) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले में राजकीय कृषि फार्म मलिकपुर में कृषि उपज का कार्य होता है ? यदि हां, तो इस फार्म में वर्ष 74-75 व 75-76 में कौन कौन सी फसलें बोई गईं ग्रौर कितना कितना रकबा में कौन कौन सी जिन्स बोई गई ग्रौर इसमें से कितनी कितनी पैदावार हुई ? पृथक पृथक वर्षवार खरीब व रबी का ब्यौरेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजकीय कृषि फार्म, मलिकपुर के प्रबन्धक द्वारा फसलों में खाद, बीज, पानी व ग्रन्य मजदूरी चुकारों पर रकम व्यय की गई है ? यदि हां, तो वर्ष 74-75 व 75-76 में किस किन मद पर कितनी कितनी रकम व्यय की गई है ?

पृथक पृथक वर्षवार पृथक पृथक मदवार विस्तृत ब्यौरेवार ग्रौर मजदूरी चुकारे की मस्टररोल व बंटौने चुकारे के पत्रादि की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

#### उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1974-75 व 1975-76 में बोई गई फसलों के विवरण की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है प्रपत्र (क)

(कृषि मंत्री)

(2) जी, हां। वर्ष 1974-75 व 1975-76 में हुए व्यय की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है (प्रपत्र ख) तथा मस्टररोल के आवश्यक उद्धरण की प्रतिलिपि भी मेज पर रख दी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

## राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता भंडार, जयपुर द्वारा सामान की बिक्री

338. सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर स्थित राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता भण्डार ( सेन्ट्रल स्टोर ) का सुपरविजन किसके हाथ में है ?

(2) क्या सरकार ने इसके लिये कोई नियम (बाय-लाज) बनाये हुए हैं और क्या राज्य सरकार का इस पर बराबर नियन्त्रण है ?

(3) उपरोक्त भण्डार के अन्तर्गत क्या कोई उपहार नाम की योजना भी चालू की गई है ?

(4) क्या यह सही है कि विदेशी सामान के विक्रय में कुछ पाबन्दी लगी हुई है कि अमुक माल तब मिलेगा जब कि स्वदेशी माल का भी क्रय किया जावे ? यदि किसी को स्वदेशी वस्तु की आवश्यकता न हो और वह मात्र विदेशी सामान ही लेना चाहे तो क्या इस सम्बन्धी सुविधा प्रदान की जायेगी ?

(5) क्या यह सही है कि इस योजना से धनी समुदाय ही लाभ ले पाता है और गरीब जनता इससे महरूम रहती है ?

उत्तर

(1) इस नाम का कोई भण्डार जयपुर में नहीं है परन्तु राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि० जयपुर के नाम से राज्य के होलसेल भण्डारों की शीर्ष संस्था जयपुर में है जिसका सुपरविजन इस संस्था के संचालक मण्डल के हाथ में है जो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत है।

(2) जी हां। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि॰ जयपुर के नियम (बाइलाज) सहकारी संस्था अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं और अधिनियम एवं नियमों के तहत राज्य सरकार का बराबर इस संस्था पर नियन्त्रण है।

(3) जी हां। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि० के तहत 'उपहार' नामक योजना चालू है।

(4) संघ के संचालक मण्डल ने पाबंदी लगाई हुई है कि विदेशी वस्तुओं के क्रय से पूर्व क्रेता को स्वदेशी माल भी खरीदना होगा बिना स्वदेशी माल खरीदे विदेशी वस्तुओं की सुविधा नहीं दी जाती है।

(5) जी नहीं। इस योजना से सभी समुदाय लाभ प्राप्त करता है क्योंकि स्वदेशी वस्तुओं की आवश्यकता प्रत्येक को होती है।

## भारत-पाक युद्ध से प्रभावित किसानों को मुआवजे का भुगतान

339. श्री ज्ञानसिंह (भादरा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

( श्री ज्ञानसिंह )

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा भारत-पाक युद्ध के समय गंगानगर जिले के पाक सीमा क्षेत्र के प्रभावित किसानों को फसलों का क्षतिपूर्ति मुआवजा देने का निर्णय लिया गया था ?

(2) यदि हां, तो गंगानगर जिले में कुल कितने किसानों की कितनी फसल प्रभावित हुई और क्षतिपूर्ति मुआवजे की कितनी राशि आंकी गई ?

(3) कितनी राशि का कितने किसानों को भुगतान कर दिया गया है?

(4) कितने किसानों को कितनी राशि का भुगतान करना शेष है और वह कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) गंगानगर जिले में कुल 12,471 किसानों की खरीफ की फसल 73,601.09 बीघा प्रभावित हुई जिसकी क्षतिपूर्ति कुल 1,47,20,290 राशि आंकी गई।

(3) 6,415 किसानों को लगभग 78 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है।

(4) 6,056 किसानों को 69,20,290 रुपये की राशि का भुगतान करना शेष है जिसका भुगतान किया जा रहा है और शीघ्र ही पूर्ण हो जावेगा।

### कृषि अधिदर्शकों के वेतन का भुगतान

340. श्री चेतराम (टोडाभीम) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कृषि निदेशालय के आदेश दिनांक 23-12-75 के द्वारा अधिदर्शकों (ओवरसियर्स) के 14 पदों पर नियुक्ति आदेश हुए हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आदेश जारी करते समय यह ध्यान में नहीं रखा गया कि ये पद 3 माह पूर्व से रिक्त हैं और वित्त विभाग की स्वीकृति ली जानी है ?

(3) उक्त आदेश के अन्तर्गत कितने अधिदर्शकों ने कब कब और कहां कहां कार्य भार सम्भाल लिया है तथा किन किन को अभी तक वेतन नहीं मिला है ?

(4) यदि अभी तक वेतन नहीं मिला है तो उसके क्या कारण हैं ? तथा अब वेतन दिलवाने की व्यवस्था कब तक हो जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) 14 पदों में से 12 पद योजना व्यय के अन्तर्गत भरे हुए हैं। शेष 2 पदों को गैरयोजना व्यय के अन्तर्गत भरा गया है, जिनके लिए वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त करली गई है।

(3) प्रासंगिक आदेश के अन्तर्गत अधिदर्शकों के सम्बन्ध में सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है। (प्रपत्र—क)

(4) जिन व्यक्तियों की नियुक्ति गैर-योजना व्यय के अन्तर्गत की गई थी केवल उन्हें ही वेतन नहीं मिला है। इसके लिए अब वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त करली गई है, तथा इन्हें वेतन का भुगतान कर दिया गया है।

प्रपत्र (क)

| क्र. सं. 1 | अधिदर्शक का नाम 2 | दिनांक जब उपस्थिति दी 3 | कार्यालय जहां उपस्थिति दी 4 | वेतन मिला या नहीं 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री राम प्रसाद मीरवाल | 9-1-76 | जिला भू संरक्षण अधिकारी, सिरोही | सूचना प्राप्त नहीं हुई है। |
| 2. | श्री लालचन्द | 1-1-76 | सहायक निदेशक, डी. पी. ए. पी. ब्यावर। | पद योजनान्तर्गत है अतः वेतन भुगतान में कोई दिक्कत नहीं है। |
| 3. | श्री मदनलाल यादव | 5-1-76 | सहायक निदेशक, डी. पी. ए. पी. बांसवाड़ा। | ,, |
| 4. | श्री रामचन्द्र खोईवाल | 9-1-76 | परियोजना अधिकारी एम. एफ. ए. एल. भीलवाड़ा। | ,, |
| 5. | श्री रामचन्द्र | 7-1-76 | परियोजना निदेशक, बीकानेर। | ,, |
| 6 | श्री धर्मसिंह | 2-1-76 | परियोजना अधिकारी लघु सिंचाई योजना, भरतपुर। | ,, |
| 7. | श्री चरणसिंह | 9-1-76 | परियोजना अधिकारी, अन्ता (कोटा) | ,, |
| 8. | श्री जगनप्रसाद | 1-1-76 | सहायक निदेशक, डी. पी. ए. पी. बांसवाड़ा। | सिंचाई विभाग में नियुक्ति हो जाने के कारण त्याग-पत्र दे दिया। |
| 9. | श्री कन्हैयालाल | 5-1-76 | जिला भू-संरक्षण अधिकारी, सवाई माधोपुर | ,, नोन-प्लान |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 10. | श्री रतनलाल | 9-1-76 | परियोजना अधिकारी, धौलपुर। | सिंचाई विभाग में नियुक्ति हो जाने के कारण चले गए। |
| 11. | श्री लेखराज कोली | 1-1-76 | जिला भू-संरक्षण अधिकारी, टोंक | यह पद गैरयोजना व्यय के अन्तर्गत था, इसलिये वेतन आहरण में आक्षेप लगाया गया, जिसके लिए वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। |

## पंचायत समिति भदेसर में कृषि फार्म

341. श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिले की भदेसर पंचायत समिति में 100 एकड़ का कोई कृषि फार्म है ?

(2) क्या यह सही है कि पिछले पांच वर्षों से यह कृषि फार्म 3486 रु. 10 पैसे के घाटे में चल रहा है ? यदि हां, तो क्यों और इसे कृषि विभाग को क्यों नहीं सौंपा गया ?

### उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। यह कृषि फार्म वर्ष 1971-72 में पंचायत समिति, भदेसर को कृषि विभाग से हस्तान्तरण हुआ था। स्थानान्तरण के समय सभी औजार व साधन हटा लिये गये थे। अतः पंचायत समिति, भदेसर को अपने साधन जुटा कर यह योजना चलानी पड़ी जिससे कैपीटल इनवेस्टमेंट होने से यह योजना लाभ में नहीं चल रही है। इसके अतिरिक्त यह फार्म एक फसली है। फार्म पर सिंचाई के साधन एवं सुविधायें पहले से उपलब्ध नहीं थीं और ये ही मुख्य कारण फार्म के घाटे में चलने के रहे हैं। वर्ष 74-75 में जो पैदावार हुई है उसका विक्रय होने पर सम्भावित आय 2200, रु. की होगी इससे वास्तविक हानि 1286-10 पैसे ही रह जाएगी। जहां तक फार्म को पुनः कृषि विभाग को सौंपे जाने का प्रश्न है, प्रत्येक जिले में जिले के उप/अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी एवं जिला कृषि अधिकारी की एक कमेटी बनी हुई है। यह कमेटी अपने जिले की पंचायत समितियों द्वारा चलाये जा रहे प्रत्येक फार्म की जांच कर फार्म की उपयोगिता के बारे में अपनी सिफारिश देती है और तदनुसार अनुपयोगी फार्म सम्बन्धित विभागों को पुनः सौंप दिये जाते हैं। उक्त फार्म की उपयोगिता की जांच जिला स्तरीय कमेटी द्वारा कराये जाने के लिये लिख दिया गया है।

## पशुओं को दवाइयों के थोक विक्रेता

342. श्री रामसिंह बिश्नोई (लूनी) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में शीत लहर के कारण कितनी भेड़ें मरीं ? जिलेवाइज सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(2) क्या यह सही है कि अभी तक एक भी पशुपालक (भेड़पालक) को राजकीय इमदाद नहीं दी गई है ? क्या राज्य सरकार प्राकृतिक प्रकोप से मरने वाली भेड़ों के मालिकों को कोई इमदाद देने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कितना मुआवजा अथवा कोई ऋण के रूप में ? अगर नहीं तो क्यों ?

(3) ऊंटों की बीमारी को रोकने व बीमार नहीं पड़ने देने हेतु कौनसा इन्जेक्शन दिया जाता है और बाजार में इसकी क्या कीमत है और हर दुकान पर बाजार भाव से नहीं मिलने के क्या कारण हैं ? राजस्थान में इन दवाइयों के थोक विक्रेता कौन कौन हैं ? सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(4) क्या यह सही है कि इन दवाइयों के थोक विक्रेता जो इसके मुख्य मात्र एजेन्ट हैं, हर दिन ब्लैक से बेचते हैं व कीमत से 8 गुना, 10 गुना ज्यादा कीमत लगाकर वसूल करते हैं ?

(5) पशुपालन विभाग ने आज तक कितने दवा विक्रेताओं के खिलाफ क्या क्या कार्यवाही की ? भविष्य में इन्हें दवाइयां आसानी से सुलभ कराने हेतु क्या तरीके निकाले हैं ?

### उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(2) जी, नहीं। विभाग के बजट में इसके लिए कोई बजट-प्रावधान नहीं है।

(3) ऊंट में तिबरसा की बीमारी रोकने के लिए एन्ट्रीसाइड का इन्जेक्शन लगाया जाता है। इसकी कम्पनी रेट्स 100 ग्राम 94 50, 25 ग्राम 75.73 है। यह दवा आइ सी. आइ. कम्पनी द्वारा अपने एजेन्टों के द्वारा बेची जाती है। उक्त कम्पनी के एजेन्टों की सूची विभाग के पास नहीं है।

(4) विभाग के पास केवल एक शिकायत आई, जिस पर जिलाधीश द्वारा विक्रेता का चालान किया गया है।

(5) जोधपुर के एक दवा विक्रेता का चालान किया गया है व निर्धारित दरों पर जिला पशुपालन अधिकारी के आदेश पर बिक्री की व्यवस्था की गई है।

वर्ष 1975–76 में प्राकृतिक प्रकोपों आदि से भेड़ों की मृत्यु संख्या की सूचि

| क्र. सं. | जिला | मृत भेड़ों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | अजमेर | 43,987 |
| 2. | नागोर | 99,202 |
| 3. | सीकर | 5,044 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 4. | चूरू | 13,797 |
| 5. | जैसलमेर | 3,024 |
| 6. | भीलवाड़ा | 770 |
| 7. | जोधपुर | 1,31,200 |
| 8. | जालौर | 1,447 |
| 9. | बीकानेर | 23,594 |
| 10. | पाली | 64,345 |
| | | 3,86,410 |

**बानसूर तहसील में भूमि का अलाटमेंट**

343. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अलवर जिले में काश्त के लिये भूमिहीन लोगों को बानसूर तहसील में पिछले साल कितनी जमीन कितने व्यक्तियों को अलॉट की गई ?

(2) उपरोक्त अलॉट की हुई जमीन में कितने व्यक्तियों को दखल दिला दिया गया और कितनों का दखल रोक दिया गया ?

(3) क्या यह सही है कि कुछ अलॉटमेंट रद्द कर दिये गये ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों के अलॉटमेंट कैंसिल किये गये हैं ? कृपया सूची आज्ञा की प्रतिलिपि व कैंसिल करने के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों को जमीन अलॉट की गई थी उनका बिना नोटिस दिये ही अलॉटमेंट रद्द कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या यह नियमानुसार है ?

**उत्तर**

(1) 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला अलवर में बानसूर तहसील में 1,873 भूमिहीन व्यक्तियों को 6,310 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है।

(2) उक्त आवंटित समस्त भूमि में से 383 आवंटितियों को 1,158 बीघा 10 बिस्वा रकबे पर दखल नहीं दिया गया है। शेष को दखल दिला दिया गया है।

(3) जी नहीं। एक आवन्टन की प्रोसीडिंग को निरस्त (quesh) किया गया है।

(4) एक भी आवंटन रद्द नहीं किया गया है अतः नोटिस का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 11-3-76)

बीकानेर जिले में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां

45. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले में उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर को दुग्ध उत्पादकों को सहकारी समितियों के गठन एवं अन्य कार्यों के निमित्त परियोजना अधिकारी एवं अन्य आवश्यक कर्मचारी दिये गये हैं ? अगर हां, तो उन्होंने अब तक कुल कितनी समितियां बना कर पंजीयन हेतु, सहायक पंजीयक, बीकानेर के कार्यालय में प्रस्तुत कीं तथा उनमें से अब तक कुल कितनी समितियां पंजीकृत की गईं ?,

(2) क्या यह सही है कि एक ही गांव में एक ही दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का गठन एवं पंजीयन होना उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ सहकारी भावना को बढ़ावा देने के लिये उचित समझता है ? अगर हां, तो ग्राम शेखसर के बास खोडाला में पूर्व में एक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के कार्यशील होते हुए क्या दूसरी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का गठन किया गया तथा क्या इस गठन में परियोजना अधिकारी के माध्यम से समिति गठन की कार्यवाही की गई ? अगर नहीं, तो सहायक पंजीयक, बीकानेर द्वारा यह अनुचित एवं गैरकानूनी कार्यवाही कैसे की गई ?

उत्तर

(1) यह सही है कि बीकानेर जिले में उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि. बीकानेर को दुग्ध उत्पादकों को सहकारी समितियों का गठन एवं अन्य कार्यों के निमित्त परियोजना अधिकारी एवं अन्य आवश्यक कर्मचारी दिये गये हैं। उक्त संघ के गठन के पश्चात परियोजना अधिकारी से 73 सहकारी समितियों के पंजीयन करने हेतु पत्रादि सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, बीकानेर के कार्यालय में प्राप्त हुए। इसमें से 71 समितियां पंजीकृत की जा चुकी हैं।

(2) साधारणतया संघ द्वारा गांव में एक ही दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का गठन करना माना है, परन्तु सक्षमता के आधार पर एक से अधिक समिति गठित की जा सकती है।

यह सही है कि ग्राम शेखसर के पास खोडाला में एक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के कार्यशील होते हुए भी दूसरी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति इसी गांव के लिये पंजीकृत की गई है। इस समिति के पंजीकृत करने से पूर्व परियोजना अधिकारी की राय नहीं ली गई है। सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, बीकानेर द्वारा अनुचित व गैरकानूनी कार्यवाही नहीं की गई है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 12-3-76)

जोहड़ों में ईंटें बनाने की छूट

67. **श्री मोहरसिंह** (सादुलपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मोहरसिंह)

(1) क्या यह सही नहीं है कि राजाशाही जमाने में खालसा ग्रामों में घरेलू कार्यार्थ जोहड़ों में ईंटें बनाने की छूट थी ?

(2) क्या यह सही नहीं है कि वर्तमान में काफी जगह राजस्व तहसीलदारों की तरफ से घर वास्ते ईंटें बनाने वालों पर मुकदमे कायम किये गये हैं ?

(3) क्या सरकार इस कठिनाई से किसान को बचाने के लिये कोई उपाय सोच रही है ? अगर नहीं, तो क्यों ? और अगर हां, तो कब तक ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं । यह सही है ।

(2) केवल अजमेर, चूरू, झुन्झुनू तथा कोटा जिलों में सरकारी भूमि पर अनधिकृत रूप से ईंटों के भट्टे बनाने वालों पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है।

(3) राज्य सरकार ने खातेदार एवं गैरखातेदार काश्तकार को अपनी जोत की 150 वर्ग गज भूमि की सीमा तक ईंटों के भट्टे लगाने पर छूट दे रखी है । इसी प्रकार अपने मकान के लिए आबादी भूमि में ईंटें तैयार करने के लिए छूट पहिले ही दे रखी है ।

स्थगित प्रश्न

---

(दिनांक 13-3-76)

**रणजीतनगर कालोनी भरतपुर में आवंटित-भूखण्ड**

80. श्रीमती उषा प्रकाश (बैर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) भरतपुर नगर सुधार न्यास के अन्तर्गत रणजीतनगर कालोनी के नाम की योजना कब स्वीकृत हुई ? इस योजनान्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के कुल कितने कितने भू-खण्ड थे ?

(2) उपरोक्त योजना में आवंटन एवं निलामी द्वारा कौन-कौन-सी श्रेणी के कितने-कितने भू-खण्ड दिये जाने थे ? क्या इन भू-खण्डों की संख्या एवं साइट प्लान में नगर आयोजना विभाग द्वारा कोई परिवर्तन किया गया था ? यदि हां, तो कब और क्या ?

(3) न्यास के किस-किस गैर सरकारी (नॉन-आफिशियल) अध्यक्ष ने उपरोक्त योजना मे आवंटन द्वारा भू-खण्ड प्राप्त किया ? कृपया उनका नाम, भू-खण्ड का नम्बर, क्षेत्रफल तथा आवंटन की तिथि का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या आवंटित भू-खण्ड का बाद में परिवर्तन किया गया ? यदि हां, तो परिवर्तित भू-खण्ड की सिचुएशन, क्षेत्रफल और नम्बर की तिथि क्या है ?

(5) क्या उपरोक्त आवंटन और परिवर्तन के लिये अपेक्षित राज्य सरकार की अनुमति ली गई थी ? यदि हां तो स्वीकृति किस तारीख को दी गई ?

(6) क्या उपरोक्त प्रकार का कार्य करने वाले अध्यक्ष के विरुद्ध हुई उपरोक्त तथा अन्य घोटाले और गड़बड़ियों की शिकायत पर की गई जांच के दौरान यह तथ्य पाया गया था कि भूतपूर्व अध्यक्ष ने आवंटित भू-खण्ड के पास वाले भू-खण्ड पर भी अतिक्रमण द्वारा कब्जा कर लिया था और नगर आयोजना विभाग द्वारा

(श्रीमती उषा प्रकाश)

स्वीकृत नक्शों में काफी हेराफेरी की गई।

7. उपरोक्त गड़बड़ी एवं जांच के दौरान पाई अन्य गड़बड़ियों के मामलों में राज्य सरकार तथा न्यास ने प्रशासनिक एवं कानूनी दृष्टि से क्या क्या कदम उठाये ?

उत्तर

(1) स्वीकृति दिनांक 12-3-65 का की गई। विभिन्न श्रेणियों में कुल 555 भू-खण्ड हैं।

(2) इस योजना में आवंटन एवं नीलामी से भूखण्ड निम्न प्रकार हैं:--

| | | | |
|---|---|---|---|
| आवंटन | 1. एल. आइ. जी. ए | 100 प्रतिमाह तक आय वाले | 66 |
| | 2. एल. आइ. जी. बी. | 101 से 250 रु. माह तक आय वाले | 66 |
| | 3. एम. आइ. जी. एच. | 251 से 400 तक आय वाले | 40 |
| | 4. डिफेन्स पर्सनल | | 28 |
| | | | 200 |
| नीलामी द्वारा | 1. 60.90 | | 209 |
| | 2. 50 80 | | 15 |
| | 3. 40 60 | | 131 |
| | | | 355 |

भू-खण्ड की संख्या एवं साइट प्लान में नगर आयोजना विभाग द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(3) केवल एक गैरसरकारी अध्यक्ष श्री रामस्वरूप गुप्ता को भू-खण्ड सं. 149 क्षेत्रफल '60'×40' का दिनांक 10-8-65 को आवंटित किया गया। उस समय यह अध्यक्ष नहीं थे।

(4) जी हां। परिवर्तन भूखण्ड कोने का है। क्षेत्रफल 300 वर्ग गज भूखण्ड संख्या 221-ए तथा तिथि 27-5-1967 है।

(5) राज्य सरकार की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं था। परन्तु राज्य सरकार ने पुष्टि दिनांक 27-12-74 को कर दी।

(6) कुछ अंश तक अनियमितता पाई गई।

(7) श्री गुप्ता के विरुद्ध न्यायालय में धारा 406 एवं 420 आइ पी. सी. के अन्तर्गत क्रिमीनल केस चलाया परन्तु श्री गुप्ता द्वारा अधिक ली गई भूमि की कीमत जमा कराने के कारण केस वापस ले लिया गया।

## परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 315 की सूची

(लाख रुपयों में)

| | संस्थान का नाम | पूंजी | लाभ-हानि 72–73 | 73-74 | 74–75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. पूर्णतया राजकीय स्तर पर चलाये जा रहे उद्योग | 1. राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना | | | | |
| | (अ) सोडियम संयंत्र(31-3-75) | 96.40 | 3.80 | 13.50 | 1.50 (अनुमानित) |
| | (ब) सल्फाइड संयंत्र(74–75) | 8.96 | 2.00 | 3.05 | 2.55 (अनुमानित) |
| | (स) क्रूड सोडियम सल्फेट (74–75) | 1.62 | 8.72 | 14.55 | 19.13 (अनुमानित) |
| | 2. राजकीय ऊनी मिल्स, बीकानेर | 197.20 | (–)13.00 | (–)10.30 | (–)23.52 |
| | 3. राजकीय लवण स्त्रोत, डीडवाना | (–)10.96 | 5.55 | 3.02 | 10.44 |
| | 4. राजकीय लवण स्त्रोत, पचपदरा | 12.38 | (–)0.13 | (–) 3.81 | (–) 2.61 |
| | | 31–3–75 को | | | |
| 2. सरकार की अधिक भागांश पूंजी से चलाये जा रहे उद्योग | 5. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम | 313.00 | 6.93 | 34.76 | 20.90 (अस्थायी) |
| | 6. राजस्थान लघु उद्योग निगम | 41.60 | 16.48 | 22.31 | 2.86 |
| | 7. राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम | 148.63 | 18.23 | 7.53 | 5.32 |
| | 8. हाई टेक प्रोसिजन ग्लास लि० | 7 60 | 0.03 | 0.04 | लेखे तैयार नहीं हैं। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9. राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम | 320.50 | 0.04 | 0.19 | (-) 0.95 |
| 10. गंगानगर शुगर मिल्स लि० | 47.81 | 1.55 | 24.47 | 16.43 |
| 11. राजस्थान राज्य होटल्स कारपोरेशन लि० | 34.54 | 0.36 | (-) 0.35 | (-) 0.52 |
| 12. राजस्थान राज्य टेनरीज लि० | 40.00 | उत्पादन वर्ष | 1975-76 में प्रारम्भ हुआ है। | |
| 13. राजस्थान राज्य माइन्स एण्ड मिनरल्स लि० | 160.40 | 0.79 | 5.12 | 21.65 |
| 14. राजस्थान राज्य डेयरी डवलपमेंट कारपोरेशन | 9.15 | मार्च, 75 में | चालू हुई है। | |
| 15. राजस्थान राज्य भण्डार व व्यवस्था निगम विनियोजन का अनुपात 50.50 का है अतः अस्थायी स्थिति है। | 67.02 | 17.83 | 7.66 | लेखे तैयार नहीं हैं। |
| | 1502.85 | | | |

## परिशिष्ट-3

### अतारांकित प्रश्न संख्या 166 की सूची

### प्रश्न संख्या एक की सूची

(जयपुर जिले के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी जल प्रदाय योजनाओं पर किये गये खर्चों का विवरण

| क.सं. | योजना का नाम | प्रथम पंचवर्षीय योजना | द्वितीय पंचवर्षीय योजना | तृतीय पंचवर्षीय योजना | 66-67 | 67-68 | 68-69 | 69-70 | 70-71 | 71-72 | 72-73 | 73-74 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | शहरी जल प्रदाय योजना | 1.04 | 87.56 | 40.36 | 5.26 | 3.54 | 4.03 | 8.46 | 11.49 | 28.18 | 56.50 | 58.97 | 305.41 |
| 2. | ग्रामीण जल प्रदाय योजना | - | 1.86 | 11.87 | 1.16 | 2.58 | 2.27 | 5.37 | 9.05 | 14.02 | 21.64 | 24.63 | 94.45 |

## परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 177 आदेश)

अतिक्रमण के मामलों को नियमन करने के लिए राज्य सरकार ने समय समय पर सन् 1960 से लेकर सन् 1971 तक जो आदेश प्रसारित किये हैं, उनका सार निम्न प्रकार है –

**1. नॉन प्राजेक्ट क्षेत्र : अलवर, भरतपुर एवं सीकर जिले को छोड़कर राजकीय भूमि पर दिनांक 31–12–61 तक के अतिक्रमण के मामलों में नियमन :—**

(क) ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 31-12–61 तक पिछले 5 वर्ष का लगान नियमित रूप से तथा लगातार दिया है उनसे तीन वर्ष के लगान को बराबर शास्ति वसूल करके उनके दिनांक 31-12–61 तक के नाजायज कब्जे को नियमन किया जाकर काश्त की भूमि पर खातेदारी हक से काबिल रहने दिया जा सकता है बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति के कब्जे में कुल भूमि का क्षेत्रफल राजस्थान टेनेन्सी अधिनियम, 1955 के खण्ड (क) में परिभाषित अधिकतम क्षेत्र (सीलिंग) से अधिक नहीं हो। केवल उपरोक्त निर्धारित सीमा से ऐसे अतिक्रमी के कब्जे में जितनी जमीन अधिक हो उससे ही उसका कब्जा हटाया जा सकता है।

(ख) दिनांक 31–12–61 तक सरकारी भूमि पर काबिज व्यक्तियों के मामले में जो उनके कब्जे की अनाधिकृत भूमि का नियमितरूप से लगान का भुगतान कर रहे थे, उनके अतिक्रमण के मामलों में बिना किसी शास्ति के खातेदारी अधिकार देते हुए नियमन किया जा सकता है बशर्ते कि उनके कब्जे में भूतपूर्व बीकानेर डिवीजन को छोड़कर राजस्थान के अन्य समस्त जिलों में 15 एकड़ बारानी भूमि से अधिक भूमि नहीं हो। भूतपूर्व बीकानेर डिवीजन के भाखरा नहर, राजस्थान नहर व गंगनहर द्वारा सिंचाई होने वाले क्षेत्र को छोड़कर शेष बारानी क्षेत्र में 50 एकड़ तक वाले तथा अतिक्रमण की कुल भूमि धारण करने वालों के मामले बिना सर्त्तो चुकाये नियमन योग्य हैं।

(ग) दिनांक 31-12–61 तक सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले ऐसे व्यक्ति जो भू-राजस्व का भुगतान नहीं कर रहे थे, उनके मामले में उपरोक्त (ख) श्रेणी में अंकित अन्य शर्तों के अनुसार एवं सीमा के अधीन रहते हुए वार्षिक लगान का एक गुणा की दर से शास्ति वसूल करने के पश्चात् नियमन किया जा सकता है।

**2. दिनांक 31–7–74 तक गैरमुमकिन भूमि पर अतिक्रमण करके कृषि प्रारम्भ करने वाले व्यक्तियों के मामलों में नियमन :—**

जिन व्यक्तियों ने गैरमुमकिन भूमियों पर अतिक्रमण करके दिनांक 31–7–64 तक कृषि प्रारम्भ कर दी थी अथवा कुए खोद लिये थे या अन्य प्रकार के सुधार कार्य कर लिये

थे उनके मामले उनके द्वारा दिनांक 31-5-65 तक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में वार्षिक लगान की एक गुणा राशि शास्तिस्वरूप वसूल करके नियमन की जा सकती थी बशर्ते कि उनके पास कुल जमीन खाते की व नाजायज कब्जे को मिलाकर 15 एकड़ से अधिक नहीं हो और भूतपूर्व बीकानेर डिवीजन के भाखरा, राजस्थान एवं गंगनहर से सिंचाई होने वाले क्षेत्र को छोड़ कर अन्य बारानी क्षेत्र में 50 एकड़ से अधिक नहीं हो। किन्तु श्मशान, कब्रिस्तान तथा ऐसी ही अन्य भूमियां जिनका उल्लेख राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा 16 में किया गया है, वे नियम योग्य नहीं होंगे।

### 3. दिनांक 31-12-61 के पूर्व अनाधिकृत रूप से कब्जे में की गई खेतों की पट्टियां या टुकड़ों का नियमन: —

राजस्थान टेनेन्सी (भूमि का अधिकतम क्षेत्र निर्धारण) नियम, 1963 के परिशिष्ट 2 में उल्लेखित उप-खण्ड (Fragment) के 1/5 भाग से अथवा 3 एकड़ में से जो भी कम हो, की ऐसी पट्टियां या टुकड़े जो काश्तकारों के खेतों के बीच में हैं तथा अन्य प्रकार से आवंटन के काम में नहीं आ सकते हैं उन्हें एक साल की लगान की राशि के बराबर शास्ति की राशि चुकाने पर नियमन किया जा सकता था बशर्ते कि ऐसे अतिक्रमियों के कब्जे में कुल भूमि 15 एकड़ से अधिक नहीं हो तथा बीकानेर डिवीजन के बारानी क्षेत्र में भाखरा, राजस्थान नहर एवं गंगनहर क्षेत्र को छोड़ कर 50 एकड़ से अधिक भूमि नहीं हो, अतिक्रमियों द्वारा अपने मामले नियमन कराने के लिए अवधि दिनांक 30-6-65 तक निर्धारित थी।

गोचर भूमि, श्मशान, कब्रिस्तान, क्रीड़ास्थल, सार्वजनिक प्रयोग के लिये अवाप्त की गई भूमि के ऐसे टुकड़े या पट्टियां नियमन योग्य नहीं थे।

### 4. सिंचाई के कुओं का विनियमन : —

(क) दिनांक 1-1-70 तक सरकार ने भूमि पर अनाधिकृतरूप से बनाये गये सिंचाई के कुओं को नियमन किया जा सकता है।

(ख) सिवाय चक, बिना नाम पड़त भूमि में स्थित कुंए जिनसे खातेदार काश्तकार में भूमि सिंचित होती है, उन्हें 25 रुपये शुल्क लेकर सनद जारी की जा सकती है बशर्ते कि ऐसे कुए अकाल सहायता कार्य अथवा अन्य प्रकार से सरकारी खर्च से नहीं बनाये गये हों, राजगमन अथवा लावारिश सम्पत्ति के रूप में सरकारी सम्पत्ति नहीं हो। पानी पीने के काम में आने वाले कुए जिनसे सिंचाई नहीं होती है, वे किसी को भी नहीं दिये जा सकते।

### 5. दिनांक 31-12-66 तक के अतिक्रमण के मामलों में नियमन : —

दिनांक 31-12-66 तक के अतिक्रमण के मामलों में बीस गुना लगान की राशि के बराबर शास्ति व अतिक्रमण की अवधि की पैनल्टी लेकर नियमन किया जा सकता है

(223)



बशर्ते कि अतिक्रमी के कब्जे में कुल मिलाकर 15 एकड़ से अधिक भूमि नहीं हो एवम् भूतपूर्व बीकानेर डिवीजन, भाखरा, राजस्थान नहर एवं गंगनहर से सिंचित होने वाले क्षेत्र (कमाण्ड क्षेत्र) को छोड़ कर अन्य बारानी क्षेत्र में 50 एकड़ भूमि से अधिक नहीं हो।

6. दिनांक 1-1-71 तक के अतिक्रमण के मामलों में नियमन :

यदि किसी व्यक्ति के खाते व हिस्से की भूमि एवं नाजायज कब्जे की जमीन कुल मिलाकर 15 बीघा असिंचित भूमि से अधिक नहीं हो तो उसका नाजायज कब्जा बिना किसी प्रकार की शास्ति वसूल किये गये, नियमन किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसी भूमि राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अधीन आवंटन योग्य नहीं होने वाली भूमि की श्रेणी में नहीं आती हो।

7. चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के मामलों का नियमन :

चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के मामलों के नियमन के संबंध में राजस्व विभाग के परिपत्र संख्या प. 6 (20) राज/ख/71, दिनांक 2-7-71 में तो सन् 1966 के पूर्व ही चारागाह पर काश्त करने वालों के मामले नियमन योग्य बताये हैं। चारागाहों के मामलों में नियमन संबंधी एक शर्त यह है कि जिन मामलों के अतिक्रमों द्वारा भू-राजस्व अथवा शास्ति की अदायगी हो रही है, वे नियमन किये जायें।

8. निम्न सीमाओं के अन्दर स्थित भूमि को छोड़कर ही अन्य भूमि का नियमन किया जा सकता है

1. ऐसे नगरों की जिनकी आबादी 5 लाख या इससे अधिक है, उनकी नगरपालिका सीमा से 4 मील की परिधि के अन्दर।
2. ऐसे नगरों की जिनकी आबादी 2 लाख या इससे अधिक परन्तु 5 लाख से कम है, उनकी नगर पालिकाओं की सीमा से 2 मील की परिधि के अन्दर।
3. ऐसे नगर जिनकी आबादी 1 लाख या इससे अधिक परन्तु 2 लाख से कम है, उनकी नगर पालिका सीमा से 1 मील की परिधि के अन्दर।
4. अन्य नगरों की नगर पालिका की सीमा के भीतर।
5. रेलवे सीमा क्रोसिंग से एक सौ गज के अंदर।
6. राष्ट्रीय मार्ग या
7. मेटल या ग्रेवल रोड़ के मध्य से पचास गज के भीतर।

9 सिंचाई परियोजना क्षेत्र में अतिक्रमण के मामलों का नियमन :

राज्य सरकार ने मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में सरकारी कृषि भूमि पर अनधिकृत कब्जों के नियमन बाबत आदेश परिपत्र संख्या एफ. 7/51 सिंचाई/62-11 दिनांक 24-4-68 द्वारा जारी किये हैं।